IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

20 जुलाई 2017

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051

Dear Sir,

Annual Report of the Bank for FY 2016-17

In terms of Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we forward herewith (i) the Annual Report of the Bank for FY 2016-17 (ii) Declaration of Auditors' unmodified opinion on the Financial Results for FY 2016-17 and (iii) Business Responsibility Report of the Bank for FY 2016-17.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

भवदीय
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

20/07/17
[पवन अग्रवाल]
कंपनी सचिव

संलग्न: उपर्युक्त

IDBI BANK

नई शुरुआत. नई उम्मीद. डिजिटल भारत.

New Start. New Hope. Digital India.



वार्षिक रिपोर्ट 2016 - 17

Annual Report 2016 - 17

MAHESH KUMAR JAIN TAKES CHARGE AS THE MD AND CEO OF IDBI BANK



Mahesh Kumar Jain has assumed charge as Managing Director & CEO of IDBI Bank with effect from April

आईडीबीआई ने एमएसएमई ग्राहक सभा का आयोजन किया

मुंबई | आईडीबीआई बैंक ने हाल ही में भारत भर में स्थित अपने 68 सेंटर्स पर एमएसएमई ग्राहक सभा का आयोजन किया। आयोजन का मुख्य लक्ष्य मौजूदा क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों और भावी एसएमईज ग्राहकों को फिर से एक बार मिलाना था। इसके साथ ही पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखने वाले एमएसएमईज और उच्चाधिकारियों का आभार और अभिनंदन करना था जिन्होंने अर्थ व्यवस्था और रोजगार सृजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर एमएसएमई क्षेत्र के लिए आईडीबीआई बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के प्रति जागरूकता भी कायम की गई। विभिन्न केंद्रों पर आयोजित इन सभाओं को बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्बोधित किया। इस

IDBI Bank raises ₹1,000 crore through bonds

IDBI Bank has mopped up Rs 1,000 crore through private placement of Basel-III compliant bonds. The bank will use the funds raised to strengthen its capital adequacy. "IDBI Bank has mobilised Rs 1,000 crore today through issue of Basel III

New Deputy Managing Directors of IDBI Bank

Shri Krishna Prasad Nair and Shri Gurudeo Madhukar Yadwadkar, Executive Directors, IDBI Bank Ltd., have been appointed as Whole-Time Directors, designated as Deputy Managing Director, on the Board of Directors of IDBI Bank Ltd.



Shri K. P. Nair joined IDBI in 1987 and worked in various departments including Corporate Finance, Retail Banking and Human Resources. He has worked at multiple locations across the country including as Zonal Head in Kolkata and New Delhi.



Shri G. M. Yadwadkar joined IDBI in 1987 and worked in various departments including Corporate Finance, Priority Sector Lending and Transaction Banking Group. He has worked at various locations and led the Bank's Large Corporate, Mid-Corporate and Priority Sector Groups. Presently, he was handling the Large Corporate Group and Strategic & Associates Investment portfolio of the Bank.

Award of coveted ISO22301:2012 Certification to IDBI Bank Ltd.

IDBI Bank has been awarded with much coveted & globally recognized ISO22301:2012 Certification for its Business Continuity Management System(BCMS)of Risk Management Department of the Bank. IDBI Bank is the first Public Sector Bank which has been awarded with



OTHERS MAY FOLLOW TOO

State Bank of Travancore also announced cut in benchmark lending rate by up to 0.3%

IDBI Bank Takes Lead in Lending Rate Cuts, Slashes 40 bps in One Go

Our Bureau

Mumbai: IDBI Bank has taken the lead in slashing interest rates by announcing a 40 basis points (bps) cut — one of the steepest in more than three years. Borrowers seeking three-year loans will be charged 9.30%, down 40 bps, while six-month loans have been pegged at 8.90%, down 30 bps. The bank will charge 9.10% on one-year loans against 9.30% now.

State Bank of Travancore, a subsidiary of SBI, too slashed benchmark lending rate by up to 0.3% on Friday. The bank has reduced marginal cost of funds based lending rate (MCLR) by

Other state-run banks such as the State Bank of India and Bank of India are expected to reduce their rates this weekend or early next week

tion that banks will announce steep cuts in lending rates after being nudged by the government to take measures to boost sentiments.

On Friday, chief executives of large commercial banks had discussed measures that could be taken to boost investment cycle and a steep reduction in rates was one of the suggestions, according to sources aware of

IDBI Bank first PSB to open IBU unit in GIFT

fe Bureau

Ahmedabad, May 6: IDBI has become the first public sector bank to open its IFSC Banking Unit (IBU) at the International Finan

IDBI Bank launches 'IDBI Express' for convenient, branchless banking

New Delhi June 14 , 2016 : IDBI Bank launched 'IDBI Express', an unique banking solution, enabling customers to bank at their chosen time and place beyond banking hours, without having to visit the Bank branch. Hon'ble Minster of State for Finance Shri Jayant Sinha launched the initiative in New Delhi. 'IDBI Express' assists customers to transact, transfer and use payment services. The highlight of 'IDBI Express' is its ability to offer other services like Jan Suraksha Schemes, Aadhaar, RuPay based transactions, Mudra, Stand Up India, Startup India facilities besides utility services and much more. This landmark initiative facilitates basic banking services to all its customers and is in line with its continuous efforts in financial inclusion. Speaking on the occasion, Hon'ble Minister of State for Finance, Shri Jayant Sinha said, "IDBI Bank's innovative initiative to make banking accessible to the masses is aligned with the financial inclusion efforts emphasized by our Hon'ble Prime Minister. IDBI Bank's revolutionary efforts for ensuring last mile reach through IDBI Express powered by technology is a very praiseworthy initiative."

IDBI Bank receives ASSOCHAM award

ASSOCHAM has instituted Awards for Excellence in MSE lending to banks and NBFCs in recognition of the performance in financing to micro, small and medium enterprises. IDBI Bank has received award in the category excellence in "Micro Lending" from Minister of State for MSME, Haribhai Parthibhai Chaudhary. The award was received by Lalita Sharma, Chief General Manager, Priority Sector on behalf of IDBI Bank.



The bank has been focusing more on MSME segment as well as MFI lending with various innovative products, corporate build by the bank. The growths under the segment during the last three years have been phenomenterprises. During the last financial year the bank surpassed the target under *Pradhan Mantri*

आईडीबीआई बैंक ने मनाया हिंदी सप्ताह



विषयवस्तु

कॉरपोरेट विहंगावलोकन

ii ग्राहकों को नवीनतम डिजिटल सुविधाएं देना

iv यथा 18 मई 2017 को निदेशक मंडल और कार्यपालक निदेशकगण

vi प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

viii कुछ प्रमुख गतिविधियां

xii पुरस्कार एवं सम्मान

सांविधिक रिपोर्ट

2 निदेशकों की रिपोर्ट

16 प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

50 कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

148 एकल वित्तीय विवरण

262 समेकित वित्तीय विवरण

370 पिलर III प्रकटन

Contents

Corporate Overview

ii Offering Customers the Digital Edge

iv Board of Directors & Executive Directors as on May 18, 2017

vi Managing Director & CEO's Message

viii Some Major Events

xii Awards & Accolades

Statutory Reports

9 Directors' Report

33 Management Discussion and Analysis

100 Corporate Governance Report

Financial Statements

148 Standalone Financial Statements

262 Consolidated Financial Statements

370 Pillar III Disclosures

ग्राहक को नवीनतम डिजिटल सुविधाएं देना

भारत अपने नवीकृत वादे को पूरा करने में लगा है. अतीत को पीछे छोड़कर और नए दिन की प्रतीक्षा में. सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए यह उनमें से एक है जो नए भारत का उदय देखेगा. एक ऐसा भारत जो अपनी ताकत और क्षमताओं के बारे में बखूबी जानता है.

प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने आप को सशक्त महूसस करना ही इस उभरते हुए राष्ट्र को गति देता है. अन्यान्य प्रेरक कारकों में से एक डिजिटलीकरण के बलबूते पर प्रगति की धाराओं ने आत्मविश्वास को पंख लगा दिए हैं जो सभी को साथ ले कर आगे बढ़ती है. सभी को सक्षम बनाती है, सभी को मजबूत बनाती है.

आईडीबीआई बैंक लोगों की भावी चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है और इस प्रकार नागरिकों को अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है. अपने उत्पादों और सेवाओं को डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराना हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है. यही कारण है कि हमारी कई सेवाओं में आमूल-चूल परिवर्तन आया है और कुछ मामलों में हमने नई पहलों की भी शुरुआत की है.

आईडीबीआई बैंक ने बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में हमेशा ही ग्राहकों का साथ दिया है. पूरे देश में फैले ग्राहक आधार के साथ, आईडीबीआई बैंक दूर-दराज तक पहुंचने और विभिन्न ग्राहक वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है.

अपने विभिन्न पहल कार्यों के माध्यम से हमने बैंक को ग्राहकों तक पहुंचाया है और यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारे ग्राहक अपने वित्त पर पूरा नियंत्रण रख सकें.

आनेवाले महीनों में आईडीबीआई बैंक और कई सेवाएं पेश करेगा, जिससे ग्राहक अपनी पसंद के स्थान और समय पर बैंकिंग संव्यवहार कर सकेंगे.

इस वादे को हकीकत में बदलने के लिए हमें अपने हितधारकों के सहयोग और सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी.

Offering Customers the Digital Edge

India is in the throes of renewed promise. Leaving behind the past and looking forward to a new day. To all practical purposes it is one that will see a new India being born. An India knowledgeable about her strengths and abilities.

But what drives this emerging nation is the sense of empowerment every citizen feels. A surge of confidence brought about by the waves of progress powered by digitisation as one of the driving forces, that carries all. Enables all. And strengthens all.

IDBI Bank recognises the need for people to face the challenges ahead and thus enables citizens to seize the opportunity. By offering digitization of products and services that are in line with National goals. It is for this reason that a lot of our services have undergone a sea change and in some cases we have also launched new initiatives.

IDBI Bank has always partnered its customers in offering better banking services. With a customer base spread across the country, IDBI Bank offers scalability to reach the far distances and embrace the need of various customer segments.

Through our various initiatives we have brought the Bank to the customer and also ensured that our customers remain in control of their finances.

In the months ahead, IDBI Bank will introduce yet more services that enable the customer to bank at his choice of place and time.

We look forward to the support and inputs from our stakeholders in making this promise a reality.



आईनेट बैंकिंग - यह नेट बैंकिंग सेवा ग्राहकों को अपने वित्तीय संसाधनों से जुड़ने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित प्रणाली प्रदान करती है.

inet Banking - This net banking service offers customers a convenient and secure way to connect and control their finances.

पेविज़ - यूपीआई आधारित यह मोबाइल ऐप किसी भी बैंक के ग्राहक को बैंकों में बहुविध खातों को डाउनलोड तथा लिंक करने, पैसा भेजने एवं प्राप्त करने और लेन-देन की बहुत ही कम लागत पर क्यूआर कोड आधारित मर्चेंट भुगतान करने में सक्षम बनाता है.

PayWiz - This UPI based mobile App empowers customers of any bank to download and link multiple accounts across banks, send as well as collect money and make QR code based merchant payments at a very low cost of transaction.

पेएप्ट - यह मोबाइल वॉलेट सुविधा ग्राहकों को आईडीबीआई बैंक की सुदृढ़ प्रौद्योगिकी व्यवस्था से लाभ उठाने में सक्षम बनाती है. पेएप्ट के जरिए ग्राहक बड़ी आसानी से धन अंतरण, लेन-देन के साथ ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं. इस वॉलेट की व्यापक पहुंच तथा स्वीकार्यता के लिए इसे एम-वीजा से युक्त किया गया है.

PayApt - This mobile wallet facility enables customers to benefit from IDBI Bank's strong technological backbone. With PayApt, customers can transfer, transact and also shop online with a single touch. The wallet has been further enhanced with m-Visa for wider reach and acceptability.

कार्ड उत्पाद - डेबिट, क्रेडिट और प्री-पेड कार्ड उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पेश करते हुए आईडीबीआई बैंक अपने ग्राहक समुदाय की विभिन्न जरूरतों को पूरा करता है. आईडीबीआई बैंक जो बेसिक कार्ड से लेकर प्रीमियम कार्ड तक अतिरिक्त ऐड-ऑन सेवाओं और सुविधाओं से सुसज्जित सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है.

Card Products - Offering a wide range of debit, credit and pre-paid card products, IDBI Bank caters to the diverse needs of its customer base. From basic cards to premium cards that offer a range of add-on services and facilities, IDBI Bank covers it all.

*99*49# - इस सेवा के जरिए आप स्मार्ट फोन या इंटरनेट डेटा पैक के बिना ही बैंकिंग तथा प्रेषण सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं. बेसिक मोबाइल हैंडसेट के जरिए अपना बैलेंस जानने, मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने अथवा तत्काल पैसा भेजने या पाने के लिए केवल *99# डायल करें.

*99*49# - This service enables you to access banking and remittance services without the need of a smartphone or internet data pack. Simply dial *99# to know your balance, get mini statement or send or receive money instantly through a basic mobile handset.

पीओएस मशीन और इंटरनेट पेमेंट गेटवे - यह गेटवे मर्चेंट को आसान ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल तथा इंटरनेट पेमेंट गेटवे पर पीओएस, एम-पीओएस और हाल ही में शुरू हुए भारत क्यूआर-पीओएस एप्लीकेशन के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने में समर्थ बनाता है.

POS Machines & Internet Payment Gateway - Enabling merchants to accept payment through POS, m-POS and the newly introduced Bharat QR-POS Application on mobile and Internet Payment Gateway for easy online payments.

एमपासबुक - यह कागज रहित द्विभाषी पासबुक आपको ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों रूपों में संचयित खाता लेन-देनों को देखने, कीवर्ड, टैग जोड़कर उन्हें वैयक्तिक बनाने और श्रेणियों द्वारा खर्चों की निगरानी करने, पाईचार्ट जेनरेट करने और ढेर सारी सुविधाएं प्राप्त करने में समर्थ बनाता है.

mPassbook - This paperless bilingual passbook enables you to view stored account transactions both in online and offline mode, personalize them by adding keywords, tag and monitor expenses by categories, generate pie-chart and much more.

गो मोबाइल - इस मोबाइल आधारित ऐप के जरिए, ग्राहक विभिन्न बैंकिंग लेन-देन करने के लिए विविध उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं. निर्बाध लेन-देन सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए यह सुविधा आसान बैंकिंग का अनुभव कराती है.

GoMobile - With this mobile based app, customers can use a variety of devices to carry out various banking transactions. Ensuring seamless transactional security, this facility enables a smooth banking experience.

अभय कार्ड कंट्रोल - इस मोबाइल ऐप के माध्यम से खाताधारक अपने आईडीबीआई बैंक डेबिट कार्ड पर नियंत्रण रख सकते हैं. कार्ड को ऑन/ऑफ स्विच करने, खाता शेष देखने, अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल को नियंत्रित करने और इसी प्रकार की अन्य कई सुविधाएं पेश की जाती हैं.

Abhay Card Control - Through this mobile app account holders are able to gain control over their IDBI Bank Debit cards. A range of facilities are offered like switching card on / off, viewing account balance, controlling International usage and many more.

यथा 18 मई 2017 को निदेशक मंडल

Board of Directors as on May 18, 2017



श्री महेश कुमार जैन
(प्रबंध निदेशक एवं सीईओ)
Shri Mahesh Kumar Jain
(Managing Director & CEO)



श्री के. पी. नायर
(उप प्रबंध निदेशक)
Shri K. P. Nair
(Deputy Managing Director)



श्री जी. एम. यादवाडकर
(उप प्रबंध निदेशक)
Shri G. M. Yadwadkar
(Deputy Managing Director)



श्री पंकज जैन
Shri Pankaj Jain



श्री प्रवीण गर्ग
Shri Praveen Garg



श्री एस. रवि
Shri S. Ravi



श्री निनाद कर्पे
Shri Ninad Karpe



श्री ज्ञान प्रकाश जोशी
Shri Gyan Prakash Joshi



सुश्री नीरू अबरोल
Ms. Neeru Abrol



डॉ. आशिमा गोयल
Dr. Ashima Goyal

यथा 18 मई 2017 को कार्यपालक निदेशक

Executive Directors as on May 18, 2017



श्री पी. सीताराम
Shri P. Sitaram



सुश्री मैथिली बालसुब्रमणियन
Ms. Mythili Balasubramanian



श्री ए. एल. बोंगिरवार
Shri A. L. Bongirwar



श्री जी. ए. तड़स
Shri G. A. Tadas



डॉ. सौम्या एस. बैनर्जी
Dr. Saumya S. Banerjee



श्री सुरेश खटनहार
Shri Suresh Khatanhar



श्री इंद्रपाल एस. कालरा
Shri Inderpal S. Kalra



श्री माधव फड़के
Shri Madhav Phadke



श्री सुब्रतो गुप्ता
Shri Subroto Gupta



श्री सुनीत कुमार माथुर
Shri Suneet Kumar Mathur

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यग्रहण करने के बाद इस संदेश के माध्यम से अपने शेयरधारकों को पहली बार संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है.



वर्ष 2016-17 आपके बैंक के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा. इन चुनौतियों के बीच भी आपके बैंक ने उभरते अवसरों का लाभ उठाने के भरपूर प्रयास किए ताकि इसका कारोबार विशेष रूप से रिटेल और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मोर्चे पर बढ़े और रणनीतिपरक पहल के जरिए संकेंद्रित जोखिम को कम करते हुए इस संबंध में विनियामक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके. आपके बैंक ने अपने बुनियादी कारोबार को सुधारने के लिए सतत् प्रयास जारी रखे जिसके परिणामस्वरूप कुछ मोर्चों पर बैंक को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए, उनमें से कुछ की मैं चर्चा करना चाहूँगा.

अपने कारोबार संमिश्र में पुनर्संतुलन बैठाने पर हमने जोर दिया था, उसके सकारात्मक परिणाम इस बात से देखे जा सकते हैं कि जहां मार्च 2016 के अंत में हमारे रिटेल अग्रिम 33% थे, वे मार्च 2017 के अंत में बढ़कर 43% हो गए. वर्ष के दौरान आपके बैंक की कासा जमाराशियों और रिटेल मीयादी जमाराशियों में भी 22% से अधिक की वृद्धि हुई. इसके अलावा वर्ष के दौरान कासा जमाराशियों और रिटेल मीयादी जमाराशियों का हिस्सा भी बढ़कर क्रमशः 31% और 32% से अधिक हो गया. इसी के साथ थोक मीयादी जमा राशियों का हिस्सा भी घटकर 36% हो गया, जिससे हमें निधियों की लागत कम करने में एक हद तक मदद मिली. प्रति कर्मचारी कासा जमाराशियाँ भी बढ़कर 4.6 करोड़ रुपये हो गईं. वर्ष के दौरान बैंक की शुल्क आधारित आय में भी 6% की बढ़ोत्तरी हुई है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने ग्राहकों को सुखकर अनुभव प्रदान करने के लिए और तेजी से विस्तारित हो रहे डिजिटल जगत में खुद को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे. इन प्रयासों के तहत बैंक ने विभिन्न प्रकार के अन्य पहल कार्यों के साथ यूपीआई ऐप *'पेविज'*, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए सोशल मीडिया बैंकिंग *'फेसबुक-आई इंगेज'* और एंड्रोइड प्लेटफॉर्म पर *'एम पासबुक'* नामक डिजिटल पासबुक जैसी कई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत की. इसके अलावा आपके बैंक ने भारत सरकार के वित्तीय समावेशन उद्देश्य में सहभागिता करते हुए सरकारी योजनाओं में पंजीयन बढ़ाने के लिए अपने नेटवर्क का पूरा लाभ उठाया. बैंकिंग जगत में इन पहल कार्यों के अलावा आपके बैंक ने स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, लैंगिक समानता, खेल, आजीविका अवसर, गांवों के समग्र विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विविध कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं को भी सक्रियतापूर्वक निधि सहायता उपलब्ध कराई.

चूंकि आपके बैंक ने अपनी कारोबार रणनीति में ग्राहक सेवा को सर्वोच्च स्थान पर रखा है, इसलिए अपने ग्राहक को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की बात को प्रत्येक कर्मचारी ने आत्मसात किया है. आपके बैंक के इस नज़रिये का ही यह परिणाम है कि इसे बीसीएसबीआई कोड अनुपालन रेटिंग 2017 में 'उच्च' रेटिंग प्राप्त हुई है और इसने उद्योग के अधिकांश बैंकों को पीछे छोड़ दिया है.

आपके बैंक के पहल कार्यों को बैंकिंग जगत व इससे इतर अन्य कई मंचों पर सराहना मिली है. आपके बैंक ने खुद को एक मान्य और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया है. इसकी पुष्टि मिलवार्ड ब्राउन की रिपोर्ट ब्रांड जेड से भी हो जाती है, जिन्होंने *'टॉप 50*

Managing Director & CEO's Message

Dear Shareholders,

It is my privilege to be addressing the shareholders of this Bank for the first time since I took charge as its MD & CEO through this message.

The year 2016 - 17 was a challenging year for your Bank. In the midst of these challenges, your Bank strived to tap the emerging opportunities to enable it to grow its business, especially on the retail and priority sector front, as a strategic move to minimise and mitigate concentration risk as well as meet regulatory requirements in this regard. As your Bank persisted in its efforts to improve its business fundamentals, it yielded positive results on some fronts, some of which I would like to highlight.

The thrust placed on rebalancing of the business mix has yielded positive results as can be evidenced from the rising share of retail advances to 43% as at end-March 2017 from 33% as at end-March 2016. Your Bank's CASA deposits as well as Retail Term Deposits both grew by over 22% during the year. Furthermore, the share of CASA Deposits and Retail Term Deposits has been progressively increased to over 31% and 32%, respectively, during the year. Correspondingly, there has also been reduction in the share of bulk term deposits to 36%, which has helped in driving down the cost of funds to an extent. CASA per employee also has risen to Rs. 4.6 crore. The Bank's fee income too has increased by over 6% during the year.

During the year under review, your Bank continued to make efforts for reimagining the customer experience and positioning it for success in an increasingly digital world. The efforts of the Bank saw introduction of a variety of new digital offerings such as its Unified Payments Interface (UPI) App *'PayWiz'*, Social Media Banking *'Facebook – iEngage'* for retail internet banking customers and digital passbook *'mPassbook'* on Android platform, among various other initiatives. Furthermore, your Bank partnered the Government of India in furthering the objective of financial inclusion by leveraging its network to enhance enrolments under the Government schemes. In addition to such initiatives in the banking space, your Bank proactively funded multiple Corporate Social Responsibility (CSR) interventions in varied areas such as healthcare services, education, gender equality, sports, livelihood opportunities and holistic development of villages, etc.

Since your Bank has accorded excellence in customer service as the crux of its business strategy, it is imbibed in every employee to serve its customers better and go the extra mile to cater to their requirements. This approach of your Bank has earned it a 'High' rating as per the BCSBI Code Compliance Rating 2017, outperforming most of the other banks in the industry.

Your Bank's initiatives in the banking space and beyond have been feted at various fora. Your Bank has carved a niche for itself as a recognized and trusted brand, also affirmed by the Millward Brown's Report Brand Z, which has rated it among the *'Top 50 Most Valuable Indian Brands'.* For its digital initiatives, your Bank

मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स' में बैंक को चुना है. आपके बैंक को इसके डिजिटल पहल कार्यों के लिए 6ठे एशिया पेसिफिक कस्टमर एंगेजमेंट फोरम में ट्रेंड सेटर अवार्ड श्रेणी के तहत *'नेट ऐप इनोवेशन अवार्ड 2017'* तथा अभय कार्ड कंट्रोल ऐप के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली मोबाइल ऐप श्रेणी में सिल्वर अवार्ड मिले हैं. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कारोबार में आपके बैंक के पहल कार्यों के लिए 2016 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित 'सूक्ष्म उद्यमों को उधार में उत्कृष्टता' हेतु प्रथम पुरस्कार तथा माइक्रो लेंडिंग के लिए एसोचेम एसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 प्राप्त हुए.

हालांकि कुछ मोर्चों पर आपके बैंक ने अपना अच्छा काम जारी रखा, लेकिन इसके कार्य-निष्पादन पर गिरती आस्ति गुणवत्ता का साया मँडराता रहा और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के साथ-साथ दबावग्रस्त आस्तियों में भी वृद्धि देखी गई. उच्चतर एनपीए और दबावग्रस्त आस्तियों के कारण प्रावधान बढ़ाना पड़ा, परिणामस्वरूप आपके बैंक की लाभप्रदता नकारात्मक हो गई और पूंजी पर्याप्तता अनुपात की स्थिति भी चिंताजनक हो गई. इन घटनाओं के चलते भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को आपके बैंक पर 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई' (पीसीए) रूपरेखा लागू करनी पड़ी. हम लाभांश वितरण, शाखा विस्तार, पूंजीगत व्यय, सहायक संस्थाओं में निवेश आदि के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं. देखा जाए तो इस पीसीए रूपरेखा ने हमें विनियामक रूपरेखा के मुक़ाबले आपके बैंक के कार्य-निष्पादन के लिए मानक स्तर बनाने का अवसर प्रदान किया है.

चुनौतियों को देखते हुए आपके बैंक ने एक व्यापक कायापलट रणनीति तैयार की है, जिसके तहत अपनी शक्तियों को प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर लागत में कमी लाने वाले क्षेत्रों की पहचान करना व अधिकतम राजस्व प्राप्त करना है जिससे बैंक की सतत् प्रगति व लाभप्रदता सुनिश्चित की जा सके. बैंक की इस बहुमुखी कायापलट रणनीति में मुख्यतः छः बातों पर ध्यान दिया जा रहा है. ये हैं: आक्रामक वसूली तथा आस्तियों की और अनर्जकता को रोकना; नए संसाधन जुटाकर व जोखिम भारित आस्तियों को कम कर अल्प व दीर्घावधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) में सुधार लाना; धारणीय कारोबार संमिश्र सुनिश्चित करने हेतु कॉरपोरेट ऋण बही में सीमित वृद्धि करते हुए रिटेल व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आस्ति आधार बढ़ाना; परिचालन लागत में कमी लाना; गौण आस्तियों की बिक्री तथा रिटेल उत्पादों की अप सेलिंग व क्रॉस सेलिंग. इस रणनीति से बैंक को मौजूदा कमियों को पहचानने और उनका समाधान ढूँढने में, अपनी मूल ताकत का सदुपयोग करने में तथा मौजूदा उत्पादों और प्रक्रियाओं को सुधारने में मदद मिलेगी. आपका बैंक सुस्थापित ब्रांड पहचान, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, नवोन्मेषी डिजिटल सुविधाओं, युवा व व्यावसायिक रूप से सुशिक्षित कार्यदल जैसी अपनी अंतर्निहित मूल शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंकिंग जगत में अपनी स्थिति को और भी मजबूत बनाएगा. मुझे विश्वास है कि इन रणनीतिक पहल कार्यों तथा अपनी अंतर्निहित मूल शक्तियों के जरिये आपका बैंक अपने सामने मंडरा रही चुनौतियों से पार पाते हुए नए अवसरों की तलाश कर एक बेहतर, मजबूत और मूल्यवान बैंक के रूप में उभर कर सामने आएगा.

आपके बैंक का अब तक का सफर बैंक के शेयरधारकों के सतत् विश्वास और उत्साह, इसके ग्राहकों और व्यावसायिक साझेदारों के भरोसे और निष्ठा तथा इसके कर्मचारियों द्वारा वर्षों से दर्शाई गई प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता का प्रतीक रहा है, जिसके लिए मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूँ. मुझे विश्वास है कि आपके साथ मजबूत साझेदारी और आपके सतत् सहयोग के बल पर हम आपके बैंक को एक ऐसे बड़े, बेहतर और सुदृढ़ बैंक के रूप में स्थापित कर सकेंगे जो अपने हितधारकों को बेहतरीन मूल्य प्रदान करेगा.

शुभकामनाओं के साथ,

महेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

was awarded the *'NetApp Innovation Awards 2017'* under the Trend Setter Award category and Silver Award for its Abhay Card Control App at the 6th Asia Pacific Customer Engagement Forum under the Most Admired Customer Engaged Mobile App category. The initiatives in the priority sector business saw your Bank being awarded the first prize for *'Excellence in Lending to Micro Enterprises'* at National Awards 2016, instituted by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), the Government of India and ASSOCHAM SME Excellence Award 2016 for its performance in Micro Lending.

Even as your Bank continued to perform well on some fronts, its performance was overshadowed by the deterioration in its asset quality, which saw rising level of Non-Performing Assets (NPA) as well as stressed assets. As a consequence of higher NPA and stressed assets, the provisioning rose, which in turn, negatively impacted the bottomline of your Bank and also raised concerns on the capital adequacy front. These developments have led to implementation of Prompt Corrective Action (PCA) framework on your Bank by Reserve Bank of India (RBI). We are ensuring that the RBI guidelines relating to distribution of dividend, branch expansion, capital expenditure, investment in subsidiaries, etc. are followed. In a way, the PCA framework has provided us with an opportunity to benchmark your Bank's performance against the regulatory framework.

In view of the challenges, your Bank has devised a comprehensive turnaround strategy that seeks to leverage its strengths and entails identification of areas for cost containment and revenue maximization that would help in ensuring sustainable growth and profitability for the Bank. The multi-pronged turnaround strategy broadly focuses on six areas: aggressive recovery and prevention of further slippages; improvement in Capital Adequacy Ratio (CAR) in the short and medium term through fresh resource raising as well as reduction in the risk weighted assets; increase in retail and Priority Sector Lending (PSL) asset base with limited growth in corporate loan book to ensure a more sustainable business mix; reduction in operational cost; sale of select non-core assets and upselling as well as cross-selling of retail products. This strategy will enable the Bank to identify and address the existing lacunae, capitalize on core strengths and improve existing products and processes. Your Bank will leverage its inherent core strengths such as recognized brand identity, excellent customer service, innovative digital offerings, and talent pool of a young and professionally qualified workforce to strengthen its position in the banking space. I am confident that these strategic initiatives, in conjunction with the inherent strengths of your Bank, will enable it to surmount the challenges confronting it and tap new opportunities to emerge a better, stronger and valuable bank.

Your Bank's journey so far is a testament to the continued confidence and encouragement of the Bank's shareholders, the trust and loyalty of its customers and business partners, and the commitment and professionalism of its employees exhibited over the years, for which I would like to thank them. With stronger partnerships and your continued support, I am sure that we will position your Bank as a bigger, better and stronger bank that delivers enormous value to its stakeholders.

With best wishes,

Mahesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

कुछ प्रमुख गतिविधियां



आईडीबीआई बैंक को सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार वितरण समारोह में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री ने श्री सुरेश खटनहार, कार्यपालक निदेशक को यह पुरस्कार प्रदान किया.

IDBI Bank was awarded First Prize for Excellence in Lending to Micro Enterprises at the National MSME Award Ceremony. Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister, handed over the Award to Shri Suresh Khatanhar, ED.

Some Major Events



श्री जयंत सिन्हा, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार ने 'आईडीबीआई एक्सप्रेस', कम लागत वाले बैंकिंग मॉडल का उद्घाटन किया.

Shri Jayant Sinha, then Hon'ble Minister of State for Finance, GoI, inaugurated 'IDBI Express', a low-cost banking model.



आईडीबीआई बैंक ने मुंबई से मैंगलुरु तक खुले समुद्र में 1000 कि.मी. के तैराकी अभियान का विश्व रिकॉर्ड बनाने में सहयोग दिया. श्री पीयुष गोयल, माननीय केंद्रीय मंत्री तथा श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई बैंक ने फ्लैग ऑफ करते हुए इस अभियान को रवाना किया.

IDBI Bank supported the world record setting of a 1000 kms open water swim expedition from Mumbai to Mangaluru. The expedition was flagged off by Shri Piyush Goyal, Hon'ble Union Minister and Shri K. P. Nair, DMD, IDBI Bank.



श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ ने 20 अप्रैल 2017 को बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य में बैंक के पहले करेंसी चेस्ट का उदघाटन किया.

Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO, inaugurated the Bank's first Currency Chest in the State of Karnataka at Bengaluru on April 20, 2017.



स्थापना दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर में एक अनाथालय में खाद्य पैकेटों का वितरण.

Distribution of food packets at an orphanage in Bhubaneswar on our Foundation Day.



60वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री कृपाल तुमाने, माननीय सांसद ने श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक की उपस्थिति में दीक्षाभूमि, नागपुर में आईडीबीआई बैंक के स्टॉल का उद्घाटन किया.

On the occasion of 60th Dhamma Chakra Pravartan Din, Chief Guest Shri Krupal Tumane, Hon'ble MP, inaugurated IDBI Bank's Stall at Dikshabhumi, Nagpur in the presence of Shri G. M. Yadwadkar, DMD.



आईडीबीआई बैंक ने अपनी 'लाइटनिंग ए बिलियन लाइव्स' परियोजना के लिए असोसिएशन ऑफ डेवलपिंग फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन्स इन एशिया एंड द पैसिफिक (एडफिएप) पुरस्कार जीता. श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक ने मकाउ में सम्पन्न 40वीं एडफिएप वार्षिक बैठक में यह पुरस्कार प्राप्त किया.

IDBI Bank won the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) Award in "Environmental Development" for its project 'Lighting a Billion Lives'. Shri K. P. Nair, DMD, received the award at 40th ADFIAP Annual Meeting at Macau.



आईडीबीआई बैंक ने रोटरी क्लब, द्वारा आयोजित 'दि नागपुर वाकाथन एंड ड्रीम रन' का सह-प्रायोजन किया. यह कार्यक्रम विदर्भ क्षेत्र में किसानों के लिए जलसंभरों की स्थापना हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था.

IDBI Bank co-sponsored 'The Nagpur Walkathon & Dream Run' organized by Rotary Club. The event was aimed at raising money for setting up watersheds for farmers in Vidarbha region.

कुछ प्रमुख गतिविधियां



आईडीबीआई बैंक ने असोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) के 56वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में अपने हिंदी प्रकाशन 'विकास प्रभा', द्विभाषिक प्रकाशन 'श्री वयम' और सीएसआर फिल्म 'तारु फिर हुआ सवेरा' के लिए 5 ट्रॉफियाँ जीतीं.

IDBI Bank won 5 trophies for its Hindi publication 'Vikas Prabha', bilingual publication 'Shree Vayam' and CSR Film 'Taru Phir Hua Savera' at the 56th Association of Business Communicators of India (ABCI) Annual Awards at Mumbai.



आईडीबीआई बैंक को काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस द्वारा दिए जाने वाले जमनालाल बजाज उचित व्यवहार पुरस्कार, 2016 से सम्मानित किया गया. श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक ने श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, माननीय रेलमंत्री से यह पुरस्कार प्राप्त किया.

IDBI Bank won the Jamnalal Bajaj Uchit Vyavahar Puraskar, 2016 conferred by Council for Fair Business Practices. Shri K. P. Nair, DMD, received the award from Shri Suresh Prabhakar Prabhu, Hon'ble Minister of Railways.

Some Major Events



आईडीबीआई स्पोर्ट्स क्लब द्वारा 25 फरवरी 2017 को विश्वविद्यालय स्टेडियम, मुंबई में एथलेटिक्स मीट 2017 का आयोजन किया गया. श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक ने इस समारोह का उद्घाटन किया.

Athletics Meet 2017 was organized by IDBI Sports Club on February 25, 2017 at University Stadium, Mumbai. The event was inaugurated by Shri G. M. Yadwadkar, DMD.



भारत भर में लगभग 660 स्थानों पर 'किसान संगोष्ठियों' का आयोजन कर किसान दिवस मनाया गया जिसमें 30,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया. श्रीमती मैथिली बालसुब्रमणियन, कार्यपालक निदेशक ने गुजरात में लिम्बासी ग्राम में किसान संगोष्ठी की अध्यक्षता की.

Celebrating Farmer's Day by conducting 'Kisan Sangosthis' at around 660 locations across India with more than 30,000 farmers. Ms. Mythili Balasubramanian, ED chaired the Kisan Sangosthi at Limbasi Village in Gujarat.



चर्चगेट रेल्वे स्टेशन, मुंबई में 'स्वच्छता पखवाड़ा' का आयोजन और साफ-सफाई अभियान.

Observation of 'Swachhta Pakhwada' and carrying out cleaning activities at Churchgate Railway Station, Mumbai.



श्री किशोर खरात, तत्कालीन एमडी एवं सीईओ द्वारा आईडीबीआई बैंक के यूपीआई ऐप-पेविज़ का शुभारंभ.

Launching of IDBI Bank's UPI App – PayWiz by Shri Kishor Kharat, then MD & CEO.



आईडीबीआई बैंक ने जिम्नास्टिक उपकरण की खरीद के लिए युवा मामले एवं खेल निदेशालय, त्रिपुरा सरकार को सीएसआर के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की. इस अवसर पर श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक ने अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित, सुश्री दीपा कर्मकार और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित उनके कोच श्री बिश्वेश्वर नंदी को सम्मानित किया.

IDBI Bank provided financial assistance under CSR to Directorate of Youth Affairs and Sports, Govt. of Tripura for purchase of Gymnastics equipment. Shri K. P. Nair, DMD felicitated Ms. Dipa Karmakar, an Arjuna Awardee and Rajiv Gandhi Khel Ratna Awardee along with her coach Shri Bishweshwar Nandi, Dronacharya Awardee, on the occasion.



विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में फ़र्रुखाबाद शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा वृक्षारोपण.

Tree plantation by Farrukhabad Branch, Uttar Pradesh to mark World Environment Day.

पुरस्कार एवं सम्मान

- बैंक की उच्च ब्रांड दृश्यता, ब्रांड निष्ठा और सुदृढ़ता को मान्यता देते हुए मिलवार्ड ब्राउन की रिपोर्ट ब्रांड जेड ने आईडीबीआई बैंक को भारत के 'सबसे मूल्यवान 50 भारतीय ब्रांडों में से एक' का दर्जा दिया है.
- आईडीबीआई बैंक ने काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस द्वारा 'सेवा उद्यम- वृहद' श्रेणी में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज उचित व्यवहार पुरस्कार, 2016 जीता.
- आईडीबीआई बैंक को 'सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन' के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ. आईडीबीआई बैंक को उसके सूक्ष्म उद्यम उधार के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए एसोचेम एसएमई एक्सिलेन्स अवार्ड 2016 भी प्रदान किया गया.
- बैंक को 'फेसबुक बैंकिंग' के लिए ट्रेंड सेटर श्रेणी के अंतर्गत 'नेटएप नवोन्मेष पुरस्कार 2017' और 6ठे एशिया पैसिफिक कस्टमर एंगेजमेंट फोरम में इसके अभय कार्ड कंट्रोल एप के लिए रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ.
- आईडीबीआई बैंक ने अपनी 'लाइटनिंग ए बिलियन लाइव्स' परियोजना के लिए 'पर्यावरण विकास' श्रेणी में असोसिएशन ऑफ डेवलपिंग फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन्स इन एशिया एंड द पैसिफिक (एडफिएप) पुरस्कार जीता. इस परियोजना के अंतर्गत चार राज्यों के 100 गाँवों में प्रदूषण रहित ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराये गए हैं.
- आईडीबीआई बैंक की सीएसआर परियोजना वाश (जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य) को एशिया पैसिफिक कस्टमर एंगेजमेंट फोरम (एसेफ) स्वर्ण पुरस्कार और वार्षिक फिक्की सीएसआर अवार्ड्स में उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ. आईडीबीआई बैंक को लद्दाख में बाढ़ प्रभावित एक गाँव गोद लेने के लिए एसेफ रजत पुरस्कार भी प्राप्त हुआ.
- बैंक की संचार पहलों को असोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में और पब्लिक रिलेशन्स काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कई पुरस्कार प्राप्त हुए.

Awards and Accolades

- Recognising its high brand visibility, brand trust and strength, Millward Brown's Report Brand Z rated IDBI Bank amongst the 'Top 50 Most Valuable Indian Brands'.
- IDBI Bank won the prestigious Jamnalal Bajaj Uchit Vyavahar Puraskar, 2016 in the category of 'Service Enterprises-Large' conferred by Council for Fair Business Practices.
- IDBI Bank received the first prize for 'Excellence in lending to Micro Enterprises' from Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi. IDBI Bank also won the ASSOCHAM SMEs Excellence Award 2016 for its performance in Micro Lending.
- The Bank received the 'NetApp Innovation Award 2017' under Trend Setter Category for 'Facebook Banking' and Silver Award at the 6th Asia Pacific Customer Engagement Forum in the category 'Most Admired Customer Engaged Mobile App' for its Abhay Card Control App.
- IDBI Bank won the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) Award in 'Environmental Development' for its project 'Lighting a Billion Lives' where clean energy solutions were provided to 100 villages across four States.
- IDBI Bank's CSR project, WaSH (Water, Sanitation and Hygiene) won the Asia Pacific Customer Engagement Forum (ACEF) Gold Award 2016 and Certificate of Excellence at the Annual FICCI CSR Awards. IDBI Bank also won ACEF Silver Award for adoption of a flood affected village in Ladakh.
- The Bank's communication initiatives won awards in various categories at the Annual Awards of the Association of Business Communicators of India (ABCI) and the Public Relations Council of India (PRCI).

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के कारोबार तथा परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर नीतिगत सुधारों और स्थूल आर्थिक स्थितियों में सुधार के चलते अच्छी रही. इस पृष्ठभूमि में, आपके बैंक ने अपने पोर्टफोलियो संमिश्र को रिटेल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार की दिशा में ले जाने का प्रयास किया. बैंक के प्रमाणित आईटी कौशल का उपयोग, डिजिटल उत्पादों तथा डिलीवरी चैनलों में नवोन्मेषण, प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, परियोजना सलाहकारी तथा ऋण समूहन कारोबार जैसी मूल क्षमताओं का लाभ उठाना, युवा एवं प्रतिभा सम्पन्न मानव पूंजी जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कारोबारी समर्थकारकों ने सभी हितधारकों के लिए मूल्य बढ़ाने में बैंक की तत्परतापूर्वक सहायता की है.

वित्तीय विशेषताएं

यथा 31 मार्च 2017 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमशः ₹ 2,68,538 करोड़ तथा ₹ 1,90,826 करोड़ रहे. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं तालिका 1 में दी गई हैं:

तालिका 1 : प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

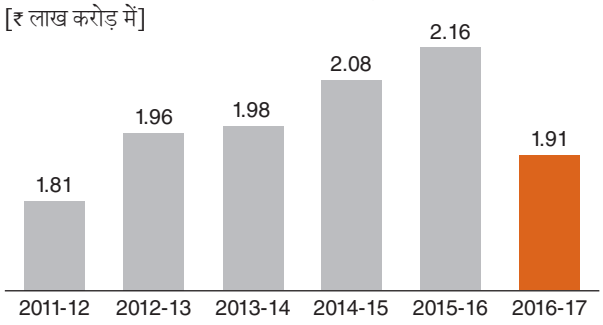
(₹ करोड़ में)

यथा 31 मार्च की स्थिति	2016	2017
पूंजी	2,058.81	2,058.81
रिज़र्व और अधिशेष	25,662.97	20,504.83
जमाराशियां	2,65,719.83	2,68,538.10
उधार राशियां	70,591.64	56,363.98
अन्य देयताएं और प्रावधान	11,356.57	14,302.18
कुल देयताएं	**3,75,389.82**	**3,61,767.90**
नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	13,822.91	13,346.92
बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	9,777.63	19,337.16
निवेश	92,997.13	92,934.41
अग्रिम	2,15,893.45	1,90,825.93
अचल और अन्य आस्तियां	42,898.70	45,323.48
कुल आस्तियां	**3,75,389.82**	**3,61,767.90**
इस अवधि में	**2015-16**	**2016-17**
कुल आय	31,453.46	31,758.97
कुल व्यय (प्रावधान छोड़कर)	26,083.39	27,180.51
प्रावधान (कर छोड़कर)	10,340.82	13,196.47
कर - पूर्व का लाभ / (हानि)	(4,970.75)	(8,618.01)
कर के लिए प्रावधान*	(1,305.95)	(3,459.87)
कर - पश्चात् लाभ / (हानि)	(3,664.80)	(5,158.14)

** वर्तमान आयकर और आस्थगित आयकर को घटाकर*

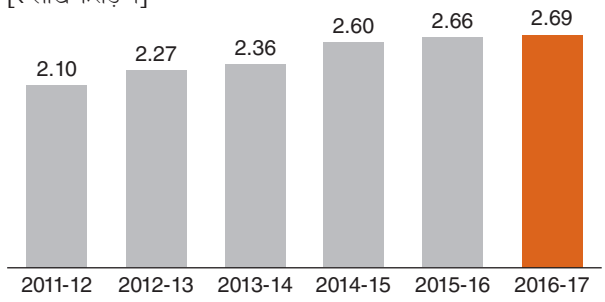
अग्रिमों की प्रवृत्तियां

[₹ लाख करोड़ में]



जमाराशियों की प्रवृत्तियां

[₹ लाख करोड़ में]



समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक की कुल आय ₹ 31,759 करोड़ रही जिसमें ₹ 27,791 करोड़ की ब्याज आय और ₹ 3,968 करोड़ की अन्य आय शामिल है. कुल व्यय (प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं को छोड़कर) ₹ 27,180.52 करोड़ रहा जिसमें ब्याज व्यय ₹ 22,040 करोड़ और परिचालनगत व्यय ₹ 5,141 करोड़ शामिल हैं.

तथापि, बैंक के पोर्टफोलियो पर निरंतर दबाव के चलते आपके बैंक का कुल प्रावधान बढ़ गया. प्रावधानों में अनर्जक आस्तियों, बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों तथा निवेशों के लिए प्रावधान के प्रति ₹ 13,875.09 करोड़ की राशि शामिल है. परिणामस्वरूप आपके बैंक को वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 5,158.14 करोड़ की निवल हानि हुई.

₹ 10 के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर के लिए वर्ष के दौरान प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) ₹ 25.05 रहा, जबकि मार्च 2017 के अंत में प्रति शेयर बही मूल्य (अगोचर आस्तियों को छोड़कर) ₹ 55.51 रहा. प्रति शेयर बही मूल्य की गणना करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 1900 करोड़ के पूंजी निवेश को हिसाब में लिया गया है जो शेयरों के आबंटन के लंबित होते हुए वित्तीय विवरणों में अन्य देयता का भाग है. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निदेशक मंडल ने किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है.

समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

(₹ '000 में)

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि
1	2	3	4	5
मूल : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	95.94%	22,563.65	103.50%	(5,158.14)
सहायक संस्थाएं :				
भारतीय :				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि.	1.39%	326.79	-0.28%	13.74
2. आईडीबीआई इंटेक लि.	0.20%	46.07	-0.28%	13.95
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	0.44%	104.42	-0.15%	7.26
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	0.01%	1.20	0.00%	0.13
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	0.64%	151.58	-0.84%	41.96
विदेशी :	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित	0.30%	70.57	-0.38%	19.01
सहयोगी कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.01%	0.45
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.52%	26.16
3. एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.72%	36.05
4. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.20%	9.89

(₹ '000 में)

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि
1	2	3	4	5
विदेशी :	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम				
(आनुपातिक समेकन के अनुसार / इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.39%	325.87	-0.50%	24.99
विदेशी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100%	23,519.59	100%	(4,983.56)
विलोपन	-1.09%	(257.28)	0.65%	(32.35)
निवल कुल	98.91%	23,262.31	100.65%	(5,015.91)

नोट: उपर्युक्त किसी भी सहायक संस्था की कोई सहायक संस्था नहीं है.

आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के दौरान उत्पन्न हुई हों :

बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएँ नहीं हैं जो बैंक के वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2017 और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख अर्थात् 18 मई 2017 के दौरान उत्पन्न हुईं.

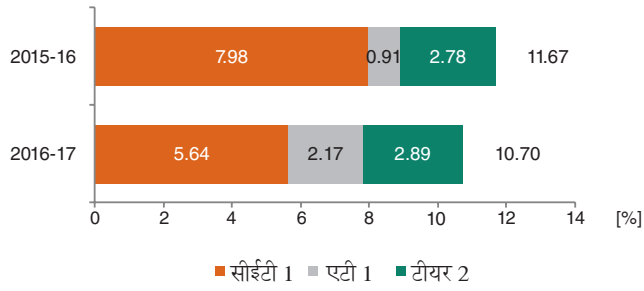
वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में ब्यौरे :

बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएँ हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करते हैं. इन नियंत्रणों और प्रक्रियाओं को विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रमाणनों के माध्यम से संचालित किया जाता है. इन प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है.

पूंजी पर्याप्तता

आपका बैंक बासेल-III ढांचे के पिलर-I दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता की गणना करता है.

सीआरएआर की प्रवृत्ति



31 मार्च 2017 को आपके बैंक का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 10.25% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं की तुलना में 10.70% रहा. आपके बैंक का सामान्य इक्विटी टीयर 1 (सीईटी 1) अनुपात रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 6.75% (1.25% पूंजी संरक्षण बफर अर्थात् सीसीबी सहित) के न्यूनतम लागू सीईटी 1 अनुपात की तुलना में 5.64% था. टीयर 1 अनुपात 8.25% (सीसीबी सहित) की विनियामक अपेक्षाओं की तुलना में 31 मार्च 2017 को 7.81% रहा.

बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2016 से अनिवार्य पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाने की शुरुआत की गई है. सीसीबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक सामान्य अवधियों के दौरान (अर्थात् दबावग्रस्त अवधियों को छोड़कर) सुरक्षित भंडार निर्मित करें जिसे दबावग्रस्त अवधियों के दौरान होने वाली हानियों के मामले

में आहरित किया जा सके. विनियामक दिशानिर्देशों की संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के अनुरूप 31 मार्च 2017 के लिए लागू सीसीबी 1.25% (2.5% के कुल सीसीबी का 50%) है. तदनुसार कुल पूंजी+सीसीबी की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा 10.25% (सीआरआर+सीसीबी) है. आपके बैंक का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 10.70% रहा. इसी प्रकार आपके बैंक का सीईटी 1 + सीसीबी अनुपात 5.64% रहा.

आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर II मानदंडों के अनुरूप आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है जो बैंक को पिलर-I में शामिल नहीं किए गए जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन करने और उनका परिमाण निर्धारित करने और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिमों का प्रबंध करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने में समर्थ बनाती है. आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के अंतर्गत पिलर III अपेक्षाओं के अनुसार एक प्रकटन नीति अपनायी है और तदनुसार हरेक तिमाही की समाप्ति पर बैंक की वेबसाइट पर प्रकटन उपलब्ध कराये जाते हैं.

कारोबार रणनीति

पोर्टफोलियो संमिश्र का पुनर्संतुलन आपके बैंक की कारोबारी रणनीति एक अहम पहलू बना रहा. अपनी कारोबारी रणनीति के अनुरूप आपके बैंक ने रिटेल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र खंडों को लक्ष्यित करते हुए विभिन्न उपाय किए.

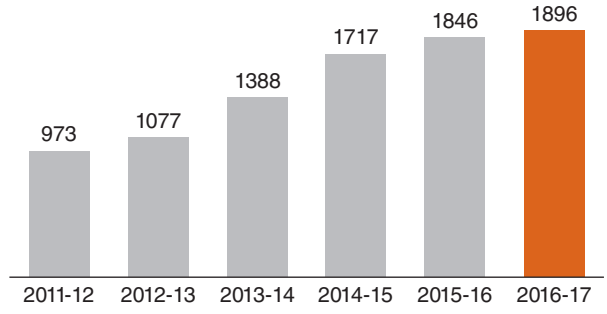
आपका बैंक अपने शाखा तथा एटीएम नेटवर्क को रणनीतिक रूप से विस्तारित करते हुए अपनी पहुँच बढ़ा रहा है. इसके अलावा, डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी होने के नाते आपका बैंक अपने ग्राहकों की बैंकिंग तथा वित्तीय जरूरतों को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए डिजिटल ऑफरिंग्स प्रदान करने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण लाना जारी रखा जिससे इसकी परिचालनगत सुविधाओं में सुधार लाने में सहायता मिली और इसकी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की कार्यकुशलता तथा सुरक्षा में भी बढ़ोत्तरी हुई.

मुख्य कारोबारी पहल-कार्य

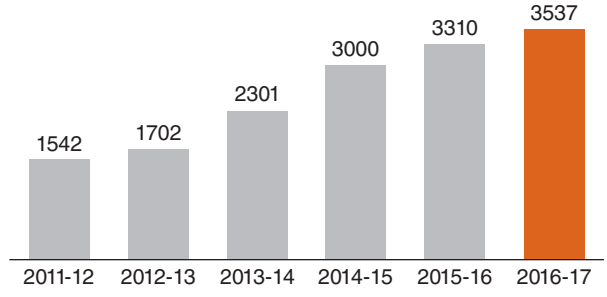
अधिक संतुलित कारोबार पोर्टफोलियो संमिश्र प्राप्त करने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप आपके बैंक ने अपने रिटेल कारोबार को बढ़ावा देने के लिए पहल-कार्य करना जारी रखा. आपका बैंक अन्य के साथ-साथ आस्ति, देयता, अन्य पक्ष तथा पूंजी बाजार उत्पादों को शामिल करते हुए उत्पादों तथा सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराता है. अपनी शाखाओं, एटीएमों तथा डिजिटल चैनलों के माध्यम से आपका बैंक ग्राहकों की निरंतर बदलती तथा उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों तथा सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है. आपका बैंक अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त को बनाए रखने के लिए अपने मौजूदा उत्पादों और सेवाओं को परिष्कृत कर रहा है और विभिन्न रिटेल खंडों में ग्राहक की जरूरतों के मुताबिक उत्पाद एवं सेवाएँ भी तैयार कर रहा है.

रिटेल ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आपका बैंक अपने शाखा एवं एटीएम नेटवर्क को रणनीतिक रूप से बढ़ाकर अपनी बैंकिंग मौजूदगी को विस्तारित करने के लिए सतत् प्रयासरत रहा. 31 मार्च 2017 को आपके बैंक के नेटवर्क में 1,896 शाखाएँ (एक विदेश स्थित शाखा और एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट सहित) और 3,537 एटीएम शामिल थे.

शाखा नेटवर्क में वृद्धि



एटीएम नेटवर्क में वृद्धि



आपके बैंक ने ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार बैंकिंग संव्यवहार करने के लिए विभिन्न डिजिटल अवसर उपलब्ध कराने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी समाधानों का तत्परतापूर्वक उपयोग किया है. आपके बैंक के डिजिटल बैंकिंग चैनलों अर्थात् एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कियोस्क, ई-लाउंज सुविधा आदि को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि वे ग्राहकों को निर्बाध रूप से बैंकिंग सेवाओं की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध करा सकें. डिजिटल पहल कार्यों में अग्रणी होने के अलावा आपका बैंक ग्राहकों के लेन-देनों, सूचना और डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. डिजिटल चैनलों के माध्यम से लेनदेन करते समय ग्राहक के लिए विश्वसनीय और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक परिष्कृत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के अलावा आपका बैंक ई-मेल, एसएमएस तथा आवधिक आधार पर बैंक विवरणों के साथ भेजी जाने वाली सामग्रियों के जरिए अपने ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ियों तथा उनकी रोकथाम से बारे में जागरूक करता है.

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में और साथ ही संभाव्य कारोबारी अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने विभिन्न पहल कार्यों तथा अभियानों के जरिए अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार कारोबार के संवर्धन की दिशा में कार्य किया. आपका बैंक अपनी पहुँच को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र खंड तक, विशेषकर ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए अपनी शाखा तथा एटीएम नेटवर्क के अलावा अपने कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) / कारोबार सुगमकर्ता (बीएफ) नेटवर्क का भी लाभ उठा रहा है और इस प्रकार एक टिकाऊ पीएसएल पोर्टफोलियो का निर्माण कर रहा है.

अर्थव्यवस्था में समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपका बैंक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से सहभागिता कर रहा है. चार प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में विस्तार, उपयुक्त वित्तीय उत्पादों की पेशकश, प्रौद्योगिकी के गहन प्रयोग तथा वित्तीय साक्षरता में बढ़ोतरी में अपनी मध्यवर्तिता के माध्यम से आपका बैंक समाज के सबसे कमजोर वर्गों द्वारा अपेक्षित उपयुक्त वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं तक निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किफायती लागत पर उनकी पहुंच सुनिश्चित करता रहा है.

आपके बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो में अन्य के साथ-साथ बिजली, वस्त्र उद्योग, सीमेंट, इस्पात, इंजीनियरिंग, निर्माण, कागज एवं कागज उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण, चीनी, रसायन, ऑटोमोबाइल, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर शामिल है. कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए आपके बैंक के आस्ति उत्पाद समूह में अन्य के साथ-साथ मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों), निर्यातकों को पैकिंग ऋण, प्राप्य राशियों की खरीद, बिल भुनाई, एनबीएफसी को उधार शामिल हैं. आपका बैंक विभिन्न क्षेत्रों के लिए परियोजना मूल्यांकन, ऋण समूहन, संरचनागत और सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने में सक्रिय रहा है. वर्ष के दौरान आपके बैंक को मूल्यांकन और ऋण समूहन के कई अधिदेश प्राप्त हुए.

हालांकि वर्ष 2016-17 में सरकार की ओर से कई नीतिगत सुधार कार्यक्रम जारी किए गए, मुख्य क्षेत्र के उद्योगों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के समक्ष मामूली लाभप्रदता तथा चलनिधि की कमी की चुनौती के चलते दबाव की स्थिति बनी रही. चूंकि आपका बैंक ऐतिहासिक रूप से इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख उधारदाता रहा है, वर्ष के दौरान बैंक के कॉरपोरेट अग्रिम पोर्टफोलियो में दबाब बना रहा. तथापि बैंक ने संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) के तत्वावधान में रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर), दबावग्रस्त आस्तियों की टिकाऊ संरचना हेतु योजना (एस4ए), 5/25 संरचना आदि जैसे उपलब्ध विनियामक ढांचे के भीतर इन दबाबग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए आवश्यक उपाय शुरू किए हैं. बैंकिंग विनियमन अधिनियम में हालिया संशोधन और जेएलएफ व्यवस्था के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के चलते बैंक चालू वर्ष में इन दबाबग्रस्त आस्तियों के त्वरित समाधान की आशा करता है.

आपका बैंक अपने परिपूर्ण प्राधिकृत व्यापारी व्यापार वित्त केन्द्रों तथा रिटेल व्यापार वित्त शाखाओं के माध्यम से अपने व्यापार वित्त कारोबार का संचालन करता है. आपके बैंक ने प्रभावशाली वृद्धि प्रदर्शित करना जारी रखी और व्यापार वित्त कारोबार में ग्राहक समाधान सृजित करने के लिए अपने ग्राहकों के साथ मिलकर काम करते हुए नए सेवा मानदंड स्थापित किए हैं. आपके बैंक में चल रहे डिजिटल रूपान्तरण के एक भाग के रूप में, आईडीबीआई ई-ट्रेड पोर्टल-एक नवोंमेषी ऑनलाइन सुविधा-को नया रूप दिया गया ताकि ग्राहक कागज-रहित पद्धति तथा झंझट-मुक्त तरीके से विभिन्न प्रकार की व्यापार वित्त सुविधाएं प्राप्त कर सकें.

आपका बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों की प्राप्तियों तथा भुगतानों का प्रबंध करने के लिए उनके एजेंट के रूप में कार्य करता है. केंद्र सरकार के विभिन्न करों को संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत होने के अलावा आपके बैंक को रेलवे मालभाड़ा प्रभारों तथा वाणिज्यिक कर के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और 23 राज्य सरकारों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अन्य सरकारी प्राप्तियों को संग्रहित करने के लिए भी अधिदेश प्राप्त है.

आपके बैंक को भारत बिल पेमेंट (बीबीपीएस) - रिज़र्व बैंक अधिदेशित प्रणाली - के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्राप्त है जिसका उद्देश्य देश भर में एकीकृत तथा अंतर-परिचालनीय बिल भुगतान प्रणाली उपलब्ध कराना है.

आपका बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में भारत के पहले तथा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में अपनी आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) खोलने वाला सरकारी क्षेत्र का पहला बैंक बना. आपका बैंक अपनी गिफ्ट आईबीयू शाखाओं तथा दुबई इंटरनेशनल फाइनेंसियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में अपनी समुद्रपारीय शाखा के माध्यम से भारतीय कॉरपोरेट ग्राहकों के भारतीय परिचालनों और समुद्रपारीय उद्यमों के लिए उनकी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है.

सामाजिक रूप से उत्तरदायी संस्था बनने के अपने प्रयास में आपका बैंक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों के महत्व को समझता है और इसने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में 1 अप्रैल 2014 से बोर्ड अनुमोदित सीएसआर नीति कार्यान्वित की है. आपके बैंक के सीएसआर कार्यकलाप समाज के सतत् सामाजिक तथा आर्थिक विकास में योगदान देने में बैंक

की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं. आपका बैंक अपने विभिन्न सीएसआर कार्यकलापों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुँच बढ़ाने, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने, लिंग समानता को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के संवर्धन तथा उनकी स्थापना, खेल-कूद को प्रोत्साहन, आजीविका अवसरों में वृद्धि, व्यावसायिक और रोजगारपरक कौशल के विकास तथा सुनियोजित मध्यवर्तिता द्वारा गांवों के सर्वांगीण विकास में योगदान देता रहा है.

वर्ष के दौरान किए गए बैंक के पहल कार्यों का विस्तृत ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, आपके बैंक के संस्था अन्तर्नियम और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में यथा परिकल्पित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं द्वारा नियंत्रित है. बोर्ड सीधे तौर पर और आपके बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

31 मार्च 2017 को आपके बैंक के बोर्ड में नौ निदेशक थे, जिनमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ), दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), दो गैर-कार्यपालक निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक थे. यथा 31 मार्च 2017 को बोर्ड में श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, श्री के. पी. नायर तथा श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, श्री पंकज जैन तथा श्री प्रवीण गर्ग, गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में केंद्र सरकार के सरकारी नामिती; श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी तथा सुश्री नीरू अबरोल, स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल थे. संस्था के अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट 13 निदेशकों की अधिकतम संख्या की तुलना में बोर्ड में 9 (नौ) निदेशकों की संख्या संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 114(ए) की अपेक्षाओं को पूरा करती है.

शीर्ष समितियां

आपके बैंक के कारोबार और परिचालन के विभिन्न कार्य पहलुओं की देख-रेख करने के लिए बोर्ड की पंद्रह उप समितियां अर्थात् बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, कार्यपालक समिति, नामांकन समिति, हितधारक संबंध समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, वसूली समीक्षा समिति, जोखिम प्रबंध समिति, स्वतंत्र निदेशक समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति, ग्राहक सेवा समिति, इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति हैं.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन की बेहतर पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक की यह मान्यता है कि प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ विनियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बल्कि हितधारकों के मूल्य में वृद्धि के लिए एक सुसाध्यकारक भी है. आपके बैंक में अपनाई जा रही कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिनांक 22 दिसंबर 2015 की अपनी अधिसूचना के जरिए बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण के आधार पर सूचीबद्ध 500 शीर्ष कंपनियों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कारोबार दायित्व (बीआर) रिपोर्ट का समावेशन अनिवार्य कर दिया है. कारोबार दायित्व रिपोर्ट में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन परिप्रेक्ष्य में आरंभ किए गए पहल-कार्यों का वर्णन होना चाहिए. बैंक की कारोबार दायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर प्रदर्शित की गई है.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई कार्मिक पूरे वर्ष आपके बैंक की सेवा में नहीं रहा जिसे ₹ 1.02 करोड़ से अधिक वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष की किसी आंशिक अवधि के लिए ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे बैंक की सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह ₹ 8.50 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष अथवा उसके किसी हिस्से के दौरान ऐसा कोई कार्मिक नियुक्त नहीं किया गया जिसे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक द्वारा आहरित कुल पारिश्रमिक की दर से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो और जिसके पास अथवा जिसके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के पास बैंक के 2% इक्विटी शेयर से कम शेयर धारित न हों.

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा व्यय

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधान आपके बैंक पर लागू नहीं हैं. तथापि, आपका बैंक अपने परिचालनों में सूचना प्रौद्योगिकी का निरंतर प्रयोग कर रहा है.

भारतीय रिज़र्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

आपके बैंक की उच्च निवल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और आस्तियों पर नकारात्मक प्रतिलाभ (आरओए) को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2017 के अपने पत्र के जरिए आपके बैंक के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) शुरू कर दी है. बैंक इस संबंध में रिज़र्व बैंक के निदेशों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करता है कि:

क. वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है. साथ ही तात्त्विक रूप से अनुसरण न किये गये मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं एवं अनुमान लगाए हैं जो लेखा वर्ष के अंत में आपके बैंक की स्थिति और इसी अवधि में आपके बैंक के लाभ अथवा हानि की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए यथोचित तथा विवेकपूर्ण हैं;

ग. निदेशकों ने आपके बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए विनियामक प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;

ङ. निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा कि ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

च. निदेशक मंडल ने लागू सभी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं तथा कि ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं.

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और अन्य सभी सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों को उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी है. निदेशक मंडल विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/ संस्थाओं से समय-समय पर मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. बोर्ड अपने सभी निष्ठावान शेयरधारकों और ग्राहकों का भी वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए हृदय से अत्यंत आभारी है और भविष्य में भी उनसे सतत् सहयोग की अपेक्षा करता है. वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए. बैंक के प्रयासों को मिली सराहना के लिए बोर्ड इन सभी संस्थाओं / एजेंसियों का आभारी है. निदेशक मंडल अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और बैंक के प्रति उनकी वचनबद्धता का अत्यधिक सम्मान करता है.

[के.पी. नायर]
उप प्रबंध निदेशक

[महेश कुमार जैन]
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 18 मई 2017

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors is pleased to present the Report on its business and operations for the financial year ended March 31, 2017.

In the financial year 2016-17, the Indian economy's growth was healthy, buoyed by policy reforms and improving macroeconomic fundamentals. Against this backdrop, your Bank strived to realign its portfolio mix in favour of retail and priority sector lending business. Various critical business enablers such as leveraging on the Bank's proven IT prowess, innovations in digital products and delivery channels, digitisation of process, capitalising on areas of core competencies such as project advisory and loan syndication business, young and talented human capital, among others has adeptly assisted the Bank to enhance value for all its stakeholders.

Financial Highlights

As on March 31, 2017, your Bank's aggregate deposits and advances touched ₹ 2,68,538 crore and ₹ 1,90,826 crore, respectively. Your Bank's business highlights for the period under review are presented in Table 1.

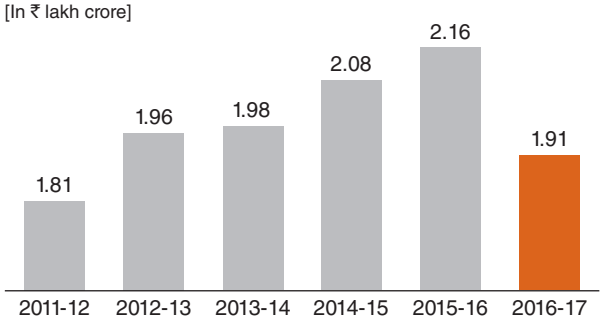
Table 1 : Key Financials

(In ₹ crore)

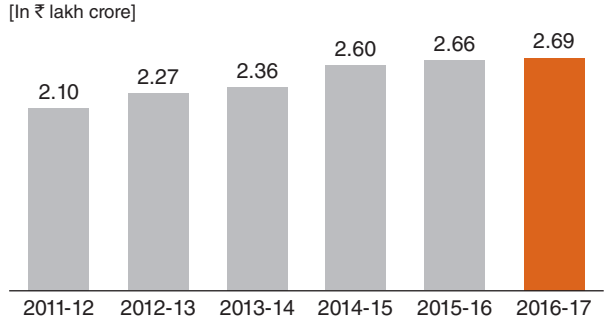
As on March 31	2016	2017
Capital	2,058.81	2,058.81
Reserves & Surplus	25,662.97	20,504.83
Deposits	2,65,719.83	2,68,538.10
Borrowings	70,591.64	56,363.98
Other Liabilities & Provisions	11,356.57	14,302.18
Total Liabilities	**3,75,389.82**	**3,61,767.90**
Cash & Balances with RBI	13,822.91	13,346.92
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	9,777.63	19,337.16
Investments	92,997.13	92,934.41
Advances	2,15,893.45	1,90,825.93
Fixed & Other Assets	42,898.70	45,323.48
Total Assets	**3,75,389.82**	**3,61,767.90**
For the period	**2015-16**	**2016-17**
Total Income	31,453.46	31,758.97
Total Expenses (other than provisions)	26,083.39	27,180.51
Provisions (other than tax)	10,340.82	13,196.47
Profit/ (Loss) Before Tax	(4,970.75)	(8,618.01)
Provision for Tax*	(1,305.95)	(3,459.87)
Profit/ (Loss) After Tax	(3,664.80)	(5,158.14)

** Net of Current Income Tax and Deferred Income Tax*

Trend in Advances



Trend in Deposits



During the year under review, your Bank's total income amounted to ₹ 31,759 crore, comprising interest income of ₹ 27,791 crore and other income of ₹ 3,968 crore. Total expenditure (excluding provisions and contingencies) stood at ₹ 27,180.52 crore with interest expenses at ₹ 22,040 crore and operational expenses at ₹ 5,141 crore.

However, total provisioning of your Bank increased in view of continued stress on the Bank's portfolio. The provisions include ₹ 13,875.09 crore towards provision for non-performing assets, bad debts written-off and investments. As a result, your Bank incurred a net loss of ₹ 5,158.14 crore during 2016-17.

For each share with face value of ₹ 10, Earnings per Share (EPS) during the year stood at ₹ (25.05), while Book Value per Share (excluding Intangible Assets) stood at ₹ 55.51 as at end-March 2017. For calculating Book Value per Share, the Government of India capital infusion of ₹ 1,900 crore was considered, which is a part of other liability in financials, pending allotment of shares. For the financial year 2016-17, the Board of Directors has not recommended any dividend.

Report on the Performance and Financial Position of Subsidiaries and Joint Venture included in the Consolidated Financial Statement

(In ₹ '000s)

Name of the entity	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount	As % of consolidated profit or loss	Amount
1	2	3	4	5
Parent : IDBI Bank Ltd.	95.94%	22,563.65	103.50%	(5,158.14)
Subsidiaries:				
Indian:				
1. IDBI Capital Market Services Ltd.	1.39%	326.79	-0.28%	13.74
2. IDBI Intech Ltd.	0.20%	46.07	-0.28%	13.95
3. IDBI Asset Management Company Ltd.	0.44%	104.42	-0.15%	7.26
4. IDBI MF Trustee Company Ltd.	0.01%	1.20	0.00%	0.13
5. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.64%	151.58	-0.84%	41.96
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Minority Interests in all subsidiaries	0.30%	70.57	-0.38%	19.01
Associates (Investment as per the equity method)				
Indian				
1. Biotech Consortium India Ltd.	NA	NA	-0.01%	0.45
2. National Securities Depository Ltd.	NA	NA	-0.52%	26.16
3. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd.	NA	NA	-0.72%	36.05
4. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	NA	NA	-0.20%	9.89

(In ₹ '000s)

Name of the entity	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount	As % of consolidated profit or loss	Amount
1	2	3	4	5
Foreign	NA	NA	NA	NA
Joint Ventures				
(as per proportionate consolidation / investment as per the equity method)				
Indian				
1. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	1.39%	325.87	-0.50%	24.99
Foreign	NA	NA	NA	NA
TOTAL	100%	23,519.59	100%	(4,983.56)
Elimination	-1.09%	(257.28)	0.65%	(32.35)
Net Total	98.91%	23,262.31	100.65%	(5,015.91)

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary

Material changes and commitments, if any, affecting financial position of IDBI Bank which have occurred during the end of financial year and the date of Board Report.

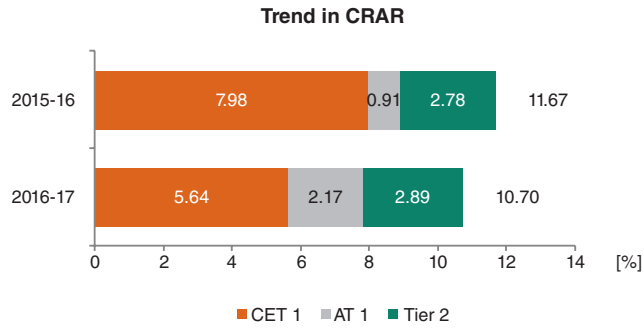
There are no material changes and commitments affecting the financial position of the Bank which have occurred between the end of the financial year of the Bank, i.e. March 31, 2017 and the date of the Directors' Report i.e. May 18, 2017.

The details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the financial statements.

The Bank has adequate internal controls and processes in place with respect to its financial statements which provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements. These controls and processes are driven through various policies, procedures and certifications. The processes and controls are reviewed periodically.

Capital Adequacy

Your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks as prescribed under the Pillar 1 guidelines of the Basel III framework.



As on March 31, 2017, the Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of your Bank was 10.70% as against the minimum regulatory requirement of 10.25%. Your Bank's Common Equity Tier 1 (CET 1) ratio was 5.64% as against the minimum applicable CET 1 ratio of 6.75% (including capital conservation buffer i.e. CCB of 1.25%) stipulated by RBI. The Tier-I ratio stood at 7.81% as on March 31, 2017 against the regulatory requirement of 8.25% (including CCB).

Basel guidelines have introduced a mandatory Capital Conservation Buffer (CCB) with effect from March 31, 2016. CCB is designed to ensure that banks build up buffers during normal times (i.e. outside periods of stress) which

can be drawn down as losses are incurred during stressed period. In line with the transitional arrangements of the regulatory guidelines, the CCB applicable for March 31, 2017 is 1.25% (50% of total CCB of 2.5%). Accordingly, the minimum regulatory requirement of total capital + CCB is 10.25% (CRAR + CCB). Your Bank has a CRAR ratio of 10.70%. Similarly, your Bank has a CET 1 + CCB ratio of 5.64%.

Your Bank has a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework, which enables the Bank to internally assess and quantify those risks that are not covered under Pillar 1 as well as develop appropriate strategies to manage risks under normal and stress conditions. Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms and accordingly, publishes disclosures on the Bank's website at the end of each quarter.

Business Strategy

Rebalancing the portfolio mix continued to be the focal point of your Bank's business strategy. In alignment with its business strategy, your Bank took various measures that targeted the retail and priority sector segment.

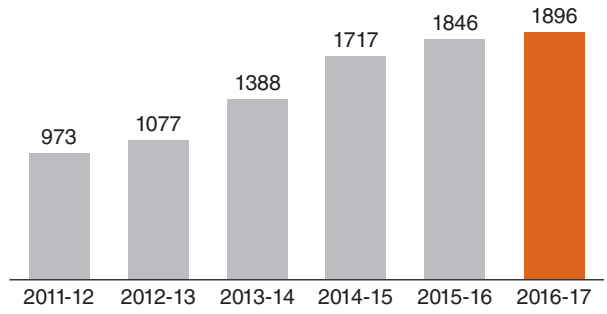
Your Bank has been improving its accessibility by strategically expanding its branch and ATM network. Furthermore, your Bank, being one of the leading players in the digital banking domain, has been embracing latest cutting edge technology to provide digital offerings to seamlessly cater to its customers' banking and financial requirements. Additionally, your Bank continued to introduce technological innovations which aided in improving its operational convenience and also enhanced efficiency and security of its systems and processes.

Key Business Initiatives

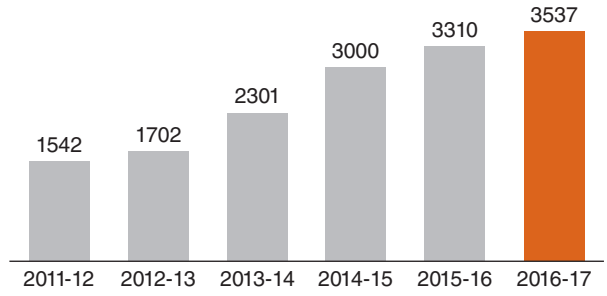
In alignment with the corporate objective of attaining a more balanced business portfolio mix, your Bank continued to take initiatives to promote its retail business. Your bank offers a wide range of products and services encompassing Asset, Liability, Third Party and Capital Market products, among others. Your Bank, through its branches, ATMs and digital channels, offers a wide range of products and services to cater to the continuously evolving as well as emerging customer needs. Your Bank has been fine-tuning its existing products and services as also designing customised products and services across various retail segments to maintain its competitive edge.

To increase its accessibility to its retail customers, your Bank has been continuously striving to expand its banking footprints by strategically augmenting its branch and ATM network. As on March 31, 2017, your Bank's network stood at 1,896 branches (including one overseas branch and one International Banking Unit) and the number of ATMs stood at 3,537.

Growth in Branch Network



Growth in ATM Network



Your Bank has proactively deployed cutting-edge technology solutions to offer various digital avenues for customers to transact at their convenience. Your Bank's digital banking channels viz. ATM, internet banking, mobile banking, kiosks, e-lounge facility, etc. are designed to deliver a wide range of banking services in a seamless manner. Apart from being a frontrunner in digital initiatives, your Bank also places utmost importance on security and confidentiality of customer transactions, information and data. In addition to employing highly sophisticated technology to ensure safe and secure environment for the customer while transacting through digital channels, your Bank also sensitises its customers on cyber frauds and its prevention through emails, SMS and inserts sent along with Bank's statements on a periodic basis.

In adherence to the regulatory guidelines as well as to tap the potential business opportunities, your Bank worked towards building its Priority Sector Lending (PSL) business by taking various initiatives and campaigns. Your Bank is also leveraging its Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) network, in addition to its branch and ATM network, to expand its reach to the priority sector segment, especially in the rural and semi-urban areas, thereby building a sustainable PSL portfolio.

In order to ensure inclusive growth in the economy, your Bank has been actively partnering with the policymakers to further the objective of financial inclusion. Through its intervention in four key areas, viz. expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making intensive use of technology and enhancing

financial literacy, your Bank has been ensuring access to appropriate financial products and services needed by most vulnerable sections of the society at an affordable cost in a fair and transparent manner.

Your Bank's corporate banking portfolio includes exposure to sectors as varied as power, textiles, cement, steel, engineering, construction, paper and paper products, electronics and electrical equipment, sugar, chemicals, automobiles, Non-Banking Financial Companies (NBFCs), among others. Your Bank's asset products basket for corporate clients includes term loans, working capital (both fund-based and non-fund based), packing credit to exporters, receivables buyout, bill discounting, lending to NBFCs, among others. Your Bank continues to be proactive in extending project appraisal, debt syndication, structuring and advisory services across various sectors. During the year, your Bank received several mandates for appraisal and debt syndication.

While 2016-17 witnessed a number of policy reforms from the Government, the core sector industries and infrastructure sector continued to face marginal profitability and liquidity constraints, thus, leading to persistence of stress. Since your Bank has historically been a major lender for these industrial sectors, the stress in the corporate advances portfolio of the bank continued during the year. However, the Bank had initiated necessary measures for resolution of these stressed assets within the available regulatory framework like Strategic Debt Restructuring (SDR), Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), 5/25 structuring, etc. under the aegis of Joint Lenders Forum (JLF). With the recent amendments to Banking Regulation Act and revised guidelines on JLF mechanism issued by RBI, the Bank expects to have expeditious resolution of these stressed assets in the current year.

Your Bank conducts its Trade Finance (TF) business through its full-fledged Authorised Dealer TF Centres and retail TF branches. Your Bank continued to show impressive growth and set new service standards by working closely with its customers to create customer solutions in TF business. As part of your Bank's on-going digital transformation, IDBI eTrade Portal – an innovative online facility – was revamped to enable its customers to avail a basket of facilities in a paperless mode and hassle-free manner.

Your Bank acts as an agent for Central and State Governments to manage their receipts and payments. Besides being authorised to collect various Central Government taxes, your Bank also has the mandate for collecting electronic payment of railway freight charges and Commercial Tax and other Government receipts for 23 State Governments and four Union Territories.

Your Bank has received in-principle approval for Bharat Bill Payment System (BBPS) – an RBI mandated system – which aims at offering integrated and interoperable bill payment system in the country.

Your Bank became the first public sector bank to open its IFSC Banking Unit (IBU) at India's first and only International Financial Services Centre (IFSC) at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT). Your Bank, through its GIFT IBU branch and its overseas branch at the Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai, offers a wide range of corporate banking services to meet its Indian clients' fund requirements for their Indian operations as well as overseas ventures.

Your Bank, in its endeavour to be a socially responsible entity, appreciates the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) activities and has put in place a Board-approved CSR policy with effect from April 1, 2014 in compliance with Companies Act, 2013. Your Bank's CSR activities embody its commitment to contribute to the sustainable social and economic development of the society. Your Bank, through its diverse CSR activities, contributed towards providing improved access to health services, promoting education for children, promoting gender equality, promotion and installation of renewable energy systems, promotion of sports, enhancement of livelihood opportunities, advancement of vocational and employable skills and holistic development of villages by undertaking planned interventions.

The detailed descriptive of the Bank's initiatives undertaken during the year is contained in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

Board of Directors

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of your Bank and the requirements of Corporate Governance, as envisaged in SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas of your Bank.

As on March 31, 2017, the Board comprised of nine Directors, including Managing Director and CEO (MD & CEO), two Deputy Managing Directors (DMDs), two Non-Executive Directors and four Independent Directors. Shri Kishor Kharat, MD & CEO, Shri K.P.Nair and Shri G.M.Yadwadkar, DMDs, Shri Pankaj Jain and Shri Praveen Garg, Central Government official Nominees as Non-Executive Directors, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe, Shri Gyan Prakash Joshi and Ms. Neeru Abrol as Independent Directors constituted the Board as on March 31, 2017. The strength of 9 (nine) Directors on the Board, as against the composition for maximum strength of 13 Directors provided under Article 116(1) of the Articles of Association, meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association.

Apex Committees

The Board has fifteen sub-committees, namely, Audit Committee of the Board, Remuneration Committee, Executive Committee, Nomination Committee, Stakeholders' Relationship Committee, HR Steering

Committee, Frauds Monitoring Committee, Recovery Review Committee, Risk Management Committee, Independent Directors' Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Non-Cooperative Borrowers' Review Committee, Customer Service Committee, Wilful Defaulters' Review Committee and Information Technology Committee, to oversee various functional aspects of your Bank's business and operations.

Corporate Governance

Your Bank is committed to adopting the best corporate governance practices. It believes that effective corporate governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for enhancement of stakeholders' value. The details of your Bank's corporate governance practices are given in this Annual Report as a separate section under Corporate Governance Report.

Business Responsibility Report

The Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide its notification dated December 22, 2015, has mandated the inclusion of Business Responsibility (BR) Report as part of the Annual Report for Top 500 listed entities based on market capitalisation at BSE and NSE. The BR Report should describe initiatives taken by the listed entity from an environmental, social and governance perspective. The Bank's Business Responsibility Report has been hosted on the website of the Bank (www.idbi.com).

Statement under Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

There were no personnel in your Bank's services, during the financial year under review, who received remuneration over ₹ 1.02 crore annually. Besides, there were no personnel in the service of the Bank for a part of the year who received remuneration in excess of ₹ 8.50 lakh per month. Further there was no personnel employed throughout the financial year or part thereof who was in receipt of remuneration at a rate, which in the aggregate, was in excess of that drawn by the Managing Director & CEO or the Deputy Managing Directors of the Bank and who held by himself or along with his spouse and dependent children, not less than 2% of the equity shares of the Bank.

Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and Outgo

The provisions of Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 are not applicable to your Bank. However, your Bank has been increasingly using information technology in its operations.

RBI's Prompt Corrective Action

The RBI, vide its letter dated May 05, 2017, has initiated Prompt Corrective Action (PCA) for your Bank in view of its high net Non-Performing Assets (NPA) and negative Return on Assets (ROA). The Bank is taking necessary actions to comply with the RBI's directive in this regard.

Directors' Responsibility Statement

The Board of Directors, hereby, declares and confirms that:

a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b. The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

Your Bank's Board of Directors is sincerely grateful to the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) and all other statutory/ regulatory authorities for their valuable co-operation and guidance. The Board also acknowledges, with gratitude, the co-operation and support received from various State Governments and other banks/ financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their periodic support. The Board takes this opportunity to put on record its deep sense of gratitude to its loyal shareholders and customers for extending their support during the year, and looks forward to their continued association in the years ahead. During the financial year, the Bank has received various recognitions and accolades for its excellence in the banking domain. The Board is thankful to all such organisations/ agencies for formally recognising the Bank's efforts. The Board appreciates the sincere and devoted services displayed by its entire staff and highly values their commitment towards the Bank.

[K.P. Nair] — Deputy Managing Director

[Mahesh Kumar Jain] — Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date : May 18, 2017

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

Management Discussion and Analysis

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

कारोबारी परिवेश

विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा कैलेंडर वर्ष 2016 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.3% से 3.1% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. यह कैलेंडर वर्ष 2015 की तुलना में मंदी को दर्शाता है, क्योंकि उन्नत और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक व्यापार में मंदी, कमजोर निवेश और अत्यधिक नीतिगत अनिश्चितता के दबाव के चलते आर्थिक कार्यकलापों की मंद गति का सामना करना पड़ा. तथापि, उन्नत और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक वृद्धि में उछाल की बदौलत कैलेंडर वर्ष 2017 और 2018 में वैश्विक वृद्धि में तेजी आने की संभावना है.

वैश्विक आर्थिक वृद्धि मंद रहने के बावजूद भारत ने अपेक्षाकृत उच्चतर वृद्धि दर्ज की. केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.1% अनुमानित है. तथापि, यह पिछले वर्ष की तुलना में मंदी दर्शाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में औद्योगिक कार्यकलापों में मंदी रही.

सामान्य मानसून की संभावना, बढ़ती आय के चलते मांग में उछाल, निर्यात में वृद्धि और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न सुधार उपायों के कारण भारत के लिए वृद्धि की भावी संभावनाएं अनुकूल हैं.

कारोबार समीक्षा

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने संकेन्द्रण जोखिम को न्यूनतम तथा कम करने और साथ ही विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने पोर्टफोलियो संमिश्र को पुनर्संतुलित करने पर विशेष ध्यान दिया. इस रणनीतिक पहल को देश भर में फैली आपके बैंक की शाखाओं और एटीएम नेटवर्क के माध्यम से बैंक की लोगों तक पहुँच को उपयुक्त रूप से समर्थन मिला है. यथा 31 मार्च 2017 को आपके बैंक के नेटवर्क में 1896 शाखाएँ शामिल थीं जिनमें पूरे भारत में महानगरीय केन्द्रों में 438 शाखाएँ, शहरी केन्द्रों में 463 शाखाएँ, अर्ध शहरी केन्द्रों में 585 शाखाएँ तथा ग्रामीण केन्द्रों में 408 शाखाएँ (253 वित्तीय समावेशन शाखाओं सहित), दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), दुबई में एक समुद्रपारीय शाखा, गिफ्ट सिटी, गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) और 3,537 एटीएम शामिल थे.

इसके साथ ही, आपके बैंक ने अपनी दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली और उनके उन्नयन की दिशा में कार्य करने के प्रयास किए क्योंकि इसे मुख्यतः कॉरपोरेट पोर्टफोलियो से उत्पन्न दबावग्रस्त आस्तियों के अनुपात में वृद्धि का सामना करना पड़ा है। औद्योगिक तथा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दे आपकी बैंक की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट के मुख्य कारण रहे हैं.

वर्ष के दौरान 08 नवंबर 2016 को ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण और साथ ही वित्तीय लेनदेनों के लिए डिजिटल चैनलों के उपयोग के लिए नीतिगत जोर, जिनकी लोकप्रियता बढ़ी है, के चलते वर्ष में वित्तीय लेनदेन के संबंध में ग्राहक के व्यवहार में परिवर्तन भी देखा गया. आपके बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए कि ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएँ प्रदान की जाएँ और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी डिजिटल ऑफरिंग का बेहतर लाभ उठाया कि ग्राहकों को किसी भी समय और कहीं भी लेनदेन करने में सहूलियत हो.

रिटेल बैंकिंग

रिटेल देयता उत्पाद

आपका बैंक उच्च मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई), कारोबारी उद्यमों, कॉरपोरेट पेरोल, न्यासों, संघों, सोसाइटियों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चे, महिलाओं, युवाओं आदि जैसे विभिन्न रिटेल खंडों को देयता उत्पाद ऑफर करता है. हरेक खंड की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हरेक उत्पाद विशेष रूप से डिजाइन तथा जरूरत के मुताबिक तैयार किया गया है. ग्राहकों की निरंतर बदलती और उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने समय-समय पर नए उत्पादों की पेशकश जारी रखी. साथ ही, मौजूदा उत्पादों की समीक्षा की गई तथा उनको बेहतर विशेषताओं और सुविधाओं के साथ और अधिक उन्नत बनाया गया.

एनआरआई सेवाएं

आपका बैंक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और मूलभूत अनिवासी बाह्य

(एनआरई) खाता, अनिवासी साधारण (एनआरओ) खाता तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमा से लेकर एफसीएनआर जमाओं पर वायदा रक्षा, भारतीय सेकंडरी शेयर बाजार में निवेश के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस), एनआरआई जमाओं की प्रतिभूति पर ओवरड्राफ्ट सुविधा, आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं जैसे वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का एक पूर्ण फलक प्रदान करते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है. आपका बैंक तीव्र, किफायती और सुविधाजनक निधि अंतरण करने के लिए एनआरआई ग्राहकों को भारत में झंझट-रहित निधि प्रेषण के कई विकल्प प्रदान करता है.

रिटेल आस्तियां

आपके बैंक ने सम्पूर्ण सेवा प्रदान करने वाले नई पीढ़ी के वाणिज्यिक बैंक की अपनी अभिप्रेत स्थिति का ध्यान रखते हुए अधिक संतुलित कारोबार संमिश्र को सुसाध्य बनाने के लिए उत्तरोत्तर बड़े रिटेल कारोबार पोर्टफोलियो को लक्ष्य करना जारी रखा. इसके अनुसरण में, आपका बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में आकर्षक आस्ति उत्पादों की श्रृंखला ऑफर करता है. आपके बैंक द्वारा ऑफर किए जा रहे रिटेल उत्पादों में आवास ऋण, बंधक ऋण, वैयक्तिक ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण एवं अन्य शामिल हैं. आपका बैंक आवधिक आधार पर उत्पाद ऑफरों की समीक्षा करने के साथ-साथ अपने वर्तमान उत्पादों के संशोधन/ नवोन्मेषण/ अनुकूलन पर भी ध्यान देता है. इसके अलावा, आपका बैंक बदलते कारोबार परिवेश को ध्यान में रखते हुए नियमित आधार पर नए उत्पाद भी पेश करता है.

आपका बैंक प्रभावी और कार्यक्षम आवास ऋण उत्पाद प्रदान करने में एक विश्वसनीय साझेदार बना रहा. सामान्य आवास ऋण उत्पादों के अलावा, आपका बैंक विशेषीकृत उत्पादों सहित ग्रामीण और सस्ते आवास पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है. आपके बैंक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. आपके बैंक के पास कारोबार, विशेषकर लघु और मझोले क्षेत्र, की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुसंरचित बंधक ऋण उत्पाद हैं. आपके बैंक के पास रिटेल ऋण पर त्वरित कार्रवाई के लिए स्वचालित ऋण प्रोसेसिंग प्रणाली (एएलपीएस) है.

आपके बैंक ने नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉज़िटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारा आरंभ किए गए विद्या लक्ष्मी पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक इंटरफेस पूरा किया है ताकि छात्र शिक्षा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें. आपका बैंक विद्या लक्ष्मी पोर्टल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा ऋण मंजूर और संवितरित करने वाले पहले बैंकों में से है.

डिजिटल बैंकिंग

आपके बैंक ने ग्राहकों को उनकी सुविधानुसार बैंकिंग संव्यवहार करने के लिए विभिन्न डिजिटल अवसर ऑफर करने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी समाधानों का तत्परतापूर्वक प्रयोग किया है. आपके बैंक ने रणनीतिक रूप से अपनी पहुँच का विस्तार किया है तथा यह अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक उत्पादों और सेवाओं की एक सम्पूर्ण श्रृंखला प्रस्तुत करता है. आपके बैंक के डिजिटल बैंकिंग चैनल, अर्थात् एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, बिक्री केंद्र (पीओएस), डिजिटल पीओएस मोबाइल बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) आदि को निर्बाध रूप से व्यापक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में कई पहल-कार्य किए.

आपके बैंक ने ग्राहकों तक अपनी पहुँच को और अधिक व्यापक बनाने के प्रयास के तहत डिजिटल पासबुक ऐप्लिकेशन *'एमपासबुक'*, और आईओएस वर्जन के लिए डेबिट कार्ड कंट्रोल ऐप *'अभय कार्ड कंट्रोल मोबाइल ऐप'* जैसी सेवाएँ आरंभ कीं.

आपके बैंक ने अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) मोबाइल ऐप्लिकेशन यूपीआई *'पेविज'* सेवा आरंभ की जिसका प्रयोग किसी भी यूपीआई सहभागिता वाले बैंक के ग्राहक द्वारा किया जा सकता है. बहु बैंक खाता लिंकेज तथा एक्सेस, धन प्रेषण, धन संग्रहण, व्यापारिक भुगतान, क्विक रेस्पॉन्स (क्यूआर) कोड सृजन आदि जैसी विशेषताएं पेविज में हैं. आपके बैंक ने डिजिटल मर्चेन्ट्स ऑन बोर्डिंग के लिए भारत क्यूआर ऐप 'क्यूआर पीओएस' भी आरंभ किया जो डिजिटल पहल-कार्यों में उसकी अग्रणी भूमिका के प्रति वचनबद्धता की पुष्टि करता है.

आपके बैंक ने रिटेल इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए 'फेसबुक - आई इंगेज' के माध्यम से बैंकिंग आरंभ की. साथ ही, आपके बैंक ने प्रयोक्ताओं के लिए तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) आरंभ की और तत्काल आधार पर नेट बैंकिंग लेनदेन की सीमाओं में ऑनलाइन संशोधन, डेबिट कार्ड को घरेलू/ अंतर्राष्ट्रीय उपयोग हेतु निर्धारण, डेबिट कार्डों को सक्रिय/ निष्क्रिय करने जैसी अनेक ग्राहक सुविधा विशेषताओं से युक्त नेट बैंकिंग पोर्टल को सक्रिय किया है. कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में बढ़ोतरी करते हुए लॉगिन में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) के उपयोग और आरटीजीएस की सुविधा प्रदान की गई है. इसमें आंतरिक समाशोधन को देखने की सुविधा भी प्रदान की गई है.

आपके बैंक ने इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (आईवीआर) प्रणाली के माध्यम से पिन सृजन की सुविधा आरंभ की है.

विभिन्न सुपुर्दगी चैनलों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयास करते हुए आपके बैंक ने एटीएम, बंच नोट एक्सेप्टर्स (बीएनए) या नकदी रिसाइक्लर तथा अत्याधुनिक बहु बैंकिंग सुविधाओं से युक्त ई-लाउंज की संख्या में वृद्धि की है. एटीएमों में कार्ड रहित नकदी आहरण, मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकरण, आधार से जोड़ने और आयकर विवरणी के ई-सत्यापन की सुविधा भी प्रदान की गई है.

आपके बैंक ने चुनिंदा उत्पाद खंडों में कांटैक्टलेस डेबिट कार्ड (वीज़ा पे वेव) जारी करना शुरू किया है. पेऐप्ट - आपके बैंक का ई-वॉलेट - को क्यूआर कोड एवं स्कैन और भुगतान विकल्प, एम-वीजा सक्रियन, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर उपयोग सहित बेहतर प्रयोक्ता अनुभवों, व्यापक उपयोग और बेहतर स्वीकार्यता के लिए कई उन्नत सुविधाओं के साथ फिर से शुरू किया गया.

आपके बैंक के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों से कारोबार अर्जन हेतु पॉइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) मशीनों में पर्याप्त वृद्धि ने शुल्क आधारित आय में भी वृद्धि की है. यह ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने और संबंधों को घनिष्ठ बनाने का एक अतिरिक्त साधन भी है जिससे चालू खाता और बचत खाता (कासा) शेष बढ़ाता है. आपके बैंक का लक्ष्य और प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल चैनल न केवल सुचारू रूप से संचालित हो, बल्कि ग्राहकों द्वारा 24x7 आधार पर इसका व्यापक रूप से उपयोग भी किया जाए.

साइबर धोखाधड़ी और उनकी रोकथाम के संबंध में ग्राहकों को जागरूक करने के उद्देश्य से आपका बैंक इस दिशा में किए गए सुरक्षा उपायों के बारे में आवधिक आधार पर ईमेल, एसएमएस, खाते के विवरण के साथ इन्सर्ट के जरिए ग्राहकों को निरंतर शिक्षित करता है. इंटरनेट बैंकिंग के सुरक्षित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लॉगिन से पूर्व बरती जाने वाली सावधानी संबंधी चेतावनी भी प्रदर्शित की जा रही है. इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग से संबंधित सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी भी बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन से पहले प्रदर्शित की जाती है. सभी चैनलों के माध्यम से किए गए लेनदेनों के लिए एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है ताकि ग्राहक को संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए सूचित किया जा सके.

अन्य पक्ष उत्पाद तथा पूंजी बाजार उत्पाद

अपने ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के अपने प्रयास के तहत आपका बैंक उनके जोखिम प्रोफाइल तथा वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के अन्य पक्ष उत्पाद ऑफर करता है. आपके बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई तथा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) अंशदानों की सुविधा भी उपलब्ध कराई. आपके बैंक को दिसंबर 2016 में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा सरकारी बैंक श्रेणी के अंतर्गत खोले गए डीमैट खातों के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया.

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ती लागत पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को बढ़ाने में नीति-निर्माताओं के साथ भागीदारी में तत्पर रहा है. आपके बैंक का वित्तीय समावेशन योगदान चार प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को विस्तारित करने, उपयुक्त वित्तीय उत्पाद ऑफर करने, प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग करने तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने पर केन्द्रित है.

प्रधान मंत्री जन धन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

यथा 31 मार्च 2017 को आपके बैंक ने 30 लाख से अधिक बेसिक बचत जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले हैं जिसमें से 11 लाख से अधिक खाते रुपे एटीएम-सह-डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए हैं. आपके बैंक ने भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात् दुर्घटना बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), जीवन बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा वृद्धावस्था पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सक्रिय रूप से भागीदारी की है. यथा 31 मार्च 2017 तक आपके बैंक ने पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 10 लाख से अधिक बैंक खाताधारकों तथा पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत पाँच लाख से अधिक बैंक खाताधारकों को नामांकित किया है. आपके बैंक ने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक बैंक खाताधारकों को नामांकित किया है.

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ)

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) (जिन्हें बैंक मित्र भी कहा गया है) के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें हैंड-हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए जिनमें रुपे कार्ड स्वीकार करने तथा आधार-आधारित लेनदेन करने की सुविधा दी गई है. इसके अतिरिक्त, कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं के कौशल को बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने देशभर में विभिन्न स्थानों पर गहन प्रशिक्षण सत्रों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया. इसके अलावा, आपके बैंक ने कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं को बैंकिंग लेनदेन करने तथा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर कार्य करने हेतु तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए कार्य पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया.

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता को प्रभावी वित्तीय समावेशन और लाभार्थियों को उपलब्ध वित्तीय सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के एक महत्वपूर्ण भाग की पूर्वापेक्षा के रूप में निर्धारित किया गया है. आपके बैंक ने अपनी ग्रामीण शाखाओं में *'वित्तीय साक्षरता जानकारी केंद्र'* नामक डेस्क स्थापित किए हैं जो विभिन्न बैंकिंग उत्पादों तथा सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में शाखा से बाहर आयोजित साक्षरता कैम्पों में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक की ग्रामीण शाखाओं ने ऐसे 490 से अधिक बाह्य साक्षरता कैम्पों का आयोजन किया. आपके बैंक का महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित आईडीबीआई ग्रामीण

स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) भी ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि वे स्वरोजगार हेतु सक्षम हो सकें. इस संस्थान को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वोत्तम ग्रेड 'एए' ग्रेड प्रदान किया गया है. वर्ष के दौरान आईडीबीआई-आरएसईटीआई ने 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा 759 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया.

अन्य पहल-कार्य

आपका बैंक आधार नामांकन के लिए रजिस्ट्रार के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पास पंजीकृत है. यथा 31 मार्च 2017 को आपके बैंक ने 14 राज्यों के 44 लाख से अधिक निवासियों का नामांकन किया है. पीएमजेडीवाई के तहत लगभग 54.6% सक्रिय खातों को आधार से जोड़ा गया है. आपका बैंक केंद्र/ राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने बीसी चैनल के माध्यम से रायपुर, छत्तीसगढ़ में 25,000 से अधिक वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण तथा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों की 190 से अधिक ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी का वितरण करना जारी रखा. आपके बैंक द्वारा 31 मार्च 2017 को लगभग 60,000 लाभार्थियों के खाते खोले गए.

आपके बैंक को उसके वित्तीय समावेशन पहल-कार्यों के लिए विभिन्न संगठनों से पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए. अन्य पुरस्कारों के साथ-साथ आपके बैंक को एबीपी न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत *'अग्रणी वित्तीय समावेशन पहल-कार्य वाले बैंक'* की श्रेणी में बैंकिंग फाइनेन्शियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस (बीएफएसआई) अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंकिंग

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु एवं सीमांत किसानों (एसएफएमएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया. कृषि तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खंडों में उधार को बढ़ावा देने के लिए आपके बैंक ने ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं तथा संपार्श्विक प्रबंधकों तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) आदि के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.

आपके बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाने के प्रयासों के तहत अपने बीसी/बीएफ नेटवर्क को बढ़ाया है जिसके चलते व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) कारोबार में भी वृद्धि हुई है. भारत सरकार की योजनाओं के अनुसार आपका बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया आदि के तहत भी ऋण देता रहा है.

पीएसएल के अंतर्गत प्रमुख पहल-कार्य तथा अभियान

समीक्षाधीन अवधि के दौरान पीएसएल के तहत कुछ प्रमुख पहल-कार्य और अभियान नीचे प्रस्तुत हैं:

- आपके बैंक ने दिसंबर, 2016 में देश भर में 660 ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी स्थानों पर 'किसान संगोष्ठियों' का आयोजन कर किसान दिवस मनाया. इन संगोष्ठियों में 30,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया. संगोष्ठियों के आयोजन का उद्देश्य किसानों तक पहुंचना, उनमें जागरूकता पैदा करना और बैंकिंग उत्पादों के जरिए उनकी सहायता करना था.
- आपके बैंक ने जनवरी 2017 में 68 केंद्रों में एमएसएमई ग्राहक बैठकों का भी आयोजन किया.
- आपके बैंक ने अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण एमएसएमई और कृषि कारोबार उत्पन्न करने के लिए 100 शाखाओं को विशेषीकृत एमएसएमई शाखा और 200 शाखाओं को संकेन्द्रित कृषि शाखा के रूप में चिह्नित किया है.
- आपके बैंक के विभिन्न कार्यालयों ने स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया तथा अन्य हितधारकों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भी भाग लिया. कई क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण मेले भी आयोजित किए गए.

कॉरपोरेट बैंकिंग

आपके बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो में बिजली, वस्त्र, सीमेंट, इस्पात, इंजीनियरिंग, निर्माण, कागज और कागज उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बिजली उपकरण, चीनी, रसायन, ऑटोमोबाइल, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर शामिल है.

कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए आपके बैंक के आस्ति उत्पाद समूह में मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित दोनों), निर्यातकों को पैकिंग ऋण, प्राप्य राशियों की खरीद, बिल भुनाई, एनबीएफसी को ऋण आदि शामिल हैं. कॉरपोरेट बैंकिंग के अंतर्गत आपका बैंक डीलरों/कॉरपोरेट वेंडरों आदि के लिए चैनल वित्तपोषण एवं वेंडर वित्तपोषण जैसे उत्पादों को ऑफर करते हुए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार पर पर्याप्त ज़ोर देता है. आपके बैंक की कॉरपोरेट बैंकिंग टीम उपयुक्त उत्पाद विकसित करने तथा उपयुक्त समाधान के लिए रिटेल बैंकिंग, ऋण समूहन, संव्यवहार बैंकिंग, ट्रेजरी आदि जैसी अन्य विशेषीकृत टीमों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ कर कार्य करती है ताकि कॉरपोरेट ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. इसे आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में स्थित परियोजना मूल्यांकन टीम से उपयुक्त सहयोग प्राप्त है और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की स्थापना में लगे ग्राहकों को कॉरपोरेट सलाहकारी, वित्तीय संरचना, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) निगरानी, कारोबार योजना तैयार करना, मीयादी ऋणों की मंजूरी/ हामीदारी, प्रतिभूतिकरण, पुनर्संरचना, पुनर्वित्त और अन्य संबन्धित सेवाओं की पूरी श्रृंखला के साथ संपूर्ण समाधान प्रदान कर रहा है.

आपका बैंक विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् इन्फास्ट्रक्चर, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के लिए परियोजना मूल्यांकन, ऋण समूहन, संरचना तथा सलाहकारी सेवाएं सक्रिय रूप से प्रदान करता रहा है तथा भारत में एक अग्रणी ऋण समूहनकर्ता के स्थान पर लगातार बना रहा है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 30 से भी अधिक प्रस्तावों का मूल्यांकन पूरा किया जिसमें से चार प्रस्ताव नवीकरणीय ऊर्जा से संबन्धित थे. आपके बैंक को 15 समूहन/हामीदारी प्रस्ताव भी प्राप्त हुए. आपके बैंक ने नवोन्मेषी संरचित उत्पाद, अर्थात् वाणिज्यिक पत्र के लिए बैक-स्टॉप सुविधा के अंतर्गत आठ लेनदेन पूरे किए. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने विभिन्न बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं (एफआई) के पास अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) सफलतापूर्वक पेश किए.

आस्ति गुणवत्ता

आपके बैंक ने वसूली में सुधार लाने तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का उन्नयन करने के उद्देश्य से एनपीए की गहन समीक्षा तथा निगरानी की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे. मार्च 2017 के अंत में आपके बैंक की कुल ऋण आस्तियों में 78.75% मानक आस्तियां, 4.26% अवमानक आस्तियां, 16.45% संदिग्ध आस्तियां और 0.54% हानि आस्तियां शामिल रहीं जिनके लिए वर्तमान विवेकपूर्ण विनियमों के अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपने पोर्टफोलियो में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों के निपटान के लिए कई कदम उठाए. संकेंद्रित तथा खाता-विशेष समाधान रणनीतियाँ कार्यान्वित की गईं तथा प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की गई. एनपीए को अर्जक आस्तियों में उन्नयन पर जोर दिया गया. बैंक ने अन्य के साथ-साथ विशेष वसूली अभियान के अंतर्गत ओटीएस सहित एकबारगी निपटान/ बातचीत से तय निपटान (ओटीएस/एनएस), लागू कानूनों के अंतर्गत विधिक कार्रवाइयों, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमाण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन कार्रवाइयों, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)/ न्यायालयों के साथ निरंतर फॉलो अप किया ताकि वसूली प्रमाणपत्रों/ डिक्रियां प्राप्त करने तथा उनके निष्पादन में होने वाले विलंब को कम किया जा सके. आपके बैंक ने जहां कहीं भी अपेक्षित था, वसूली उपाय भी किए. इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा निजी गुप्तचर एजेंसियों तथा अन्य स्वतंत्र पूछताछ/ जांच के माध्यम से गारंटीकर्ताओं की आस्तियों का पता लगाने के बाद डीआरटी के माध्यम से उनकी सम्पत्तियों को कुर्क करने संबंधी संगठित तथा संकेंद्रित प्रयास भी किए गए. आपके बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी)/ बैंकों को कुछ अनर्जक आस्तियां बेची भी हैं. वर्ष के दौरान तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों से ₹ 158.60 करोड़ की वसूली की गई.

आपके बैंक ने आस्तियों में और गिरावट पर अंकुश लगाने के लिए उपयुक्त निवारक तंत्र अपनाया है और इसके पास अपने आस्ति पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक सुव्यवस्थित नीति है. आपके बैंक ने मानक खातों में कमजोरियों/ आरंभिक दबाव के पूर्व चेतावनी संकेतों का पता लगाने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली विकसित की है. तदनुसार, खातों को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय रिपॉजिटरी अर्थात् सेंट्रल रिपॉजिटरी फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) को रिपोर्ट किया गया. एसएमए खातों की गहन निगरानी की जाती है तथा समयबद्ध सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं जिसमें संयुक्त उधारकर्ता फोरम (जेएलएफ) एवं सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) तैयार करना शामिल है ताकि बढ़ते हुए एनपीए को कम किया जा सके.

आपके बैंक की वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) ने अपनी तिमाही बैठकों में बैंक के एनपीए तथा नए एनपीए की स्थिति, बैंक की वसूली स्थिति, आस्तियों के एनपीए में आने से रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई के प्रभाव की समीक्षा करती है. वसूली समीक्षा समिति वसूली में प्रगति, वाद दायर मामलों में प्रगति तथा सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्रवाइयों की निगरानी करती है. यह वसूली रणनीति पर निर्देश भी जारी करती है.

व्यापार वित्त

आपके बैंक ने अपने 60 श्रेणी-बी प्राधिकृत डीलर व्यापार वित्त (टीएफ) केन्द्रों और 61 रिटेल व्यापार वित्त शाखाओं के माध्यम से संचालित व्यापार वित्त कारोबार में ग्राहक समाधानों के लिए ग्राहकों के साथ घनिष्ठ रूप से मिलकर कार्य करते हुए प्रभावशाली वृद्धि दिखाना तथा नए सेवा मानक स्थापित करना जारी रखा.

डिजिटल बैंकिंग पर ध्यान केन्द्रित करने के बैंक के निरंतर प्रयास के एक भाग के रूप में आईडीबीआई ईट्रेड पोर्टल का शुभारंभ किया गया ताकि ग्राहकों को नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए साख पत्र, बैंक गारंटी, विप्रेषण, निर्यात ऋण, अंतर्देशीय एवं विदेशी बिल प्रोसेसिंग, विक्रेता वित्त सुविधा आदि सहित कई सुविधाएं प्रदान की जा सकें.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने 35 से अधिक प्रमुख विदेशी बैंकों के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लिकेशन (आरएमए) स्थापित किए. इस विस्तारित नेटवर्क के जरिए अब आपका बैंक दुनिया भर में प्रमुख भौगोलिक स्थानों पर द्विपक्षीय व्यापार लेनदेनों की सुविधा प्रदान करता है.

ऑनलाइन भुगतान तथा भुगतान संदेशों की गुणवत्ता की सुव्यवस्थित प्रोसेसिंग में आपके बैंक की परिचालनगत क्षमता को मान्यता देते हुए सिटी बैंक तथा ड्यूश बैंक ने क्रमशः यूएस डॉलर भुगतान के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) श्रेणी के अंतर्गत परफॉर्मेंस एक्सिलेन्स अवार्ड तथा यूएसडी एसटीपी एक्सिलेंस अवार्ड से सम्मानित किया. आपके बैंक को यूरो मुद्रा में वैश्विक भुगतान में उत्कृष्ट सेवा के लिए और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेषण के प्रति वचनबद्धता दर्शाने के लिए वेल्स फार्गो बैंक द्वारा ग्लोबल करेंसी यूसेज अवार्ड तथा प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेषण अवार्ड से सम्मानित किया गया.

सरकारी कारोबार

आपका बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंध करने हेतु उनके लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है. आयकर, टीडीएस, निगम कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क भुगतानों सहित केंद्र सरकार के करों को संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत होने के अलावा, आपके बैंक को रेलवे मालभाड़ा प्रभारों, वाणिज्यिक कर और 23 राज्य सरकारों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अन्य सरकारी प्राप्तियों के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को संग्रहित करने के लिए भी अधिदेश प्राप्त है. आपके बैंक को महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम के अतिरिक्त भारतीय स्टांप अधिनियम के अंतर्गत स्टांप शुल्क संग्रहित करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने केंद्र तथा राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न करों और शुल्क भुगतानों के जरिए ₹ 3 लाख करोड़ से भी अधिक की राशि संग्रहित की है. अपने सर्वोत्तम तकनीकी प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए आपका बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ कर भुगतानों के लिए 24x7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है. आपका बैंक आय घोषणा योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) सहित सरकारी योजनाओं के समयबद्ध रूप से कार्यान्वित करने में हमेशा अग्रणी रहा है.

आपका बैंक पूरे भारत में मौजूद अपनी प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से लघु बचत योजनाएं अर्थात् लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या समृद्धि खाता योजना को संचालित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत है. आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई जीवन प्रमाण योजना के अंतर्गत केंद्रीय सिविल, रेलवे और रक्षा पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण संबंधी आधार आधारित प्रमाणन सुविधा भी प्रदान की है जिसकी सहायता से पेंशनर अपने 'डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र' को लॉगिन कर प्रस्तुत कर सकते हैं.

नकदी प्रबंधन सेवाएं

आपके बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस) कॉरपोरेट ग्राहकों की देयता प्रबंधन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर (संग्रहण और भुगतान दोनों के लिए) का उपयोग करते हुए निधि संचलन, भुगतानों एवं प्राप्य राशि प्रणालियों पर निगरानी रखने और समग्र चलनिधि स्थिति के प्रबंधन जैसे कार्य करती है. यह प्रणाली ऋण के दिन पर व्यवस्था, कीमत-निर्धारण, प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रतिनिधि बैंक चेक के लिए प्रोसेसिंग, ग्राहक लाइन और ऐसे कई मानदंडों को नियंत्रित करती है.

आपका बैंक ऋण शोधन उत्पादों, वर्च्युअल खाता प्रणाली, प्रत्यक्ष नामे सुविधा, वेंडर प्रबंधन प्रणाली, स्वचालित समाशोधन गृह जमा एवं नामे सेवा आदि जैसी संग्रहण और भुगतान उत्पाद सुविधाएं प्रदान करता है. ये सभी उत्पाद बदलती बाजार प्रवृत्तियों के अनुरूप ग्राहक प्रणालियों के साथ आधुनिकतम प्रौद्योगिकी एकीकरण पर आधारित हैं.

आपके बैंक को भारतीय रेल के 11 अंचलों में इसके ग्राहकों को ई-फ्रेट भुगतान प्रणाली की सुविधा प्रदान करने और साथ ही चुनिंदा रेल अंचलों में स्टेशन पर उपार्जन के संग्रहण तथा भुगतान के लिए भी प्राधिकृत किया गया है. आपके बैंक को वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी इकाइयों (पीएसयू) और अन्य कॉरपोरेट से लाभांश वितरण के लिए अधिदेश मिलने जारी रहे तथा इस क्षेत्र में इसने अपनी महत्त्वपूर्ण बाजार मौजूदगी बनाए रखी.

आपके बैंक ने नामे तथा जमा दोनों की प्रोसेसिंग के लिए स्वचालित समाशोधन गृह (एसीएच) की सुविधा शुरू की है. एसीएच-नामे तथा एसीएच-जमा का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) सेवा का उपयोग कर बड़ी मात्रा और कम मूल्य के अंतर बैंक नामे/ जमा लेनदेनों, जो पुनरावृत्तीय स्वरूप के हैं, की सुविधा प्रदान करना है.

आपका बैंक ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने और साथ ही परिचालनगत क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से अपनी सीएमएस प्रणाली को समय-समय पर ग्राहक अनुकूल बनाता रहता है.

आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा अधिदेशित प्रणाली भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त किया है तथा इसका उद्देश्य बिल संग्रहण कारोबार, बिलर्स, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा रिटेल बिल आउटलेटों में बैंकों तथा गैर-बैंकों को जोड़ते हुए देश में एकीकृत एवं अंत:प्रचालनीय बिल भुगतान प्रणाली प्रस्तुत करना है. इसका उद्देश्य बिल भुगतान को नकदी से इलेक्ट्रॉनिक चैनल में अंतरित कर एक नकदीरहित समाज की दिशा में बढ़ना है.

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक के कॉरपोरेट सेंटर में एकीकृत ट्रेजरी है जिसमें निधियों के बेहतर प्रबंधन तथा ट्रेजरी परिचालन के लिए मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा-विनिमय, डेरिवेटिव और इक्विटी ट्रेडिंग परिचालनों से संबंधित कार्य किए जाते हैं. ट्रेजरी नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर), सांविधिक चलनिधि अंतराल अनुपात (एसएलजीआर) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी विनियामक अनुपालन का प्रबंध करते हुए ग्राहकों को बाजार उत्पादों में लेनदेन, संसाधन जुटाने, विभिन्न बाजार खंडों में व्यापार और बाजार निर्माण के कार्य में सुगमता प्रदान करता है. आपके बैंक के ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण समाधान देने तथा सक्षम कारोबार परिचालन के लिए ट्रेजरी विभाग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सज्जित है.

जमाराशियां जुटाने के अलावा, आपके बैंक ने तुलनपत्र में वृद्धि, लाभप्रदता को बढ़ाने और देयताओं की परिपक्वता के भुगतान हेतु चलनिधि का प्रबंध करने के लिए जमा प्रमाणपत्र, अंतर बैंक उधार राशियों, बांड निर्गम, विभिन्न स्रोतों से पुनर्वित्त और विदेशी मुद्रा उधार राशियों सहित विभिन्न लिखतों का प्रयोग किया. चलनिधि को विभिन्न अल्पावधि/ मुद्रा बाजार लिखतों के माध्यम से निधि तथा बाजार की स्थिति के आधार

पर उपयुक्त स्तर पर रखा गया. आपका बैंक विभिन्न बाज़ारों पर भी लगातार नजर रखता है तथा व्यापार लाभ के लिए अपनी स्थितियों के स्वीकार्य स्तर को अपनाता है.

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूल्स और उन्नत चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए एलसीआर प्रकटन मानकों को शामिल करते हुए चलनिधि मानकों के लिए बासेल III ढांचे को कार्यान्वित किया है तथा वर्ष के दौरान उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियों का पता लगाने के लिए विक्रेयता परीक्षण किया.

विभिन्न शहरों में विशाल कारोबार संभावना को देखते हुए ट्रेजरी ने समूचे भारत में नौ नए केंद्र खोले. आपके बैंक की ट्रेजरी की एक बड़ी सेल्स टीम है जो विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग करती है. यह टीम आपके बैंक के कॉरपोरेट एवं रिटेल ग्राहकों से नियमित आधार पर संपर्क करती है और मुद्राओं तथा दरों में उनके एक्सपोजरों का प्रभावी तरीके से प्रबंध करने के लिए तत्परतापूर्वक उनको समाधान देती है. आपके बैंक ने वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किए अनुसार, विदेशी मुद्रा विनिमय, विकल्पों और स्वैपों के संमिश्र के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम से ग्राहकों के बचाव के लिए उनको प्रतिस्पर्धी दरों पर विभिन्न प्रकार के मानक और ग्राहकोनुकूल समाधान प्रदान किए.

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान बीकेसी, मुंबई में अत्याधुनिक ट्रेजरी कारोबार निरंतरता आयोजना केंद्र खोला. बीसीपी केंद्र किसी कारोबार व्यवधान / आपदा के मामले में, बैंक के मुख्य ट्रेजरी डीलिंग केंद्र के नज़दीकी केंद्र के लिए विकल्प के रूप में कार्य करता है. यह केंद्र विभिन्न बाजार खंडों को शामिल करते हुए एकीकृत परिचालनों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी से सुसज्जित है तथा सदैव निर्बाध ट्रेजरी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी की फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस और मिड-ऑफिस के कार्य का संचालन कर सकता है.

ट्रेजरी में सभी डीलिंग प्लेटफॉर्मों, इंटरफेस और कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एकीकृत ट्रेजरी प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) परियोजना के आद्योपांत कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इसके अलावा आपके बैंक ने सामान्यतया नियत आय उत्पादों तथा विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की रिटेल बिक्री के लिए विभिन्न केंद्रों पर ऋण सेल्स टीमों का गठन किया है. ये टीमें स्क्रीन आधारित तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) बाजार के बाहर के लेनदेन करने के लिए निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने और साथ ही आपके बैंक में खाता रखने वाले 500 से अधिक गिल्ट खाताधारकों को ग्राहक सहायक लेखाबही (सीएसजीएल) सेवा प्रदान करती हैं. साथ ही रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप आपके बैंक ने गौण बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में ऑन-लाइन ट्रेडिंग के लिए गिल्ट खाताधारकों को वेब आधारित एनडीएस-ओएम मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रक्रिया आरंभ कर दी है.

आपके बैंक की ट्रेजरी नवोन्मेषी वित्तीय समाधानों को आरंभ करने में अग्रणी रही जो बाजार के विकास में परोक्ष रूप से योगदान कर रहे हैं. निवेशकों को उनके खरीदे गए स्टॉक पर प्रतिदिन मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) स्थिति उपलब्ध कराने हेतु 'आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक पोर्टल' को भी पुनर्निर्मित किया गया है. अपने जी-सेक पोर्टल के विस्तार में आपके बैंक ने एक अनोखी और अपने आप में विशिष्ट तरह की पहल करते हुए अपने रिटेल निवेशकों को एक और माध्यम उपलबध करवाया है, जिससे वे अपने एटीएमों के जरिए सरल, सुविधाजनक, पारदर्शी और किफायती तरीके से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विदेशी कारकों के कारण उत्पन्न हुई अस्थिर बाजार स्थितियों का उपयुक्त रूप से प्रबंध किया. प्रतिकूल बाहरी कारकों को अनुकूल देशी स्थितियों जैसे मंद मुद्रास्फीति, नरम ब्याज दर व्यवस्था, अच्छे मानसून और उत्तरोतर सुधारों द्वारा काफी हद तक नियंत्रण में रखा जा सका और इससे जोखिमों को भी काफी हद तक कम करने में सहायता मिली.

आपके बैंक ने प्राप्त अधिशेष निधियों का अल्पावधि लिखतों जैसे नकदी प्रबंध बिलों और विभिन्न परिपक्वता वाले मीयादी रेपो, जमाराशि प्रमाणपत्र (सीडी)/ वाणिज्यिक पत्र (सीपी), साथ ही परिवर्ती रेपो दर विंडो के जरिए रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) में सफलतापूर्वक नियोजन किया तथा अपने विदेशी मुद्रा विनिमय दर एक्सपोजरों को अपने रणनीतिक कौशल से नियंत्रित रखा.

प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कारोबार में आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा जुटाए गए विभिन्न अवधियों के ऋण की विनियामक रूप से अपेक्षित राशि की हामीदारी की है. आपके बैंक ने नीलामी बोली प्रक्रियाओं में भाग लेकर निधियाँ जुटाने में विभिन्न राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान की है. ट्रेजरी-बिल खंड में प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कारोबार ने अपेक्षित सफलता अनुपात और सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों व ट्रेजरी-बिलों में गौण बाजार टर्नओवर को हासिल करने के संबंध में सभी लागू वचनबद्धताओं को पूरा किया है.

सीमा पार शाखाएँ

दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में आपके बैंक की विदेश में पहली शाखा ने अपने परिचालन के सात वर्ष पूरे कर लिए हैं. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपका बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में भारत के पहले और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय

वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में अपनी आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) खोलने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है. अपनी डीआईएफसी और गिफ्ट आईबीयू शाखाओं के जरिए आपका बैंक भारतीय ग्राहकों को उनके भारतीय परिचालनों और समुद्रपारीय उद्यमों हेतु निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाओं की शृंखला प्रदान करता है जिसमें बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल), ईसीबी/ एफसीएल का समूहन तथा व्यापार वित्त उत्पाद शामिल हैं.

ऋण रेटिंग

आपका बैंक देशी तथा विदेशी मुद्रा उधार दोनों के लिए ऋण की रेटिंग प्राप्त करता है. रुपया संसाधनों के लिए रेटिंग निम्नानुसार है :

रुपया उधारराशियों के लिए रेटिंग

	क्रिसिल	इक्रा	इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च
सावधि जमाराशियाँ	एफएएए/ निगेटिव	एमएए/ निगेटिव	इंड टीएएए
अल्पावधि उधारराशियाँ (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	[इक्रा] ए1+	इंड ए1+
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टियर II बांड)	क्रिसिल एए/ निगेटिव	[इक्रा] एए-/ निगेटिव	इंड एए+
हाइब्रिड - अपर टियर II बांड	क्रिसिल एए-/ निगेटिव	[इक्रा] ए+/ निगेटिव	इंड +/ निगेटिव
हाइब्रिड - आईपीडीआई (बासेल II)	क्रिसिल एए-/ निगेटिव	[इक्रा] ए+/ निगेटिव	----
हाइब्रिड एटी1 (बासेल III)	क्रिसिल ए/ निगेटिव	[इक्रा] ए(हाइब्रिड)/ निगेटिव	इंड ए+/ निगेटिव
टियर II बांड (बासेल III)	क्रिसिल एए/ निगेटिव	[इक्रा] एए-(हाइब्रिड)/ निगेटिव	इंड एए+/ स्टेबल

केयर ने ₹ 50 करोड़ के निम्न टियर II बांडों (पूर्ववर्ती आईडीबीआई होम फाइनेंस लि. के) को केयर एए/निगेटिव रेटिंग प्रदान की है.

आपके बैंक की विदेशी मुद्रा उधारराशियों की रेटिंग तीन अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात् मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज़ (मूडीज़), फिच रेटिंग (फिच) तथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी) द्वारा की जाती है. दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रेटिंग और आधारभूत क्रेडिट मूल्यांकन (बीसीए)/ अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर) और स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी) निम्नानुसार हैं :

विदेशी मुद्रा उधार राशियों के लिए रेटिंग

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज़ (मूडीज़)	
दीर्घावधि रेटिंग	बीएए3/स्टेबल
आधारभूत क्रेडिट मूल्यांकन (बीसीए)	बी1
फिच रेटिंग	
दीर्घावधि निर्गमकर्ता चूक रेटिंग	बीबीबी-/स्टेबल
अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर)	बीबी-
स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी)	
निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग (आईसीआर)	बीबी/ स्टेबल
स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी)	बी-

दीर्घावधि रुपया उधारराशियाँ

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने दो शृंखलाओं में देशी बांड जारी कर कुल ₹ 2,500 करोड़ की राशि जुटाई जिसमें बासेल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I बांड शामिल हैं.

विदेशी मुद्रा संसाधन

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विदेशी मुद्रा में कुल 5,643.29 मिलियन यूएस डालर की विदेशी मुद्रा जुटाई है जिसमें से 5,568.29 मिलियन यूएस डालर अल्पावधि उधारराशियों के रूप में जुटाये गए.

यथा 31 मार्च 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक डीलिंग योजना (टियर I पूंजी की निर्धारित 100% की सीमा के तहत कुल अनुमत) के अंतर्गत आपके बैंक की कोई बकाया उधारराशियां (शून्य बकाया) नहीं थीं.

यथा 31 मार्च 2017 को मीडियम टर्म नोट (एमटीएन) कार्यक्रम के तहत आपके बैंक की कुल निर्गम उधारराशियां 1,990.32 मिलियन यूएस डालर थीं.

जोखिम प्रबंध

आपके बैंक की जोखिम प्रबंधन रणनीति सतत् आधार पर कारोबार जोखिमों के अभिनिर्धारण, आकलन तथा निगरानी पर आधारित है जिससे पूंजी का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके. जोखिम नियंत्रण के लिए कुछ प्रभावी उपायों में सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करना और अपने बैंक की जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप जोखिम

सीमाओं तथा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना शामिल है. विनियामक परिप्रेक्ष्य से कारोबारी गतिशीलता, नवोन्मेषिता और परिवर्तनों के संदर्भ में नीति को आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है.

आपका बैंक अपने सभी वर्टिकलों में जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाकर और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाकर जोखिम प्रबंधन संस्कृति में सुधार लाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है. समग्र जोखिम प्रबंधन की ज़िम्मेदारी निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की है किन्तु दैनंदिन कार्यकलाप जोखिम अभिशासन संरचना के आधार पर विभिन्न स्तरों पर किए जाते हैं.

निरंतर जटिल होती जा रही वित्तीय प्रणाली की चुनौतियों का सामना करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को निरंतर उन्नत और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा है. जोखिम प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ तथा प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन संरचना (आईआरएमए) को कार्यान्वित किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान अर्थात् जोखिम आकलन मॉड्यूल (आरएमए), पूंजी आकलन मॉडल (सीएएम) और व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (कोर) शामिल हैं. आईआरएमए ऋण तथा परिचालन जोखिमों का अभिनिर्धारण करने तथा उन्हें मापने में सहायता करता है, जिनसे उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ तैयार करने में सुविधा होती है.

बासेल मानदंडों का कार्यान्वयन

आपका बैंक बासेल III मानदंडों के अंतर्गत पिलर-1 दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में तिमाही आधार पर ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता की गणना करता है.

बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को 31 मार्च 2016 से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) रखना अनिवार्य है. सीसीबी यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि बैंक सामान्य समय (अर्थात् दबावग्रस्त अवधि से बाहर) में बफर निर्मित करें जिसे दबावग्रस्त अवधि के दौरान होने वाली हानि की स्थिति में उपयोग में लाया जा सके. बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे मार्च 2019 तक 9.00% की विनियामक न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के ऊपर 2.50% सीसीबी, जिसमें सामान्य इक्विटी टियर -1 (सीईटी 1) पूंजी शामिल है, बनाए रखें. विनियामक दिशानिर्देशों में शामिल संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के अनुरूप 31 मार्च 2017 के लिए लागू सीसीबी 1.25% (2.50% का 50.00%) है. तदनुसार कुल पूंजी की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा और सीसीबी 10.25% (सीआरएआर+सीसीबी) है. यथा 31 मार्च 2017 को आपके बैंक का सीआरएआर अनुपात 10.70% रहा. इसी प्रकार आपके बैंक का सीईटी 1 अनुपात 6.75% (सीसीबी सहित) की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 5.64% (सीईटी 1 + सीसीबी) है. यथा 31 मार्च 2017 को टियर-I अनुपात 8.25%(सीसीबी सहित) की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 7.81% है. आपके बैंक ने कम से कम समय में विनियामक मानदंडों को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी को अनुरूपित करने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू कर दिए हैं.

आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर-2 मानदंडों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संबंधी नीति है. यह नीति आपके बैंक को पिलर-1 के अंतर्गत न आने वाले जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन और गणना करने तथा सामान्य और दबावग्रस्त स्थितियों में ऐसे जोखिमों का प्रबंध करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ विकसित करने में समर्थ बनाती है. आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यापक दबाव परीक्षण ढांचा भी कार्यान्वित किया है. दबाब परीक्षण ढांचा आपके बैंक को असाधारण किन्तु तर्कयुक्त घटनाओं की स्थिति में जोखिम प्रबंधन ढांचे का आकलन करने में और किसी प्रकार की अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त सक्रिय रणनीतियाँ लागू करने में सहायता करता है.

आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के तहत पिलर-3 अपेक्षाओं के अनुसार एक प्रकटन नीति अपनाई है. तदनुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकटन आपके बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है जो उच्च स्तरीय पारदर्शिता प्रदर्शित करता है.

वर्तमान में आपका बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है तथा उन्नत दृष्टिकोण अर्थात् आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) प्रणाली में अंतरण के लिए अपनी ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली को और उन्नत तथा मजबूत बनाने की दिशा में प्रगति की है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम हेतु विनियामक पूंजी प्रभार गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का अनुसरण करता है. प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) में अंतरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विभिन्न कारोबारी खंडों में मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) का एक सेट तथा जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन रूपरेखा उपलब्ध कराई गई हैं. बाजार जोखिम के लिए, आपका बैंक विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की गणना करने हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) अपनाता है तथा उन्नत कार्यप्रणाली अर्थात् आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) में अंतरण के लिए आवश्यक कदम यथासमय उठाए जाएंगे.

ऋण जोखिम

आपके बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में ऋण प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए जोखिम आकलन मॉडल (आरएमए) और पूंजी निर्धारण के स्वचालन के लिए पूंजी निर्धारण मॉडल (सीएएम) शामिल है. वर्ष के दौरान आरएमए के अंतर्गत मॉडल वैधीकरण पर एक अभ्यास किया गया और क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएँ लेकर इसे पूरा किया गया. ऋण नीति दस्तावेज़ की बदलते कारोबारी उद्देश्यों तथा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप समीक्षा की गई है. यह कारोबारी वर्टिकलों के लिए मार्गदर्शक साधन है. ऋण प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग एक त्रि-स्तरीय प्रक्रिया है जहां

आपके बैंक का जोखिम प्रबंधन विभाग तीसरे चरण में 5 करोड़ रुपए से अधिक के सभी एक्सपोजरों का वैधीकरण करता है. शीर्ष स्तर पर रेटिंग समिति ऋण रेटिंग का वैधीकरण करती रही है और जोखिम विश्लेषकों तथा संपर्क प्रबंधकों का मार्गदर्शन भी करती है.

बाजार जोखिम

आपके बैंक में कार्य तथा कारोबार स्थितियों के संदर्भ में बाजार जोखिम प्रबंधन बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति तथा निवेश नीति में परिभाषित नीतिगत ढांचे के अनुरूप परिचालित होता है. सामान्यतः ये नीतियां जोखिम वहन क्षमता के उपयुक्त स्तरों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं तथा जोखिम व अपवादों के मापन, रिपोर्टिंग तथा वृद्धि के आकलन के लिए प्रक्रिया लागू करती हैं.

आपके बैंक ने बाजार जोखिमों का प्रबंधन करने के उद्देश्य से निगरानी और रिपोर्टिंग टूल सहित उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ अपनाई हैं. सकेंद्रण जोखिम कम करने के लिए विभिन्न एक्सपोजर सीमाएं लागू की हैं. सभी निर्धारित सीमाओं तथा सभी प्रक्रियाओं की गहन निगरानी ट्रेजरी के फ्रंट और बैक ऑफिस से स्वतंत्र ट्रेजरी मिड ऑफिस द्वारा की जाती है.

परिचालनगत जोखिम

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा है जिसमें एक समर्थकारी संगठनात्मक व्यवस्था के तहत निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा विभिन्न कार्यों/विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हैं. परिचालनगत जोखिम की परिचालन प्रक्रिया बोर्ड अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निदेशित है जिसका लक्ष्य बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े परिचालनगत जोखिमों की पहचान, निगरानी, आकलन तथा प्रबंधन करना है.

आपके बैंक ने परिचालनगत जोखिम पर अंकुश लगाने/कम करने के लिए सक्रिय उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं :

i) मुख्य जोखिम संकेतकों की निगरानी;

ii) नए (संशोधित) उत्पादों/ प्रणालियों से सम्बद्ध जोखिम का निर्धारण और उनका न्यूनीकरण;

iii) विभिन्न जोखिमों और नियंत्रणों का स्व-मूल्यांकन;

iv) परिचालनगत हानि वाले मामलों की निगरानी;

v) प्रणालीगत जोखिम का निर्धारण;

vi) विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार.

आपके बैंक में परिचालनगत जोखिम की निगरानी के एक भाग के रूप में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा मापन हेतु एक व्यापक आईटी प्रणाली मौजूद है. परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा मापन के संदर्भ में हुई प्रगति की जानकारी आवधिक रूप से बोर्ड की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाती है. आपका बैंक पूरी संस्था में जोखिम जागरूकता संस्कृति पैदा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन

आपके बैंक के पास कारोबारी व्यवधानों तथा जीवन की जोखिमपूर्ण स्थितियों को कम करने के लिए एक सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रिया है. आपका बैंक सरकारी क्षेत्र का पहला बैंक है जिसे बीसीएम के बैंक व्यापी कवरेज के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रमाणन आईएसओ 22301:2012 से सम्मानित किया गया है.

आपके बैंक ने बीसीएम के एक भाग के रूप में मूल तथा सहायता कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) कार्यान्वित की है. यह कारोबार व्यवधान/आपदा के बावजूद ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए है. इसके अलावा आपदा के दौरान मानव जीवन की रक्षा करने और मूल्यवान आस्तियों का नुकसान कम करने हेतु अपनी प्रमुख स्थापनाओं के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी लागू की गई है. इन बीसीपी तथा डीएमपी की क्रियाशीलता का बीसीपी परीक्षण अभ्यास, आपदा बहाली तथा मॉक इवैक्यूवेशन ड्रिलों के माध्यम से आवधिक परीक्षण किया जाता है. आपके बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली एक स्वचालित टूल अर्थात् एकीकृत आपदा और कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (आई-डीएबी) से भी सुसज्जित है.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

आपके बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. आपके बैंक ने अपने बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित अपने डेटा केंद्र में एक अत्याधुनिक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है. इस एसओसी के माध्यम से आपका बैंक केंद्रीकृत रूप से सुरक्षा साधनों/समाधानों जैसे फायरवाल्स, राऊटर्स, इंट्रूजन डिटेक्सन सिस्टम(आईडीएस)/ इंट्रूजन प्रिवेंसन सिस्टम (आईपीएस)/ विशेषाधिकार-प्राप्त पहचान एक्सेस प्रबंधन (पीआईएम), एंटीवायरस, फिशिंग/मालवेयर प्रयासों आदि की निगरानी करता है और सुधारात्मक उपाय करता है. एसओसी बैंक के सम्मानित ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बैंक के उद्देश्य को पूरा करने के अलावा साइबर अपराधों से निपटने के लिए और बैंक की सूचना सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक कमान केंद्र के रूप में कार्य करता है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने निगरानी के लिए एसओसी के अंतर्गत बड़ी संख्या में डिवाइसें शामिल की हैं. आपका बैंक बाह्योन्मुख एप्लीकेशनों अर्थात् इंटरनेट बैंकिंग, मेल मेसेंजिंग आदि के लिए नियमित रूप से भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) करता है.

आपके बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों के संबंध में अप्रैल 2011 तथा जून 2016 में जारी की गई रिज़र्व बैंक की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. आपके बैंक ने दिशानिर्देशों में अनुशंसित रूप में उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है. ग्राहक डेटा की सुरक्षा करने, बाह्य आक्रमणों को रोकने तथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने के लिए कई सूचना सुरक्षा समाधान जैसे विशेषाधिकार प्राप्त पहचान एक्सेस प्रबंधन, पैच प्रबंधन समाधान, सक्रिय डायरेक्टरी, वेब/ मेल गेटवे आदि कार्यान्वित किए गए हैं.

आपके बैंक ने एक सुस्पष्ट साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू की है जो साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का समाधान करने के लिए प्रबंधन के इरादे तथा दिशा को स्पष्ट करता है. कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा सुरक्षा सेंध के प्रयासों को कम/विफल करने के लिए ग्राहकों को मेलर, एसएमएस, एटीएम तथा पोस्टर के माध्यम से विभिन्न सूचना सुरक्षा संबंधी सावधानियों की जानकारी दी जाती है. आपके बैंक ने अपने स्टाफ तथा ग्राहकों में सूचना सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए एक लघु दृश्य-श्रव्य फिल्म तैयार की है.

आपके बैंक का आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा प्रणालियाँ पेरिमीटर और एंडपॉइंट्स दोनों पर समाधान सहित एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित की गई हैं. कस्टमर फेसिंग इंटरफेस में दो स्तरीय अधिप्रमाणन प्रक्रिया मौजूद है. सूचना सुरक्षा पहलू पर आपके बैंक ने बैंक तथा ग्राहकों से संबंधित संवेदनशील डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए डेटा लीकेज रोकथाम समाधान (डीएलपी) शुरू किया है. आपके बैंक के डेटा केंद्र और आपदा बहाली केंद्र को आईएसओ 27001:2013 सूचना सुरक्षा मानदंडों का प्रमाणन प्राप्त है. आपके बैंक में महत्वपूर्ण लेनदेनों हेतु शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करने के लिए एक नीयर-डीआर साइट भी स्थापित की है. बैंक की सूचना सुरक्षा संचालन समिति सूचना प्रणालियों में परिचालनगत जोखिम कम करने के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है. सुरक्षा घटनाएँ तथा नीतियाँ आवश्यक दिशानिर्देश के लिए बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसीबी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं जिसका कार्यवृत्त सूचना के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है. आईटीसीबी अनुमोदन के लिए बोर्ड को नीतियों की सिफारिश करता है.

प्रबंधन, नियंत्रण एवं प्रणालियां

मानव संसाधन

आपके बैंक में मानव संसाधन (एचआर) रणनीति को इस प्रकार तैयार किया गया है कि भर्ती, नियोजन, प्रशिक्षण, प्रतिभा को बनाए रखने तथा प्रेरणास्पद रणनीतियों से संबंधित विभिन्न एचआर नीतियों का कारोबारी अपेक्षाओं के साथ प्रभावी रूप से संयोजन हो सके जिससे आपके बैंक के संकल्प और उद्देश्य को प्राप्त करने में निर्बाध सहायता मिल सके. इस दिशा में आपका बैंक कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान कर उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है और साथ ही बेहतर कार्य-जीवन संतुलन प्रदान करने के लिए कर्मचारी कल्याण के विभिन्न उपाय करता रहा है.

जनशक्ति

यथा 31 मार्च 2017 को आपके बैंक कुल स्टाफ संख्या 18,187 रही. कर्मचारियों का श्रेणीवार अलग-अलग विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल
अधिकारी	15,931
एक्जीक्यूटिव	461
लिपिकीय स्टाफ	929
अधीनस्थ स्टाफ	866
कुल	**18,187**

प्रभावी जनशक्ति योजना और विवेकपूर्ण नियुक्ति के चलते आपके बैंक में युवा अधिकारियों की एक उत्कृष्ट टीम है जिनकी औसत आयु लगभग 33 वर्ष है.

भर्ती और स्टाफिंग

आपके बैंक के वार्षिक जनशक्ति निर्धारण में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले अधिकारियों की संख्या, संभावित पलायन, शाखा विस्तार तथा कारोबारी वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है. तदनुसार, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान ग्रेड 'ए' में 1646 अधिकारियों, 267 एक्जीक्यूटिवों, चार लिपिकों तथा 2 अधीनस्थ स्टाफ (अनुकंपा आधार पर नियुक्त) की नियुक्ति की है. इनमें से 318 अनुसूचित जाति (अ.जा.), 200 अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से तथा 657 अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व.) से संबंधित हैं. कुल भर्ती स्टाफ संख्या में से 60 व्यक्ति अशक्त (पीडबल्यूडी) हैं.

आपके बैंक ने ग्रेड 'ए' में अधिकारियों की भर्ती बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए आयोजित सामान्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की है और एक्जीक्यूटिव की भर्ती आईबीपीएस के माध्यम से एकल भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की है.

मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज़, बेंगलुरु में बैंकिंग एवं वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के माध्यम से भर्ती

दिसंबर 2016 में आपके बैंक ने मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज़ प्रा. लि., बेंगलुरु के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) को एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जिसके अंतर्गत 1000 छात्र बैंकिंग एवं वित्त में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीबीएफ) के लिए पंजीकृत किए जाएंगे. यह व्यवस्था 'प्रशिक्षण, भर्ती व समावेश' मॉडल पर कार्य

करती है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने पीजीडीबीएफ कोर्स को पूरा करने वाले 367 अभ्यर्थियों को सहायक प्रबंधक के रूप में भर्ती किया है.

आरक्षण नीति

आपका बैंक भारत सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन करता है. आपके बैंक ने अजा/अजजा/पीडब्ल्यूडी तथा अपिव के लिए महाप्रबंधक तथा उप महा प्रबंधक स्तर के मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) तथा अंचल संपर्क अधिकारियों (जेडएलओ) की नियुक्ति की है जो आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा उनकी शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करते हैं. आपके बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अशक्त व्यक्तियों के लिए अलग रोस्टर बनाया है.

यथा 31 मार्च 2017 को बैंक की कुल जन शक्ति संख्या में अपिव/अजा/अजजा का प्रतिनिधित्व निम्नवत् है:

श्रेणी	अपिव	अजा	अजजा
अधिकारी	3,877	2,288	932
एक्जीक्यूटिव	137	62	38
लिपिक	76	107	33
अधीनस्थ स्टाफ	162	197	73
कुल	**4,252**	**2,654**	**1,076**

प्रशिक्षण एवं विकास

आपका बैंक संगठनात्मक लक्ष्यों की समग्र रूप से प्राप्ति की दिशा में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपने शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (जेएनआईबीएफ) तथा नौ अंचल प्रशिक्षण केन्द्रों में लगभग 900 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए. आपके बैंक ने बाह्य घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 500 से अधिक अधिकारियों तथा बाह्य विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लगभग 20 अधिकारियों को भी नामित किया.

आपके बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान-जेएनआईबीएफ ने वर्ष के दौरान अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए. जेएनआईबीएफ को गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन प्रणाली तथा प्रक्रियाओं में निरंतर मूल्यांकन तथा सुधार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता तथा प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन से सम्मानित किया गया. जेएनआईबीएफ ने परियोजना मूल्यांकन, ट्रेजरी प्रबंधन, नेतृत्व कार्यक्रम तथा जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर अन्य बैंकों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी शुरू किया है.

आपका बैंक विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए सभी स्तरों के अपने अधिकारियों के लिए आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. वरिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन वर्ग के लिए क्रमशः जोखिम प्रबंधन तथा परियोजना वित्त पर कौशल उन्नयन सत्र आयोजित किए गए. कनिष्ठ प्रबंधन वर्ग के अधिकारियों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में कृषि तथा ट्रेजरी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए परियोजना वित्त तथा प्रबंधन पर फाउंडेशन कार्यक्रम तीन चरणों में अर्थात् क्लास रूम प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण तथा उन्नत क्लास रूम प्रशिक्षण आयोजित किए गए.

आपका बैंक भारत सरकार से प्राप्त विनियामक तथा सांविधिक दिशानिर्देशों को सर्वोच्च महत्व देता है. आपके बैंक ने ग्राहक सेवा, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) तथा धन-शोधन निवारण (एएमएल) जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएँ आयोजित करना जारी रखा. भारत सरकार के निदेशों के अनुसार आपके बैंक ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों/कर्मचारियों के लिए भर्ती-पूर्व तथा पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए.

आपका बैंक अपनी ऑनलाइन शिक्षण प्रबंधन प्रणाली अर्थात् ओजस के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के बैंकिंग विषयों को शामिल करते हुए 150 ई-लर्निंग मॉड्यूल रखे गए हैं.

कर्मचारी सहायता कार्यक्रम

आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) जारी रखा. ईएपी सेवाओं में सभी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के भावनात्मक, मानसिक तथा सामान्य मनोवैज्ञानिक कुशलक्षेम को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑनलाइन/ टेली/ प्रत्यक्ष परामर्श तथा ई-कार्यशाला शामिल है.

समूह जीवन बीमा योजना

दिवंगत कर्मचारी के परिवार की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए समूह जीवन मीयादी बीमा पॉलिसी की सुविधा दी है जो अधिवर्षिता की आयु के बाद 70 वर्ष पूरे होने तक सुरक्षा देगी. इस योजना के तहत आपका बैंक वार्षिक प्रीमियम राशि का 50% अंशदान करता है और शेष 50% राशि कर्मचारियों द्वारा वहन की जाती है. अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को पूरी प्रीमियम राशि का भुगतान कर योजना को जारी रखने का विकल्प उपलब्ध है.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मेडीक्लेम योजना

अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में आपके बैंक ने उन्हें डे केयर सुश्रुषा प्रक्रियाओं सहित अस्पताल में भर्ती के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय देयताओं से संरक्षण प्रदान करने के लिए नवंबर 2016 में समूह मेडीक्लेम बीमा योजना प्रारंभ

की है. इस योजना के अंतर्गत आपका बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक समूह बनाने और उनकी ओर से बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए एक सुगमकर्त्ता के रूप में कार्य करता है जिससे उन्हें कम प्रीमियम तथा उदार विशेषताओं का लाभ मिलता है. योजना की विशेषताओं में रक्षित राशि तक सूचीबद्ध अस्पतालों में नकदी-रहित बीमा सुविधा, किसी पूर्व-चिकित्सा जांच के बिना सभी पुरानी तथा मौजूदा बीमारियों का कवरेज और साथ ही अस्पताल में भर्ती के बाद होने वाले खर्चे शामिल हैं.

आईडीबीआई बैंक अधिकारी अध्ययन योजना (आईबीओएसएस)

प्रतिभा को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में आपके बैंक ने अधिकारियों के लिए आईबीओएसएस की शुरुआत की है ताकि वे भारत अथवा विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. यह योजना प्रतिभावान अधिकारियों को उनके व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है. इस योजना के तहत चुनिंदा अधिकारियों को शिक्षा ऋण दिया जाता है. पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने पर ऋण माफ कर दिया जाता है.

प्रोत्साहन योजना

आपके बैंक ने उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन करने वाले अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य-निष्पादन सम्बद्ध नकदी प्रोत्साहन योजना (पीएलसीआईएस) शुरू की है.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

कर्मचारियों में पीओएसएच के संबंध में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक संवादात्मक ई-लर्निंग मॉड्यूल ओजस पर होस्ट किया गया है और वर्ष के दौरान पीओएसएच पर एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

आपके बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अपनाई है. आपके बैंक ने यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए दो आंतरिक शिकायत समितियां बनाई हैं. 2016-17 के दौरान आपके बैंक को 6 (छह) शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से विधिवत छान-बीन के पश्चात् 2 (दो) शिकायतों का समाधान कर दिया गया है. यथा 31 मार्च 2017 को कुल 6 (छह) शिकायतें लंबित थीं जिसमें 4 (चार) लंबित शिकायतें वर्ष 2016-17 की थीं तथा 2 (दो) शिकायतें विगत वर्षों की थीं.

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान आपके बैंक में औद्योगिक संबंध का वातावरण सामान्यतः सौहार्दपूर्ण रहा है तथा अधिकांश समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण रूप से कर लिया गया है. आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों / कामगारों के एक वर्ग ने वेतन संशोधन मामले सहित अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में विभिन्न संघों/ यूनियनों के बैनर तले 29 जुलाई 2016, 2 सितंबर 2016, 6 फरवरी 2017 और 28 फरवरी 2017 को हड़ताल पर जाने का आह्वान किया था. तथापि, कोई भी अप्रिय घटना रिपोर्ट नहीं की गई और आपका बैंक 75% से अधिक शाखाओं / कार्यालयों को खुला रखने में सफल रहा और हड़ताल के दिनों में अबाध ग्राहक सेवा के लिए सभी एटीएम तथा अन्य वैकल्पिक चैनल उपलब्ध कराये गए.

आंतरिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक में एक सुसज्जित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो विभिन्न कारोबार / सहायता वर्टिकलों, अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों की नियमित लेखापरीक्षा करता है. लेखापरीक्षाएं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के दिशानिर्देशों तथा पर्यवेक्षण में की जाती है. नियत कार्यों को करते समय लेखापरीक्षा कार्य अपनी स्वतंत्रता तथा वस्तुनिष्ठता को बनाए रखता है. आपके बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आंतरिक एवं समवर्ती लेखापरीक्षा पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) को अपनी रणनीति के रूप में अपनाया है.

आपके बैंक के पास परिचालनों के स्वरूप और जटिलताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी और आईटी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में अनुभवी आंतरिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा (आईएस लेखापरीक्षा) टीम है. आपके बैंक ने विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अपने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के पूरक के रूप में एक अनुभवी व्यापक समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली भी कार्यान्वित की है. अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली लागू की गई है. यह प्रणाली व्यापक रूप से ऋण मूल्यांकन, ऋणों की मंजूरी और ऋण प्रशासन के क्षेत्रों में आपके बैंक की नीतियों के अनुपालन पर ध्यान देती है. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को अंचल लेखापरीक्षा कार्यालयों (ज़ेडएओ), एक आंतरिक वेब-आधारित लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) तथा एक ऑफ-साइट अलर्ट प्रबंधन प्रणाली (ओएमएस) का पर्याप्त सहयोग प्राप्त है.

आपके बैंक ने प्रबंधन प्रणाली की विश्वसनीयता, आस्तियों की सुरक्षा और नियमों व विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में नियंत्रण परिवेश की समीक्षा और रिपोर्ट के लिए जोखिम आधारित प्रबंध लेखापरीक्षा (आरबीएमए) भी लागू की है.

आपका बैंक आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति का निरंतर आधार पर मूल्यांकन करता है तथा विभिन्न जोखिमों के समाधान के लिए नियंत्रण प्रणाली को मजबूत और कारगर बनाने के उपाय सुझाता है. तदनुसार, आपका बैंक अपनी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति,

समवर्ती लेखापरीक्षा नीति और सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा नीति की वार्षिक आधार पर समीक्षा करता है.

आपके बैंक का लेखापरीक्षा विभाग परिचालन गुणवत्ता बढ़ाने और प्रक्रियाओं में सही तालमेल लाने के लिए परिचालन जोखिम विभाग और अन्य परिचालन विंग के बीच उचित समन्वय के साथ कार्य करता है. बैंकिंग उद्योग में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के प्रयास में बैंक के व्यवहारों और प्रक्रियाओं के लिए उच्च स्तरीय मानदंड स्थापित करने पर ज़ोर दिया जाता है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति और अंचल लेखापरीक्षा समिति नियमित आधार पर कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है, आंतरिक लेखापरीक्षा के अधिकारियों को निर्देश देती है और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता और साथ ही विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करती है.

धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली

आपके बैंक ने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अधीन एक समर्पित धोखाधड़ी निगरानी समूह (एफएमजी) के माध्यम से धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था कार्यान्वित की है. सभी धोखाधड़ियों की निगरानी और समीक्षा के लिए धोखाधड़ी समीक्षा परिषद (एफआरसी) का गठन किया गया है ताकि प्रणालीगत खामियों, यदि कोई हो, की पहचान की जा सके और सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें तथा जांच की प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी की जा सके. धोखाधड़ी निगरानी समूह धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपराचारात्मक कार्रवाइयों की प्रभावोत्पादकता की भी समीक्षा करता है. इस प्रकार की कार्रवाई में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाना और आवश्यकता आधारित उपराचारात्मक उपाय लागू करना शामिल है. धोखाधड़ियों का समयपूर्व पता लगाने, उनकी रोकथाम करने, रिपोर्टिंग, निगरानी और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विस्तृत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित की गई है.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में पूर्ण रूप से सुसज्जित सतर्कता विभाग कार्यरत है जो सतर्कता से संबंधित अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों में दंड की मात्रा और प्रकार के बारे में सुझाव के अलावा, सतर्कता से जुड़ी शिकायतों की जांच करने तथा नियंत्रण प्रणालियों और निर्धारित प्रक्रियाओं में कमियों, यदि कोई हो, में सुधार लाने के लिए शीर्ष प्रबंधन को सुधारात्मक उपाय सुझाने का कार्य करता है. आपके बैंक ने सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है और एक प्रणाली लागू की है जिसमें जनता/ किसी अन्य स्रोत से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है.

आपके बैंक के इंट्रानेट पर सतर्कता विभाग की साइट मौजूद है जिस पर सतर्कता विभाग का विवरण, आपके बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों में प्रदर्शित की जाने वाली सीवीसी की नोटिस के मानक प्रारूप, सीवीसी, सीवीसी के मुख्य तकनीकी निरीक्षक संगठन (सीटीईओ) और आपके बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिपत्र/ दिशानिर्देश और निवारक सतर्कता के लिए 'क्या करें और क्या न करें' जैसी जानकारी दी गई है. इससे अधिकारियों में सतर्कता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में आपके बैंक को सहायता मिली है.

वर्ष के दौरान अनाचार, यदि कोई हो, का पता लगाने तथा स्थापित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन की जांच के लिए विभिन्न शाखाओं के औचक सतर्कता दौरे किए गए और जहां आवश्यक समझा गया, वहां समुचित सुधारात्मक उपाय सुझाए गए.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक के कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए निवारक एवं सहभागितात्मक सतर्कता पर केंद्रित कई चर्चापरक कार्यशालाएं और व्याख्यान / प्रस्तुतियां आयोजित की गईं. कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की बुराइयों के बारे में जागरूक करने के लिए *'ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जनता की सहभागिता'* थीम के साथ आपके बैंक के प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों और शाखाओं में 31 अक्तूबर 2016 से 5 नवंबर 2016 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. इस अवसर पर आपके बैंक ने स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए एक विशेष जर्नल प्रकाशित किया और स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे- निबंध लेखन, वक्तृत्व, क्विज आदि का आयोजन भी किया गया. आपके बैंक ने सीवीसी द्वारा बैंक को आबंटित किए अनुसार वृहद मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे जिलों के 25 स्कूलों और महाविद्यालयों में विभिन्न सतर्कता कार्यकलाप आयोजित किए. इसके अलावा, आपके बैंक ने भारत भर में अन्य 237 स्कूलों और महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के लोकसंपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए.

स्टाफ सदस्यों में सतर्कता के बारे में जानकारी देने के लिए सतर्कता विभाग ने एक नई पहल शुरू की है जिसके तहत कर्मचारियों द्वारा उनके पर्सनल कंप्यूटर में लॉगिन करते ही सतर्कता जागरूकता संबंधी बहु-विकल्पी प्रश्न प्रदर्शित होता है. कर्मचारी द्वारा अपना उत्तर चुनने के बाद सही उत्तर दर्शाया जाता है.

सतर्कता विभाग ने निवारक सतर्कता के बारे में स्टाफ सदस्यों को अवगत कराने के लिए धोखाधड़ियों/अनाचारों/भ्रष्टाचार के केस अध्ययनों की एक नई शैक्षणिक शृंखला शुरू की है. यह सामग्री आपके बैंक के इंट्रानेट पर विभाग के वेबपेज पर रखी गयी है. इस शृंखला का उद्देश्य पथभ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अपनायी गई कार्यप्रणाली को समझने में सभी स्टाफ सदस्यों की सहायता करना और सभी स्टाफ सदस्यों को ऐसे माहौल में 'क्या करें और क्या न करें' के बारे में शिक्षित करना है.

सतर्कता मामलों के साथ - साथ सतर्कता कार्यकलापों के लिए प्रक्रियाओं के संबंध में सीवीसी, भारत सरकार - वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक द्वारा जारी अद्यतन अनुदेशों/ दिशानिर्देशों/ निदेशों के तत्काल और सुलभ संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बैंक ने सतर्कता मैनुअल तैयार किया है जिसके यथा 31 मार्च 2017 को अद्यतन किया गया है.

विनियामक अनुपालन

आपके बैंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित एक वरिष्ठ अधिकारी की देख-रेख में एक समर्पित अनुपालन विभाग है जिसके जरिए भारत सरकार, रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य विनियामक/ सांविधिक निकायों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों और साथ ही, आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा बैंक के लिए व्यापक अनुपालन नीति अपनायी गई है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. आपके बैंक में अनुपालन कार्य के संबंध में प्रत्येक श्रेणी के लिए भूमिका व जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है. स्व-प्रमाणन प्रक्रिया के जरिए एक सुस्थापित रिपोर्टिंग प्रणाली मौजूद है जिसके आधार पर निदेशक मंडल को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है. बोर्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं / दिशानिर्देशों के संबंध में मासिक अंतरालों पर अवगत कराया जाता है.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

आपके बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों का त्वरित उत्तर देने के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए हैं. इसके अलावा, सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने और उन्हें नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने असंतुष्ट आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक श्रेणी के एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किया गया है. बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है.

आपके बैंक ने भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.gov.in) के साथ भी संबद्धता स्थापित की है जिसके जरिए नागरिक आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकते हैं और अपील दायर कर सकते हैं.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपके बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निरंतर प्रगति की है. आपके बैंक के सभी वर्टिकलों, विभागों, अंचल कार्यालयों और शाखाओं ने भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों और अन्य निर्देशों के अनुपालन के लिए संगठित प्रयास किए हैं.

आपका बैंक राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने में सदैव आगे रहा है. ग्राहक इंटरफेस वाले कई पहल कार्यों को हिंदी में उपलब्ध कराया गया है. इन पहल कार्यों में एटीएम में निर्देशों का द्विभाषिक डिस्प्ले, एटीएम लेनदेन स्लिप जारी होना तथा बैंक की वेबसाइट पर सूचनाओं को प्रदर्शित करना शामिल हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने हिंदी सुविधा के साथ अभय, पेएप्ट और एमपासबुक जैसे मोबाइल एप्लिकेशन आरंभ किए. किसान संगोष्ठियों और विमुद्रीकरण, डिजिटल बैंकिंग, नकद रहित अर्थव्यवस्था से संबंधित अभियानों को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया गया. आपके बैंक ने हिंदी में काम करने की सुविधा के लिए अपने इंट्रानेट पर द्विभाषी रूप में टेम्पलेट पत्र, फॉर्म, शब्दकोश, नोटिंग और अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री अपलोड की है. कार्य से संबंधित प्रयोजनों में हिंदी के प्रयोग के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गईं और विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिताओं, सेमिनारों और व्याख्यानों का आयोजन किया गया. हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ाने के उद्देश्य से आपके बैंक के सभी क्षेत्रों में राजभाषा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन और हिंदी यूनिकोड के प्रयोग की विभिन्न आवश्यकताओं से स्टाफ सदस्यों को परिचित कराया गया. हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने लिए सभी क्षेत्रों में कई आंतरिक कार्यक्रम चलाए गए. सितंबर 2016 में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया.

आपके बैंक द्वारा दैनंदिन कार्यों और अपने कारोबार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों की विभिन्न मंचों पर प्रशंसा हुई है और बैंक ने वर्ष के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i) आपके बैंक के भोपाल, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और चेन्नै कार्यालयों को उनकी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा विभिन्न श्रेणियों में राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया;

ii) राजभाषा नीति को लागू करने में बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की संसदीय समिति की तीसरी उप-समिति और आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति द्वारा अलवर और गाजियाबाद शाखाओं के निरीक्षण के दौरान सराहना की गई;

iii) आपके बैंक को हिंदी के प्रयोग के लिए महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी-राजभाषा) द्वारा राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया.

iv) आपके बैंक की आंतरिक तिमाही हिंदी पत्रिका *'विकास प्रभा'* को एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) ने भारतीय भाषा प्रकाशन श्रेणी और पत्रिका डिज़ाइन श्रेणी में कांस्य पुरस्कार प्रदान किया;

v) *'विकास प्रभा'* को प्रसिद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक समूह - आशीर्वाद द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ आंतरिक पत्रिका प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया;

vi) *'विकास प्रभा'* को पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) से भाषा श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ;

vii) आपके बैंक की द्विभाषिक गृह पत्रिका 'श्री वयम' को रिज़र्व बैंक द्विभाषिक गृह पत्रिका श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया. भारत सरकार के राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और वित्तीय सेवाएँ विभाग के अधिकारियों ने अपने निरीक्षणों के दौरान आपके बैंक में हिंदी के कार्यान्वयन की सराहना की.

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन

अपने सभी हितधारकों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने के ध्येय को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम वित्तीय समाधानों के व्यापक समूह पर विशेष ज़ोर दिया गया है. आपके बैंक ने सभी ग्राहक संपर्क बिन्दुओं में सेवा स्तर में सुधार करने की अपनी मुहिम को जारी रखा है.

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति और ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति सुनिश्चित करती है कि ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन मामलों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए.

आपके बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी), जो आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित है, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से शिकायतों का प्रबंधन करता है. आपके बैंक ने समन्वित शिकायत प्रबंधन सॉफ्टवेयर, जो विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों/ परिवादों की रिकार्डिंग, निगरानी और समयबद्ध निपटान को सुसाध्य बनाता है, का प्रयोग करते हुए विभिन्न डिलीवरी माध्यमों में अपनी शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं.

आपके बैंक ने ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए नए उपाय किए हैं और मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सतत आधार पर सुधार भी किए हैं.

आपका बैंक भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और इसने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड अपनाया है. आपके बैंक की बीसीएसबीआई कोड के प्रति प्रतिबद्धता और अनुपालन को बीसीएसबीआई कोड अनुपालन रेटिंग 2017 के अनुसार कुल 88 अंकों के साथ 'उच्च' रेटिंग दी गई है. पिछली रेटिंग में भी आपके बैंक को कुल 85 अंक के साथ 'उच्च' रेटिंग दी गई थी. आपके बैंक की रेटिंग में सुधार निर्बाध ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

सूचना प्रौद्योगिकी

आपके बैंक ने अपने ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उनके लिए बैंकिंग को अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी और सुरक्षा विशेषता युक्त व्यापक उन्नत वित्तीय सेवाएं एवं उत्पाद प्रदान करने हेतु अपनी प्रामाणिक आईटी क्षमताओं का लाभ उठाना जारी रखा. साथ ही, आपका बैंक लगातार नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियाँ अपनाता रहा है जिससे इसके परिचालनगत सुविधा में सुधार लाने में सहूलियत हुई है और साथ ही इसकी प्रणाली और प्रक्रियाओं की क्षमता और सुरक्षा में भी वृद्धि हुई है. विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी पहल कार्यों का व्यावसायिक तरीके से संचालन और प्रबंध करने के लिए आपके बैंक में आंतरिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आईटी सहायक कंपनी है जो आईटी संबंधित आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देती है.

आपके बैंक ने अपने ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपनी शाखाओं के 100% कंप्यूटरीकरण के जरिए अपनी आईटी क्षमता से लाभ उठाना जारी रखा. आपके बैंक में टियर-3 डेटा केंद्र अर्थात् प्राइमरी डेटा केंद्र (डीसी), आपदा रिकवरी (डीआर) साइट और नियर डीआर साइट के रूप में सभी सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं और साथ ही इसके डेटा केंद्र और आपदा रिकवरी केंद्र के लिए आईएसओ-27001 (2013) सुरक्षा प्रमाणन भी प्राप्त किया गया है.

हरित पहल के रूप में आपके बैंक ने न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन एवं ऊर्जा खपत के साथ गतिशील हार्डवेयर संसाधन पुनराबंटन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वर आभासीकरण प्रौद्योगिकी कार्यान्वित की है.

ग्राहक सुरक्षा और ग्राहकों की जरूरतों एवं प्रोफाइल को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित करने के अपने प्रयोजन के भाग के रूप में आपके बैंक ने विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाएं अर्थात् उद्यम-वार डेटा वेयर हाउस सोल्युशन और उद्यम-वार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंध सोल्युशन भी साथ-साथ शुरू की हैं. आपका बैंक बेहतर और आह्लादित ग्राहक अनुभव के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ लेने हेतु अपने कोर बैंकिंग सोल्युशन (सीबीएस) को उन्नत कर रहा है.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक को फेसबुक बैंकिंग के लिए ट्रेंड सेटर पुरस्कार श्रेणी में *'नेटऐप इनोवेशन पुरस्कार 2017'* प्राप्त हुआ है.

केंद्रीकृत परिचालन

आपके बैंक के पास केंद्रीकृत सेवाओं जैसे मीयादी जमाराशियों के ब्याज पर टीडीएस, कार्डों, पिन मेलर, चेक बुक, खाता विवरण तथा ग्राहकों को सुपुर्द किए जाने वाले अन्य प्रदेयों के निर्माण और सुपुर्दगी, डीमैट खाता खोलने, अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए), सिंडीकेट एएसबीए और प्रतिभूति पर ऋण (एलएएस) आदि के लिए एक आधुनिकतम केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) है. इसी प्रकार से आपके बैंक के पास बचत बैंक खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाता खोलने जैसे कार्यों के लिए विभिन्न शहरों में छह अत्याधुनिक क्षेत्रीय प्रसंस्करण

इकाइयां (आरपीयू) भी हैं. सीपीयू और आरपीयू खाता खोलते समय केवाईसी और एएमएल के दृष्टिकोण से लगने वाले समय (टीएटी) में कटौती और लागत की बचत पर और बेहतर तथा एकसमान नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं. सीपीयू और आरपीयू को आईएसओ 9001-2008 के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणपत्र से प्रमाणित किया गया है.

शाखा परिचालन सहायता एवं नीति

आपका बैंक परिचालन संबंधी कार्यों को देखनेवाले स्टाफ को बैंकिंग परिचालनों, सेवाओं आदि के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनके दैनंदिन परिचालनों से संबंधित ज्ञान से अवगत करने में अग्रणी रहा है. यह सुनिश्चित करता है कि आपका बैंक उत्पादों, परिचालनों और सेवाओं की अद्यतन जानकारी के साथ सभी संघटकों के लिए सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम है. आपके बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार के प्रयोजन से शाखाओं के लाभ के लिए विभिन्न सोल्युशन जैसे- लॉकर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ई-रजिस्टर, ई-रिपोर्ट तथा अन्य सोल्युशन उपलब्ध कराये हैं.

आपके बैंक ने जमाकर्ता शिक्षण जागरूकता निधि योजना, 2014 में राशियों के आवधिक अंतरण करने संबंधी विनियामक निर्देशों का पूरा अनुपालन किया है. आपका बैंक रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति को सुनिश्चित करने में बैंकिंग उद्योग में अग्रणी रहा है. आपके बैंक के पास 17 अत्याधुनिक करेंसी चेस्ट (सीसी) हैं. ये करेंसी चेस्ट सभी संबद्ध शाखाओं से प्राप्त नकदी को प्रसंस्कृत करते हैं और एटीएम तथा शाखाओं के जरिए वितरण के लिए स्वच्छ नोट उपलब्ध कराते हैं.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आपका बैंक, सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था होने के अपने प्रयास में, समाज के कमजोर तबके के वर्गों के जीवन में सार्थक और चिरस्थायी सुधार लाने में सीएसआर गतिविधियों के महत्व को भलीभाँति स्वीकार करता है. आपके बैंक की सीएसआर गतिविधियां समाज के स्थायी सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान करने की इसकी वचनबद्धता को मूर्त रूप देते हैं. आपके बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में 1 अप्रैल 2014 से बोर्ड अनुमोदित सीएसआर नीति लागू की है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विभिन्न सीएसआर मध्यस्थ परियोजनाओं को निधि उपलब्ध करायी. कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में इन विविध सीएसआर कार्यकलापों के जरिए आपके बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने, बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देने तथा स्थापित करने, खेल-कूद को बढ़ावा देने, आजीविका के अवसरों में वृद्धि, व्यावसायिक और रोजगारपरक कौशल को समुन्नत बनाने तथा योजनाबद्ध मध्यस्थताओं के जरिए गाँवों का संपूर्ण विकास करने में योगदान दिया है.

आपके बैंक की सीएसआर गतिविधियों को विभिन्न मंचों पर उचित रूप से सराहना मिली है. आपके बैंक की द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) के साथ 'लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स' को सीएसआर परियोजना एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस इन एशिया एंड दि पेसिफिक (एडीएफआईएपी) पुरस्कार 2017 में विजेता घोषित किया गया. आपके बैंक को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) के साथ अपनी 'जल, सफाई और स्वच्छता' परियोजना के लिए स्वर्ण श्रेणी और एशियन कस्टमर इंगेजमेंट फोरम (एसीईएफ) पुरस्कार 2016 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) तथा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (एलएएचडीसी) के साथ 'लद्दाख में तारुग्राम को गोद लेना' परियोजना के लिए रजत श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ. इसके अलावा, आपके बैंक को यूनिसेफ के साथ 'जल, सफाई और स्वच्छता' परियोजना के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) के वार्षिक सीएसआर पुरस्कार 2016 में भी 'उत्कृष्टता प्रमाणपत्र' प्रदान किया गया.

Management Discussion and Analysis

BUSINESS ENVIRONMENT

The global economic growth has been estimated in the range of 2.3% - 3.1% in Calendar Year (CY) 2016 by various agencies such as World Bank, International Monetary Fund (IMF) and Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), among others. This marked a slowdown from CY2015 as both advanced and emerging economies confronted decelerating momentum in the pace of economic activity, weighed down by subdued global trade, weak investment, and heightened policy uncertainty. However, the global growth is expected to gather momentum in CYs 2017 and 2018 with rebound in the economic growth in both advanced and emerging economies.

Even as the global economic growth remained muted, India posted relatively higher growth. As per the Provisional Estimates released by the Central Statistics Office (CSO), India's Gross Domestic Product (GDP) growth has been estimated at 7.1% in FY 2016-17. However, this marked a slowdown from the preceding year as industrial activity in the economy slowed down.

The growth outlook for India remains favourable on account of likelihood of a normal monsoon, pick-up in demand with rising income levels, uptick in exports and various reform measures taken by the Government of India to strengthen the economy.

BUSINESS REVIEW

During the year, your Bank focussed on rebalancing its portfolio mix for minimising and mitigating concentration risk as well as meeting regulatory requirements. The strategy was appositely supported by expanding your Bank's outreach through its branch and ATM network across the country. As on March 31, 2017, your Bank's network stood at 1,896 branches, comprising 438 branches at metro locations, 463 branches at urban centres, 585 branches at semi-urban centres and 408 branches at rural centres (including 253 Financial Inclusion branches) across India, one overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai, one International Banking Unit (IBU) at GIFT City, Gujarat and 3,537 ATMs.

Simultaneously, your Bank strived to work towards recovery and upgradation of its stressed assets as it confronted an increase in the proportion of stressed assets predominantly emanating from its corporate portfolio. Primarily, sector-specific issues in the industrial and infrastructure sectors led to slippage in your Bank's asset quality.

The year also witnessed a shift in customer behaviour with regard to financial transactions as the demonetisation of currency notes of ₹500 and ₹ 1,000 denominations on November 8, 2016, coupled with the policy emphasis for adopting digital channels for financial transactions, led to a rising popularity for the same. Your Bank went the extra mile to ensure that its customers were served to the best of its abilities and also leveraged its digital offerings to ensure that its customers have the convenience of transacting at any time, at any place.

Retail Banking

Retail Liability Products

Your Bank offers liability products across various retail segments such as High Net Worth Individuals (HNIs), business enterprises, corporate payroll, Trusts, Associations, Societies, senior citizens, kids, women, youth, etc. Each product is specially designed and tailored to meet the specific requirements of each segment. In order to meet the continuously evolving as well as emerging customer needs, your Bank continued to introduce new products from time-to-time. Simultaneously, existing products were reviewed and upgraded with enhanced features and facilities.

NRI Services

Your Bank highly values its relationship with its Non Resident Indian (NRI) customers and caters to their needs by offering a full spectrum of financial products and services, ranging from basic Non Resident External (NRE) Account, Non Resident Ordinary (NRO) Account and Foreign Currency Non Resident (FCNR) deposits to value-added services such as forward cover on FCNR deposits, Portfolio Investment

Scheme (PIS) for investments in Indian secondary stock markets, overdraft facilities against the security of NRI deposits, home loans, loans against property and more. Your Bank also offers various options to NRI customers for hassle-free fund remittances to India to enable a fast, economical and convenient fund transfer.

Retail Assets

Your Bank continued to target a progressively larger retail business portfolio to facilitate a more balanced business mix, in keeping with its intended positioning as a full-service new generation commercial bank. Pursuant to the same, your Bank currently offers a bouquet of retail asset products primarily aimed at meeting the needs of its customers. Retail asset products offered by your Bank include housing loans, mortgage loans, personal loans, education loans and vehicle loans, among others. Your Bank, apart from reviewing its product offerings on a periodic basis, also carries out modifications/ innovations/ customisation to its existing products. Furthermore, your Bank also introduces new products on a regular basis taking into account the changing business environment.

Your Bank has remained a trusted partner in extending effective and efficient home loan products. Apart from general home loan products, your Bank is also focusing on rural and affordable housing with specialised products. Your Bank has signed a Memorandum of Understanding with National Housing Bank (NHB) for implementation of various schemes under Pradhan Mantri Awas Yojana. Your Bank has well-structured mortgage loan products to meet the needs of business especially of the small and medium sectors. Your Bank has adopted an Automated Loan Processing System (ALPS) for speedy dispensation of retail credit.

Your Bank has successfully completed interface with Vidya Lakshmi Portal launched by National Securities Depository Ltd. (NSDL) to enable the students to apply for education loans online. Your Bank is one of the first banks to sanction and disburse education loans through Vidya Lakshmi Portal platform.

Digital Banking

Your Bank has proactively deployed cutting-edge technology solutions to offer various digital avenues for customers to transact at their convenience. Your Bank has strategically expanded its reach and offers a complete bouquet of products and services to its customers. Your Bank's digital banking channels viz. ATMs, internet banking, Point of Sale (POS), digital POS, mobile banking, Unified Payments Interface (UPI), etc. are designed to deliver a wide range of banking services in a seamless manner. During the year, your Bank initiated a number of initiatives in the digital banking space.

Your Bank, in its endeavour to widen its customer reach, launched additional services such as the digital passbook application *'mPassbook'* and the Debit Card Control Mobile App *'Abhay Card Control App'* for iOS version.

Your Bank launched its Unified Payments Interface (UPI) Mobile Application UPI *'PayWiz'* which can be used by customers of any UPI participating bank. Some of the features of PayWiz are multiple bank accounts linkage and access, send money, collect money, merchant payments, Quick Response (QR) code generation etc. Your Bank also launched the Bharat QR App *'QR POS'* for Digital Merchants onboarding thereby reaffirming its commitment of being in the forefront in digital Initiatives.

Your Bank launched social media banking via *'Facebook – iEngage'* for retail internet banking customers. Further, your Bank launched Immediate Payment Service (IMPS) for retail internet banking users and enabled the net banking portal with many customer convenience features like online modification of net banking transactions limits on real time basis, setting domestic/ international usage of Debit Card, activation/ deactivation of Debit Cards. The corporate internet banking facility was enhanced with the use of Digital Signature Certificate (DSC) at login, and also the RTGS facility. It was also upgraded with Inward Clearing View facility.

Your Bank launched PIN generation through Interactive Voice Response (IVR) system.

In a continued effort to provide services across different delivery channels, your Bank added ATMs, Bunch Note Acceptors (BNAs) or the Cash Recyclers and e-Lounges enabled with state-of-the-art multiple banking facilities. The ATMs have been further enabled with facilities of Cardless Cash withdrawal, Registration of Mobile Banking, Aadhaar Seeding and e-Verification of Income Tax Returns.

Your Bank has started issuing contactless Debit Cards (Visa Pay Wave) in select variants. PayApt - your Bank's e-wallet - was also relaunched with many upgradations including QR code & scan and pay option, enablement with m-Visa, merchant onboardings and offerings for improved user experiences, wider usage and better acceptability.

Your Bank's Credit Cards are well accepted by the customers and a substantial growth in Point of Sales (POS) machines for Merchant Acquisition Business has led to augmenting the fee-based income. It also provides an additional tool for acquiring/ deepening customer relationships, thereby increasing Current Account and Savings Account (CASA) balance. Your Bank's focus and endeavour is to ensure that digital channels are not only smoothly operationalised but also used extensively by its customers on a 24x7 basis.

With a view to enhancing customer awareness regarding cyber frauds and their prevention, your Bank continuously educates the customers about security measures taken by the Bank through emails, SMS and inserts sent along with account statements on a periodic basis. A pre-login caution page explaining safe internet banking practices is also being displayed. A series of safety tips to ensure safe internet banking are also displayed on your Bank's website. SMS alerts for all channel transactions are sent to keep the customers informed to prevent possible misuse.

Third Party Products and Capital Market Products

In a bid to improve value-added services to its customers, your Bank offers various third party products, keeping in view the customers' risk profile and financial goals. Your Bank activated registration to the Atal Pension Yojana (APY) through internet banking platform and also enabled contribution towards National Pension Scheme (NPS) via internet banking. Your Bank was conferred with the Star Performance Award 2016 in Demat Accounts opened under PSU Bank Category by National Securities Depository Ltd. (NSDL) in December 2016.

Financial Inclusion

Your Bank has been proactive in partnering with the policymakers for furthering the objective of financial inclusion by ensuring access to appropriate financial products and services needed by vulnerable sections of the society at an affordable cost in a fair and transparent manner. Your Bank's financial inclusion interventions are focussed on four key areas, viz. expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making intensive use of technology and enhancing financial literacy.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and Social Security Schemes

As on March 31, 2017, your Bank opened more than 30 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDA), out of which more than 11 lakh accounts were opened under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) with facility of RuPay ATM-cum-Debit cards and overdraft. Your Bank proactively participated in social security schemes of the Government of India, viz. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) for accident insurance cover, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) for life insurance cover and Atal Pension Yojana (APY) for pension in old age. As on March 31, 2017, your Bank enrolled more than 10 lakh bank account holders under PMSBY, and more than five lakh bank account holders under PMJJBY. Under APY, your Bank enrolled more than 50,000 bank account holders.

Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs)

To provide facility of payments through Business Correspondents (BCs) (also referred to as Bank Mitras), they were provided hand-held devices with features to accept RuPay cards and carry out Aadhaar-based transactions. Furthermore, the Bank conducted extensive training sessions/ workshops for BCs/ BFs at various locations across the country to enhance their skill sets. Besides, your Bank also provided on-the-job training to BCs/ BFs to develop their technical skills to operate on technology platforms for conducting banking transactions.

Financial Literacy

Financial literacy has been identified as a pre-requisite for effective financial inclusion and an integral part of the PMJDY in order to let the beneficiaries make best use of the financial services being made available to them. Your Bank set up desks known as *'Vittiya Sakhsharata Jankari Kendras'* in its rural branches which are entrusted with the responsibility of spreading awareness on various banking products and the Government of India's social security schemes by conducting outdoor literacy camps. During the year, your Bank's rural branches conducted about 490 outdoor literacy camps. Your Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) at Satara District in Maharashtra also conducts free residential job-oriented training programme for the rural unemployed youth to empower them to be self-employed. The Institute has been awarded the highest grade 'AA' by Ministry of Rural Development. During the year,

IDBI-RSETI conducted 26 training programmes and trained 759 candidates.

Other Initiatives

Your Bank is registered with Unique Identification Authority of India (UIDAI) as Registrar for Aadhaar enrolments. As on March 31, 2017, your Bank enrolled more than 44 lakh residents across 14 States. Under PMJDY, about 54.6% of the active accounts have been seeded with Aadhaar. Your Bank actively participated in Direct Benefit Scheme of the Central/ State Governments. Further, your Bank continued with the distribution of social security pension through the BC channel to more than 25,000 old-age pensioners in Raipur, Chhattisgarh and distribution of wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) in three districts in Chhattisgarh, covering more than 190 Gram Panchayats. As on March 31, 2017, nearly 60,000 accounts of beneficiaries were opened by your Bank.

Your Bank was conferred with awards and accolades from various quarters for its financial inclusion initiatives. Among others, your Bank won the Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) Award presented by ABP News under the category *'Bank with Leading Financial Inclusion initiatives'.*

Priority Sector Banking

During the year, the Bank focused on extending financial assistance to Micro Enterprises and Small & Marginal Farmers (SFMF). To boost lending to agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) segments, your Bank signed Memoranda of Understanding (MoUs) with automobile manufacturers, collateral managers, Non-Governmental Organisations (NGOs), etc.

Your Bank has leveraged its network of BCs/ BFs in an effort to increase penetration in rural and semi-urban areas and thereby ensure greater financial inclusion as also provide an added impetus to its Priority Sector Lending (PSL) business. In terms of the Government of India schemes, your Bank has also been extending loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Stand-Up India, etc.

Major initiatives and campaigns under PSL

Some of the major initiatives and campaigns under PSL during the period under review are outlined below:

- Your Bank celebrated Farmer's Day in December 2016 by conducting 'Kisan Sangoshtis' at 660 rural and semi-urban locations across the country, which were attended by more than 30,000 farmers. The objective of organising the sangoshtis was to reach out to the farmers, create awareness and assist through banking products.
- Your Bank also organised MSME customer meets in January 2017 at 68 centres.
- Your Bank has identified 100 branches as specialised MSME branches and 200 branches as focussed agri branches for generating high volume of quality MSME and agri business.
- Your Bank's various offices conducted events/ workshops at local level and also participated in the workshops being conducted by other stakeholders. Kisan Credit Card (KCC) Loan Melas were also arranged in many regions.

Corporate Banking

Your Bank's corporate banking portfolio includes exposure to sectors as varied as power, textiles, cement, steel, engineering, construction, paper & paper products, electronics & electrical equipment, sugar, chemicals, automobiles, Non-Banking Financial Companies (NBFCs), etc.

Your Bank's asset products' basket for corporate clients includes term loans, working capital (both fund-based and non-fund based), packing credit to exporters, receivables buyout, bill discounting, lending to NBFCs, etc. Within the ambit of corporate banking, your Bank also places due emphasis on Priority Sector Lending by offering products such as channel financing and vendor financing for dealers/ vendors of corporates, etc. The corporate banking team of your Bank works closely with other specialised teams such as Retail Banking, Loan Syndication, Transaction Banking, Treasury, etc. to develop suitable products and devise appropriate solutions that fulfil specific needs of the corporate clients. It is suitably supported by Project Appraisal Team located at your Bank's Head Office and has been offering end-to-end solutions with a gamut of services such as corporate advisory, financial structuring, Initial Public Offering (IPO) monitoring, drawing up of business plans, sanction/ underwriting of term loans, securitisation, restructuring, refinancing and other allied services to clients engaged in setting up of infrastructure projects.

Your Bank has been proactively providing project appraisal, debt syndication, structuring and advisory services across various sectors viz. infrastructure, manufacturing, renewable

energy, etc. and has been consistently ranked as one of the leading debt syndicators in India. During the year, your Bank completed appraisal of more than 30 proposals, out of which four were renewable energy proposals. Your Bank also received mandate for 15 syndication/ underwriting proposals. Your Bank completed eight transactions under an innovative structured product, viz. back-stop facility for Commercial Paper. During the year, your Bank successfully placed Inter-Bank Participation Certificates (IBPCs) with various banks/ Financial Institutions (FIs).

Asset Quality

Your Bank continued its efforts towards close review and monitoring of its Non-Performing Assets (NPA) with a view to improving recovery as well as upgrading the NPAs. As at end-March 2017, 78.75% of your Bank's loan were Standard Assets, 4.26% were Sub-standard Assets, 16.45% were Doubtful Assets, while Loss Assets formed 0.54% of the Bank's Total Assets, for which adequate provisions were made in conformity with extant prudential regulations.

During the year, your Bank initiated several steps to settle the Non-Performing Assets (NPA) and Technically Written-off (TWO) cases in its portfolio. Focussed and account-specific resolution strategies were implemented and progress was monitored regularly. Thrust was also given on upgradation of NPAs to performing assets. Among others, the Bank resorted to One Time Settlements/ Negotiated Settlements (OTS/ NS) including OTS under Special Recovery Campaign, legal actions under the applicable laws, enforcement actions under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, follow up with Debt Recovery Tribunals (DRTs)/ courts on continuous basis so as to minimise the delays in obtaining recovery certificates/ decrees and execution thereof. Your Bank also took recovery measures for resolution wherever warranted. In addition to this, concerted and focussed efforts were also made to attach the properties of guarantors through DRTs after ascertaining their assets through Private Detective Agencies and other independent enquiries/ searches made by the Bank. Your Bank also sold some NPAs to Asset Reconstruction Companies (ARCs)/ banks. A recovery of ₹ 158.60 crore was made from technically written-off accounts during the year.

Your Bank has adopted appropriate preventive mechanism for arresting further slippages and has a well laid-out policy for monitoring the quality of its assets portfolio.

Your Bank has developed a robust system for identifying early warning signs of weaknesses/ incipient stress in standard accounts. Accordingly, the accounts are categorised as Special Mention Accounts (SMAs) and reported to the Central Repository viz. Central Repository for Information on Large Credits (CRILC), as per RBI Guidelines. The SMA accounts are closely monitored and timely remedial measures are taken, which includes formation of Joint Lenders' Forum (JLF) and Corrective Action Plan (CAP) so as to minimise slippage into NPAs.

The Recovery Review Committee (RRC) of your Bank at its quarterly meetings reviews the position of NPAs and fresh NPAs of the Bank, the recovery position of the Bank and the efficacy of the remedial actions taken to prevent slippage to NPA. RRC monitors the progress in recovery, the progress of suit-filed cases and the various actions under SARFAESI Act. It also issues directions on the recovery strategy.

Trade Finance

Your Bank continued to show impressive growth and set new service standards by working closely with customers to create customer solutions in Trade Finance (TF) business conducted through its 60 Category B Authorised Dealer TF centres and 61 Retail TF branches.

As part of your Bank's on-going digital focus, IDBI *e*Trade Portal was released to enable its customers to avail a basket of facilities comprising Letter of Credit, Bank Guarantee, Remittances, Export Credit, Inland & Foreign Bill Processing, Vendor Finance facility, etc. through the net banking platform.

During the year, your Bank established Relationship Management Applications (RMAs) with more than 35 major foreign banks. With this enhanced network, your Bank facilitates bi-directional trade transactions with major geographical locations globally.

In recognition of your Bank's operational efficiency in processing straight through online payments and quality of payment messages, Citi Bank and Deutsche Bank have honoured the Bank with Performance Excellence Awards under the category Straight Through Processing (STP) for US Dollar Payments and USD STP Excellence Award, respectively. Your Bank was conferred Global Currency Usage Award and Technology and Innovation Award by Wells Fargo Bank for excellent service in global payments in Euro currency and for demonstrating commitment to technology and innovation in this area.

Government Business

Your Bank acts as an agent for Central Government and State Governments to manage their receipts and payments. Besides being authorised to collect Central Government taxes including Income Tax, TDS, Corporation Tax, Excise Duty, Service Tax and Custom Duty payments, your Bank also has the mandate for collecting electronic payment of railway freight charges and Commercial Tax and other Government receipts for 23 State Governments and four Union Territories. Your Bank has also been authorised to collect stamp duty under Indian Stamp Act in addition to Maharashtra Stamp Act. During the period under review, your Bank has collected more than ₹ 3 lakh crore through various taxes and duty payments on behalf of the Central and State Governments. Leveraging its best-in-class technology platform, your Bank provides, *inter alia,* 24x7 internet banking facilities for tax payments. Your Bank has always been in the forefront in timely implementation of government schemes including Income Declaration Scheme and Prime Minister Garib Kalyan Yojana (PMGKY).

Your Bank is authorised by the Government of India to offer Small Saving Schemes, viz. Public Provident Fund (PPF), Senior Citizen Savings Scheme and Sukanya Samriddhi Account Scheme, through its authorised branches pan-India. Your Bank also extends Aadhaar-based authentication of Life Certificate for Central, Civil, Railway and Defence Pensioners under Jeevan Pramaan Yojana launched by the Government of India which enables pensioners to log in and submit their Digital Life Certificate.

Cash Management Services

Cash Management Services (CMS) offered by your Bank cater to liability management requirements of corporate clients, such as keeping track of fund movement, payments and receivables systems and managing overall liquidity position by using specialised software (both for collection and payments). The system also controls credit day arrangements, pricing, Management Information System (MIS), processing for correspondent bank cheques, client lines and many such parameters.

Your Bank offers a suite of collection and payment products such as debt servicing products, virtual account system, direct debit facility, vendor management system, automated clearing house credit and debit service, etc. All these products ride on cutting-edge technological integration with client systems in tune with evolving market trends.

Your Bank is also authorised to offer e-freight payment system of Indian Railways to its customers in 11 Railway Zones and also for collection of station earnings and payment in select Railway Zones. Your Bank continued to bag prestigious dividend distribution mandates of large Public Sector Units and other corporates during the year and has continued to maintain a significant market presence in this segment.

Your Bank has rolled out the Automated Clearing House (ACH) facility for both debit and credit processing. ACH-Debit and ACH-Credit aims at electronically facilitating interbank high volume, low value debit/ credit transactions, which are repetitive in nature, using National Payments Corporation of India (NPCI) Service.

Your Bank has been periodically customising its CMS system in order to meet client requirements as well as to improve operational efficiency.

Your Bank has received in-principle approval for Bharat Bill Payment System (BBPS) which is an RBI mandated system and aims to offer integrated and interoperable bill payment system in the country connecting banks and non-banks in bills aggregation business, billers, payment service providers and retail bill outlets. It aims to facilitate evolving a cashless society through migration of bill payment from cash to electronic channel.

Treasury Operations

An integrated Treasury at your Bank's Head Office covers various segments like Money Market, Fixed Income, Foreign Exchange, Derivatives and Equities trading for efficient fund management and treasury operations. The Treasury facilitates customer transactions in market products, resource raising, trading and market making in various market segments while managing the regulatory compliance on Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR), Statutory Liquidity Gap Ratio (SLGR) and Liquidity Coverage Ratio (LCR). The Treasury is equipped with state-of-the-art technology to deliver quality solutions to your Bank's customers and for conducting its business operations efficiently.

In addition to mobilising deposits, your Bank has used various instruments including Certificates of Deposits, Inter-Bank borrowings, issuance of bonds, refinance from various sources and foreign currency borrowings to manage liquidity for balance sheet growth, improving profitability and maturity of liabilities. Liquidity was managed at appropriate

level depending upon fund position and market situation through various short-term/ money market instruments. Your Bank also regularly tracks various markets and adopts acceptable level of positions for trading gains.

In accordance with the RBI guidelines, your Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards covering Liquidity Coverage Ratio (LCR) Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards for improved liquidity risk management and conducted saleability test for identifying High Quality Liquid Assets (HQLA) during the year.

In view of the large business potential in various cities, the Treasury added nine new centres pan India. Your Bank's Treasury is supported by a sales team for effective marketing of foreign exchange and derivative products. The team interacts with corporate and retail clients on a continuous basis and proactively provides them solutions to effectively manage their exposures in currencies and rates. During the year, your Bank provided various types of standard and customised solutions at competitive rates to its customers for their foreign exchange and interest rate hedging requirements through a mix of Foreign Exchange (FX), options and swaps, as permitted by the RBI.

As part of operational risk management, your Bank operationalised a state-of-the-art Treasury Business Continuity Planning (BCP) Centre at Bandra Kurla Complex (BKC), Mumbai. The BCP Centre serves as a near-site alternative to the Bank's main Treasury dealing centre in the event of any business disruption/ disaster. The centre is fully equipped with state-of-the-art technology and connectivity with integrated operations covering various market segments and can handle the front office, back office and mid-office functions of Treasury. This will ensure uninterrupted treasury services at all times.

In order to integrate all the dealing platforms, interfaces and core banking platforms at the Treasury, your Bank has commenced the process of end-to-end implementation of Integrated Treasury Management System (ITMS) project.

In addition, your Bank has set up debt sales teams at various centres for retailing of fixed income products in general and Government Securities in particular. The teams cater especially to the needs of the investors for undertaking transactions outside the screen-based Negotiated Dealing System – Order Matching (NDS-OM) market and also provide Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) service to more than 500 Gilt Account Holders (GAHs) having accounts with your Bank. Further, in line with the RBI directives, your Bank has initiated the process of extending the facility of web-based NDS-OM module to GAHs for online trading in G-Secs in secondary market.

Your Bank's Treasury continues to be in the forefront of introducing innovative financial solutions which indirectly contributes towards market development. The IDBI Samriddhi G-Sec portal of your Bank has been revamped to provide daily mark-to-market (MTM) position to the investors on stocks purchased by them. In extension of its G-Sec portal, your Bank offers a unique and first of its kind initiative to provide another channel to retail investors to invest in G-Secs through its ATMs in a simple, convenient, transparent and cost-effective manner.

During the year, your Bank could appropriately manage the volatile market conditions posed by overseas factors. The adverse external factors were largely absorbed by favourable domestic conditions like muted inflation, softer interest rate regime, good monsoons and progressive reforms and helped thwart risks to a large extent.

Your Bank also successfully deployed surplus funds received in short term instruments such as Cash Management Bills and term repos of varying maturities, Certificate of Deposit (CDs)/ Commercial Papers (CPs) including RBI Liquidity Adjustment Facility (LAF) via variable repo rate window and strategically contained foreign exchange rate exposures.

In the Primary Dealer (PD) business, your Bank underwrote the regulatory required amount of debts of various tenors raised by the Government of India. Your Bank also assisted various State Governments in raising funds by participating in the auction bidding processes. In the T-Bills segment, the PD business fulfilled all the applicable commitments with regard to achievement of the required success ratio and secondary market turnover in Government dated securities and T-Bills.

Cross-Border Branches

Your Bank's first overseas branch at the Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai has completed seven years of operations. During the year under review, your Bank became the first public sector bank to open its IFSC Banking Unit (IBU) at India's first and only International Financial Services

Centre (IFSC) at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT). From its DIFC and GIFT IBU branches, your Bank provides a range of corporate banking services, including External Commercial Borrowings (ECB), Foreign Currency Loans (FCL), syndication of ECB/ FCL and trade finance products to meet Indian clients' fund requirements for their Indian operations as well as overseas ventures.

Credit Rating

Your Bank obtains credit ratings for both domestic and foreign currency borrowings. The ratings for the Rupee resources are as under:

Ratings for Rupee Borrowings

	CRISIL	ICRA	India Ratings & Research
Fixed Deposit	FAAA/ Negative	MAA/ Negative	IND tAAA
Short Term Borrowings (Certificates of Deposit)	CRISIL A1+	[ICRA] A1+	IND A1+
Long Term Rupee Bonds (Senior & Lower Tier II bonds)	CRISIL AA/ Negative	[ICRA] AA-/ Negative	IND AA+
Hybrid – Upper Tier II Bonds	CRISIL AA-/ Negative	[ICRA] A+/ Negative	IND A+/ Negative
Hybrid – IPDI (Basel II)	CRISIL AA-/ Negative	[ICRA] A+/ Negative	----
Hybrid- AT1 (Basel III)	CRISIL A/ Negative	[ICRA] A(hyb)/ Negative	IND A+/ Negative
Tier II bonds (Basel III)	CRISIL AA/ Negative	[ICRA] AA- (hyb)/ Negative	IND AA+/ Stable

CARE has rated ₹ 50 crore Lower Tier II bonds (of the erstwhile IDBI Home Finance Ltd.) as CARE AA/Negative.

The foreign currency borrowings of your Bank are rated by three international rating agencies, viz. Moody's Investor Services (Moody's), Fitch Ratings (Fitch) and Standard & Poor's (S&P). The long-term Foreign Currency Ratings and Baseline Credit Assessment (BCA)/ Viability Rating (VR) and Stand-alone Credit Profile (SACP) are as under:

Ratings for Foreign Currency Borrowings

Rating Agency	Rating
Moody's Investor Services (Moody's)	
Long Term Rating	Baa3/ stable
Baseline Credit Assessment (BCA)	b1
Fitch Ratings	
Long Term Issuer Default Rating	BBB-/ Stable
Viability Rating (VR)	bb-
Standard & Poor's (S&P)	
Issuer Credit Rating (ICR)	BB/ Stable
Stand-alone Credit Profile (SACP)	b-

Long Term Rupee Borrowings

During the year, your Bank raised an aggregate amount of ₹ 2,500 crore in two tranches through domestic bond issuances comprising Basel III Compliant Additional Tier 1 bonds.

Foreign Currency Resources

During the year, your Bank raised an aggregate sum of US$ 5,643.29 million in foreign currency, out of which US$ 5,568.29 million was by way of short-term borrowings.

As on March 31, 2017, your Bank had no outstanding (zero outstanding) borrowings under the Inter-Bank Dealings Scheme of RBI (permitted within the overall stipulated limit of 100% of Tier 1 capital).

As on March 31, 2017, your Bank's total issuances outstanding under the Medium Term Notes (MTN) Programme amounted to US$ 1,990.32 million.

RISK MANAGEMENT

Your Bank's risk management strategy is based on the identification, measurement and monitoring of business risks on an on-going basis to ensure efficient use of capital. Some of the effective methods for controlling risks include the setting up of well-defined risk management policies and outlining risk limits and procedures in line with your Bank's

risk appetite. Periodic policy updates factor in business dynamics, innovation and changes from the regulatory perspective.

Your Bank constantly endeavours to improve the risk management culture by spreading risk awareness across all its verticals and making it an essential decision-making criterion. While the Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors is responsible for overall risk management, the day-to-day activities are conducted at various levels based on the risk governance structure.

The risk management systems and processes are constantly upgraded to meet the challenges of an increasingly complex financial system and aligned to the regulatory requirements. For a more robust and technologically advanced risk management system, your Bank has implemented an Integrated Risk Management Architecture (IRMA) comprising software solutions, viz. Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE). IRMA helps to identify and measure credit and operational risks, which, in turn, facilitates formulation of suitable risk mitigation strategies.

Implementation of Basel Norms

Your Bank computes regulatory capital requirement for Credit, Market and Operational risks as prescribed under the Pillar 1 guidelines of the Basel III framework on a quarterly basis.

As per the Basel guidelines, banks have to mandatorily maintain Capital Conservation Buffer (CCB) with effect from March 31, 2016. The CCB is designed to ensure that banks build up buffers during normal times (i.e. outside periods of stress) which can be drawn down in case of losses that may be incurred during stressed period. The banks will be required to maintain a CCB of 2.50%, comprising Common Equity Tier 1 (CET 1) capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9.00% by March 2019. In line with the transitional arrangements included in the regulatory guidelines, the CCB applicable for March 31, 2017 is 1.25% (50.00% of 2.50%). Accordingly, the minimum regulatory requirement of total capital plus CCB is 10.25% (CRAR plus CCB). Your Bank has a CRAR ratio of 10.70% as on March 31, 2017. Similarly, your Bank has a CET 1 ratio of 5.64% (CET 1 plus CCB) as against the regulatory requirement of 6.75% (including CCB). The Tier-I ratio stands at 7.81% as on March 31, 2017 against the regulatory requirement of 8.25 % (including CCB). Your Bank has initiated suitable measures to align its capital to meet the regulatory norms within the shortest possible time.

Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered under Pillar 1 as well as to develop appropriate strategies to manage risks under normal and stressed conditions. Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework in line with the RBI guidelines. The stress testing framework enables your Bank to assess the strength under exceptional but plausible events and facilitates appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies.

Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms. Accordingly, disclosures as at the end of each quarter are hosted on your Bank's website, thereby exhibiting high degree of transparency.

At present, your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk for computation of capital charge and has made progress towards further upgrading and strengthening its Credit Risk Management System for migration to the advanced approach viz. Internal Rating Based (IRB). Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk. As a part of migration process to Advance Measurement Approach (AMA), a comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) framework have been rolled out across different business segments for ensuring effective control mechanism. For market risk, your Bank uses Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital requirement and necessary steps to migrate to advanced methodology viz. Internal Models Approach (IMA) would be taken in due course.

Credit Risk

The Credit Risk Management system in your Bank includes the RAM for credit rating of proposals and CAM for automation of capital assessment. During the year, an exercise on model validation under RAM was taken up and completed by engaging experts in the field. The credit policy document has been reviewed in line with changing business objectives and economic environment. This forms the guiding tool for the business verticals. The credit rating of loan proposals is a three-stage process where, your Bank's Risk Management Department does the validation for all exposures over ₹ 5 crore at the third stage. The Rating Committee at the apex level continues to validate credit ratings and also provides guidance to Risk Analysts and Relationship Managers.

Market Risk

Market Risk Management in your Bank, in terms of functions and business positions, operates in line with policy framework defined in the Market Risk & Derivative Policy and Investment Policy. These policies, in general, outline the appropriate levels of risk appetite and implement mechanism for measurement, reporting and escalation of risks and exceptions.

In order to manage market risks, your Bank has put in place appropriate risk management systems, including monitoring and reporting tools. Various exposure limits are also put in place to mitigate concentration risk. All the prescribed limits and all the procedures are monitored closely by the Treasury mid-office, which is independent of front and back offices of Treasury.

Operational Risk

Your Bank has a robust Operational Risk Management framework which includes an organisational set-up comprising the Board of Directors, the Risk Management Committee (RMC) of the Board, the Operational Risk Management Committee (ORMC) and nodal officers of various functions/ departments. The operating procedures for operational risk are guided by Board-approved Operational Risk Management Policy which aims to identify, monitor, measure and manage operational risks attached to banking activities.

Your Bank has taken proactive measures to contain/ mitigate operational risk which includes:

i) Monitoring of Key Risk Indicators;

ii) Assessment and mitigation of risk associated with new (revised) products/ systems;

iii) Self-assessment of various risks and controls;

iv) Operational loss events monitoring;

v) Assessment of systemic risk;

vi) Improvement in various processes.

As a part of monitoring of operational risk, your Bank has put in place a comprehensive IT system for management and measurement of operational risk. The progress on operational risk management and measurement is reported to ORMC and RMC of the Board on a periodical basis. Your Bank conducts various training programmes to instil risk awareness culture across the organisation.

Business Continuity Management

Your Bank has robust Business Continuity Management (BCM) processes to mitigate business disruptions and life threatening events. Your Bank is the first public sector bank which has been awarded with a globally renowned certification ISO22301:2012 for its bank-wide coverage of BCM.

As a part of BCM, your Bank has put in place well-defined Business Continuity Plan (BCP) for core and support functions. This is intended to provide continuity in services to customers, despite business disruption/ disaster. Besides, a comprehensive Disaster Management Plan (DMP) is deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimise damage to valuable assets during disaster. The resilience of BCP and DMP is tested periodically through BCP testing exercises, disaster recovery and mock evacuation drills. Your Bank's BCM system is also well-equipped with an automated tool, viz. Integrated Disaster and Business Continuity Management System (i-DaB).

Information Technology Risk

Your Bank has taken a series of steps to improve Information Technology (IT) risk management and control. Your Bank has already set up a state-of-the-art Security Operation Centre (SOC) at its Data Centre in Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra. Through the SOC, your Bank centrally monitors security devices/ solutions such as firewalls, routers, Intrusion Detection System (IDS)/ Intrusion Prevention System (IPS), Privileged Identity Access Management (PIM), antivirus, phishing/ malware attempts, etc. and takes corrective actions. The SOC is a Command Centre for countering cyber threats and ensuring compliance with the Bank's Information Security Policy besides fulfilling the Bank's objective of providing safe and secure banking to its esteemed customers. During the year, your Bank added substantial number of devices under SOC for monitoring. Your Bank regularly conducts Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) of external facing applications viz. internet banking, mail messaging, etc.

Your Bank has made significant progress in implementing the RBI recommendations issued in April 2011 and June 2016 on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds. Your Bank has put in place an appropriate organisational framework as recommended in the guidelines. Several information security solutions have been implemented such as Privileged Identity Access Management, Patch Management Solution, Active

Directory, Web/ Mail Gateways, etc. to protect customer data, prevent external attacks as well as strengthen internal controls.

Your Bank has put in place a distinct Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan which articulates management intent and direction for addressing Cyber Security risks. Apart from conducting regular information security awareness programmes for the employees, various Information Security precautions are also communicated to customers through mailers, SMS, ATMs and posters, to minimise/ thwart the attempts of security breach. Your Bank has prepared a short audio visual film for creating information security awareness among its staff and customers.

Your Bank's IT infrastructure and systems have been implemented within a robust information security framework including solution on both perimeter and end-points. Customer facing interface has two-factor authentication process in place. On the Information Security aspect, your Bank has rolled out Data Leakage Prevention (DLP) solution to protect the sensitive data pertaining to the Bank and customers from being misused. Your Bank's Data Centre as well as Disaster Recovery (DR) Centre is certified with the latest ISO 27001:2013 information security standards. Your Bank has also a Near DR site to ensure zero data loss for critical transactions. The Information Security Steering Committee of the Bank provides directions and guidance for mitigating IT risk in information systems. The security incidents and the policies are placed before the IT Committee of the Board (ITCB) for necessary directions, the minutes of which are put up to the Board for information. The policies are recommended by ITCB to the Board for approval.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

Human Resources

The Human Resource (HR) strategy in your Bank has been formulated to effectively align the business requirements with various HR policies pertaining to recruitment, deployment, training, talent retention and motivational strategies so as to seamlessly support achievement of its vision and mission. In this direction, your Bank has been making constant efforts to encourage its employees to deliver excellent standards of performance and has also been taking various employee welfare measures to provide a better work–life balance.

Manpower

As on March 31, 2017, the total staff strength of your Bank aggregated 18,187. The category-wise break-up of employees is given below:

Category	Total
Officers	15,931
Executives	461
Clerical staff	929
Sub-Staff	866
Total	**18,187**

Due to effective manpower planning and judicious recruitment, your Bank has an excellent team of officers whose average age is around 33 years.

Recruitment and Staffing

Your Bank's annual manpower assessment takes into consideration the number of superannuating officers, likely attrition, branch expansion and business growth. Accordingly, your Bank recruited 1,646 Officers in Grade 'A', 267 Executives, four clerks and two subordinate staff (appointed on compassionate ground) during the year. Out of these, 318 belong to Scheduled Castes (SCs), 200 belong to Scheduled Tribes (STs) and 657 belong to Other Backward Classes (OBCs). Out of the total recruitment strength, 60 individuals are Persons with Disabilities (PWDs).

Your Bank recruited officers in Grade 'A' through common recruitment process for all Public Sector Banks (PSBs) conducted by Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) and Executives through a standalone recruitment process carried out through IBPS.

Recruitment through Post Graduate Diploma in Banking & Finance at Manipal Global Education Services, Bengaluru

In December 2016, your Bank extended the Memorandum of Understanding (MoU) with Manipal Global Education Services Pvt. Ltd., Bengaluru, for a further period of one year under which 1,000 students will be enrolled for one year Post Graduate Diploma in Banking and Finance (PGDBF) which works on the model of 'Train, Recruit and Induct'. In the year under review, 367 candidates, who completed the PGDBF course, have been recruited as Assistant Managers.

Reservation Policy

Your Bank is fully compliant with the extant reservation policy of the Government of India. Your Bank has appointed Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison Officers (ZLOs), in the rank of General Managers and Deputy General Managers, for SC/ ST/ PWD and OBC, who ensure compliance of various guidelines pertaining to reserved category employees and for effective redressal of their grievances. Your Bank maintains separate rosters for PWDs, as per the Government of India guidelines.

Representation of OBC/ SC/ ST/ in the total manpower strength as on March 31, 2017 is as under:

Category	OBC	SC	ST
Officers	3,877	2,288	932
Executives	137	62	38
Clerical	76	107	33
Sub-staff	162	197	73
Total	**4,252**	**2,654**	**1,076**

Training and Development

Your Bank is continuously striving to train its employees towards the overall achievement of the organisational goals. During the year under review, your Bank conducted nearly 900 training programmes at its apex training institute, viz. Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF) and nine Zonal Training Centres. Your Bank also nominated more than 500 officers for external domestic training programmes and nearly 20 officers for external foreign training programmes.

Your Bank's apex training institute - JNIBF - completed 25 years of its existence during the year. JNIBF has bagged the coveted ISO 9001:2015 Certification for its commitment and demonstration for continual assessment and improvement in quality management systems and processes. JNIBF has embarked upon training external participants from other banks on Project Appraisal, Treasury Management, Leadership Programme and Risk Management.

Your Bank has been conducting customised training programmes for its officers across all levels covering various topics. Skill upgradation sessions on risk management and project finance were conducted for senior management and for middle management, respectively. Training programmes on agriculture and treasury were conducted at reputed institutes for officers in the junior management cadre. The foundation programme on project finance and management for junior management officers was conducted in three phases viz. class room training, on-the-job training and advanced class room training.

Your Bank gives utmost importance to the regulatory and statutory directives received from the Government of India. Your Bank continued to conduct training programmes and workshops on various topics like Customer Service, Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML). As per the Government of India directives, your Bank conducted pre-recruitment and pre-promotion training programmes for reserved category candidates/ employees.

Your Bank has been promoting online training through its online Learning Management System, viz. OJAS, which has 150 e-Learning modules covering a wide range of banking topics.

Employee Assistance Programme

Your Bank continued with Employee Assistance Programme (EAP) for its employees. The EAP services include an intervention comprising online/ tele/ face-to-face counselling and e-workshops with the objective to enhance the emotional, mental and general psychological wellbeing of all employees and their families.

Group Life Insurance Scheme

With a view to mitigating hardships of deceased employees' families, your Bank extended the Group Life Term Insurance Policy for all permanent employees covering beyond the age of superannuation till completion of 70 years. Under the scheme, your Bank contributes 50% of the annual premium amount while the balance 50% of the amount is borne by the employees. Beyond the age of superannuation, retiring employees have the option to continue with the scheme by paying the full premium amount.

Mediclaim Scheme for Retired Employees

As a welfare measure for its retired employees, your Bank has introduced a Group Mediclaim Insurance Scheme in November 2016 to provide them with protection from financial liabilities arising on account of hospitalisation including day-care procedures. Under the Scheme, your Bank acts as a facilitator to form a group of retired employees and obtain an insurance policy on their behalf, providing them benefit of lower premium and liberal features. The features of the Scheme include cashless insurance facility at empanelled hospitals up to the covered amount, coverage of all pre and existing illnesses without any pre-medical examination and post-hospitalisation expenses as well.

IDBI Bank Officers Study Scheme (IBOSS)

As a talent retention measure, your Bank has been extending IBOSS to officers for pursuing higher education at reputed institutions, either in India or abroad. This encourages meritorious officers to enhance their professional development. Under the Scheme, education loans are granted to selected officers. On completion of the course, the loan is waived subject to compliance of certain terms and conditions.

Incentive Scheme

Your Bank has put in place Performance Linked Cash Incentives Scheme (PLCIS) to motivate its top performing employees.

Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)

With an objective to create awareness about the POSH among employees, an interactive e-learning module has been hosted on OJAS and one-day workshop on POSH was conducted during the year.

Disclosures under The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Your Bank has in place an Anti-Sexual Harassment Policy in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Your Bank has set up two Internal Complaints Committees to redress the complaints received regarding sexual harassment. During 2016-17, your Bank received 6 (six) complaints, of which 2 (two) complaints have been resolved after due inquiry. As on March 31, 2017, a total of 6 (six) complaints were pending, which included 4 (four) pending complaints pertaining to 2016-17 and 2 (two) complaints pertaining to previous years.

Industrial Relations

During the year, the industrial relations climate in your Bank was generally cordial with most of the issues having been resolved amicably. A section of IDBI Bank's officers/ workmen under the banners of various associations/ unions had given strike calls on July 29, 2016, September 2, 2016, February 6, 2017 and February 28, 2017 in support of their various demands, including wage revision matters. However, no untoward incidents were reported and your Bank managed to keep more than 75% of the branches/ offices open and made available all ATMs and other digital banking channels for uninterrupted customer service on the strike days.

Internal Audit

Your Bank has a well-equipped Internal Audit Department which carries out regular audit of various activities undertaken by different business/ support verticals, zonal offices, regional offices and branches. Audits are conducted under the guidance and supervision of the Audit Committee of the Board (ACB). The audit function maintains its independence and objectivity while carrying out the assignments. Your Bank has adopted Risk-Based Internal Audit (RBIA) as its strategy in line with guidelines issued by the RBI and by the Government of India on Internal and Concurrent Audits.

Your Bank has an experienced in-house Information System Audit (IS Audit) team in place, as a part of its Internal Audit Mechanism, to address technology and IT-related security issues commensurate with the nature and complexities of the operations. Your Bank has, in line with the regulatory requirements, put in place a comprehensive Concurrent Audit System to supplement its Internal Audit function. To achieve continuous improvement in the quality of its Credit portfolio, a Credit Audit System has been put in place in line with the RBI guidelines. The system broadly captures compliance with your Bank's policies in the areas of credit appraisal, sanction of loans and credit administration. Internal Audit function is adequately supported by Zonal Audit Offices (ZAOs), an in-house web-based Audit Management System (AMS) and an Off-site Alerts Management System (OMS).

Your Bank has also put in place a Risk Based Management Audit (RBMA) to review and report on control environment as a whole, in terms of reliability of management function, safeguarding of assets and compliance with rules and regulations.

Your Bank evaluates, on a continuous basis, the adequacy and effectiveness of internal control mechanism, adherence to policies and procedures and suggests measures to strengthen and streamline control for addressing various risks. Accordingly, your Bank reviews Risk Based Internal Audit Policy, Concurrent Audit Policy and Information System Audit Policy on an annual basis.

Your Bank's Audit Department works in co-ordination with Operational Risk Department and other operational wings for enhancing operational efficiency and fine-tuning of the processes. Emphasis is placed on benchmarking the Bank's practices and procedures in an endeavour to migrate to the best practices in the industry. The Audit Committee of the Board, Audit Committee of Executives and Zonal Audit

Committees review the performance on continuous basis, give directions to the internal audit functionaries and review effectiveness of internal control systems, as also compliance with regulatory guidelines.

Fraud Management System

Your Bank has put in place a fraud monitoring mechanism through a dedicated Fraud Monitoring Group (FMG) under the Internal Audit Department. A Fraud Review Council (FRC) has been constituted to monitor and review all frauds to identify systemic lacunae, if any, and initiate corrective measures, monitor progress of investigations and recovery position. The FMG also reviews efficacy of the remedial actions taken to prevent recurrence of frauds. These actions include strengthening of internal controls and putting in place need-based remedial measures. A detailed Fraud Risk Management Policy has been put in place for early detection, prevention, reporting, monitoring and follow-up of frauds.

Vigilance Mechanism

A full-fledged Vigilance Department at your Bank's Head Office carries out investigation of vigilance related complaints and suggests corrective measures for reducing deficiencies, if any, in the control systems and laid down procedures, apart from recommending the quantum and type of penalties with regard to vigilance-related disciplinary action cases. Your Bank has implemented the guidelines laid down by the Central Vigilance Commission (CVC) for improving vigilance administration and has put in place a system wherein complaints received from the public/ any other sources are attended to promptly.

A webpage of the Vigilance Department is hosted on the Intranet of your Bank. The webpage provides an overview of the Department, format of standard notice of the CVC, to be displayed at all the branches/ offices of your Bank, important circulars/ guidelines issued from time-to-time by the CVC, Chief Technical Examiner's Organisation (CTEO) of the CVC and your Bank as well as Do's and Don'ts of preventive vigilance. This has helped your Bank in enhancing the level of vigilance awareness amongst officers.

During the year, surprise vigilance visits were made to various branches to detect malpractices, if any, and non-adherence of laid-down systems and procedures and suitable corrective measures were suggested, wherever deemed necessary.

With a view to spread Vigilance Awareness among employees of your Bank, numerous interactive workshops and talks/ presentations on vigilance awareness with focus on preventive and participative vigilance were organised during the year under review. Vigilance Awareness Week was observed in the Bank from October 31, 2016 to November 5, 2016 at the Head Office, Zonal Offices and all branches of your Bank to sensitise the employees about evils of corruption with the theme *'Public Participation in Promoting Integrity and Eradicating Corruption'.* On this occasion, your Bank released a Special Journal for the benefit of its staff members and also conducted various competitions like essay writing, elocution, quiz, etc. among staff members. Your Bank organised various vigilance activities at 25 schools and colleges in Greater Mumbai, Navi Mumbai and Thane districts as allotted to the Bank by CVC. Further, your Bank also organised various outreach activities at other 237 schools and colleges across India.

With a view to imparting knowledge pertaining to vigilance amongst staff members, the Vigilance Department has undertaken an initiative, under which a multiple choice question pertaining to vigilance awareness is displayed in the computer as soon as employees log into their PC. After the employee attempts the answer, the correct answer is displayed.

The Vigilance Department, in an endeavour to sensitise staff members on preventive vigilance, has started a new educative case studies series of frauds/ malpractices/ corruption. The same is uploaded on the Department's webpage on your Bank's Intranet. The series is aimed at helping all the staff members to understand the modus operandi adopted by the erring officials and educating the staff members about the Do's and Don'ts in such a scenario.

In order to have a quick and ready reference of the latest instructions/ guidelines/ directives from the CVC, Government of India – Ministry of Finance, the RBI and the Bank with regards to vigilance matters as also procedures for vigilance activities, your Bank had prepared a Vigilance Manual which was updated as on March 31, 2017.

Regulatory Compliance

Your Bank ensures compliance of various statutory and regulatory guidelines laid down by the Government of India, RBI, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory/ statutory bodies as well as internal guidelines, through a dedicated Compliance Department, which is headed by a senior official designated as Chief Compliance Officer.

An extensive Compliance Policy for the Bank was adopted by the Board as per the RBI guidelines, which is reviewed annually. The role and responsibility with regard to compliance function is clearly defined for every tier in your Bank. A well-established reporting system exists through a self-certification process, based on which a final compliance certificate is submitted to the Board of Directors. The Board is apprised at monthly intervals about important communications/ guidelines received from RBI.

Right to Information (RTI) Act

Your Bank has designated Central Public Information Officers (CPIOs) for responding promptly on requests for information pertaining to various functional areas. In addition, all Branch Heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications under the RTI Act to CPIOs. Your Bank has designated a senior officer in the rank of Chief General Manager as First Appellate Authority (FAA) for dealing with appeals of aggrieved applicants. A Transparency Officer has been appointed for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link on the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbi.com).

Your Bank has also aligned with the Government of India's RTI online portal (https://rtionline.gov.in), whereby citizens can seek the information and raise appeals under the RTI Act.

Progressive use of Hindi

During the period under review, your Bank continued to make progress in implementing the Official Language Policy of the Government of India. All the Verticals, Departments, Zonal Offices and branches of your Bank made concerted effort to achieve the targets prescribed in the Annual Programme and other directives issued by Official Language Department of the Government of India.

Your Bank continued to be at the forefront in promoting the Official Language - Hindi. A large number of customer interfacing initiatives are provided in Hindi. These initiatives include bilingual display of instructions in ATMs, generation of ATM transaction slip and information on the Bank's website. Your Bank launched mobile applications, viz. Abhay, PayApt and mPassbook, with facility of Hindi during the year. Kisan Sangoshthis and campaigns relating to demonetisation, digital banking and cashless economy were conducted in Hindi and other regional languages. To facilitate working in Hindi, your Bank has uploaded template letters, forms, dictionaries, notings and other relevant reference materials in bilingual form on its Intranet. To encourage staff members to use Hindi for work-related purposes, incentive schemes were implemented and competitions, seminars and lectures on various topics were organised. In order to progressively ramp up the use of Hindi, a series of Rajbhasha Awareness Programmes were organised in all the regions of your Bank to familiarise staff members with the various requirements of Official Language Implementation and use of Hindi Unicode. A number of in-house campaigns were launched across regions to encourage and recognise initiatives taken by the staff for promoting the use of Hindi. Rajbhasha Pakhwada was organised in the month of September 2016.

Your Bank's endeavour to promote use of Hindi in day-to-day work and in its business found due recognition on various forums and received many awards during the year, which include the following:

i) Your Bank's Bhopal, Bangalore, New Delhi, Chandigarh, Bhubaneswar and Chennai offices were conferred Rajbhasha Awards in various categories by their respective Town Official Language Implementation Committee (TOLIC);

ii) Efforts made by the Bank in implementing Official Language Policy was commended by the Third Sub-Committee and Drafting & Evidence Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Language during their inspection of Alwar and Ghaziabad branches;

iii) Your Bank was awarded the Rajbhasha Shield by Maharashtra State Level Bankers Committee (SLBC-Rajbhasha) for use of Hindi;

iv) Your Bank's in-house quarterly Hindi magazine, '*Vikas Prabha,*' was conferred Bronze Award from Association of Business Communicators of India (ABCI) in Indian Language Publication category and Magazine Design category;

v) '*Vikas Prabha*' was also awarded Best In-House Magazine citation from Ashirvad - a renowned cultural and literary group;

vi) '*Vikas Prabha*' was conferred the Gold Award in language category from Public Relations Council of India (PRCI);

vii) Your Bank's in-house bilingual journal *'Shree Vayam'* was awarded prize in the RBI Dwibhashik Grih Patrika category. Officials from Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Department of Financial Services, Government of India, appreciated implementation of Hindi in your Bank during their inspections.

Customer Service and Complaints Management

Your Bank, in its quest for being the most preferred and trusted bank for all its stakeholders, has adopted a customer-centric approach focussing on excellent customer service and a comprehensive suite of best-in-class financial solutions. Your Bank continued its drive towards improvement in service quality across all customer touch-points.

The Customer Service Committee of the Board and the Standing Committee on Customer Service ensure that Customer Service and Complaints Management matters receive utmost attention.

The Customer Care Centre (CCC) of your Bank, which is ISO 9001:2008 certified, deals with complaints management through assorted modes. Your Bank has taken various steps to improve the effectiveness of its grievance redressal mechanism across delivery channels by using integrated complaint management software which facilitates recording, monitoring and timely resolution of all the grievances/ complaints received through the assorted modes.

With an objective of further enhancing the customer experience, your Bank has been taking new measures as also improvements in existing systems and processes on an on-going basis.

Your Bank is a member of the Banking Codes & Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the Code of Bank's Commitment to Customers as well as the Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises. Your Bank's commitment and compliance with the BCSBI codes has been rated as 'High' with a total score of 88 as per the BCSBI Code Compliance Rating 2017. Even in the previous rating, your Bank was rated as 'High' with a total score of 85. The improvement in your Bank's rating is a reflection of its commitment to provide seamless customer service.

Information Technology

Your Bank has continued to leverage its proven IT capabilities to offer a bouquet of financial services and products, embedded with latest technology and security features, to address the growing needs of its customers and furthering their banking experience/ convenience. Moreover, your Bank continued to introduce technological innovations which aided in improving its operational convenience and also enhanced efficiency and security of its systems and processes. In an effort to professionally operate and manage various technology-related initiatives, your Bank has an in-house IT department and an IT subsidiary which gives focused attention to its IT-related requirements.

Your Bank continued to exploit its IT prowess by enabling 100% computerisation of its branches to improve the banking experience of its customers. Your Bank has Tier-3 Data Centres, viz. a primary Data Centre (DC), a Disaster Recovery (DR) Site and a Near DR Site, has all the security measures in place and has also obtained ISO-27001 (2013) Security Certification for its Data Centre and Disaster Recovery site.

As a green initiative, your Bank has implemented the Server Virtualisation technology to achieve dynamic reallocation of hardware resources with lower energy consumption.

As part of its objective of enhancing customer security and scientifically mining customer needs and profiles, your Bank has simultaneously initiated several critical projects, such as Enterprise-wide Data Warehouse Solution and Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution. Your Bank is in the process of upgrading its Core Banking Solution (CBS) to leverage the technological advancement for enhanced and delightful customer experience.

During the period under review, your Bank has received the *'NetApp Innovation Awards 2017'* under the Trend Setter Award category for Facebook Banking.

Centralised Operations

Your Bank has a state-of-the-art Central Processing Unit (CPU) for centralised services such as TDS on interest on term deposits, production and delivery of cards, PIN mailers, cheque books, account statements and other deliverables to customers, Demat Account Opening, Application Supported by Blocked Amount (ASBA), Syndicate ASBA and Loan Against Securities (LAS), etc. Similarly, your Bank has six state-of-the-art Regional Processing Units (RPUs) in various cities for functions such as opening of Savings Bank Account, Current Account and Fixed Deposit Accounts. The CPU and the RPUs ensure enhanced and uniform controls

at the time of opening accounts from KYC and AML point of view, reduction in Turn-Around-Time (TAT) and savings in cost. The CPU and the RPUs are certified under ISO 9001-2008 Quality Certificate.

Branch Operations Support and Policy

Your Bank is at the forefront in disseminating knowledge to operating staff on their day-to-day operations by equipping them with latest information on banking operations, services, etc. This ensures that your Bank is able to provide service to all constituents with updated knowledge on products, operations and services. Your Bank has provided various solutions for the benefit of branches towards improving customer services like Locker Management Software, e-Registers, e-Reports and others.

Your Bank is fully compliant with regulatory directions of periodical transfer of amounts to Depositor Education Awareness Fund Scheme, 2014. Your Bank is at the forefront in the industry in ensuring Clean Note Policy of RBI. The Bank has 17 state-of-the-art Currency Chests (CCs). These CCs process cash from the linked branches and provide clean notes for dispensing through ATMs and through branches.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Your Bank, in its endeavour to be a socially responsible entity, appreciates the importance of CSR activities in creating a meaningful and lasting improvement in the lives of the marginalised sections of the society. Your Bank's CSR activities embody its commitment to contribute to the sustainable social and economic development of the society.

Your Bank has put in place a Board-approved CSR policy with effect from April 1, 2014 in compliance with Companies Act, 2013.

During the year under review, your Bank funded multiple CSR interventions. Your Bank, through these diverse CSR activities in areas as stipulated in the Companies Act 2013, inter alia, contributed towards providing improved access to health services, promoting education for children, promoting gender equality, promotion and installation of renewable energy systems, promotion of sports, enhancement of livelihood opportunities, advancement of vocational & employable skills and holistic development of villages by undertaking planned interventions.

Your Bank's CSR activities continue to be suitably recognised at various fora. Your Bank's CSR project of 'Lighting a Billion Lives' with The Energy & Resources Institute (TERI) was adjudged winner at Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) Awards 2017. Your Bank also won an award in Gold category for its 'Water, Sanitation and Hygiene' project with United Nations Children's Fund (UNICEF) and in Silver category for its 'Adoption of Taru Village in Ladakh' project with Tata Institute of Social Sciences (TISS) and Ladakh Autonomous Hill Development Council (LAHDC) at the Asian Customer Engagement Forum (ACEF) Awards 2016. Further, your Bank was also conferred the 'Certificate of Excellence' at the Annual Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) CSR Awards 2016 for its 'Water, Sanitation and Hygiene' project with UNICEF.

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
2री मंजिल, कपूर हाउस,
परांजपे 'बी' स्कीम, रोड नं. 1,
विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई 400 057

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
सनदी लेखाकार
15/17, राघवजी, 'बी' बिल्डिंग,
राघवजी रोड,
कैंप्स कॉर्नर के पास, मुंबई 400 036

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्य,

हमने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 15(2) में विनिर्दिष्ट रूप में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

सूचीबद्धता विनियमन में यथा निर्धारित रूप में कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जांच कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है.

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा निदेशकों एवं प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता विनियमन में यथा निर्धारित रूप में कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

हम उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन है.

कृते **मुकुंद एम चितले एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 106655W

ह./-
एस.एस. दीक्षित
साझेदार (स. सं.- 041516)

कृते **चोकशी एंड चोकशी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या:101872W/W100045

ह./-
निकेश के. शाह
साझेदार (स. सं.- 153520)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 18 मई 2017

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता पर बैंक के दर्शन का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इसकी नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने हितधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों पर है जिन्हें विधिक एवं विनियामकीय प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित उत्कृष्ट कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना और निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग बैंक के अन्य नीतिगत दिशा-निर्देश हैं. बैंक बोर्ड को निर्बाध रूप से सभी संबद्ध सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सके.

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (एलओडीआर विनियम) में यथावर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से शासित होता है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

मुख्य रूप से, कंपनी अधिनियम, 2013 और एलओडीआर विनियमावली के तहत निर्धारित संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

- शेयरधारकों से उनके शेयरों पर अप्रदत्त धनराशि के संबंध में मांग करना;
- धारा 68 के तहत प्रतिभूतियों की वापसी खरीद हेतु प्राधिकृत करना;
- भारत में या भारत से बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभूतियों को जारी करना;
- धन उधार लेना;
- कंपनी की निधियों को निवेश करना;
- ऋण मंजूर करना या गारंटी देना या ऋणों के संबंध में प्रतिभूति उपलब्ध कराना;
- वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट को अनुमोदित करना;
- कंपनी के कारोबार में विविधता लाना;
- समामेलन, विलयन या पुनर्निर्माण को अनुमोदित करना;
- किसी कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रण अर्जित करना या पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना;
- मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) को नियुक्त करना या हटाना;
- मुख्य प्रबंधन कार्मिक से एक स्तर नीचे के अधिकारियों की नियुक्ति(यों) या निष्कासन(नों) को नोट करना;
- आंतरिक लेखापरीक्षकों और सचिवीय लेखापरीक्षक को नियुक्त करना;
- निदेशकों के हित और शेयरधारिता के प्रकटन को नोट करना;
- कंपनी द्वारा धारित निवेशों (व्यापार निवेशों के अलावा) का क्रय-विक्रय जिसमें निवेशक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत या उससे अधिक और निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं;
- तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों या वित्तीय परिणामों, जैसा भी मामला हो, को अनुमोदित करना;
- गैर-अनुपालन के मामलों में सुधार करने के लिए बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के साथ बैंक पर लागू सभी कानूनों से संबंधित और बैंक द्वारा तैयार अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा करना;
- निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और सूचीबद्ध संस्था के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार करना;
- सूचीबद्ध संस्था के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना, कार्यान्वयन करना और निगरानी सुनिश्चित करना;
- स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना;

- कॉरपोरेट रणनीति, कार्रवाई की प्रमुख योजनाओं, जोखिम नीति, वार्षिक बजट और कारोबार योजना की समीक्षा और मार्गदर्शन, कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों की स्थापना, कार्यान्वयन और कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन की निगरानी, और प्रमुख पूंजी व्यय, अधिग्रहण और विनिवेशों का निरीक्षण करना;
- सूचीबद्ध संस्था के अभिशासन वाले कार्यों की प्रभावशीलता की निगरानी और उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का चयन, मुआवज़ा, निगरानी, और जब आवश्यक हो, उनका प्रतिस्थापन और उत्तराधिकार योजना का निरीक्षण करना;
- सूचीबद्ध संस्था और उसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों के साथ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को सुमेलित करना और निदेशक मंडल के पारिश्रमिक तय करना;
- निदेशक मंडल में विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और लिंग की विविधता के साथ निदेशक मंडल के लिए पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना;
- कॉरपोरेट आस्तियों के दुरुपयोग और संबंधित पक्ष लेनदेनों के गलत उपयोग के साथ प्रबंधन, निदेशक मंडल के सदस्यों और शेयरधारकों के हितों के संभावित टकरावों की निगरानी और प्रबंध करना;
- सूचीबद्ध संस्था के लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षा की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और नियंत्रण की उचित प्रणाली, मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन, वित्तीय और परिचालनगत नियंत्रण प्रणाली लागू करना तथा कानून और प्रासंगिक मानदंडों के अनुपालन की व्यवस्था करना;
- प्रकटन और संचार प्रक्रिया की देखरेख;
- निदेशक मंडल के मूल्यांकन संरचना की निगरानी और समीक्षा;
- बैंक को रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना तथा सूचीबद्ध संस्था और शेयरधारकों के लिए जवाबदेह होना;
- कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य निर्धारित करना जिसके अनुसार समूह के सभी कार्यपालकों को आचरण करना होगा;
- पूर्ण जानकारी के आधार पर, सद्भावना में, समुचित सावधानी और देखभाल के साथ बैंक और इसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना;
- निदेशक मंडल के सदस्यों को अद्यतित जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना;
- सभी शेयरधारकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना;
- उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना और शेयरधारकों के हितों का ध्यान रखना;
- कॉरपोरेट मामलों के बारे में वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय का निष्पादन करना;
- जहां हितों के टकराव की संभावना हो, वहाँ निदेशक मंडल को कार्य करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त गैर-कार्यकारी सदस्यों को नामित करने पर विचार करना;
- यह सुनिश्चित करना कि सकारात्मक सोच को उचित रूप से प्रोत्साहित करते समय इसके अति-आशावादी परिणाम न हों जिसके कारण या तो महत्वपूर्ण जोखिम का पता नहीं लगाया जा सके या सूचीबद्ध संस्था के समक्ष अत्यधिक जोखिम उपस्थित हो जाए;
- रणनीति, रणनीतिक पहल (जैसे कि अधिग्रहण), जोखिम क्षमता, एक्सपोज़र और सूचीबद्ध संस्था के ध्यान देने योग्य मुख्य क्षेत्रों जैसी अंतर्निहित धारणाओं की चुनौती से कार्यपालक प्रबंधन की सहायता करने के लिए पीछे हटने की क्षमता. निदेशक मंडल की समितियों के अधिदेश, संरचना और कार्य प्रणाली को परिभाषित और प्रकट करना;
- निदेशक मंडल के एक सदस्य के रूप में और निदेशक मंडल की समिति के एक सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सुविधा प्रदान करना;
- विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

31 मार्च 2017 को बैंक के बोर्ड में नौ निदेशक थे जिसमें कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, श्री के.पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी.एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पंकज जैन और श्री प्रवीण गर्ग, केंद्र सरकार के नामिती, तथा स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी और सुश्री नीरू अबरोल शामिल रहे. संस्था अंतर्नियम 116(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट बोर्ड में 13 निदेशकों की अधिकतम संख्या की तुलना में 9 (नौ) निदेशकों की संख्या संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 114(ए) की अपेक्षाओं को पूरा करती है.

भारत सरकार के दिनांक 18 मार्च 2017 के पत्र के जरिए श्री महेश कुमार जैन ने दिनांक 03 अप्रैल 2017 को श्री किशोर खरात के स्थान पर आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ का पदभार ग्रहण किया. इसके अतिरिक्त बोर्ड ने दिनांक 28 अप्रैल 2017 को डॉ. आशिमा गोयल को निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया.

निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

आपके बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक का किसी अन्य निदेशक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध नहीं है.

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई अथवा दो निदेशक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा बशर्ते कि इनमें कम से कम एक निदेशक केंद्र सरकार का नामिती निदेशक होगा.

बोर्ड की बैठकों की बारंबारता

बोर्ड की बैठक आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और बोर्ड की दो बोर्ड बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना होगा.

आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान बोर्ड की कुल तेरह बैठकें 29 अप्रैल 2016, 20 मई 2016, 29 जून 2016, 29 जुलाई 2016, 11 अगस्त 2016, 29 सितंबर 2016, 25 अक्तूबर 2016, 30 नवंबर 2016, 30 दिसंबर 2016, 7 फरवरी 2017, 21 फरवरी 2017, 07 मार्च 2017 और 21 मार्च 2017 को संपन्न हुईं. इनमें से 29 जुलाई 2016, 25 अक्तूबर 2016, 21 फरवरी 2017, 07 मार्च 2017 को हुई चार बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गईं, जबकि अन्य सभी बैठकें मुंबई में आयोजित की गईं.

आपके बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्यौरा तालिका 1 में दिया गया है.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और वार्षिक महा सभा में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकता और समितियों में सदस्यता

निदेशक का नाम	आपके बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (संपन्न बैठकों की कुल संख्या - 13)	22 जुलाई 2016 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में एसीबी/ एसआरसी सदस्यता/ (अध्यक्षता)
1	2	3	4	5
पूर्णकालिक निदेशक				
श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ (डीआईएन-07266945)	12(13)	उपस्थित	0(0)	0(0)
श्री के.पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 02611496) [15.09.16 से]	8(8)	लागू नहीं	2(2)	2(0)
श्री जी.एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 01432796) [15.09.16 से]	8(8)	लागू नहीं	3(3)	1(0)
श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 00015732) [31.07.2016 तक]	4(4)	उपस्थित	3(3)	2(0)
गैर-कार्यपालक निदेशक				
श्री पंकज जैन (डीआईएन - 00675922) [02.05.16 से]	12(12)	उपस्थित नहीं	6(5)	1(0)
श्री प्रवीण गर्ग (डीआईएन - 00208604) [07.02.17 से]	1(3)	लागू नहीं	2(2)	0
श्री अशोक पाल सिंह (डीआईएन - 07562972) [29.06.16 से 29.12.16 तक]	4(6)	उपस्थित	0	0
सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव (डीआईएन - 06478173) [01.05.16 तक]	1(1)	लागू नहीं	2(2)	2(0)

निदेशक का नाम	आपके बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (संपन्न बैठकों की कुल संख्या - 13)	22 जुलाई 2016 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में एसीबी/ एसआरसी सदस्यता/ (अध्यक्षता)
1	2	3	4	5
स्वतंत्र निदेशक				
श्री एस. रवि (डीआईएन - 00009790)	13(13)	उपस्थित	10(7)	10(5)
श्री निनाद कर्पे (डीआईएन - 00030971)	12(13)	उपस्थित	6(3)	3(1)
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन - 00603925)	11(13)	उपस्थित नहीं	1(1)	1(0)
श्री पंकज वत्स (डीआईएन - 06712380) [14.12.16 तक]	8(8)	उपस्थित	0	0
सुश्री नीरू अबरोल (डीआईएन - 01279485) [29.07.16 से]	8(9)	लागू नहीं	6(6)	6(3)

टिप्पणी: कॉलम 4 में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकता और कॉलम 5 में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समितियों की अध्यक्षता की संख्या दर्शाते हैं.

अ. बोर्ड की समितियां

बोर्ड की कुल पंद्रह समितियां हैं, यथा:

- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
- कार्यपालक समिति
- हितधारक संबंध समिति
- धोखाधड़ी निगरानी समिति
- जोखिम प्रबंध समिति
- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- स्वतंत्र निदेशक समिति
- असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति

1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2017 को बोर्ड की लेखा परीक्षासमिति (एसीबी) में छः सदस्य थे. श्री एस. रवि, सनदी लेखाकार और स्वतंत्र निदेशक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे तथा श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक श्री निनाद कर्पे, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी और सुश्री नीरू अबरोल, स्वतंत्र निदेशक इसके अन्य सदस्य थे. श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक और श्री प्रवीण गर्ग, सरकारी नामिती निदेशक एसीबी में स्थाई विशेष आमंत्रिती थे. एसीबी की भूमिका और उसके अधिकार कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों और एलओडीआर करार की अनुसूची II के भाग सी के साथ पठित विनियम 18 के अनुसार है. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित संदर्भ की मदें निम्नानुसार हैं:

- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना;
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;
- वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना;
- संबद्ध पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन अथवा तदनंतर कोई संशोधन;
- अंतर- कॉरपोरेट ऋणों और निवेशों की जांच करना;
- कंपनी के उपक्रमों और आस्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन तंत्रों का मूल्यांकन;
- सार्वजनिक प्रस्तावों के ज़रिये जुटायी गई निधियों के अंतिम उपयोग और संबंधित मामलों की निगरानी;

कंपनी अधिनियम 2013, एलओडीआर विनियमावली, रिजर्व बैंक और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की व्यापक भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण सहायता की समीक्षा अर्थात्
  (क) पूंजी बाज़ार;
  (ख) रियल इस्टेट;
  - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन शोधन निवारक (एएमएल) दिशा-निर्देश-
    i. कार्यान्वयन की समीक्षा;
    ii. शाखाओं में केवाईसी/ एएमएल दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की समीक्षा;
- हाउस कीपिंग की समीक्षा-विशेषकर लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों उचंत/ विविध/ देय/ प्रदत्त/ ड्राफ्ट/ मार्गस्थ निधियाँ/ समाशोधन/ सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल)/ संघटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों का संतुलन और समाधान;
- रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के संबंध में अनुपालन की समीक्षा (जब तक बैंक पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता, एसीबी को निरंतर आधार पर इसकी समीक्षा करनी चाहिए. एसीबी को रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में दर्शायी गयी कमियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए);
- लेखापरीक्षा योजना और इसकी उपलब्धियों की स्थिति की समीक्षा;
- महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों/ निम्नलिखित लेखापरीक्षाओं में पायी गयी आंतरिक नियंत्रण कमियों की उसके अनुपालन सहित समीक्षा- (i) लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) (ii) संगामी लेखापरीक्षा (iii) आंतरिक निरीक्षण (iv) सूचना प्रणाली (आईएस) डाटा सेंटर और अन्य विभागों की लेखापरीक्षा (v) ट्रेज़री और डेरिवेटिव (vi) नियंत्रण कार्यालयों/ प्रधान कार्यालयों में प्रबंधन लेखापरीक्षा (vii) सेवा शाखाओं की लेखापरीक्षा (viii) करेंसी चेस्ट (ix) विदेशी मुद्रा विनिमय में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) लेखापरीक्षा आदि;
- एसीबी/ बोर्ड/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट;
- समुद्रपारीय शाखाओं के संबंध में मेज़बान देशों में विनियामकों की विनियामकीय अपेक्षाओं पर अनुपालन रिपोर्ट;
- प्रबंधन चर्चा, समीक्षा, वित्तीय स्थिति के विश्लेषण, प्रबंधन पत्रों/ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण की कमियों के बारे में जारी पत्रों सहित तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा;
- विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा उल्लंघन संबंधी जानकारी की समीक्षा;
- उधारकर्ता कंपनियों में उनकी प्रदत्त पूंजी के 30% से अधिक की इक्विटी शेयरधारिता के संबंध में जानकारी;
- घोष समिति रिपोर्ट के कार्यान्वयन की स्थिति;
- मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर को समाप्त तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए गए सभी धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा;
- संबद्ध पक्षों के साथ लेन-देनों की समीक्षा;
- (क) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति, (ख) संगामी लेखापरीक्षा नीति और (ग) आईएस लेखापरीक्षा नीति की समीक्षा;
- बैंक के खातों में अधिक पारदर्शिता लाने और लेखांकन मानकों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक की लेखांकन नीतियों/ प्रणालियों की समीक्षा; वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन और उसके परिणाम की समीक्षा. इस आशय की पुष्टि कि लेखांकन नीतियों का अनुपालन लेखांकन मानदंडों और रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है;
- आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा;
- बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा;
- बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा;
- सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन तथा देशी और समुद्रपारीय परिचालनों दोनों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा;
- निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुति से पूर्व एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची के भाग सी के बिन्दु क (4) में दर्शाई गयी (क) से (छ) की मदों के विशेष संदर्भ में वार्षिक लेखों/ वित्तीय विवरणों और इस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा;

- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए उन्हे किए जानेवाले भुगतान का अनुमोदन करना;
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा साथ ही चिंताजनक विषयों का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श;
- विभिन्न कानूनों और संविधियों के तहत बैंक पर लगाए गए दंडों/ दंडात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए की गयी कार्रवाई;
- आंतरिक/ बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा पता लगाई गई राजस्व हानि की रिपोर्ट और इसकी वसूली की स्थिति की समीक्षा; कमतर राजस्व के कारण और राजस्व हानियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई;
- ऑफर दस्तावेजों और निधियों के सार्वजानिक निर्गम (सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित) के जरिये जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग पर रिपोर्ट और साथ ही साथ, (I) विनियमावली 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी रिपोर्ट सहित विचलन(नों) के तिमाही विवरण और (II) एलओडीआर विनियमावली के विनियम 32(7) के अनुसार ऑफर दस्तावेज़ में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिये उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण;
- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में वास्तविक चूक के कारणों की समीक्षा;
- असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए विशेष निवेशों सहित वित्तीय विवरणियों की समीक्षा;
- पहली बार हुए एनपीए की समीक्षा;
- ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के नकारे गए चेक;
- संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा;
- वार्षिक लेखापरीक्षा योजना का अनुमोदन;
- आउटसोर्स वेंडरों की लेखापरीक्षा की वार्षिक समीक्षा;
- सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली (पूर्व में विसिल ब्लोअर तंत्र) की समीक्षा;
- (i) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (ii) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक और (iii) मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन;
- कंपनी के उपक्रमों और आस्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो;
- बैंक के लेखों को प्रभावित करने वाले रिज़र्व बैंक के परिपत्र;
- अनुपालन स्थिति सहित पिछली बैठकों में एसीबी/ एसीबी अध्यक्ष द्वारा दिये गए विशेष निर्देश;
- अंगीकार करने के उद्देश्य से वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) को रिपोर्ट किए गए एनपीए/वसूली संबंधित मामले;
- विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एसीबी की बैठकों के लिए कोरम

एसीबी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो अधिक होगा, किन्तु इनमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे.

एसीबी बैठकों की बारंबारता

एसीबी की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होंगी और एसीबी की दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान एसीबी की चौदह बैठकें 29 अप्रैल 2016, 11 मई 2016, 20 मई 2016, 29 जून 2016, 11 अगस्त 2016, 29 सितम्बर 2016, 18 अक्तूबर 2016, 24 अक्तूबर 2016, 30 नवम्बर 2016, 21 दिसंबर 2016, 6 फरवरी 2017, 7 फरवरी 2017, 21 फरवरी 2017 और 7 मार्च 2017 को संपन्न हुईं.

2. कार्यपालक समिति (ईसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

ऋणों एवं अग्रिमों की मंजूरी, निबंधनों एवं शर्तों में संशोधन सहित ऋण अनुमोदन के सभी मामलों पर विचार करने के लिए कार्यपालक समिति गठित की गई है.

31 मार्च 2017 को कार्यपालक समिति (ईसी) में पाँच सदस्य थे जिसमें सर्वश्री किशोर खरात, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कार्यपालक अधिकारी, के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, एस. रवि एवं निनाद कर्पे, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

कार्यपालक समिति की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- ₹ 400 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले (समूह निवेश ₹ 800 करोड़ से अधिक) उच्च मूल्य ऋण प्रस्तावों की मंजूरी;

- कार्यपालक समिति द्वारा मंजूरी संबंधी बनाए गए निबंधनों और शर्तों में संशोधन;
- ऋण समितियों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग;
- एकबारीय निपटान हेतु प्रस्तावों की मंजूरी;
- निम्नलिखित को ₹ 25 लाख से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी:
  - (i) अन्य बैंकों के निदेशक (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सहित)
  - (ii) कोई फर्म जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों, और
  - (iii) कोई कंपनी जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों;
- निम्नलिखित को ₹ 25 लाख से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी:
  - (i) बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के कोई संबंधी;
  - (ii) अन्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के कोई संबंधी;
  - (iii) कोई फर्म जिसमें (i) और (ii) में किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों, और
  - (iv) कोई कंपनी जिसमें (i) और (ii) में किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों;
- प्रतिभूतिकरण पोर्टफोलियो की मंजूरियों की रिपोर्टिंग;
- प्रथम बार एनपीए (एफटीएनपीए) मामलों की समीक्षा और रिपोर्टिंग;
- कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित मामलों के संबंध में प्रतिभूति सृजन की स्थिति की समीक्षा और रिपोर्टिंग;
- बकायों और प्राप्य राशियों के निवेश लिखित(तों) में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव;
- प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) / अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) / अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) में बोली लगाने के लिए अनुमोदन;
- कंपनियों/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की प्रतिभूति रसीदों/उद्यम एवं निजी इक्विटी फंड/म्युचुअल फंड के नए फंड प्रस्ताव (एनएफओ) आदि के इक्विटी/अधिमान्य शेयरों/परिवर्तनीय/गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों, बांडों आदि (सममूल्य/प्रीमियम पर) में निवेश;
- विनियामकीय/सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन;

ईसी की बैठकों के लिए कोरम

ईसी की बैठकों के लिए कोरम कार्यपालक समिति की कुल संख्या का एक तिहाई या ईसी के दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

ईसी की बैठक की बारंबारता

कार्यपालक समिति की बैठक जरूरत के अनुसार और वर्ष में कम से कम चार बार होगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान कार्यपालक समिति की कुल चौबीस बैठकें 11 अप्रैल 2016, 29 अप्रैल 2016, 11 मई 2016, 27 मई 2016, 16 जून 2016, 11 जुलाई 2016, 22 जुलाई 2016, 11 अगस्त 2016, 30 अगस्त 2016, 15 सितंबर 2016, 29 सितंबर 2016, 18 अक्तूबर 2016, 11 नवंबर 2016, 30 नवंबर 2016, 13 दिसंबर 2016, 20 दिसंबर 2016, 30 दिसंबर 2016, 04 जनवरी 2017, 23 जनवरी 2017, 31 जनवरी 2017, 21 फरवरी 2017, 07 मार्च 2017, 21 मार्च 2017, और 29 मार्च 2017 को सम्पन्न हुईं.

3. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2017 को आपके बैंक की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) में चार सदस्य थे. सुश्री नीरू अबरोल, स्वतंत्र निदेशक बैठक की अध्यक्षता करती हैं तथा श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक और श्री एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक अन्य सदस्य हैं. समिति का गठन शेयरधारकों और निवेशकों के शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने आदि संबंधी शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है. यह समिति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 तथा सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 20 तथा अनुसूची II के भाग डी के अंतर्गत उपबंधित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है. एसआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :

(i) एसआरसी विशेष रूप से शेयरधारकों, बांडधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था पर ध्यान रखेगी;

(ii) एसआरसी शेयर के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने से संबन्धित शिकायतों सहित बैंक के सभी प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों पर विचार तथा उनका समाधान करेगी;

(iii) उपर्युक्त बिन्दु (i) और (ii) में दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए एसआरसी अपनी प्रत्येक बैठक में इक्विटी सर्विसिंग और बांड सर्विसिंग रिपोर्टों पर विचार तथा उनकी समीक्षा करेगी और जरूरी होने पर इस संबंध में निदेश जारी करेगी;

(iv) इक्विटी सर्विसिंग संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा;

(v) फ्लेक्सीबांडों की सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा;

(vi) शेयर पूँजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के समाधान विवरण की रिपोर्टिंग;

(vii) स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निवेशकों की शिकायतों के विवरण की रिपोर्टिंग;

(viii) विनियामकीय/सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एसआरसी बैठकों के लिए कोरम

एसआरसी की बैठकों के लिए कोरम एसआरसी के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

एसआरसी की बैठकों की बारंबारता

एसआरसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान एसआरसी की चार बैठकें 29 जून 2016, 29 सितंबर 2016, 30 दिसंबर 2016 और 07 मार्च 2017 को सम्पन्न हुईं.

4. धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

₹ 1 करोड़ तथा इससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए एक विशेष समिति के रूप में धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) का गठन किया गया है. इसका गठन धोखाधड़ियों का पता लगाने, उन पर निगरानी रखने और उनसे निपटने के लिए किया गया है.

31 मार्च 2017 को धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) में छह सदस्य थे जिसमें सर्वश्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, एस. रवि, निनाद कर्पे एवं ज्ञान प्रकाश जोशी स्वतंत्र निदेशकगण इसके सदस्य थे.

एफएमसी की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- प्रणालीगत कमी, यदि कोई है, जिससे धोखाधड़ी संभव हुई, की पहचान करना तथा उसे रोकने के लिए उपाय सुझाना;
- धोखाधड़ी, यदि कोई है, का पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान करना तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन और रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना;
- सीबीआई/पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी करना;
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही की जांच हो तथा बिना समय गँवाए तत्काल कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, पूरी हो;
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता, जैसे आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, की समीक्षा करना;
- रेड फ्लैग खातों तथा बकाया रेड फ्लैग खातों के बारे में की गई उपचारात्मक कार्रवाई/दिए गए जांच आदेश की स्थिति की समीक्षा करना;
- धोखाधड़ी के मामलों में स्टाफ जवाबदेही प्रक्रिया के पूरा होने और उस पर की गई कार्रवाई को नोट करना;
- सीबीआई/पुलिस आदि द्वारा जांच किए जा रहे मामलों से वसूली सहित धोखाधड़ी मामलों में वसूली की स्थिति;
- बैंक में सतर्कता कार्यकलापों की समीक्षा;
- विनियामकीय/सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एफएमसी की बैठकों के लिए कोरम

एफएमसी बैठकों के लिए कोरम एफएमसी के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

एफएमसी बैठकों की बारंबारता

₹ 1 करोड़ और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आने पर धोखाधड़ी निगरानी समिति की बैठक आयोजित करना अपेक्षित होता है और उसमें मामले की समीक्षा की जाती है.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान एफएमसी की छह बैठकें 11 जुलाई 2016, 15 सितंबर 2016, 11 नवंबर 2016, 30 दिसंबर 2016, 7 मार्च 2017 तथा 21 मार्च 2017 को संपन्न हुईं.

5. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करने, उनमें कमी लाने का प्रयास करने, आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने और साथ ही बैंक की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है.

बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) में छह सदस्य अर्थात् सर्वश्री एस. रवि अध्यक्ष के रूप में, के.पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, प्रवीण गर्ग, सरकारी नामिती निदेशक, निनाद कर्पे एवं ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे. आरएमसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- चलनिधि जोखिम सहित बैंक के समक्ष आने वाले सभी जोखिमों का मूल्यांकन करना;
- अन्य जोखिमों के साथ चलनिधि जोखिम के संभाव्य प्रभाव को आरएमसी द्वारा निवारण किए जा रहे जोखिमों में भी शामिल किया जाए;
- नकदी प्रवाह के अनुमानों की रिपोर्टिंग, चलनिधि जोखिम, प्रयुक्त धारणाओं का मापन;
- बोर्ड को नीतियों यथा ऋण नीति, वसूली नीति, निधि प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता नीति, परिचालनगत जोखिम तथा कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर एवं बीसीएम) नीति, डीआईएफसी शाखा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, बाजार जोखिम तथा डेरिवेटिव नीति, देशी जोखिम प्रबंधन नीति एवं देशी जोखिम सीमाएं, निवेश नीति आदि की सिफारिश करना;
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली/ एएलएम एवं जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा;
- परिचालनगत जोखिम एवं कारोबार निरंतरता प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा;
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा;
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बाजार जोखिम रिपोर्ट की समीक्षा;
- दबाव परीक्षण के परिणामों की समीक्षा;
- जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा;
- आंतरिक रेटिंग का अंतरण और चूक का विश्लेषण;
- आस्ति देयता प्रबंधन समीक्षा;
- बासेल III कार्यान्वयन तथा जोखिम प्रबंधन विभाग के अन्य कार्यकलापों की समीक्षा;
- संपार्श्विक प्रबंधन तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) तकनीक पर नीति;
- प्रणाली, उत्पाद अनुमोदन एवं समीक्षा समिति (स्पार्क) I एवं II के कार्यवृत की रिपोर्टिंग;
- बासेल I तथा III के लिए तैयारी की स्थिति की समीक्षा;
- प्रतिपक्षकार बैंक सीमाओं एवं घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिए सीमाओं के आबंटन पर नीति;
- ऋण एक्सपोजर - मानदंडों की समीक्षा तथा उनका अनुपालन;
- विनियामकीय/ सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

आरएमसी की बैठकों के लिए कोरम

आरएमसी की बैठकों के लिए कोरम, आरएमसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

आरएमसी बैठकों की बारंबारता

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान आरएमसी की कुल छह बैठकें 29 अप्रैल 2016, 11 जुलाई 2016, 15 सितंबर 2016, 29 सितंबर 2016, 30 दिसंबर 2016 तथा 21 मार्च 2017 को संपन्न हुईं.

6. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन किया गया है. 31 मार्च 2017 को समिति में सर्वश्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक; जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य थे.

सीएसआर समिति के प्राथमिक दायित्व निम्नानुसार हैं:

(i) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार कर बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिये गए अनुसार बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी गई हो;

(ii) खंड (i) में दिए गए कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;

(iii) बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर की निगरानी करना;

(iv) छमाही आधार पर कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना; और

(v) विनियामकीय/ सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम

सीएसआरसी की बैठकों के लिए कोरम, सीएसआरसी के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

सीएसआरसी बैठकों की बारंबारता

सीएसआरसी की बैठकें छमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान सीएसआरसी की कुल तीन बैठकें 29 अप्रैल 2016, 29 जून 2016 और 25 अक्तूबर 2016 को संपन्न हुईं.

7. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक संरक्षण एवं सेवा के लिए अभिशासन संरचना को मजबूत बनाने और साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियाँ बनाने और उनके आंतरिक अनुपालन का आकलन करने के लिए ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया है.

31 मार्च 2017 को ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) में छह सदस्य अर्थात् सर्वश्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक; जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक, निनाद कर्पे एवं ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

सीएससी की व्यापक भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहक की शिकायतों पर ध्यान देना तथा ग्राहकों को प्रभावी ढ़ंग से सेवा प्रदान करना;
- व्यापक जमा नीति तैयार करना;
- जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उसके खाते के परिचालन जैसे मुद्दों का समाधान;
- उपयुक्तता तथा सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया;
- जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण;
- ऐसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा;
- विभिन्न राज्यों के बैंकिंग लोकपाल द्वारा समाधान प्रस्तुत शिकायतों के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाना;
- बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को नोट करना;
- तीन माह से अधिक समय तक कार्यान्वित नहीं किए गए सभी निर्णयों की उनके कारणों सहित समीक्षा करना;
- आईडीबीआई बैंक में ग्राहक सुरक्षा एवं सेवा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;
- भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) संहिता अनुपालन रेटिंग;
- शिकायत निवारण नीति का संशोधन;
- विनियामक/सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ग्राहक सेवा समिति की बैठकों के लिए कोरम

सीएससी बैठकों के लिए कोरम सीएससी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

सीएससी बैठकों की बारंबारता

सीएससी बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान ग्राहक सेवा समिति की चार बैठकें 29 जून 2016, 11 अगस्त 2016, 30 नवंबर 2016 तथा 07 मार्च 2017 को संपन्न हुईं.

8. सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंक में प्रभावी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न आईटी समर्थकारी सेवाएँ प्रदान करना, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना और नए आईटी उत्पाद लांच करने में सहायता देना और तत्संबंधी सेवाएँ प्रदान करना है.

31 मार्च 2017 को सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसी) में चार सदस्य थे जिसमें श्री निनाद कर्पे, स्वतंत्र निदेशक, विशेषज्ञ आईटी व्यावसायिक, अध्यक्ष के रूप में तथा अन्य सदस्यों के रूप में सर्वश्री के.पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक और ज्ञान प्रकाश जोशी शामिल थे.

आईटीसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- बोर्ड को प्रस्तावित आईटी बजट की संस्तुति;
- आईटी बजट के उपयोग की समीक्षा;
- बैंक के ग्राहकों के लिए विभिन्न उत्पादों तथा आईटी आधारित सेवाओं के प्रारंभ की समीक्षा;
- प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के निष्पादन, कार्यान्वयन और परिचालन का निरीक्षण करना;
- आंतरिक अथवा बाहर से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के विकास, अधिप्राप्ति और परिचालनों की समीक्षा करना और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने अथवा अन्य प्रक्रिया के लिए प्रक्रियाएँ तैयार करना;
- प्रौद्योगिकी के जरिए शाखाओं के एकीकरण और बैंक के लिए एमआईएस के विकास का निरीक्षण करना;
- प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर की अद्यतन स्थिति और की गईं प्रमुख आईटी पहलों की समीक्षा करना;
- सूचना सुरक्षा संबंधी घटनाओं की समीक्षा;
- डिजिटल बैंकिंग अभिनव भुगतान प्रणालियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा;
- सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा;
- आईटी नीति की समीक्षा;
- साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारी का मूल्यांकन;
- विनियामक / सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य कोई भूमिका का निर्वहन.

आईटीसी की बैठकों के लिए कोरम

आईटीसी बैठकों के लिए कोरम आईटीसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

आईटीसी बैठकों की बारंबारता

आईटीसी बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी समिति की नौ बैठकें 11 अप्रैल 2016, 30 अप्रैल 2016, 16 जून 2016, 11 जुलाई 2016, 22 जुलाई 2016, 30 अगस्त 2016, 11 नवंबर 2016, 30 दिसंबर 2016 तथा 21 मार्च 2017 को संपन्न हुईं.

9. पारिश्रमिक समिति (आरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को वार्षिक कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि पर विचार करने और उसके भुगतान का अनुमोदन करने के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है. पारिश्रमिक समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियमावली के विनियम 19 और अनुसूची II के भाग डी के अंतर्गत दिए गए अधिदेश/ विचारार्थ विषयों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करती है.

31 मार्च 2017 को इस समिति में पांच सदस्य थे जिसमें श्री पंकज जैन, सरकारी निदेशक अध्यक्ष के रूप में और श्री प्रवीण गर्ग, सरकारी नामिती निदेशक, श्री निनाद कर्पे, सुश्री नीरू अबरोल तथा श्री ज्ञान प्रकाश जोशी सदस्य के रूप में शामिल थे.

पारिश्रमिक समिति की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- इस विषय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को वार्षिक कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का मूल्यांकन;
- उपर्युक्त मूल्यांकन रिपोर्ट को बोर्ड को प्रस्तुत करना;
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति बनाना;
- विनियामक / सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

आरसी समिति की बैठकों के लिए कोरम

आरसी बैठकों के लिए कोरम आरसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

आरसी बैठकों की बारंबारता

पारिश्रमिक समिति की बैठकें किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए कार्य-निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन का अनुमोदन करने सहित आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएंगी. सेबी (एलओडीआर) विनियमावली और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए कोई अनिवार्य आवधिकता निर्धारित नहीं की गई है.

10. नामांकन समिति (एनसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के बैंकों व संस्थाओं से भिन्न शेयरधारकों द्वारा चुने गए निदेशकों के 'उपयुक्त व उचित'

हैसियत का निर्धारण करने के लिए समुचित सावधानी वाली प्रक्रिया को संचालित करने हेतु नामांकन समिति का गठन किया गया है. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सभी शेयरधारकों द्वारा चुन कर किए जाने को देखते हुए उपर्युक्त कार्रवाई अब लागू नहीं है तथा इसकी अब आवश्यकता नहीं रह गई है. तथापि, नामांकन समिति अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और एलओडीआर विनियमावली की सूची II के भाग डी के साथ पठित विनियम 19 के अंतर्गत उपबंधित अधिदेश/ विचारार्थ विषयों को पूरा करती है. 31 मार्च 2017 को नामांकन समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री निनाद कर्पे तथा अन्य सदस्यों में श्री एस. रवि और सुश्री नीरू अबरोल शामिल थीं.

नामांकन समिति की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- निदेशक के लिए अर्हताओं, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों की नियुक्ति तथा मूल्यांकन से संबन्धित नीति निदेशक मंडल को संस्तुत करना;
- स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक नियुक्ति एवं मूल्यांकन नीति के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अर्ह हैं;
- निदेशकों की नियुक्ति एवं मूल्यांकन नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति और पृथक्करण की संस्तुति करना;
- विनियामक / सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य कोई भूमिका का निर्वहन करना.

एनसी की बैठकों के लिए कोरम

एनसी बैठकों के लिए कोरम एनसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

एनसी बैठकों की बारंबारता

नामांकन समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएंगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान नामांकन समिति की एक बैठक 29 जुलाई 2016 को सम्पन्न हुई.

11. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मानव संसाधन संबधी मामलों को देखने के लिए और मानव संसाधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी) का गठन किया गया है: 31 मार्च 2017 को एचआरएससी में छह सदस्य अर्थात् सर्वश्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, के.पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, जी.एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक, प्रवीण गर्ग, सरकारी नामिती निदेशक और एस रवि, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

एचआरएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- भर्ती, प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां बनाना;
- कार्य-निष्पादन प्रबंधन, प्रतिकर और कैरियर विकास पहलों की समीक्षा;
- प्रबंधन विकास और उत्तराधिकार नियोजन पर विचार करना;
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना; और
- विनियामक / सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य कोई भूमिका का निर्वहन करना.

एचआरएससी समिति की बैठकों के लिए कोरम

एचआरएससी बैठकों के लिए कोरम एचआरएससी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

एचआरएससी बैठकों की बारंबारता

एचआरएससी बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान मानव संसाधन संचालन समिति की पाँच बैठकें 11 मई 2016, 14 जून 2016, 29 सितंबर 2016, 25 अक्तूबर 2016 और 6 फरवरी 2017 को संपन्न हुईं.

12. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

एनपीए, दबावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, सरकारी परिसमापक मामलों, ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) मामलों

आदि से वसूली की समीक्षा करने के लिए और वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने तथा अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया गया है.

31 मार्च 2017 को आरआरसी में छह सदस्य अर्थात् सर्वश्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक; जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक; पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक, प्रवीण गर्ग, सरकारी नामिती निदेशक तथा एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

आरआरसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- अनर्जक आस्तियों (एनपीए)/ बट्टे खाते डाले गए खातों (डबल्यूओए) के वसूली कार्यनिष्पादन की समीक्षा;
- दबावग्रस्त संरचित रिटेल आस्तियों और शीघ्र अनर्जक होने वाली आस्तियों वाले मामलों की समीक्षा;
- बैंक के शीर्ष 100 एनपीए मामलों की समीक्षा;
- कॉर्पोरेट वर्टिकलों के दबावग्रस्त खातों की समीक्षा;
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के संबंध में स्थिति रिपोर्ट;
- विशेष उल्लेखवाले खातों (एसएमए)-2 की समीक्षा;
- वाद दायर किए गए मामलों की समीक्षा;
- प्रथम बारीय एनपीए (एफटीएनपीए)/ इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा;
- एनपीए की तिमाही समीक्षा;
- विनियामक / सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

आरआरसी समिति की बैठकों के लिए कोरम

आरआरसी बैठकों के लिए कोरम आरआरसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

आरसीसी बैठकों की बारंबारता

आरआरसी बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान वसूली समीक्षा समिति की चार बैठकें 20 मई 2016, 29 सितंबर 2016, 30 दिसंबर 2016 और 7 मार्च 2017 को संपन्न हुईं.

13. स्वतंत्र निदेशकों की समिति (आईडीसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV तथा एलओडीआर विनियमावली के विनियम 25 के निबंधनों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की समिति गठित की गई है. 31 मार्च 2017 को स्वतंत्र निदेशकों की समिति में चार सदस्य अर्थात् श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी और सुश्री नीरू अबरोल, स्वतंत्र निदेशक शामिल थीं.

आईडीसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- गैर-स्वतंत्र निदेशकों की और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड के कर्तव्यों के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक है;
- विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निदेशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

आईडीसी बैठकों के लिए कोरम

आईडीसी बैठकों के लिए कोरम आईडीसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशक आईडीसी की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करें.

बैठकों की बारंबारता

आईडीसी बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होंगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की समिति की एक बैठक 21 फरवरी 2017 को संपन्न हुई.

14. असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी) का गठन किया गया जिसमें एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे. 31 मार्च 2017 को इस समिति में सदस्य के रूप में श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, श्री निनाद कर्पे और सुश्री नीरू अबरोल, स्वतंत्र निदेशक शामिल थीं.

इस समिति की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- ऋणकर्ता को असहयोगी के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित आंतरिक असहयोगी ऋणकर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना.

- एनसीबीआरसी को विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं या भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निदेशों के जरिए इसे सौंपी गई किसी अन्य प्रकार की भूमिका का निर्वहन करना.

एनसीबीआरसी बैठकों के लिए कोरम

एनसीबीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगी.

बैठकों की बारंबारता

बैंक की आंतरिक असहयोगी उधसारकरता समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को 'असहयोगी उधारकर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो एनबीआरसी की बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होगा.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति की 1 (एक) बैठक 21 मार्च 2017 को संपन्न हुई.

15. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

6 फरवरी 2015 को इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी) का गठन किया गया जिसमें एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे. 31 मार्च 2017 को इस समिति में सर्वश्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, एस. रवि तथा ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे.

डब्ल्यूडीआरसी समिति की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- ऋणकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी आंतरिक इरादतन चूककर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना.
- डब्ल्यूडीआरसी को विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं या भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निदेशों के जरिए इसे सौंपी गई किसी अन्य प्रकार की भूमिका का निर्वहन करना.

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों के लिए कोरम

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगी.

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों की बारंबारता

बैंक की डब्ल्यूडीआरसी समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो डब्ल्यूडीआरसी की बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होगा.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017) के दौरान इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति की 1 (एक) बैठक 21 मार्च 2017 को संपन्न हुई.

समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति तालिका 2 में दर्शाई गई है.

तालिका 2 : समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति (1 अप्रैल 2016 से 31मार्च 2017 तक)

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	एसीबी		बीआरसी		ईसी		एसआरसी		एफएमसी		आरएमसी		सीएसआरसी		सीएससी		आईटीसी		आरसी		एनसी		एचआरएससी		आरआरसी		आईडीसी		एनसीबीआरसी		डब्ल्यूडीआरसी	
		एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए
1.	श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ (डीआईएन - 07266945)	-	-	3	2	24	22	-	-	6	6	-	-	3	3	4	4	-	-	-	-	-	-	5	5	4	4	-	-	1	1	1	1
2.	श्री के पी नायर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 02611496) [15.09.16 से]	9	9	-	-	14	14	3	3	4	4	3	3	1	1	2	2	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
3.	श्री जी एम यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 01432796) [15.09.16 से]	-	-	-	-	14	14	3	3	4	4	3	3	1	1	2	2	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
4.	श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन- 00015732) [31.07.2016 तक]	4	4	3	3	7	7	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	5	4	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
5.	श्री पंकज जैन (डीआईएन - 00675922) [02.05.16 से]	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	0	0	-	-	5	5	4	3	-	-	-	-	-	-
6.	श्री प्रवीण गर्ग (डीआईएन - 00208604) [07.02.17 से]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
7.	श्री अशोक पाल सिंह (डीआईएन - 07562972) [29.06.16] से [29.12.16 तक]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	एसीबी		बीआरसी		ईसी		एसआरसी		एफएमसी		आरएमसी		सीएसआरसी		सीएमसी		आईटीसी		आरसी		एनसी		एचआरएससी		आरआरसी		आईडीसी		एनसीबीआरसी		डब्ल्यूडीआरसी	
		एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए
8.	सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, (डीआईएन - 06478173) [01.05.16 तक]	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
9.	श्री एस. रवि (डीआईएन- 00009790)	14	14	3	3	24	24	3	3	6	6	6	5	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	5	5	4	4	1	1	0	0	1	1
10.	श्री निनाद कर्पे (डीआईएन - 00030971)	14	12	-	-	24	20	-	-	6	6	6	6	3	3	4	3	9	9	0	0	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	0	0
11.	श्री पंकज वत्स (डीआईएन - 06712380) [14.12.16 तक]	9	8	3	3	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	-	-	7	7	0	0	1	1	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0
12.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन - 00603925)	14	13	3	1	-	-	-	-	6	5	6	5	0	0	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	1	1
13.	सुश्री नीरू अबरोल (डीआईएन - 01279485) [29.07.16 से]	5	5	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-

एच - निदेशक के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें.
ए - निदेशक ने बैठकों में भाग लिया.

वार्षिक विवरणी का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का उद्धरण नीचे दिया गया है :

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे

i.	सीआईएन	L65190MH2004GOI148838
ii.	पंजीकरण की तारीख	27 सितंबर 2004
iii.	कंपनी का नाम	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/ उपश्रेणी	सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी /शेयरों द्वारा लिमिटेड
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 संपर्क विवरण : फोन नं. : 022-66553355, 22189111, फैक्स: (022) 22180411 वेबसाइट: www.idbi.com
vi.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हाँ
vii.	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण.	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सिलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद- 500032 टेली नं. (040) 67162222 टोल फ्री नं. : 1-800-3454001 फैक्स नं. : (040) 23420814 ईमेल : einward.ris@karvy.com

II. कंपनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियां

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं के नाम एवं विवरण	उत्पाद/ सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	वाणिज्यिक बैंकों, बचत बैंकों, डाक बचत बैंक और डिस्काउंट हाउसों की मौद्रिक मध्यस्थता	64191	100%

III. धारिता, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों के ब्यौरे

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारिता / सहायक / सहयोगी	शेयरों का %	लागू धारा
1	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, मफतलाल सेंटर, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021.	U65990MH1993GOI075578	सहायक	100%	2(87)
2	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड, आईडीबीआई बिल्डिंग, पहली मंज़िल, प्लॉट नं. 39-41, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.	U72200MH2000GOI124665	सहायक	100%	2(87)
3	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005.	U65991MH2010PLC199326	सहायक	100%	2(87)
4	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. पांचवीं मंज़िल, मफतलाल सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.	U65100MH2010PLC199319	सहायक	66.67%	2(87)
5	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, तल मंज़िल, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001.	U65991MH2001GOI131154	सहायक	54.70%	2(87)
6	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंज़िल, ट्रेड व्यू, ओएसिस कॉम्प्लेक्स, कमला सिटी, पी.बी. मार्ग, लोअर परेल (प), मुंबई - 400 013.	U66010MH2007PLC167164	संयुक्त उद्यम	48%	2(6)
7	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड 'ए' विंग, चौथी मंज़िल, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.	U74120MH2012PLC230380	सहयोगी	30%	2(6)
8	एनएसडीएल ई गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टाइम्स टॉवर, पहली मंज़िल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.	U72900MH1995PLC095642	सहयोगी	30%	2(6)
9	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड, पाँचवीं मंज़िल, अणुव्रत भवन, 210 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110 002.	U73100DL1990PLC041486	सहयोगी	27.93%	2(6)
10	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेडफी हाउस, दिसपुर, गुवाहाटी - 781 006.	U65923AS1995GOI004529	सहयोगी	25%	2(6)
11	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि., 60,रोमेन रोलैंड स्ट्रीट, पुडुचेरी - 605 001.	U65923PY1974SGC000121	सहयोगी	21.14%	2(6)

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (इक्विटी शेयर पूंजी - कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में अलग-अलग विवरण)

i) श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ.	**प्रवर्तक**									
	(1) भारतीय									
	क) व्यक्ति/ हिन्दू अविभक्त परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ख) केंद्र सरकार	1523113202	0	1523113202	73.98	1523113202	0	1523113202	73.98	0
	ग) राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	घ) कॉरपोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ङ) वित्तीय संस्थाएं/ बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	
	च) अन्य कोई (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	उप-योग (अ) (1)	**1523113202**	**0**	**1523113202**	**73.98**	**1523113202**	**0**	**1523113202**	**73.98**	**0**
	(2) विदेशी									
	क) एनआरआई - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ख) अन्य - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ग) कॉरपोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	
	घ) बैंक/ एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ङ) अन्य कोई (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	उप-योग (अ) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (अ) = (अ)(1)+(अ)(2)	1523113202	0	1523113202	73.98	1523113202	0	1523113202	73.98	0
आ.	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
	1. संस्थाएं									
	क) म्यूचुअल फंड	189079	100	189189	0.01	1915111	100	1915211	0.09	-0.08
	ख) बैंक/ एफआई	18144974	7786	18152760	0.88	14983097	7786	14990883	0.73	0.15
	ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	
	घ) राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ङ) जोखिम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	
	च) बीमा कंपनियां	152765927	158761801	311527728	15.13	300248544	0	300248544	14.57	0.56
	छ) एफआईआई	53325920	2020	53327940	2.59	52096672	2020	52098692	2.53	0.06
	ज) विदेशी जोखिम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	
	झ) अन्य कोई (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	राज्य वित्त निगम	0	35680	35680	0	0	35680	35680	0	0
	एनबीएफसी	18482	0	18482	0	23963	0	23963	0	0
	उप-योग (आ)(1)	224425900	15877107	383197607	18.61	369243424	9906	36925330	17.94	0.68
	2. गैर-संस्थाएं									
	क) कॉरपोरेट निकाय									
	i) भारतीय	17421626	300919	17722545	0.86	26352353	300919	26653272	1.29	-0.43
	ii) विदेशी									
	ख) व्यक्ति									
	(i) ₹ 1 लाख तक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	89837993	14452244	104290237	5.07	89509965	14004994	103514959	5.04	0.03
	(ii) ₹ 1 लाख से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	22703883	109480	22813363	1.11	26987814	109480	27097294	1.32	-0.21
	(ग) अन्य कोई (निर्दिष्ट करें)									
	समाशोधन सदस्य	2014563	0	2014563	0.10	3437735	0	3437735	0.17	-0.07
	अनिवासी भारतीय	3626556	1656833	5283389	0.26	3660518	1630633	5291151	0.26	0.00
	सोसायटियां	0	28960	28960	0	0	28960	28960	0	0
	न्यास	260253	36800	297053	0.01	328735	36800	365535	0.02	-0.00
	उप-योग (आ)(2)	135864874	16585236	152450110	7.41	150277120	16111786	166388906	8.08	-0.68
	कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (आ)= (आ)(1)+(आ)(2)	360309256	175392623	535701879	26.02	519544507	16157372	535701879	26.02	-
इ.	**जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर**	1883422458	175392623	2058815081	100	2042657709	16157372	2058815081	100	
	कुल योग (अ+आ+इ)	1883422458	175392623	2058815081	100	2042657709	16157372	2058815081	100	

ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
1.	भारत सरकार	1523113202	73.98%	0	1523113202	73.98%	0	0

iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1.	**भारत सरकार**	**शेयरों की सं.**	**बैंक के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की सं.**	**बैंक के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के आरंभ में	1523113202	73.98%	1523113202	73.98%
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	1523113202	73.98%
	वर्ष के अंत में			1523113202	73.98%

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशकों, प्रवर्तकों और वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) एवं अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) के धारकों को छोड़कर):

क्र. सं.		प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	वर्ष के आरंभ में	253493167	12.31		
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी				
		बिक्री - 17.03.17	-2500000	-0.12	250993167	12.19
		बिक्री - 24.03.17	-4128460	-0.20	246864707	11.99
		बिक्री - 31.03.17	-6400052	-0.31	240464655	11.68
		वर्ष के अंत में			240464655	11.68
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	वर्ष के आरंभ में	17555855	0.85	17555855	0.85
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में			17555855	0.85

क्र. सं.		प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
3.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	वर्ष के आरंभ में	10500000	0.51	10500000	0.51
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में			10500000	0.51
4.	यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लि.	वर्ष के आरंभ में	8057143	0.39	8057143	0.39
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में			8057143	0.39
5.	भारतीय जीवन बीमा निगम मार्केट प्लस 1 ग्रोथ फंड	वर्ष के आरंभ में	7902237	0.38	7902237	0.38
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में			7902237	0.38
6.	भारतीय जीवन बीमा निगम मनी प्लस ग्रोथ फंड	वर्ष के आरंभ में	6869656	0.33	6869656	0.33
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में			6869656	0.33
7.	डीएफए इन्वेस्टमेंट डाइमेन्शन्स ग्रुप आईएनसी का एमर्जिंग मार्केट्स कोर इक्विटी पोर्टफोलियो (पोर्टफोलियो)	वर्ष के आरंभ में				
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	6460834	0.31	6460834	0.31
		बिक्री - 16.09.16	-59604	0	6401230	0.31
		बिक्री - 04.11.16	-89844	0	6311386	0.31
		बिक्री - 25.11.16	-17923	0	6293463	0.31
		बिक्री - 24.03.17	-177892	0	6115571	0.30
		बिक्री - 31.03.17	-86762	0	6028809	0.29
		वर्ष के अंत में			6028809	0.29
8	आशीष रमेशकुमार गोयनका	वर्ष के आरंभ में	5218753	0.25	5218753	0.25
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी				
		खरीद - 06.05.16	310000	0.02	5528753	0.27
		खरीद - 03.06.16	65000	0	5593753	0.27
		बिक्री - 29.07.16	-375000	-0.02	5218753	0.25
		बिक्री - 12.08.16	-1504000	-0.07	3714753	0.18
		खरीद - 09.09.16	696000	0.03	4410753	0.21
		खरीद - 16.09.16	2000000	0.10	6410753	0.31
		खरीद - 04.11.16	375000	0.02	678753	0.33
		बिक्री - 11.11.16	-376000	-0.02	6409753	0.31
		खरीद - 06.01.17	52682	0	6462435	0.31
		खरीद - 03.02.17	323318	0.02	678753	0.33
		वर्ष के अंत में			678753	0.33

क्र. सं.		प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
9	वैनगार्ड एमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की एएसडीआर आईईएस	वर्ष के आरंभ में	5117645	0.25	5117645	0.25
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी				
		खरीद - 08.04.16	26712	0	5144357	0.25
		खरीद - 22.04.16	19680	0	5164037	0.25
		खरीद - 10.06.16	23092	0	5187129	0.25
		खरीद - 24.06.16	83336	0.01	5270465	0.26
		खरीद - 22.07.16	17046	0	5287511	0.26
		खरीद - 29.07.16	53838	0	5341349	0.26
		खरीद - 05.08.16	44591	0	5385940	0.26
		खरीद - 12.08.16	48375	0	5434315	0.26
		खरीद - 19.08.16	68800	0.01	5503115	0.27
		खरीद - 09.09.16	28110	0	5531225	0.27
		खरीद - 07.10.16	29984	0	5561209	0.27
		खरीद - 14.10.16	20614	0	5581823	0.27
		खरीद - 21.10.16	70275	0	5652098	0.27
		खरीद - 28.10.16	28110	0.01	5680208	0.28
		खरीद - 11.11.16	60905	0	5741113	0.28
		खरीद - 25.11.16	74023	0	5815136	0.28
		खरीद - 02.12.16	42165	0	5857301	0.28
		खरीद - 06.01.17	25008	0.01	5882309	0.29
		खरीद - 13.01.17	53142	0	5935451	0.29
		खरीद - 20.01.17	25008	0	5960459	0.29
		खरीद - 03.02.17	75024	0	6035483	0.29
		खरीद - 17.02.17	20840	0	6056323	0.29
		खरीद - 24.03.17	45450	0.01	6101773	0.30
		खरीद - 31.03.17	44440	0	6146213	0.30
		वर्ष के अंत में			6146213	0.30
10	डीएफए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी की एमर्जिंग मार्केट्स सीरीज	वर्ष के आरंभ में	3911420	0.19	3911420	0.19
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी				
		खरीद - 29.07.16	72201	0	3983621	0.19
		खरीद - 05.08.16	392832	0.02	4376453	0.21
		खरीद - 12.08.16	30353	0	4406806	0.21
		बिक्री - 16.12.16	-96018	0	4310788	0.21
		वर्ष के आरंभ में			4310788	0.21

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
निदेशक						
1.	श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ (डीआईएन - 07266945)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
2.	श्री के पी नायर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 02611496) [15.09.16 से]	वर्ष के आरंभ में	320	नगण्य	320	नगण्य
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	320	नगण्य
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	320	नगण्य	320	नगण्य
3.	श्री जी एम यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 01432796) [15.09.16 से]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
4.	श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 00015732) [31.07.2016 तक]	वर्ष के आरंभ में	1,001	नगण्य	1,001	नगण्य
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	1,001	नगण्य
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	1,001	नगण्य	1,001	नगण्य
5.	श्री पंकज जैन (डीआईएन - 00675922) [02.05.16 से]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
6.	श्री प्रवीण गर्ग (डीआईएन - 00208604) [07.02.17 से]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
7.	श्री अशोक पाल सिंह (डीआईएन-07562972) [29.06.16 से 29.12.16 तक]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0

क्र. सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
8.	सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव (डीआईएन - 06478173) [01.05.16 तक]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
9.	श्री एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 00009790)	वर्ष के आरंभ में	200	नगण्य	200	नगण्य
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	200	नगण्य
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	200	नगण्य	200	नगण्य
10.	श्री निनाद कर्पे, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 00030971)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
11.	श्री पंकज वत्स, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 06712380) [14.12.16 तक]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
12.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 00603925)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
13.	सुश्री नीरू अबरोल अतिरिक्त निदेशक (डीआईएन- 01279485) [29.07.16 से]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0

क्र. सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक						
1.	श्री एन.एस. वेंकटेश, सीएफओ [30.06.16 तक]	वर्ष के आरंभ में	160	नगण्य	160	नगण्य
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	160	नगण्य
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	160	नगण्य	160	नगण्य
2.	श्री आर. के. बंसल, सीएफओ [01.07.16 से] [15.08.16 तक]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
3.	श्रीमती पद्मा बेताई, सीएफओ [16.08.16 से]	वर्ष के आरंभ में	270	नगण्य	270	नगण्य
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	270	नगण्य
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	270	नगण्य	270	नगण्य
4.	श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/ उपचित किंतु भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित बैंक की ऋणग्रस्तता

(₹ '000 में)

	जमाराशियों को छोड़कर जमानती ऋण	गैर-जमानती ऋण	जमाराशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन राशि	175274646	530641780	2657198313	3363114739
ii. देय किंतु अप्रदत्त ब्याज	0	0	0	0
iii. उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	1282918	9868039	5312540	16463497
कुल (i+ii+iii)	**176557564**	**540509819**	**2662510853**	**3379578236**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• वृद्धि		22756210	27144362	
• कमी	(165980931)			(116080358)
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन राशि	10526009	553113764	2685380958	3249020731
ii. देय किंतु अप्रदत्त ब्याज	0	0	0	0
iii. उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	50624	10152265	4274258	14477147
कुल (i+ii+iii)	**10576633**	**563266029**	**2689655216**	**3263497878**

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

अ) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक का नाम				कुल राशि (₹)
		श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ	श्री के पी नायर, डीएमडी	श्री जी एम यादवाडकर, डीएमडी	श्री बी.के. बत्रा, डीएमडी [31.07.16 तक]	
1.	**सकल वेतन**					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	**26,92,873**	**12,04,903**	**11,85,346**	**10,58,479**	**61,41,601**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	**4,81,920**	**2,85,889**	**2,22,598**	**1,85,620**	**11,76,027**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3.	स्वेद इक्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें [साधारण छुट्टी का नकदीकरण]	-	-	-	**6,76,090**	**6,76,090**
6.	छुट्टी किराया रियायत					
	कुल (अ)	**31,74,793**	**14,90,792**	**14,07,944**	**19,20,189**	**79,93,718**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा	-	-	-	-	-

आ) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि (₹)
	स्वतंत्र निदेशक	**श्री एस. रवि**	**श्री निनाद कर्पे**	**श्री पंकज वत्स (15.12.16 तक)**	**श्री ज्ञान प्रकाश जोशी**	**सुश्री नीरू अबरोल (29.07.16 से)**	
	• बोर्ड/ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	13,40,000	12,35,000	5,40,000	6,70,000	3,20,000	41,05,000
	• कमीशन	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	**13,40,000**	**12,35,000**	**5,40,000**	**6,70,000**	**3,20,000**	**41,05,000**

	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक						
	• बोर्ड/ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क		**श्री पंकज जैन (02.05.16 से)**	**श्री प्रवीण गर्ग (07.02.17 से)**	**श्री अशोक पाल सिंह (27.06.16 से) (29.12.16 तक)**	**सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव (01.05.16 तक)**	**कुल राशि (₹)**
	• कमीशन	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, निर्दिष्ट करें		-	-	-	-	-
	कुल (2)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल (आ)= (1+2)						**41,05,000**
	समग्र प्रबंधकीय पारिश्रमिक		**7993718**				
	अधिनियम के अनुसार कुल उच्चतम सीमा		स्वतंत्र निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है. सभी गैर-कार्यपालक/ स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं. वित्तीय वर्ष 2016-17 में पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर हैं.				

प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक/ पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**				**कुल राशि (₹)**
		श्रीमती पद्मा बेताई, सीएफओ (16.08.16 से)	**श्री आर. के. बंसल, सीएफओ (01.07.16 से) (15.08.16 तक)**	**श्री एन.एस. वेंकटेश, सीएफओ (30.06.16 तक)**	**श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव**	
1.	**सकल वेतन**					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	23,34,507	2,75,328	5,70,737	21,47,597	53,28,169
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	3,56,364	1,238	1,38,680	6,83,450	11,79,732
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3.	स्वेद इक्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें- साधारण छुट्टी का नकदीकरण	96,440	-	16,45,789	83,043	18,25,272
	छुट्टी किराया रियायत	60,000	-	75,000	50,000	1,85,000
	कुल	**28,47,311**	**2,76,566**	**24,30,206**	**29,64,090**	**85,18,173**

VII. जुर्माना/दंड/ शमनीय अपराध :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/ दंड/ शमनीय शुल्क के विवरण	प्राधिकारी [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट]	की गई अपील, यदि कोई हो
अ) कंपनी - आईडीबीआई बैंक लिमिटेड					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		
आ) निदेशक					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		
इ) चूककर्ता में अन्य अधिकारी					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर प्रकथन

आईडीबीआई बैंक लि. के स्वतंत्र निदेशकों श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी और सुश्री नीरू अबरोल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार 1 अप्रैल 2017 को यह प्रकथन करते हुए अपनी घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में उल्लिखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और निदेशक मंडल द्वारा 28 अप्रैल 2017 को इसे नोट किया गया.

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में बैंक की नीति उसकी वेबसाइट पर क्रमशः https://www.idbi.com:8443/pdf/Directors-Appointment-and-Evaluation-Policy.PDF और https://www.idbi.com:8443/pdf/Remuneration-Policy-of-the-Bank.PDF. लिंकों के अंतर्गत प्रदर्शित की गई है.

लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक सापेक्षता, पूर्वधारणा अथवा प्रतिकूल अभियुक्ति अथवा दावात्याग पर बोर्ड की टिप्पणियां -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसी सापेक्षता, पूर्वधारणा अथवा प्रतिकूल अभियुक्ति अथवा दावात्याग नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणियों की आवश्यकता हो.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों के विवरण

बैंकिंग कंपनी होने के कारण ऋणों, गारंटियों अथवा प्रतिभूतियों के अर्जन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान आईडीबीआई बैंक पर लागू नहीं हैं.

निर्धारित फॉर्म पर संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार के विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार, यदि कोई हो, के विवरण निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में नीचे दिए गए हैं :

एओसी-2

[अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत किए गए कुछ स्वतंत्र संव्यवहार सहित की गई संविदाओं/ करारों के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

i. स्वतंत्र आधार के न होते हुए की गई संविदाओं अथवा करारों अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार की अवधि	मूल्य सहित संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हों	इस प्रकार की संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख
शून्य								

ii. स्वतंत्र आधार पर महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा करारों अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार की अवधि	मूल्य सहित संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हों	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खें), यदि कोई हो (हों)	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
शून्य						

ह./-
महेश कुमार जैन
(डीआईएन -03513127)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
19 अपैल 2017

जोखिम प्रबंधन नीति के विकास तथा कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण

बैंक एक विस्तृत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के समय-समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतित किया जाता है. बोर्ड की एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन सहित बैंक के जोखिम से संबंधित पहलुओं की नियमित रूप से समीक्षा करती है. बैंक का निदेशक मंडल जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही जोखिम आकलन तथा न्यूनीकरण प्रक्रियाओं और साथ ही बासेल III मानदंडों के अंतर्गत बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की भी आवधिक रूप से समीक्षा करता है.

वर्ष के दौरान सीएसआर नीति तथा उसके कार्यान्वयन संबंधी विवरण

कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित फॉर्मेट में विवरण निम्नानुसार हैं:

सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट

1. प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण सहित बैंक की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा तथा सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ.

बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित वर्ग के लिए मूर्त, दृश्य मान तथा स्थायी बदलाव लाने एवं व्यापक रूप से समाज के कल्याण के लिए निरंतर सकारात्मक योगदान देने की इच्छा से संचालित है. अपने सीएसआर कार्यकलापों के संचालन में बैंक का उद्देश्य एक सचेत कॉरपोरेट नागरिक और सामाजिक तौर पर जिम्मेदार संस्था के रूप में कार्य करना, समाज में व्याप्त विभेदों की पहचान करना और समाज की बेहतरी के लिए आवश्यकता आधारित अंशदान देना, बहुआयामी प्रभाव वाले विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अल्पसुविधा प्राप्त समुदायों के सतत् एवं समग्र विकास के लिए अंशदान करना और सक्रिय मध्यस्थता के जरिए सामुदायिक प्रतिष्ठा अर्जित करना है.

बैंक की सीएसआर नीति अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यावरणीय स्थायित्व, खेलों के प्रोत्साहन और ग्रामीण विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों की मध्यस्थता करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है.

बैंक की सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की वेब-लिंक http://www.idbi.com/CSR-Policy.asp है.

2. सीएसआर समिति की संरचना: यथा 31 मार्च 2017 को सीएसआर समिति की संरचना निम्न तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	निदेशक	पदनाम
1.	श्री किशोर पिराजी खरात	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2.	श्री के पी नायर	उप प्रबंध निदेशक
3.	श्री जी एम यादवाडकर	उप प्रबंध निदेशक
4.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	स्वतंत्र निदेशक

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बैंक का औसत निवल लाभ: पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए बैंक का औसत निवल लाभ / हानि ₹ 698 करोड़ की हानि में परिणत हुआ है.

4. विनिर्दिष्ट सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 की राशि का 2%): कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के निबंधनों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपगत किए जाने के लिए निर्धारित सीएसआर व्यय (अर्थात् औसत निवल लाभ का 2%, जो कर घटाकर है परंतु इसमें भारत के बाहर की शाखाओं, चाहे अलग कंपनी के रूप में या अन्यथा परिचालित हों, से उत्पन्न लाभ तथा भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त लाभांश शामिल नहीं होगा जो अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल हैं तथा उनके अनुपालन में हैं) शून्य है.

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण

(क) **वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि:** सीएसआर के तहत वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि शून्य है. तथापि एक तत्पर पहल के रूप में वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का सीएसआर व्यय ₹ 4.35 करोड़ रहा.

(ख) **व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो:** लागू नहीं. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर बजट अनिवार्य नहीं है क्योंकि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए औसत निवल लाभ नकारात्मक है.

(ग) **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:**

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. सं.	**अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप**	**क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है**	**परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम**		**व्यय की गई राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (₹ में*)**	**परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)**		**रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय**	**प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि †**
			(1) **स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य**	(2) **राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए**		(1) **परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय**	(2) **अतिरिक्त व्यय#**		
1	5000 वेइंग मशीन की खरीद हेतु वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	अन्य	भुवनेश्वर, ओडिशा	44,10,000	44,10,000	0	44,10,000	ओडिशा राज्य मध्यान्ह भोजन एमडीएम कार्यालय
2	स्कूल के लिए क्लास रूम फर्नीचर, सौर प्रणाली एवं अन्य सामान की खरीद हेतु वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	स्थानीय	सांगली, महाराष्ट्र	1,20,000	1,20,000	0	1,20,000	अपंग कल्याण शिक्षण संस्था
3	धर्मार्थ दवाखाने के लिए एक्स-रे मशीन तथा सहायक डिजिटल सिस्टम की खरीद हेतु वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य देखरेख को बढ़ावा देना एवं गरीबी उन्मूलन	अन्य	बरसाट, पश्चिम बंगाल	6,31,000	6,31,000	0	6,31,000	रामकृष्ण मठ
4	युवा कार्य एवं खेलकूद निदेशालय, त्रिपुरा सरकार को राज्य संचालित स्पोर्ट अकादमी के लिए जिम्नास्टिक उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता	खेलकूद कार्यकलापों का संवर्धन	अन्य	अगरतला, त्रिपुरा	9,95,360	9,95,360	0	9,95,360	युवा कार्य एवं खेलकूद निदेशालय, त्रिपुरा सरकार
5	टेरी के 'लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स' कार्यक्रम को वित्तीय सहायता जिसमें चार राज्यों में चुनिन्दा गावों के 5000 घरों को सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान की गई है.	i)पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना ii) ग्रामीण विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण	अन्य	उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों में	2,52,72,500	25,27,250	6,75,176	2,59,47,676	ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, (टेरी),नई दिल्ली
6	संस्थान के कैंपस में 'उत्कृष्टता केंद्र' पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता	i)शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि ii)पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना	अन्य	चेन्नै, तमिलनाडु	25,00,000	6,25,000	0	25,00,000	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
7	स्वीकार एकेडमी सिकंदराबाद कैंपस में छत पर सौर ऊर्जा पैनल की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना	अन्य	सिकंदराबाद, तेलंगाना	12,00,000	12,00,000	0	12,00,000	स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज
8	डिजाइनर मोमबत्तियों और अन्य स्थानीय हैंडीक्राफ़्टों की मार्केटिंग हेतु एक शोरूम की स्थापना के लिए और तीन साल तक की इसकी परिचालन लागत में सहयोग करने के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि	अन्य	नामची, सिक्किम	16,90,000	4,80,000	0	14,90,000	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (नेडफी)

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		व्यय की गई राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (₹ में*)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि †
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय#		
9	पिथौरागढ़ जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित आपदा प्रभावित स्थानों पर पांच आँगनवाड़ी केंद्रों या सहायक नर्स मिडवाइफ केन्द्रों का निर्माण	i) शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि ii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण	अन्य	पिथौरागढ़, उत्तराखंड	28,75,000	17,25,000	10,845	28,85,845	उत्तराखंड सरकार (ग्राम पंचायत के माध्यम से)
10	यवतमाल जिले में रालेगांव प्रखण्ड के सोनुरली एवं वालनगर गाँव के चौथे जलसंभर विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना	स्थानीय	यवतमाल, महाराष्ट्र	10,00,000	5,00,000	0	5,00,000	दिलासा संस्था
11	मिजोरम के सइहा जिले में मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए अक्षमता अनुकूल विशेक्ष स्कूल के बचे हुए हिस्से का निर्माण कार्य पूर्ण करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	अन्य	सइहा, मिजोरम	30,00,000	12,00,000	0	12,00,000	मारा टी टी चाको एंड अब्राहम चैरिटेबल ट्रस्ट
12	महाराष्ट्र के नांदेड़ और उस्मानाबाद जिलों में पानी ले जाने में आसानी के लिए 600 ग्रामीण महिलाओं को वॉटर व्हील्स प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण	स्थानीय	नांदेड़ और उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	23,50,000	11,75,000	0	11,75,000	हैबिटेट फॉर हयूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट
13	एक वर्ष की अवधि हेतु 46 छात्रों के लिए फ्री स्टूडेंट होम, लखनऊ को वित्तीय सहायता.	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	अन्य	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	13,80,000	3,45,000	0	3,45,000	एआईएम फॉर सेवा
14	असम के मोरी गाँव जिले में आदर्श ग्राम का विकास	ग्रामीण विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण	अन्य	मोरीगांव, असम	35,55,200	3,76,060	0	29,91,110	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, असम
15	विभिन्न सीएसआर कार्यकलाप करने के लिए दो गांवों को गोद लेना- वाराणसी जिले में सुजाबाद तथा चंदौली जिले के भभौरा गांव	ग्रामीण विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण	अन्य	वाराणसी एवं चंदौली, उत्तर प्रदेश	3,00,00,000	59,29,000	11,20,000	2,70,49,000	केंद्रीय लोक कार्य विभाग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
16	सांसद आदर्श ग्राम योजना के अतर्गत करनाली ग्राम पंचायत के चार गावों में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	अन्य	वडोदरा, गुजरात	60,75,000	15,13,234	0	25,08,234	भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) अहमदबाद, गुजरात

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		व्यय की गई राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (₹ में*)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि †
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय#		
17	आंखों की देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक सेवाएं प्रदान करने हेतु रांची की झुग्गी-झोपड़ियों में शहरी नेत्र देखभाल पहल कार्य के लिए वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य देखरेख को बढ़ावा देना एवं गरीबी उन्मूलन	अन्य	रांची, झारखंड	23,29,000	13,97,400	0	13,97,400	रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड (साइटसेवर्स), नई दिल्ली
18	निम्न के लिए वित्तीय सहायता: चरण II विस्तार खंड 6- बेड, 25 रोगियों की भर्ती सुविधाओं के साथ प्रशामक चिकित्सा इकाई, 40 वंचित/ आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों का उपचार,	स्वास्थ्य देखरेख को बढ़ावा देना एवं गरीबी उन्मूलन	अन्य	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	1,25,00,000	1,00,00,000	0	1,00,00,000	टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता
19	भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास निधि को अंशदान	खेलकूद कार्यकलापों का संवर्धन	अन्य	संपूर्ण भारत	50,00,000	50,00,000	0	50,00,000	राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली
20	30 स्टेनोग्राफी छात्रों को कोर्स के सफल समापन पर 30 ब्रेल शॉर्टहैंड मशीन तथा एमएस-सीआईटी और अंग्रेजी और मराठी स्टेनोग्राफी कोर्स के लिए एक लेजर प्रिंटर और 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर देने के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	स्थानीय	मुंबई, महाराष्ट्र	7,68,800	7,68,800	0	7,68,800	दृष्टिबाधित के लिए एनएबी कार्यशाला, महाराष्ट्र
21	झारग्राम नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड सं. 10 में नगरपालिका टैक्सी स्टैंड में जनजातीय लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखरेख को बढ़ावा देना एवं गरीबी उन्मूलन	अन्य	पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल	1,50,000	1,49,000	0	1,49,000	कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय, झारग्राम नगरपालिका
22	कन्या छात्रावास में सेनेटरी नैपकिन और इन्सिनेरेटर वेंडिंग मशीन की स्थापना.	स्वास्थ्य देखरेख को बढ़ावा देना एवं गरीबी उन्मूलन	अन्य	पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल	72,500	72,500	0	72,500	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
23	पंचकुला जिले में गरीब लोगों के लिए भोजन प्रदान करना	स्वास्थ्य देखरेख को बढ़ावा देना एवं गरीबी उन्मूलन	अन्य	पंचकुला, हरियाणा	25,000	25,000	0	25,000	रेड क्रॉस

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		व्यय की गई राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (₹ में*)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि †
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय#		
24	सइहा जिले, मिजोरम के स्कूलों में 223 वाटर फिल्टर लगाना	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि	अन्य	सइहा, मिजोरम	4,46,000	4,46,000	0	4,46,000	डीसी कार्यक्रम, सइहा, मिजोरम
25	10 बच्चों के लिए शिक्षा लागत का प्रायोजन	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि	स्थानीय	नवी मुंबई, महाराष्ट्र	85,000	85,000	0	85,000	रोटरी क्लब, श्रॉफ, नवी मुंबई, सनराइज सोसाइटी, मुंबई
	कुल				10,84,30,360	4,16,95,604	18,06,021	9,38,91,925	

*निरसन घटाने के बाद निवल राशि
कार्यान्वयन करनेवाली एजेंसी का पंजीकृत कार्यालय पता
#रिवर्स प्रभार प्रणाली (आरसीएम) गैर-सेंरवैटयोग्य के अंतर्गत प्रदत्त सेवा कर

6. यदि बैंक विगत तीन वित्तीय वर्षों या उनके किसी भाग के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत व्यय करने में असफल रहता है तब कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में राशि व्यय न करने के कारण बताने होंगे. (कम व्यय करने के मामले में दिया जाए)

कंपनी अधिनियम 2013 में दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप आईडीबीआई बैंक को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत कोई व्यय उपगत करने की आवश्यकता नहीं है. तथापि एक तत्पर तथा सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था के रूप में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न सीएसआर योजनाओं के अंतर्गत ₹ 4.35 करोड़ का व्यय किया है.

7. सीएसआर समिति का दायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीतियों के अनुपालन में है.

बैंक की सीएसआर समिति घोषित करती है कि सीएसआर नीति, इसका कार्यान्वयन तथा निगरानी अक्षरशः कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों के अनुपालन में है.

ह./-
महेश कुमार जैन
(डीआईएन - 03513127)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
18 मई 2017

बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके की सूचना का विवरण

कंपनी (लेखा) विनियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) स्वतंत्र निदेशकों की समिति (आईडीसी) ने दिनांक 12 अप्रैल 2017 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड की बैठकों के अध्यक्ष सहित सभी गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन और समग्र रूप से बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया.

(ii) बोर्ड ने दिनांक 28 अप्रैल 2017 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के सभी निदेशकों (एमडी एवं सीईओ, उप प्रबंध निदेशक तथा सरकारी निदेशकों को छोड़कर जिनके कार्य निष्पादन की समीक्षा भारत सरकार द्वारा की जाती है) के कार्य-निष्पादन, स्वयं के कार्य-निष्पादन के साथ-साथ बोर्ड की समितियों के कार्यनिष्पादन का भी मूल्यांकन किया. बोर्ड द्वारा जिन निदेशकों का मूल्यांकन किया गया ऐसे संबंधित निदेशकों ने अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान बैठक में भाग नहीं लिया.

आईडीसी और बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वैयक्तिक निदेशकों, बोर्ड की समितियों और बोर्ड के संबंध में निरंक मूल्यांकन शीटें ईमेल के साथ-साथ हार्ड प्रतियों के माध्यम से वैयक्तिक निदेशकों को अग्रिम रूप में प्रेषित की गईं ताकि वे अग्रिम रूप में ही अपना अभिमत बना सकें और संबन्धित बैठकों में मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सहायता मिल सके. संबन्धित बैठकों के अध्यक्ष ने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के पश्चात् आईडीसी और बोर्ड की ओर से मूल्यांकन शीटों पर हस्ताक्षर किए.

कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नियुक्त किए गए और त्यागपत्र देने वाले निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

निदेशकों के नाम	नियुक्ति/त्यागपत्र/सेवासमाप्ति	दिनांक
श्री पंकज जैन	भारत सरकार की दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना एफ.सं. 6/3/2012-बीओ.आई द्वारा बैंक के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त	02.05.2016
सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव	भारत सरकार की दिनांक 2 मई 2016 की अधिसूचना एफ.सं. 6/3/2012-बीओ.आई द्वारा बैंक के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में सेवा समाप्ति	02.05.2016
श्री अशोक पाल सिंह	भारत सरकार की दिनांक 27 जून 2016 की अधिसूचना एफ.सं. 6/3/2012-बीओ.आई द्वारा बैंक के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त	27.06.2016
सुश्री नीरू अबरोल	निदेशक मंडल द्वारा 29 जुलाई 2016 को सम्पन्न अपनी बैठक में बैंक की अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त	29.07.2016
श्री बी.के. बत्रा	अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा समाप्ति	31.07.2016
श्री के. पी. नायर	भारत सरकार की दिनांक 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना एफ.सं. 4/5/(7) 2016-बीओ.आई द्वारा बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त	15.09.2016
श्री जी. एम. यादवाडकर	भारत सरकार की दिनांक 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना एफ.सं. 4/5/(7) 2016-बीओ.आई द्वारा बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त	15.09.2016
श्री पंकज वत्स	भारत सरकार की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की अधिसूचना एफ.सं. 6/24/2013-बीओ.आई द्वारा आईडीबीआई बैंक के निदेशक नहीं रहे	15.12.2016
श्री अशोक पाल सिंह	दिनांक 29 दिसंबर 2016 के त्यागपत्र दिए जाने के फलस्वरूप आईडीबीआई बैंक के निदेशक नहीं रहे	29.12.2016
श्री प्रवीण गर्ग	भारत सरकार की दिनांक 07 फरवरी 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 7/2/2012-बीओ.आई द्वारा बैंक के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त	07.02.2017

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	नियुक्ति/त्यागपत्र/सेवासमाप्ति	दिनांक
श्री एन.एस. वेंकटेश, सीएफओ	त्यागपत्र	01.07.2016
श्री आर. के. बंसल, सीएफओ	नियुक्त	01.07.2016
श्री आर. के. बंसल, सीएफओ	सेवासमाप्त	16.08.2016
श्रीमती पद्मा बेताई, सीएफओ	नियुक्त	16.08.2016

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक की बनने वाली या न रहने वाली सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों के नाम

सहायक कंपनियों के नाम	बनने वाली/ न रहने वाली	दिनांक
शून्य		

सहयोगी कंपनियों के नाम	बनने वाली/ न रहने वाली	दिनांक
शून्य		

संयुक्त उद्यमों के नाम	बनने वाली/ न रहने वाली	दिनांक
शून्य		

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अधीन शामिल जमाराशियों से संबंधित विवरण और उन जमाराशियों के विवरण जो इस अधिनियम के अध्याय V की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के परंतुक के अनुसार इस उप-धारा का कोई भी अंश बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगा, अतः उपर्युक्त विवरण के प्रकटन की अपेक्षा आईडीबीआई बैंक पर लागू नहीं है.

चालू प्रतिष्ठान स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सार्थक और महत्वपूर्ण आदेशों के विवरण

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसे कोई आदेश पारित नहीं किए गए जो आईडीबीआई बैंक की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और भविष्य में बैंक के परिचालनों को प्रभावित करते हैं.

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

वर्ष 2016-17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित / प्रतिनियुक्त किया गया. इस संबंध में विस्तृत ब्योरे बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp लिंक के अंतर्गत दिए गए हैं:

सतर्कता प्रणाली की स्थापना

बैंक ने सांविधिक/ विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सतर्कता प्रणाली स्थापित की है. सतर्कता प्रणाली पर रिपोर्ट नियमित आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है. वर्ष 2016 -17 के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से नहीं रोका गया. बैंक द्वारा सतर्कता प्रणाली नीति का प्रकटन अपनी वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्न लिंक के अंतर्गत किया गया है जिसमें सतर्कता प्रणाली की स्थापना के ब्योरे दिए गए हैं: https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 46 की अपेक्षाओं के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण के लिए नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत दी गई है: https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

संबद्ध पक्ष लेनदेनों पर कार्रवाई संबंधी नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और एलओडीआर विनियमावली के विनियम 23 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने संबद्ध पक्ष लेनदेनों पर कार्रवाई संबंधी नीति बनाई है.

संबद्ध पक्ष लेनदेनों पर कार्रवाई संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है: https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

व्यापक रूप से सूचीबद्ध संस्था के हितों से संभावित टकराव वाले भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेन-देनों पर प्रकटन

सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने भौतिक रूप से महत्वपूर्ण ऐसा कोई संबद्ध पक्ष लेन-देन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों से किसी प्रकार के टकराव की संभावना हो.

पण्य मूल्य जोखिमों अथवा विदेशी मुद्रा एवं पण्य हेजिंग कार्यकलापों का प्रकटन

बैंक विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार पण्य मूल्य जोखिमों अथवा विदेशी मुद्रा एवं पण्य हेजिंग कार्यकलापों के संबंध में संबंधित उपबंधों का अनुपालन करता है.

लेखांकन व्यवहार का प्रकटन

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखांकन मानदंड में निर्धारित विधियों से अलग कोई भी विधि नहीं अपनायी गई है. अतः इस संबंध में प्रबंधन की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण अपेक्षित नहीं है.

निदेशकों के पारिश्रमिक

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक, जिनकी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती हैं, के पारिश्रमिक एवं परिलब्धियां सरकार द्वारा तय की जाती हैं. एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण तालिका 3 में दिया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध/लेनदेन नहीं रहे हैं.

तालिका 3 : एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक के घटक

वेतन और भत्ते (सरकारी आदेशों के अनुसार)	श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ [14.08.15 से] - वेतन ₹ 2,05,400/- प्रति माह और 2% की दर से ₹ 4,108/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 2,09,508/- श्री के पी नायर, डीएमडी [15.09.16 से] - वेतन ₹ 1,76,800/- प्रति माह और 2% की दर से ₹ 3,536/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 1,80,336/- श्री जी एम यादवाडकर, डीएमडी [15.09.16 से] - वेतन ₹ 1,76,800/- प्रति माह और 2% की दर से ₹ 3,536/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 1,80,336/- श्री बी.के. बत्रा, डीएमडी [31.07.16 तक] - वेतन ₹ 71,030/- प्रति माह और 125% की दर से ₹ 88,787.5/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 1,59,817.5/-
आतिथ्य	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों, दोनों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹ 6000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक आतिथ्य (क्लब की सदस्यता उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर समायोज्य).
आवास	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों दोनों को किराया-मुक्त सुसज्जित आवास.
वाहन व्यय	कार्यालयीन उद्देश्य के लिए बैंक की कार का निःशुल्क उपयोग.
छुट्टी यात्रा रियायत	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों, दोनों के लिए आधिकारिक दौरे हेतु लागू पात्रता श्रेणी के अनुसार स्वयं एवं परिवार के लिए भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए दो वर्षों के ब्लॉक में एक बार.
पेंशन	बैंक, जहां वे कैरियर पद पर रहे हैं, के नियमों और विनियमों के अनुसार कैरियर पद में (बोर्ड स्तर से नीचे) स्वीकार्य पेंशन, यदि कोई है, प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.
ग्रेच्युटी	एमडी एवं सीईओ / डीएमडी के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष अथवा छः माह से अधिक की सेवा के लिए आधे माह के वेतन की दर से.

कार्यकाल	श्री किशोर खरात - भारत सरकार की दिनांक 14 अगस्त 2015 की अधिसूचना सं.एफ.सं. 4/2/2015-बीओ.I द्वारा 14 अगस्त 2015 से 30 सितंबर 2018 को अधिवर्षिता की तारीख तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एमडी एवं सीईओ नियुक्त. श्री के. पी. नायर - भारत सरकार की दिनांक 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना सं.एफ.सं.4/5/(7)/2016-बीओ. I द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से 31 मई 2019 तक की अवधि अर्थात् अधिवर्षिता की तारीख अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री नायर ने 15 सितंबर 2016 को कार्यभार ग्रहण किया. श्री जी. एम. यादवाडकर - भारत सरकार की दिनांक 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना सं.एफ.सं.4/5/(7)/2016-बीओ.I द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष तक की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री यादवाडकर ने 15 सितंबर 2016 को कार्यभार ग्रहण किया. श्री बी.के. बत्रा- भारत सरकार की दिनांक 12 जनवरी 2012 की अधिसूचना एफ सं.9/14/2009-बीओ.I द्वारा 13 जनवरी 2012 से अधिवर्षिता की तारीख (31.07.2016) तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री बत्रा 31.07.2016 को पद से सेवा-निवृत्त हुए.

अन्य स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड, ईसी और एसीबी के लिए प्रति बैठक ₹ 20,000/- की दर से और बोर्ड समिति की अन्य बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 10,000/- की दर से केवल बैठक फीस अदा की गई. एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक फीस के अलावा आपके बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर और कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

स्वतंत्र निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री एस. रवि	13,40,000
श्री निनाद कर्पे	12,35,000
श्री पंकज वत्स	5,40,000
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	6,70,000
सुश्री नीरू अबरोल [29.07.16 से]	3,20,000

कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अधीन प्रकटन

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, के पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप पारिश्रमिक में लागू वृद्धि सहित भारत सरकार के वेतनमानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया जाता है. उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किए अनुसार बोर्ड के अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों अर्थात् मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव सहित बैंक के अन्य कर्मचारियों को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू तथा सरकारी क्षेत्र के मानदंडों के अनुसार पारिश्रमिक में लागू वृद्धि के साथ बैंक द्वारा अपनाए गए सरकारी क्षेत्र के वेतनमानों के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन का संबंध बैंक के कार्य-निष्पादन सहित अन्य कारकों से जुड़ा होता है. बैंक ने कोई एफपीओ नहीं जारी किया है, अतः बैंक के शेयरों के बाजार कोटेशन की कोई तुलना संभव नहीं है. तथापि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बैंक के शेयरों के बाजार मूल्य, वित्तीय अनुपात आदि का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा एमडी एवं सीईओ/ डीएमडी, जो भारत सरकार के वेतनमानों के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं, सहित कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कोई परिवर्ती वेतन अवधारणा लागू नहीं है. 31 मार्च 2017 को बैंक के रोल पर कर्मचारियों की संख्या 18,187 थी जिसमें 467 कर्मचारी संविदा आधार पर थे तथा अन्य सभी कर्मचारी स्थायी थे. इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है और प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक तथा माध्यिका कर्मचारी के पारिश्रमिक

का अनुपात और अन्य विवरण ऊपर किए गए प्रकटन के आधार पर हैं तथा ये कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अनुपालन में हैं.

महासभा की बैठकें

(i) वार्षिक महासभाओं का विवरण

बैंक की पिछली वार्षिक महासभा (एजीएम) 22 जुलाई 2016 को हुई थी. आईडीबीआई बैंक लि. की वार्षिक महासभाओं का विवरण तालिका 4 में दिया गया है.

तालिका 4 : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण

पिछली तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान और समय	1) 30 जून 2014 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (आपके बैंक की 10वीं वार्षिक महासभा).
	2) 12 अगस्त 2015 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (आपके बैंक की 11वीं वार्षिक महासभा).
	3) 22 जुलाई 2016 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (आपके बैंक की 12वीं वार्षिक महासभा).
क्या पिछली 3 वार्षिक महासभाओं में विशेष संकल्प पारित किए गए थे.	**10वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 30 जून 2014 को संपन्न 10वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक की पूंजी बढ़ाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) धन उधार लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने और (iii) बैंक के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए. **11वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 12 अगस्त 2015 को संपन्न 11वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकल या एक से अधिक भाग में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, बासेल III अनुपालित टीयर II बांड/ अतिरिक्त टीयर I बांड के रूप में 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने और (iii) बैंक के संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए. **12वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 22 जुलाई 2016 को संपन्न 12वीं वार्षिक महासभा में (i) ₹ 8,000/- करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकल या एक से अधिक भाग में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड, बासेल III अनुपालित टीयर II बांड/ अतिरिक्त टीयर I बांड के रूप में 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने और (iii) श्री एस. रवि को चार वर्षों की अंतिम अवधि के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने (iv) श्री निनाद कर्पे को चार वर्षों की अंतिम अवधि के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने (v) बैंक की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि और बैंक के संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.

क्या गत वर्ष डाक मतदान के ज़रिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पद्धति का ब्योरा	नहीं
व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	लागू नहीं
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतदान के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है.	नहीं

(ii) असाधारण महासभा का विवरण

वर्ष 2016-17 के दौरान असाधारण महासभा की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई.

प्रकटन

1 01 अप्रैल 2016 - 31 मार्च 2017 के दौरान निम्न को छोड़कर, ऐसी किसी भी कंपनी को सहायता प्रदान नहीं की गई, जिसमें बैंक के किसी निदेशक की हितबद्धता हो :

(i) भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) - श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, एक्जिम बैंक के बोर्ड में थे. तथापि, एक्जिम बैंक को नकदी प्रवाह असंतुलन को पूरा करने के लिए अंतःदिवस/ ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की गई है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत सहबद्ध उधार प्रावधानों से छूट प्राप्त है.

(ii) भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान (ईडीआईआई) - श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ ईडीआईआई के बोर्ड में थे. तथापि, रिज़र्व बैंक-डीबीओडी के दिनांक 5 मार्च 2012 के पत्र द्वारा ईडीआईआई को ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी के लिए उनसे छूट प्राप्त की गई है. रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि चूंकि ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी बैंकों के परिचालनगत क्षेत्र में है, अतः आईडीबीआई बैंक अपने बोर्ड की अनुमोदित ऋण नीति के अनुसार ईडीआईआई को ऋण की मंजूरी के संबंध में निर्णय ले सकता है.

2 पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, कटु आलोचना के विवरण निम्नानुसार हैं :

वित्तीय वर्ष 2014-15	रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 जुलाई 2014 के अपने आदेश के ज़रिए डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लि. के संबंध में बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुपालन में विचलन के लिए ₹ 15 लाख का दंड लगाया.
वित्तीय वर्ष 2015-16	शून्य
वित्तीय वर्ष 2016-17	शून्य

आचार एवं सदाचार संहिता

बैंक के निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार एवं सदाचार संहिता को अपनाया है. एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

ह./-
महेश कुमार जैन
(डीआईएन - 03513127)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
15 अप्रैल 2017

भेदिया व्यापार की रोकथाम

सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमावली, 2015 के विनियम 8 के अनुसार बैंक ने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता बनाई है. यह संहिता बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है :

https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

उक्त विनियमावली के विनियम 9 के अनुसार बैंक ने अपने कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा की जा रही ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचरण संहिता भी बनाई है.

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर एमडी एवं सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त कर बोर्ड को प्रस्तुत किए गए हैं.

सहायक कंपनियां

यथा 31 मार्च 2017 को बैंक के पास पांच सहायक कंपनियां थीं अर्थात् आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि, आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड. बैंक के बोर्ड के किसी भी स्वतंत्र निदेशक को इसकी सहायक कंपनियों के बोर्ड में शामिल किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी सहायक कंपनी एलओडीआर विनियमावली के विनियम 16 के अंतर्गत परिभाषित किये अनुसार तात्विक रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है. एलओडीआर विनियमावली के विनियम 24 की अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किये गये निवेशों की समीक्षा करती है. असूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त बैंक की बोर्ड बैठकों में नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं.

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सचिव को बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है. दिनांक 5 मई 2017 की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

सूचना के साधन

बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित निदेशकों की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणामों को प्रकाशित करता है. इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र अर्थात् बिज़नस लाइन में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र अर्थात् लोकमत में प्रकाशित किया जाता है. उपर्युक्त जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के साथ बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर भी उपलब्ध कराई गई है.

ऐसे दस्तावेज, जो संदर्भित हैं लेकिन वार्षिक महासभा की सूचना पाने के पात्र व्यक्तियों को नहीं भेजे गए हैं, वार्षिक महासभा की तारीख से 21 दिन पहले से बैंक के पंजीकृत कार्यालय में कार्य समय के दौरान शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

यथा शेयरधारकों से संबंधित सामान्य सूचना के ब्योरे 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के दौरान शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव क्रमशः तालिका 5 और तालिका 6 में दिए गए हैं.

तालिका 5 : आम शेयरधारकों के लिए सूचना

i.	वार्षिक महासभा की तारीख, समय और स्थान	18 जुलाई 2017, मंगलवार, अपराह्न 3.30 बजे., यशवंत राव चव्हाण केंद्र ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021
ii.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017
iii.	कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित एलओडीआर विनयमावली के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग अवधि.	ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 15 जुलाई 2017, भारतीय मानक समय के अनुसार प्रातः 9.00 बजे से प्रारंभ होगी और सोमवार, 17 जुलाई 2017 को भारतीय मानक समय के अनुसार अपराहन 5.00 बजे समाप्त होगी.
iv.	लेखाबही बंदी तारीख	12 जुलाई 2017 से 18 जुलाई 2017 (दोनों दिन शामिल)
v.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान की पुष्टि	**1. बीएसई लि. (बीएसई)** **पता** : 25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-01. 2. **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)** **पता**: एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-51 बीएसई और एनएसई के वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान क्रमशः 28 अप्रैल 2017 और 24 अप्रैल 2017 को किया गया है.
vi.	स्टॉक कोड/ प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई - आईडीबीआई
vii.	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032
viii.	शेयर अंतरण प्रणाली	शेयर अंतरण कार्यपालक निदेशक/ मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं.
ix.	वित्तीय कैलेंडर	1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 : 1) 30 जून 2016 को समाप्त तिमाही के परिणाम 11 अगस्त 2016 को अनुमोदित किए गए. 2) 30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के परिणाम 25 अक्तूबर 2016 को अनुमोदित किए गए. 3) 31 दिसंबर 2016 को समाप्त तीसरी तिमाही तथा नौ महीने के परिणाम 07 फरवरी 2017 को अनुमोदित किए गए. 4) 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित परिणाम 18 मई 2017 को अनुमोदित किए गए.

x.	प्रॉक्सी फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख	रविवार, 16 जुलाई 2017 को शाम 3.30 बजे तक
xi.	तिमाही परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के समापन से 45 दिनों के भीतर और वार्षिक लेखापरीक्षित परिणाम हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर.
xii.	गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों तथा परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	यथा 31 मार्च 2017 को श्री एस. रवि स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक के पास आईडीबीआई बैंक लि. के 200 शेयर थे.
xiii.	डिबेंचर न्यासी का विवरण	1. **एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,** दूसरी मंजिल, एक्सिस हाउस, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, बाम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई- 400 025, फोन : 022-24255232. 2. **एसबीआईकैप ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,** एपीजे हाउस, 6वीं मंजिल, 3 दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई -400 020, फोनः 022-43025503. 3. **आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड,** द आईएल एंड एफएस फाइनोन्सियल सेंटर, प्लॉट सी-22, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई 400 051. फोन : 022-26593927.

आईडीबीआई के शेयरों का एनएसई और बीएसई में सक्रिय रूप से कारोबार होता है. एक्सचेजों के पास सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क आज की तारीख तक अदा किया जा चुका है.

तालिका 6: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव : अप्रैल 2016 - मार्च 2017 (₹)

माह	एनएसई		बीएसई			एनएसई		बीएसई	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	माह	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल 2016	72.65	67.20	72.55	67.15	अक्तूबर 2016	76.55	68.60	76.65	68.70
मई 2016	69.30	63.80	69.25	63.75	नवंबर 2016	72.85	66.80	72.90	66.85
जून 2016	71.50	64.15	71.45	64.15	दिसंबर 2016	71.90	65.95	71.90	66.00
जुलाई 2016	76.80	69.85	76.75	69.85	जनवरी 2017	80.00	69.00	79.95	69.05
अगस्त 2016	75.25	66.80	73.50	66.75	फरवरी 2017	85.15	78.90	85.00	78.95
सितंबर 2016	79.50	67.00	79.55	67.05	मार्च 2017	79.85	74.50	79.90	74.60

यथा 31 मार्च 2017 को शेयरधारिता का स्वरूप

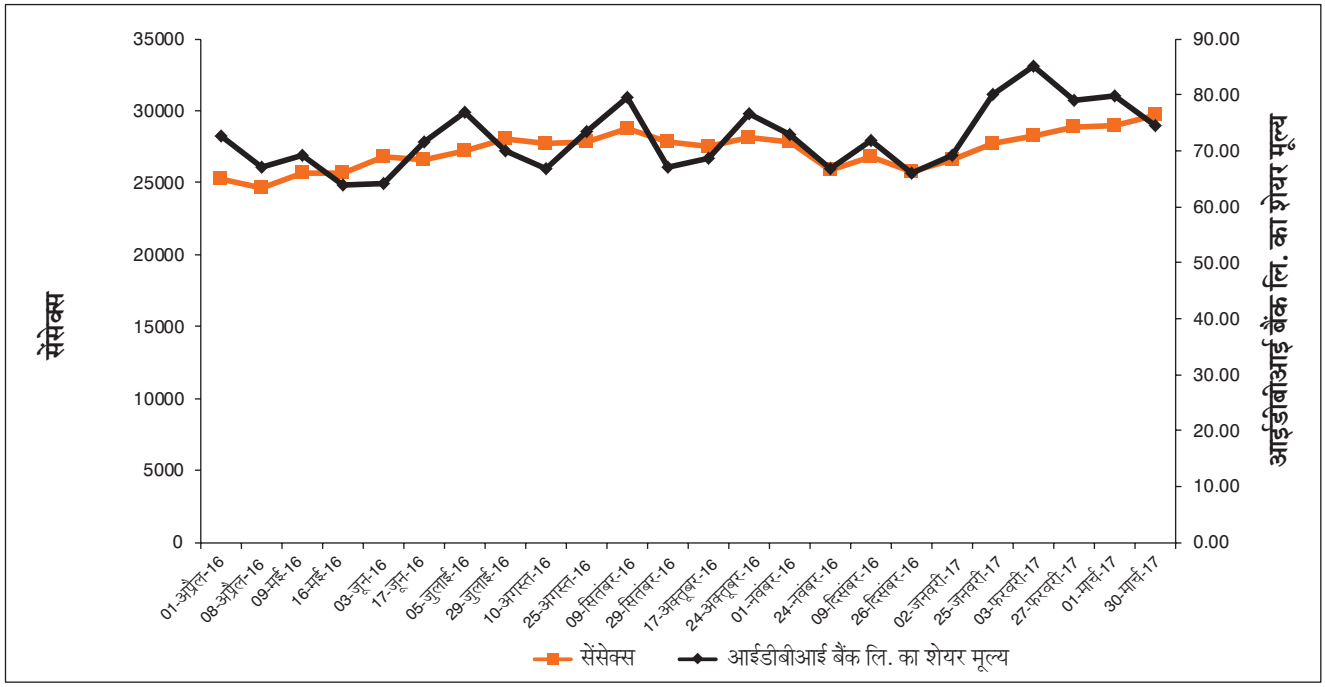
मार्च 2017 के अंत में बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता के ब्योरे और वितरण अनुसूची नीचे तालिका 7 और तालिका 8 में दी गई है.

तालिका 7 : यथा 31 मार्च 2017 को शेयरधारिता का स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की श्रेणी	कुल का %
भारत सरकार	1523113202	73.98
कर्मचारी	897313	0.04
जनता	126148825	6.13
हिन्दू अविभाजित परिवार	3563995	0.17
कंपनी निकाय	26653272	1.29
संस्थाएं		
अ) बैंक	2630883	0.13
आ) विदेशी संस्थागत निवेशक	7051727	0.34
इ) राज्य वित्त निगम	35680	नगण्य
ई) वित्तीय संस्थाएं	12360000	0.60
उ) म्यूचुअल फंड	1915211	0.09
सोसायटी	28960	नगण्य
न्यास	365535	0.02
बीमा कंपनियां	300248544	14.58
अनिवासी भारतीय	5291151	0.26
निदेशक, केएमपी एवं उनके रिश्तेदार		
(i) श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक	320	नगण्य
(ii) श्री एस.रवि, स्वतंत्र निदेशक	200	नगण्य
(iii) सुश्री पद्मा बेतई, सीएफओ	270	नगण्य
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	3437735	0.17
पात्र विदेशी निवेशक	45048565	2.19
एनबीएफसी	23963	नगण्य
कुल योग	**2058815081**	**100**

व्यापक सूचकांकों अर्थात् बीएसई सेंसेक्स, क्रिसिल सूचकांक, आदि की तुलना में प्रदर्शन

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के दौरान बीएसई सेंसीटिव इंडेक्स (सेंसेक्स) की तुलना में आईडीबीआई बैंक के इक्विटी शेयर का प्रदर्शन निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है:



शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशक शिकायतों का निवारण

तालिका 8 : 31 मार्च 2017 को वितरण अनुसूची

क्र. सं.	श्रेणी		शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों में %	राशि (₹)	कुल राशि में %
	से	तक				
1	1	5000	365299	90.43	553383300	2.69
2	5001	10000	22760	5.63	177577200	0.86
3	10001	20000	9291	2.30	138841840	0.67
4	20001	30000	2430	0.60	62529540	0.30
5	30001	40000	1173	0.29	42375040	0.21
6	40001	50000	824	0.20	39090180	0.19
7	50001	100000	1244	0.31	92386860	0.45
8	100001 और अधिक		960	0.24	19481966850	94.64
कुल			**403981**	**100.00**	**20588150810**	**100.00**

शेयर अंतरण प्रक्रिया को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से अंतरण ज्ञापन (एमओटी) को साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित करने के लिए कार्यपालक निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति गठित की गई है.

1 अप्रैल 2016 को निवेशकों की कोई भी शिकायत निवारण के लिए लंबित नहीं थी और 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट को शेयरधारकों/ निवेशकों से कुल 6081 निवेशक शिकायतें प्राप्त हुईं. वर्ष के दौरान 6078 शिकायतों का निवारण किया गया और 31 मार्च 2017 को 3 शिकायतें निवारण के लिए लंबित थीं.

शेयरों के संबंध में 1 अप्रैल 2016 को अंतरण से संबंधित [13] मामले लंबित थे. 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट को शेयरों के अंतरण के लिए 1184 अनुरोध प्राप्त हुए. इनमें से शेयरों के अंतरण से संबंधित 1193 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई और 31 मार्च 2017 को 4 अनुरोध लंबित थे.

हितधारक संबंध समिति के बारे में प्रकटन

(क) समिति की अध्यक्षता करने वाले गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	सुश्री नीरू अबरोल, स्वतंत्र श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक
(ख) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम	श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी हैं. वे परिचालनों का पर्यवेक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अनुपालन से संबंधित सेबी विनियमावली और स्टॉक एक्सचेंज के साथ एलओडीआर विनियमावली की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है.
(ग) वित्त वर्ष 2016-17 में शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	1193
(घ) शेयरधारकों की संतुष्टि तक समाधान नहीं किए गए मामलों की संख्या	शून्य
(ङ) लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

डीमैट उचंत खाता/ अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटन

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार आपका बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरे रिपोर्ट करता है:

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	1 अप्रैल 2016 को शेयरधारकों की कुल संख्या तथा उचंत खाते में बकाया शेष शेयरों की संख्या	4855	866974
(ख)	1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के दौरान उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	23	4920
(ग)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	23	4920
(घ)	31 मार्च 2017 को उचंत खाते में बकाया शेष शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	4832	862054
(ङ)	इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक फ्रीज़ रहेगा जब तक इन शेयरों के वैध स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते.		

तालिका 9 : डिमटेरियलाइजेशन के ब्यौरे तथा पत्राचार के लिए पता

शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन और चलनिधि

शेयरधारिता का स्वरूप	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	प्रतिशत
कागजी रूप में	67735	16157372	0.78
एनएसडीएल (डीमटेरियलाइज्ड)	224497	481987782	23.41
सीडीएसएल (डीमटेरियलाइज्ड)	111749	1560669927	75.81
कुल	**403981**	**2058815081**	**100.00**

बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) / अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक लि. ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट आदि जारी नहीं किए हैं.
प्लांट का स्थान	लागू नहीं. तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थान के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट, www.idbi.com पर उपलब्ध है.
पत्राचार के लिए पता	**आईडीबीआई बैंक लि.** सीआईएन - L65190MH2004GOI148838 इक्विटी कक्ष- बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., 20वीं मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 फोन- (022) - 66552779, 66553062, 66552620 फैक्स - (022) - 2218 23 52 ई-मेल - idbiequity@idbi.co.in वेबसाइट - www.idbi.com
	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032 फोन : (040) 67162222 टोल फ्री नंबर: 1-800-3454001 फैक्स नं. : (040) 23420814 ई-मेल : einward.ris@karvy.com

सहायक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों के पते	**आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड** तीसरी मंज़िल, मफतलाल सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. **आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड** आईडीबीआई बिल्डिंग, पहली मंज़िल, प्लॉट नं. 39-41, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614. **आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड** आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005. **आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड** 5वीं मंज़िल, मफतलाल सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. **आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड** एशियन बिल्डिंग, तल मंज़िल, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001.

विनियम 27 की विवेकाधीन अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

बैंक ने सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के तहत दी गई सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को निर्दिष्ट प्रारूप में कॉरपोरेट अभिशासन पर तिमाही/ छमाही/ वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है. सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची II के भाग ई के अंतर्गत दी गई विवेकाधीन अपेक्षाओं के संदर्भ में स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवेकाधीन अपेक्षाएं	स्थिति
1.	एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का अधिकार होगा और उन्हें उनके द्वारा दायित्व के निर्वहन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त होगी.	वर्तमान में बैंक में गैर-कार्यपालक (गैर-पूर्णकालिक) अध्यक्ष का पद खाली है.
2.	पिछले 6 महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के संक्षिप्त विवरण सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्द्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक के घर भेजी जाए.	बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयर धारकों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए तिमाही और अर्द्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रसारित किया जाता है.
3.	कंपनी असंशोधित लेखापरीक्षा अभिमत व्यवस्था की ओर अग्रसर हो.	बैंक इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है.
4.	कंपनी द्वारा अध्यक्ष और एमडी/सीईओ पद के लिए अलग-अलग व्यक्ति की नियुक्ति की जाए.	अब बैंक में गैर-कार्यपालक (गैर-पूर्णकालिक) अध्यक्ष और एमडी एवं सीईओ के अलग-अलग पद हैं.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करना.	आंतरिक लेखापरीक्षक, एसीबी को सीधे रिपोर्ट करते हैं.

फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005.

हमने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (इसमें इसके पश्चात् 'कंपनी' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार संचालित की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है.

कंपनी की बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने **31 मार्च 2017** को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही, कंपनी ने इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, वर्णित रीति से और उसके अध्यधीन उपयुक्त बोर्ड- प्रक्रियाएँ और अनुपालन-प्रणाली लागू की हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार **31 मार्च 2017 को** समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियमावली तथा उप-विधियों;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमन;

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश :-

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 - **लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान और पूंजी जारी नहीं की है;**

   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 - **लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान उक्त विनियम के अंतर्गत निदेशकों / कर्मचारियों को कोई शेयर/ऑप्शन जारी नहीं किया है.**

   ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;

च. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ संव्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम,1993 - **लागू नहीं क्योंकि कंपनी समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है;**

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 - **लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी स्टाक एक्सचेंज से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध नहीं किया है/ असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं किया है;**

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम,1998 - **लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति की वापसी-खरीद नहीं की है/ वापसी-खरीद का प्रस्ताव नहीं किया है.**

vi. कंपनी ने कंपनी पर लागू पर निम्नलिखित विधियों की पहचान तथा पुष्टि की है:

1. बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891;
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934;
3. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 तथा बैंककारी कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित);
4. बैंककारी कंपनी (अभिलेखों के परिरक्षण की अवधि) नियम, 1985;
5. फेमा नियम, विनियम व समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं;
6. बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993;
7. धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 तथा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण आदि) नियम, 2005;
8. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002;
9. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007;

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और महासभा (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानक;

(ii) कंपनी द्वारा स्टाक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्धता करार तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), विनियम 2015.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है :

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि : -

- कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक के समुचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.
- सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त समय पहले सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट काफी समय पहले भेजे जाते हैं और बैठकों से पहले कार्य-सूची की मदों पर अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने तथा लेने के लिए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए व्यवस्था मौजूद है.
- बोर्ड तथा समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिये जाते हैं.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा तथा विभिन्न प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक (कों) में दर्ज किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र (त्रों) के आधार पर हमारा अभिमत है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं.

- जैसे कि सूचित किया गया है, कंपनी ने विभिन्न सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांग, दावा, दंड के नोटिसों का उत्तर दिया है और जहां आवश्यक पाया गया है वहाँ सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई की गई है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल ने:

1. 30 अगस्त 2016 को निजी नियोजन आधार पर कुल ₹ 1500 करोड़ राशि के ₹ 10,00,000/- प्रत्येक के 15,000, 11.09% वार्षिक ओम्नी अतिरिक्त टियर I बांड शृंखला I जारी और आबंटित किए;

2. 20 जनवरी 2017 को निजी नियोजन आधार पर कुल ₹ 1000 करोड़ राशि के ₹ 10,00,000/- प्रत्येक के 10,000, 10.95% वार्षिक ओम्नी अतिरिक्त टियर I बांड शृंखला II जारी और आबंटित किए;

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.**
कंपनी सचिव

ह./-
एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
सी. पी. नं. 1774

दिनांक : 5 मई 2017
स्थान : ठाणे

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
सीआईएनः L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई-400 005

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी सम दिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. यह कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करे, लागू सभी विधियों तथा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां तैयार करे और सुनिश्चित करें किये प्रणालियां पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से परिचालन करें.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों, सचिवीय अनुपालनों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुसरण किए गए मानकों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अपनी राय प्रकट करना है.
3. हमारा विश्वास है कि कंपनी प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारियां हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त हैं.
4. जहां भी आवश्यक है, हमने विधियों, नियमों व विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के बारे में प्रबंधन से प्रकथन प्राप्त किया है.

डिस्क्लेमर

5. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही कंपनी के कामकाज को संचालित करने की प्रबंधन की क्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है.
6. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की परिशुद्धता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.**
कंपनी सचिव

ह./-
एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
सी.पी नं. 1774

दिनांक : 5 मई 2017
स्थान : ठाणे

Auditors' Report On Corporate Governance

Mukund M. Chitale & Co
Chartered Accountants
2nd Floor Kapur House,
Paranjpe 'B' Scheme Road No. 1,
Vile Parle (East), Mumbai 400057

CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants,
15/17, Raghavji, 'B' Bldg,
Raghavji Road,
Off Kemps Corner Mumbai 400036

To the Members of **IDBI Bank Limited**

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by IDBI Bank Limited ('the Bank') for the year ended March 31, 2017 as per the relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as referred to in Regulation 15 (2) of the Listing Regulations.

The compliance with conditions of Corporate Governance as stipulated in Listing Regulations, is the responsibility of the Bank's management. Our examination was limited to a review of the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance with conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given and representations made by the Directors and the Management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Regulations.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Mukund M Chitale & Co.**
Chartered Accountants
FRN – 106655W

Sd/-
S.S. Dikshit
Partner (M. No. 041516)

For **CHOKSHI & CHOKSHI LLP**
Chartered Accountants
FRN – 101872W/ W100045

Sd/-
Nikesh K. Shah
Partner (M. No. 153520)

Place : Mumbai
Date : May 18, 2017

Corporate Governance Report

Brief Statement on Bank's Philosophy on Code of Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of corporate governance in its operations. Its policies and practices are not only in line with the statutory requirement, but also reflect its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high governance standards lies with the Bank's Board of Directors and various Board Committees, which are empowered to monitor implementation of the best corporate governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, the Bank is committed to ensure that its Board of Directors continues to be constituted according to the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. Besides, the other policy directives of the Bank are to establish a strategic control framework and continuously review its efficacy; set up clearly documented and transparent management processes to develop, implement and review policies, take decisions, monitor, control and report. The Bank provides free access of relevant information and resources to the Board, enabling it to carry out its role effectively.

Board of Directors

The Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of corporate governance, as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The Board functions directly as well as through various board committees constituted to provide focused governance in the important functional areas of the Bank.

Broadly, the terms of reference, as prescribed under the Companies Act, 2013 and LODR Regulations, are as follows:

- To make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;
- To authorise buy-back of securities under section 68;
- To issue securities, including debentures, whether in or outside India;
- To borrow monies;
- To invest the funds of the company;
- To grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans;
- To approve financial statement and the Board's Report;
- To diversify the business of the company;
- To approve amalgamation, merger or reconstruction;
- To take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company;
- To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP);
- To take note of appointment(s) or removal(s) of officials one level below the Key Management Personnel;
- To appoint Internal Auditors and Secretarial Auditor;
- To take note of the disclosure of directors' interest and shareholding;
- To buy, sell investments held by the company (other than trade investments), constituting five percent or more of the paid-up share capital and free reserves of the investee company;
- To approve quarterly, half-yearly and annual financial statements or financial results as the case may be;
- To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Bank, prepared by the Bank as well as steps taken by the Bank to rectify instances of non-compliances;
- To lay down a code of conduct for all members of Board of Directors and senior management of the listed entity;
- To ensure framing, implementing and monitoring the risk management plan for the listed entity;
- To undertake performance evaluation of Independent Directors;
- Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, risk policy, annual budgets and business

plans, setting performance objectives, monitoring implementation and corporate performance, and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestments;

- Monitoring the effectiveness of the listed entity's governance practices and making changes as needed;
- Selecting, compensating, monitoring and, when necessary, replacing key managerial personnel and overseeing succession planning;
- Aligning key managerial personnel and remuneration of board of directors with the longer term interests of the listed entity and its shareholders;
- Ensuring a transparent nomination process to the board of directors with the diversity of thought, experience, knowledge, perspective and gender in the board of directors;
- Monitoring and managing potential conflicts of interest of management, members of the board of directors and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions;
- Ensuring the integrity of the listed entity's accounting and financial reporting systems, including independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards;
- Overseeing the process of disclosure and communications;
- Monitoring and reviewing board of director's evaluation framework;
- To provide strategic guidance to the Bank, ensure effective monitoring of the management and to be accountable to the listed entity and the shareholders;
- To set a corporate culture and the values by which executives throughout group shall behave;
- To act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interest of the Bank and its shareholders;
- To encourage continuing directors' training to ensure that the members of board of directors are kept up to date;
- To treat all shareholders fairly;
- To maintain high ethical standards and take into account the interests of stakeholders;
- To exercise objective independent judgment on corporate affairs;
- To consider assigning a sufficient number of non-executive members of the board of directors capable of exercising independent judgment to tasks, where there is a potential for conflict of interest;
- To ensure that, while rightly encouraging positive thinking, these do not result in over-optimism that either leads to significant risks not being recognised or exposes the listed entity to excessive risk;
- Ability to step back to assist executive management by challenging the assumptions underlying: strategy, strategic initiatives (such as acquisitions), risk appetite, exposures and the key areas of the listed entity's focus. To define and disclose the mandate, composition and working procedures of the committees of the board of directors;
- To facilitate the independent directors to perform their role effectively as a member of the board of directors and also a member of a committee of board of directors;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/ statutory requirements or Government of India/ Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time;

As on March 31, 2017, the Board comprised of nine Directors including Shri Kishor Kharat, MD & CEO, Shri K. P. Nair, DMD and Shri G. M. Yadwadkar, DMD as Executive Directors, Shri Pankaj Jain and Shri Praveen Garg, Central Government official Nominees as Non-Executive Directors, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe, Shri Gyan Prakash Joshi and Ms. Neeru Abrol as Independent Directors. The strength of 9 (nine) Directors on the Board, as against the composition for maximum strength of 13 Directors provided under Article 116(1) of the Articles of Association, meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association.

W.e.f. April 3, 2017, vide GoI's letter dated March 18, 2017, Shri Mahesh Kumar Jain has taken over as MD & CEO of IDBI Bank in place of Shri Kishor Kharat. Further, w.e.f. April 28, 2017, the Board has appointed Dr. Ashima Goyal as Additional Director on the Board.

Relationship between Directors inter-se

None of the Directors on your Bank's Board is related in any manner, directly or indirectly, to any other Director.

Quorum for the Board Meetings

The quorum for Board Meetings shall be one-third of the total strength or two Directors, whichever is higher subject to at least one director being a nominee of the Central Government.

Frequency of Board Meetings

Meetings of the Board shall ordinarily be held at least six times in a year and at least once in every quarter and not more than one hundred and twenty days shall elapse between two Board meetings.

Number of Board Meetings held

During the period under review (April 01, 2016 – March 31, 2017), thirteen Board Meetings were held on April 29, 2016, May 20, 2016, June 29, 2016, July 29, 2016, August 11, 2016, September 29, 2016, October 25, 2016, November 30, 2016, December 30, 2016, February 7, 2017, February 21, 2017, March 07, 2017 and March 21, 2017. Out of these, four meetings of July 29, 2016, October 25, 2016, February 21, 2017 and March 7, 2017 were held in New Delhi, while all other meetings were held in Mumbai.

Details regarding attendance at Board Meetings, attendance at the last Annual General Meeting (AGM), directorships in other companies and memberships of committees, in respect of each Director of your Bank, are given in Table 1.

Table 1: Directors' Attendance at the Board Meetings and AGM, their Directorships and Committee Memberships

Name of Director	Attendance at your Bank's Board Meetings (Total No. of Meetings held - 13)	Attendance at the last AGM held on July 22, 2016	Director-ships in other companies (other public companies)	ACB/SRC Memberships/ (Chairman-ships) in other Companies
1	2	3	4	5
Whole Time Directors				
Shri Kishor Kharat, MD & CEO (DIN - 07266945)	12(13)	Present	0(0)	0(0)
Shri K. P. Nair, DMD (DIN - 02611496) [w.e.f.15.09.16]	8(8)	NA	2(2)	2(0)
Shri G. M. Yadwadkar, DMD (DIN - 01432796) [w.e.f. 15.09.16]	8(8)	NA	3(3)	1(0)
Shri B. K. Batra, DMD (DIN - 00015732) [up to 31.07.16]	4(4)	Present	3(3)	2(0)
Non Executive Directors				
Shri Pankaj Jain (DIN - 00675922) [w.e.f. 02.05.16]	12(12)	Not Present	6(5)	1(0)
Shri Praveen Garg (DIN - 00208604) [w.e.f. 07.02.17]	1(3)	NA	2(2)	0
Shri Ashok Pal Singh (DIN - 07562972) [w.e.f.29.06.16] [upto 29.12.16]	4(6)	Present	0	0
Ms. Snehlata Shrivastava (DIN - 06478173) [up to 01.05.16]	1(1)	NA	2(2)	2(0)

Name of Director	Attendance at your Bank's Board Meetings (Total No. of Meetings held - 13)	Attendance at the last AGM held on July 22, 2016	Director-ships in other companies (other public companies)	ACB/SRC Memberships/ (Chairman-ships) in other Companies
1	2	3	4	5
Independent Directors				
Shri S. Ravi (DIN - 00009790)	13(13)	Present	10(7)	10(5)
Shri Ninad Karpe (DIN - 00030971)	12(13)	Present	6(3)	3(1)
Shri Gyan Prakash Joshi (DIN - 00603925)	11(13)	Not Present	1(1)	1(0)
Shri Pankaj Vats (DIN - 06712380) [up to 14.12.16]	8(8)	Present	0	0
Ms. Neeru Abrol (DIN - 01279485) [w.e.f. 29.07.16]	8(9)	NA	6(6)	6(3)

Note: Figures in parentheses in column 4 indicate directorships in Public Companies and in column 5 indicate chairmanships of committees

A. Board Committees

The Board has a total of fifteen committees, namely:

- Audit Committee of the Board
- Executive Committee
- Stakeholders' Relationship Committee
- Frauds Monitoring Committee
- Risk Management Committee
- Corporate Social Responsibility Committee
- Customer Service Committee
- Information Technology Committee
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- HR Steering Committee
- Recovery Review Committee
- Independent Directors' Committee
- Non-Cooperative Borrowers' Review Committee
- Wilful Defaulters' Review Committee

1. Audit Committee of the Board (ACB)

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2017, Audit Committee of the Board (ACB) comprised of six members with Shri S. Ravi, a Chartered Accountant and an Independent Director, as the Chairman and Shri K. P. Nair, DMD, Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director, Shri Ninad Karpe, Shri Gyan Prakash Joshi and Ms. Neeru Abrol, Independent Directors as the other members. Shri G. M. Yadwadkar, DMD and Shri Praveen Garg, Government Nominee Director, were the Permanent Special Invitees in the ACB. The Roles & Powers of ACB are in line with the provisions of the Companies Act, 2013, relevant RBI guidelines and Regulation 18 read with Part C of Schedule II of the LODR Regulations.

The terms of reference prescribed under the Companies Act, 2013 are as follows:

- The recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company;
- Review and monitor the auditors' independence and performance, and effectiveness of the audit process;
- Examination of the financial statement and the auditors' report thereon;
- Approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties;
- Scrutiny of inter-corporate loans and investments;
- Valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary;

- Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
- Monitoring the end-use of funds raised through public offers and related matters;

The broader roles and responsibilities of ACB as per the Companies Act, 2013, LODR Regulations, the RBI and Government of India Guidelines, are as under:

- Review of exposure to sensitive sectors, i.e.
  - (a) Capital market;
  - (b) Real estate;
  - Know Your Customer (KYC)/ Anti Money Laundering (AML) Guidelines –
    - i. Review of implementation;
    - ii. Review of compliance of concurrent audit reports with respect to adherence to KYC/ AML guidelines at branches;
- Review of housekeeping - particularly balancing and reconciliation of long outstanding entries Suspense/ Sundries/ Drafts payable/ paid/ Funds in Transit/ Clearing/ Subsidiary General Ledger (SGL)/ Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts;
- Review of compliance in respect of the Annual Financial Inspection conducted by the RBI (ACB should review this on ongoing basis till the Bank furnishes full compliance. ACB should closely monitor persisting deficiencies pointed out in the RBI Inspection Reports);
- Review of Audit Plan and status of achievement thereof;
- Review of Significant Audit Findings/ Internal control weakness of the following audits along with the compliance thereof - (i) Long Form Audit Report (LFAR) (ii) Concurrent Audit (iii) Internal Inspection (iv) Information System (IS) Audit of Data Centre and other Departments (v) Treasury and Derivatives (vi) Management Audit at Controlling Offices/ Head Offices (vii) Audit of Service Branches (viii) Currency Chest (ix) Foreign Exchange Management Act (FEMA) Audit of branches authorised to deal in foreign exchange, etc;
- Compliance report on directives issued by ACB/ Board/ RBI;
- Report on compliance of regulatory requirement of Regulators in Host Countries in respect of overseas branches;
- Review of financial results for the quarter including management discussion, analysis of financial condition, management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;
- Review of information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers;
- Information in respect of equity share holdings in borrower companies more than 30% of their paid-up capital;
- Status of implementation of Ghosh Committee Report;
- Review of all fraud cases reported during the quarter ending March, June, September and December;
- Review of transactions with related parties;
- Review of (a) Risk Based Internal Audit Policy, (b) Concurrent Audit Policy and (c) IS Audit Policy;
- Review of accounting policies/ systems of the Bank with a view to ensuring greater transparency in the Bank's accounts and adequacy of accounting standards; review of any change during the year and their impact. A confirmation that accounting policies are in compliance with accounting standards and RBI guidelines;
- Review of adequacy of the internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit;
- Review of the Bank's Internal Financial Controls;
- Review of the Bank's Risk Management Systems;
- Appointment of statutory auditors, reviewing and monitoring the auditors' independence, performance, effectiveness of audit process, both for domestic and overseas operations;
- Review of annual accounts/ financial statements of the Bank and auditor's report thereon before submission to the Board for approval with particular reference to items (a) to (g) as indicated in Point A (4) of Part C of Schedule II of LODR Regulations;

- Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by them;
- Discussion with statutory auditors before the audit commences about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- Penalties imposed/ penal action taken against the Bank under various laws and statutes and action taken for corrective measures;
- Review of report on Revenue leakage detected by Internal/ External Auditors and status of recovery thereof - reasons for undercharges and steps taken to prevent revenue leakage;
- Report on end-use of funds raised through offer documents and Public Issue of funds (certified by Statutory Auditors) as well as (I) quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency in terms of Regulations 32 (1) and (II) Annual statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document in terms of Regulation 32 (7) of LODR Regulations;
- Review of the reasons for substantial defaults in payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;
- Review of Financial Statements including particular investments made by Unlisted Subsidiaries;
- Review of First Time NPAs;
- Dishonour of Cheques - ₹ 1 crore & above;
- Annual Review of Concurrent Audit System;
- Approval of Annual Audit Plan;
- Annual Review of Outsourced Vendors' Audit;
- Review the functioning of Vigil Mechanism (formerly Whistle Blower Mechanism) ;
- Approval of appointment of (i) Chief Financial Officer; (ii) Chief Internal Auditor and (iii) Chief Compliance Officer;
- Valuation of undertakings or assets of the listed entity wherever it is necessary.
- RBI Circulars having impact on the Bank's Accounts;
- Specific directions of ACB/ ACB Chairman in earlier Meetings along with the compliance status;
- NPA/ Recovery related matters reported in Recovery Review Committee (RRC) for adoption purpose;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/RBI directions notified from time-to-time;

Quorum for ACB Meetings

The quorum for ACB Meetings shall be one-third of the total strength or two members of ACB, whichever is higher, with at least two Independent Directors.

Frequency of ACB Meetings

The ACB shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall elapse between two ACB meetings.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), the ACB met fourteen times on April 29, 2016, May 11, 2016, May 20, 2016, June 29, 2016, August 11, 2016, September 29, 2016, October 18, 2016, October 24, 2016, November 30, 2016, December 21, 2016, February 6, 2017, February 7, 2017, February 21, 2017 and March 7, 2017.

2. Executive Committee (EC)

Composition and brief terms of reference

The Executive Committee has been constituted to consider all matters of credit approvals including sanction of loans and advances, modifications in terms and conditions, etc.

As on March 31, 2017, the Executive Committee (EC) comprised of five members viz; S/Shri Kishor Kharat, MD & CEO, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD, S. Ravi and Ninad Karpe, Independent Directors.

The broader role and responsibilities of EC are as under

- Sanction of high-value credit proposals with exposure of more than ₹ 400 crore (Group exposure of more than ₹ 800 crore) ;
- Modification in terms and conditions of sanctions made by EC;
- Reporting of Minutes of the Credit Committees;

- Sanction of Proposals for One Time Settlements;
- Sanction of Proposals with exposure of more than ₹ 25 lakh to :
  - (i) directors (including the Chairman/ Managing Director) of other banks;
  - (ii) any firm in which any of the directors of other banks is interested as a partner or guarantor; and
  - (iii) any company in which any of the directors of other banks holds substantial interest or is interested as a director or as a guarantor;
- Sanction of Proposals with exposure of more than ₹ 25 lakh to :
  - i. any relative of the Chairman/Managing Directors or other Directors of the Bank;
  - ii. any relative of the Chairman/Managing Director or other directors of other banks;
  - iii. any firm in which any of the relatives as mentioned in (i) & (ii) above is interested as a partner or guarantor; and
  - iv. any company in which any of the relatives as mentioned in (i) & (ii) above hold substantial interest or is interested as a director or as a guarantor;
- Reporting of sanctions of Securitisation Portfolios;
- Review and Reporting of First Time NPAs (FTNPAs);
- Review and Reporting of status of security creation in respect of EC-approved cases;
- Proposals for conversion of dues and receivables into investment instrument(s) ;
- Approval for bidding in Initial Public Offerings (IPOs)/ Follow-on Public Offers (FPOs)/Qualified Institutional Placements (QIPs);
- Investment in Equity/ Preference Shares/ convertible/ non-convertible debentures, Bonds etc. (at par/ premium) in companies/ Security Receipts of Asset Reconstruction Companies (ARCs)/ Venture and Private Equity Funds/ New Fund Offerings (NFOs) of Mutual Funds, etc;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/RBI directions notified from time-to-time.

Quorum for EC Meetings

The quorum for EC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of EC, whichever is higher.

Frequency of EC Meeting

EC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), twenty four meetings of the Executive Committee were held on April 11, 2016, April 29, 2016, May 11, 2016, May 27, 2016, June 16, 2016, July 11, 2016, July 22, 2016, August 11, 2016, August 30, 2016, September 15, 2016, September 29, 2016, October 18, 2016, November 11, 2016, November 30, 2016, December 13, 2016, December 20, 2016, December 30, 2016, January 4, 2017, January 23, 2017, January 31, 2017, February 21, 2017, March 07, 2017, March 21, 2017 and March 29, 2017.

3. Stakeholders' Relationship Committee (SRC)

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2017, the Stakeholders' Relationship Committee (SRC) of your Bank comprised of four members with Ms. Neeru Abrol, an Independent Director chairing the meetings and Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD and Shri S. Ravi, Independent Director as other members. The Committee has been constituted to look into the redressal of shareholders' and investors' grievances pertaining to share transfers, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividend and so on. This committee functions as per the terms of reference provided under section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations. The broader role and responsibilities of SRC are as under:

(i) The SRC will specifically look into the mechanism of redressal of grievances of Shareholders, Bondholders and other security holders;

(ii) The SRC will consider and resolve the grievances of all security holders of the Bank including the complaints relating to transfer of shares, non-receipt of Annual Report and non-receipt of declared dividends;

(iii) Towards achieving the mandate as given at points (i) and (ii) above, the SRC will consider and review the Equity Servicing as well as Bonds servicing reports of the Bank in each of its meetings and give directions, wherever deemed necessary;

(iv) Review of the report on Equity servicing ;

(v) Report on servicing of Flexibonds;

(vi) Reporting of Reconciliation of share capital Audit Report;

(vii) Reporting of details of Investors' complaints submitted to stock exchanges;

(viii) To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/RBI directions notified from time-to-time.

Quorum for SRC Meetings

The quorum for SRC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of SRC, whichever is higher

Frequency of SRC Meeting

SRC Meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), four SRC meetings were held on June 29, 2016, September 29, 2016, December 30, 2016 and March 07, 2017.

4. Frauds Monitoring Committee (FMC)

Composition and brief terms of reference

The Frauds Monitoring Committee has been constituted as a special committee for monitoring and following up Fraud Cases of ₹ 1 crore and above. It has been set up to detect, monitor and address frauds.

As on March 31, 2017, the Frauds Monitoring Committee (FMC) comprised of six members with S/Shri Kishor Kharat, MD & CEO, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD, S. Ravi, Ninad Karpe and Gyan Prakash Joshi, Independent Directors as its members.

The broader role and responsibilities of FMC are as under

- Identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same;
- Identify the reasons for delay in detection of fraud, if any, reporting to top management of the Bank and RBI;
- Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position;
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and action, if required, is completed quickly without loss of time;
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls;
- Review the Red Flagged Accounts and the status of remedial action taken/investigation ordered in the outstanding Red Flagged Accounts;
- To take note of completion of staff accountability exercise in fraud cases and the action taken thereon;
- Status of Recovery in fraud cases including recovery from cases being investigated by CBI, Police, etc;
- Review of Vigilance activities in the Bank;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/RBI directions notified from time-to-time.

Quorum for FMC Meetings

The quorum for FMC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of FMC, whichever is higher.

Frequency of FMC Meeting

FMC is required to meet and review as and when a fraud involving an amount of ₹ 1 crore and above comes to light.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), six meetings of FMC were held on July 11, 2016, September 15, 2016, November 11, 2016, December 30, 2016, March 07, 2017 and March 21, 2017.

5. Risk Management Committee (RMC)

Composition and brief terms of reference

The Risk Management Committee has been constituted to assess various risks associated with

Bank's business, their mitigation, address the issues related to asset liability mismatch and also monitor and review the Risk Management Plan of the Bank.

As on March 31, 2017, the Risk Management Committee (RMC) of the Board comprised of six members, viz. S/Shri S. Ravi as Chairman, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD, Praveen Garg, Government Nominee Director, Ninad Karpe and Gyan Prakash Joshi, Independent Directors as its members. RMC also fulfills the mandate/terms of reference provided under Regulation 21 of the LODR Regulations. The broader role and responsibilities of RMC are as under:

- Evaluating the overall risks faced by the Bank including liquidity risk;
- The potential interaction of liquidity risk with other risks should also be included in the risks addressed by RMC;
- Reporting of projections of cash flows and measuring liquidity risk, assumptions used;
- Recommendation of Policies, viz., Credit Policy, Recovery Policy, Fund Management Policy, Risk Management Policy, Asset Liability Policy, Operational Risk and Business Continuity Management (OR & BCM) Policy, DIFC Branch Asset Liability Management (ALM) Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Market Risk and Derivative Policy, Country Risk Management Policy & Country Risk Limits, Investment Policy, etc. to the Board;
- Review of progress in implementation of Risk Management System/ ALM & Risk Based Supervision ;
- Review of progress Report on Operational Risk & Business Continuity Management ;
- Review of progress in implementation of Risk Based Internal Audit;
- Review of Market Risk Report of Trading Portfolio;
- Review of Results of Stress Test;
- Review of activities undertaken in Risk Management Department;
- Migration and Default analysis of Internal Ratings;
- Asset Liability Management Review;
- Review of Basel III implementation and other activities undertaken in Risk Management Department;
- Policy on Collateral Management and Customer Relationship Management (CRM) Techniques;
- Reporting of Minutes of Systems Product Approval & Review Committee (SPARC) I & II;
- Review of Status of Preparedness for Basel II and III;
- Policy on Counter Party Bank Limits and Allocation of Limits for Domestic & International Banks;
- Credit Exposure – Review and Compliance of Norms;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/RBI directions notified from time-to-time.

Quorum for RMC Meetings

The quorum for RMC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of RMC, whichever is higher.

Frequency of RMC Meeting

RMC Meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), the RMC held six meetings on April 29, 2016, July 11, 2016, September 15, 2016, September 29, 2016, December 30, 2016 and March 21, 2017.

6. Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)

Composition and brief terms of reference

In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility Committee (CSRC) of the Board has been constituted. As on March 31, 2017, the Committee comprised of S/Shri Kishor Kharat, MD & CEO, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD and Gyan Prakash Joshi, Independent Director as its members.

The primary responsibilities of the CSR Committee are:

(i) To formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Bank as specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013;

(ii) To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in clause (i);

(iii) To monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the Bank from time-to-time;

(iv) To review the progress report on Corporate Social Responsibility activities on half yearly basis; and

(v) To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/RBI directions notified from time-to-time.

Quorum for CSRC Meetings

The quorum for CSRC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of CSRC, whichever is higher.

Frequency of CSRC Meeting

CSRC Meetings will be held on half-yearly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), three meetings of the CSR Committee were held on April 29, 2016, June 29, 2016 and October 25, 2016.

7. Customer Service Committee (CSC)

Composition and brief terms of reference

The Customer Service Committee has been constituted to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the governance structure for customer protection and service in the banking systems and also to bring about on-going improvements in quality of customer service provided by the Bank.

As on March 31, 2017, Customer Service Committee (CSC) comprised of six members viz., S/Shri Kishor Kharat, MD & CEO, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD, Pankaj Jain, Government Nominee Director, Ninad Karpe and Gyan Prakash Joshi, Independent Directors.

The broader role and responsibilities of CSC are as under:

- To look into the customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment;
- Formulation of a Comprehensive Deposit Policy;
- Issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his/ her account;
- Product approval process with a view to ensuring suitability and appropriateness;
- Annual survey of depositor satisfaction;
- Triennial audit of such services;
- To play more pro-active role with regard to complaints / grievances resolved by Banking Ombudsmen of various States;
- To take note of all the awards given by the Banking Ombudsmen;
- To review all the awards remaining unimplemented for more than three months with the reasons therefor;
- Review of measures taken for Customer Protection & Service in IDBI Bank;
- Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) Code Compliance Rating;
- Revision of Grievance Redressal Policy;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/RBI directions notified from time-to-time.

Quorum for CSC Meetings

The quorum for CSC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of CSC, whichever is higher.

Frequency of CSC Meeting

CSC Meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), four meetings of the Customer Service Committee were held on June 29, 2016, August 11, 2016, November 30, 2016 and March 07, 2017.

8. Information Technology Committee (ITC)

Composition and brief terms of reference

The Information Technology Committee has been constituted to put in place an effective technology platform in the Bank. The objectives were to render various IT enabled services to customers; to help in streamlining the approach and to assist in launching new IT products and to provide related services.

As on March 31, 2017, the Information Technology Committee (ITC) comprised of four members with Shri Ninad Karpe, Independent Director, an expert IT Professional, as Chairman and S/Shri K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD and Gyan Prakash Joshi as its members.

The broader role and responsibilities of ITC are as under:

- Recommendation of Proposed IT Budget to the Board;
- Review of IT Budget Utilisation;
- To review launch of various products and IT enabled services to Bank's customers;
- To review development, procurement and operations of various software/hardware, either in-house or purchased from outside, and to formulate procedures for inviting tenders or other process for selection of technology;
- Overseeing the execution, implementation and operations of systems and procedures;
- To oversee integration of branches through technology and development of MIS for the Bank;
- To review update of Technology Architecture and Major IT initiatives undertaken;
- Review of Information Security Incidents;
- Review of performance of Digital Banking and Emerging Payments;
- Review of Information Security Policy;
- Review of IT Policy;
- Assessing Cyber Security Preparedness;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/RBI directions notified from time-to-time.

Quorum for ITC Meetings

The quorum for ITC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of ITC, whichever is higher.

Frequency of ITC Meeting

ITC Meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), nine meetings of the Information Technology Committee were held on April 11, 2016, April 30, 2016, June 16, 2016, July 11, 2016, July 22, 2016, August 30, 2016, November 11, 2016, December 30, 2016 and March 21, 2017.

9. Remuneration Committee (RC)

Composition and brief terms of reference

A Remuneration Committee has been set up to consider and approve the payment of annual performance-linked incentives to MD & CEO and DMDs. The Remuneration Committee also fulfils the mandate/terms of reference provided under section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 19 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations. As on March 31, 2017, it comprised of five members with Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director, as the Chairman and Shri Praveen Garg, Government Nominee Director, Shri Ninad Karpe, Ms. Neeru Abrol and Shri Gyan Prakash Joshi as its members.

The broader role and responsibilities of RC are as under:

- Evaluation of annual performance-linked incentives to the MD & CEO and DMDs as per Government of India guidelines issued on the subject;
- Submission of above Evaluation Report to the Board;
- Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/RBI directions notified from time-to-time.

Quorum of RC Meetings

The quorum for RC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of RC, whichever is higher

Frequency of RC Meeting

Remuneration Committee will meet as and when required including to approve Performance Linked Incentives for a particular Financial Year. As per LODR Regulations and Companies Act, 2013, no mandatory periodicity for Remuneration Committee Meetings has been prescribed.

10. Nomination Committee (NC)

Composition and brief terms of reference

In compliance with the guidelines earlier issued by RBI, a Nomination Committee was constituted to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of Directors elected by

shareholders other than the Central Government and Central Government Banks & Institutions. In view of appointment of Independent Directors to be elected by all shareholders, the above exercise is no longer applicable and needed. However, the Nomination Committee now fulfils the mandate/terms of reference provided under section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 19 read with Part D of Schedule II of the LODR Regulations.

As on March 31, 2017, the Nomination Committee comprised of three Independent Directors, namely Shri Ninad Karpe as the Chairman, Shri S. Ravi and Ms. Neeru Abrol as the members.

The broader role and responsibilities of NC are as under:

- Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board of Directors a policy relating to appointment and evaluation of Directors;
- Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- Devising a policy on diversity of Board of Directors;
- To identify persons who are qualified for appointment as Independent Directors in accordance with Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- To recommend to the Board the appointment and removal of Directors in accordance with the criteria laid down in the Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/RBI directions notified from time-to-time.

Quorum of NC Meetings

The quorum for NC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of NC, whichever is higher.

Frequency of NC Meetings

NC shall meet as and when required.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), one meeting of the Nomination Committee was held on July 29, 2016.

11. HR Steering Committee (HRSC)

Composition and brief terms of reference

The Human Resources (HR) Steering Committee (HRSC) has been constituted to deal with the matters relating to human resources and to discuss critical issues in HR.

As on March 31, 2017, HRSC comprised of six members, namely S/Shri Kishor Kharat, MD & CEO, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD, Pankaj Jain, Government Nominee Director, Praveen Garg, Government Nominee Director and S. Ravi, Independent Director.

The broader role and responsibilities of HRSC are as under:

- Making policies pertaining to recruitment and training;
- Review of performance management, compensation and career development initiatives;
- Consider Management development and succession planning;
- Alignment of the HR strategy to the business strategy and plan; and
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/RBI directions notified from time to time.

Quorum for HRSC Meetings

The quorum for HRSC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of HRSC, whichever is higher.

Frequency of HRSC Meeting

HRSC Meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), five meetings of the HR Steering Committee were held on May 11, 2016, June 14, 2016, September 29, 2016, October 25, 2016 and February 6, 2017.

12. Recovery Review Committee (RRC)

Composition and brief terms of reference

Recovery Review Committee (RRC) has been constituted for reviewing recovery from NPAs, stressed

accounts, written-off cases, Official Liquidator cases, Debt Recovery Tribunal (DRT) cases and to monitor the progress of recovery and so on.

As on March 31, 2017, the RRC comprised of six members, viz. S/Shri Kishor Kharat, MD & CEO, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD, Pankaj Jain, Government Nominee Director, Praveen Garg, Government Nominee Director and S. Ravi, Independent Director.

The broader role and responsibilities of RRC are as under:

- Review of Recovery Performance of Non-Performing Assets (NPAs)/ Written Off Accounts;
- Review of Stressed Structured Retail Assets and Quick Mortality Assets cases;
- Review of Top 100 NPAs of the Bank;
- Review of Stressed Accounts of Corporate Verticals;
- Status Report on Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest (SARFAESI) Act, 2002;
- Review of Special Mention Accounts (SMA)-2;
- Review of suit-filed cases;
- Review of First Time NPAs (FTNPAs)/ Wilful Defaulters;
- Quarterly Review of NPAs ;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/ RBI directions notified from time-to-time.

Quorum for RRC Meetings

The quorum for RRC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of RRC, whichever is higher.

Frequency of RRC Meeting

RRC Meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), four meetings of the Recovery Review Committee were held on May 20, 2016, September 29, 2016, December 30, 2016 and March 07, 2017.

13. Independent Directors' Committee (IDC)

Composition and brief terms of reference

The Independent Directors' Committee has been constituted in terms of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and Regulation 25 of the LODR Regulations. As on March 31, 2017, the Independent Directors' Committee comprised four members, viz. Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe, Shri Gyan Prakash Joshi and Ms. Neeru Abrol, Independent Directors.

The broader role and responsibilities of IDC are as under:

- Review the performance of non-independent directors and the Board as a whole;
- Review the performance of the Chairperson of the company, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors;
- Assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the company management and the Board which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India/RBI directions notified from time-to-time.

Quorum for IDC Meetings

The quorum for IDC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of IDC, whichever is higher. However, as per schedule IV of the Companies Act, 2013, all independent directors shall strive to be present in IDC meetings.

Frequency of IDC Meeting

IDC Meetings will be held at least once in a year.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), one meeting of the Independent Directors' Committee was held on February 21, 2017.

14. Non-Co-operative Borrowers' Review Committee (NCBRC)

Composition and brief terms of reference

The Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NCBRC) was constituted comprising MD & CEO and two Independent Directors. As on March 31, 2017, the Committee comprised of Shri Kishor Kharat, MD & CEO, Shri Ninad Karpe and Ms. Neeru Abrol, Independent Directors as members.

The broader role and responsibilities of NCBRC is:

- To review the internal Non-Co-operative Borrowers' Committee's orders/decisions of classifying a borrower as non–co-operative borrower.
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/ statutory requirements or Government of India/ RBI directions notified from time-to-time.

Quorum for NCBRC Meetings

The quorum for NCBRC Meetings shall be all members present.

Frequency of NCBRC Meeting

NCBRC is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as 'Non-Co-operative Borrower', is taken by internal Non-Cooperative Borrower Committee of the Bank.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), 1 (one) meeting of Non-Co-operative Borrowers' Review Committee was held on March 21, 2017.

15. Wilful Defaulters' Review Committee (WDRC)

Composition and brief terms of reference

The Wilful Defaulters Review Committee (WDRC) was constituted on February 6, 2015 consisting of MD & CEO and two Independent Directors. As on March 31, 2017, the Committee comprised of S/Shri Kishor Kharat, MD & CEO, S. Ravi and Gyan Prakash Joshi, Independent Directors as members.

The broader role and responsibilities of WDRC are:

- To review the internal Wilful Defaulters' Committee's orders/decisions of classifying a borrower as wilful defaulter.
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/ statutory requirements or Government of India/ RBI directions notified from time-to-time.

Quorum for WDRC Meeting

The quorum for WDRC Meetings shall be all members present.

Frequency of WDRC Meeting

WDRC is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as 'Wilful Defaulter', is taken by internal Wilful Defaulters' Committee of the Bank.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2016 – March 31, 2017), 1 (one) meeting of Wilful Defaulters' Review Committee was held on March 21, 2017.

Details of attendance of Directors at Committee Meetings are given in Table 2

Table 2 : Directors' Attendance at the Committee Meetings (April 1, 2016 to March 31, 2017)

Sr. No.	Names of Directors	ACB		BRC		EC		SRC		FMC		RMC		CSRC		CSC		ITC		RC		NC		HRSC		RRC		IDC		NCBRC		WDRC	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
1.	Shri Kishor Kharat, MD & CEO (DIN-07266945)	-	-	3	2	24	22	-	-	6	6	-	-	3	3	4	4	-	-	-	-	-	-	5	5	4	4	-	-	1	1	1	1
2.	Shri K. P. Nair, DMD (DIN-02611496) [w.e.f.15.09.16]	9	9	-	-	14	14	3	3	4	4	3	3	1	1	2	2	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
3.	Shri G. M. Yadwadkar, DMD (DIN-01432796) [w.e.f. 15.09.16]	-	-	-	-	14	14	3	3	4	4	3	3	1	1	2	2	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
4.	Shri B. K. Batra, DMD (DIN-00015732) [upto July 31, 2016]	4	4	3	3	7	7	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	5	4	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
5.	Shri Pankaj Jain (DIN-00675922) [w.e.f. 02.05.16]	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	0	0	-	-	5	5	4	3	-	-	-	-	-	-
6.	Shri Praveen Garg (DIN-00208604) [w.e.f. 07.02.17]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
7.	Shri Ashok Pal Singh (DIN-07562972) [w.e.f.29.06.16] [upto 29.12.16]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Sr. No.	Names of Directors	ACB		BRC		EC		SRC		FMC		RMC		CSRC		CSC		ITC		RC		NC		HRSC		RRC		IDC		NCBRC		WDRC	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
8.	Ms. Snehlata Shrivastava, (DIN- 06478173) [upto 01.05.16]	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
9.	Shri S. Ravi (DIN-00009790)	14	14	3	3	24	24	3	3	6	6	6	5	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	5	5	4	4	1	1	0	0	1	1
10.	Shri Ninad Karpe (DIN-00030971)	14	12	-	-	24	20	-	-	6	6	6	6	3	3	4	3	9	9	0	0	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	0	0
11.	Shri Pankaj Vats (DIN-06712380) [upto 14.12.16]	9	8	3	3	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	-	-	7	7	0	0	1	1	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0
12.	Shri Gyan Prakash Joshi (DIN-00603925)	14	13	3	1	-	-	-	-	6	5	6	5	0	0	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	1	1
13.	Ms. Neeru Abrol (DIN-01279485) [w.e.f. 29.07.16]	5	5	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-

H – Meetings Held during Director's tenure
A – Meetings Attended by the Director

Extract of the Annual Return

In terms of the provisions of Section 92(3) read with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 and Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return on the prescribed form MGT 9 is given herein below :

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i.	CIN	L65190MH2004GOI148838
ii.	Registration Date	September 27, 2004
iii.	Name of the Company	IDBI Bank Ltd.
iv.	Category/ Sub-Category of the Company	Public Limited Company/ Limited by Shares
v.	Address of the Registered office and contact details	Registered Office: IDBI Bank Ltd., IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400005 Contact Details: Ph: (022) 66553355, 22189111 Fax: (022) 22180411 Website: www.idbi.com
vi.	Whether listed Company	Yes
vii.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent	Karvy Computershare Private Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Tel. No.(040) 67162222 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No.(040) 23420814 email : einward.ris@karvy.com

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

Sr. No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/ Service	% of total turnover of the company
1.	Monetary intermediation of commercial banks, saving banks, postal savings bank and discount houses.	64191	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	Name and Address of the company	CIN / GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares	Applicable Section
1	IDBI Capital Markets & Securities Ltd. 3rd Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021.	U65990MH1993GOI075578	Subsidiary	100%	2(87)
2	IDBI Intech Ltd. IDBI Building, 1st Floor, Plot No. 39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614.	U72200MH2000GOI124665	Subsidiary	100%	2(87)
3	IDBI MF Trustee Company Ltd. IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005	U65991MH2010PLC199326	Subsidiary	100%	2(87)
4	IDBI Asset Management Ltd. 5th Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021.	U65100MH2010PLC199319	Subsidiary	66.67%	2(87)
5	IDBI Trusteeship Services Ltd. Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001.	U65991MH2001GOI131154	Subsidiary	54.70%	2(87)
6	IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. 1st Floor, Tradeview, Oasis Complex, Kamala City, P.B. Marg, Lower Parel (W). Mumbai – 400 013	U66010MH2007PLC167164	Joint Venture	48%	2(6)
7	National Securities Depository Ltd. 'A' Wing, 4th Floor, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013.	U74120MH2012PLC230380	Associate	30%	2(6)
8	NSDL E-governance Infrastructure Ltd. Times Tower, 1st Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013.	U72900MH1995PLC095642	Associate	30%	2(6)
9	Biotech Consortium India Ltd. 5th floor, Anuvrat Bhawan. 210, Deen Dayal Upadhyaya Marg New Delhi – 110 002	U73100DL1990PLC041486	Associate	27.93%	2(6)
10	North Eastern Development Finance Corporation Ltd. NEDFi House, Dispur, Guwahati - 781006.	U65923AS1995GOI004529	Associate	25%	2(6)
11	Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Ltd. 60, Romain Rolland Street, Puducherry - 605 001.	U65923PY1974SGC000121	Associate	21.14%	2(6)

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital - Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders			No. of shares held at the beginning of the year				No. of shares at the end of the year				% change during the year
			Demat	Physical	Total	% of Total shares	Demat	Physical	Total	% of Total shares	
A.	**Promoters**										
	(1)	**Indian**									
	a)	Individuals/ Hindu Undivided Family	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	Central Government	1523113202	0	1523113202	73.98	1523113202	0	1523113202	73.98	0
	c)	State Government(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d)	Bodies Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e)	Financial Institutions/ Banks	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f)	Any Other (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sub-Total (A)(1)	1523113202	0	1523113202	73.98	1523113202	0	1523113202	73.98	0
	(2)	**Foreign**									
	a)	NRIs-Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	Other-Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c)	Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d)	Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e)	Any Other (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sub-Total (A)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Shareholding of Promoter (A)= (A)(1)+(A)(2)	1523113202	0	1523113202	73.98	1523113202	0	1523113202	73.98	0
B.	**Public Shareholding**										
	1.	**Institutions**									
	a)	Mutual Funds	189079	100	189189	0.01	1915111	100	1915211	0.09	-0.08
	b)	Banks/FI	18144974	7786	18152760	0.88	14983097	7786	14990883	0.73	0.15
	c)	Central Government	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d)	State Government(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e)	Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f)	Insurance Companies	152765927	158761801	311527728	15.13	300248544	0	300248544	14.57	0.56
	g)	FIIs	53325920	2020	53327940	2.59	52096672	2020	52098692	2.53	0.06
	h)	Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	
	i)	Any Other (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		State Finance Corporation	0	35680	35680	0	0	35680	35680	0	0
		NBFC	18482	0	18482	0	23963	0	23963	0	0
		Sub-Total (B)(1)	**224425900**	**15877107**	**383197607**	**18.61**	**369243424**	**9906**	**36925330**	**17.94**	**0.68**
	2.	**Non-Institutions**									
	a)	Bodies Corporate									
	i)	Indian	17421626	300919	17722545	0.86	26352353	300919	26653272	1.29	-0.43
	ii)	Overseas									
	b)	**Individuals**									
	(i)	Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹ 1 lakh.	89837993	14452244	104290237	5.07	89509965	14004994	103514959	5.04	0.03
	(ii)	Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh.	22703883	109480	22813363	1.11	26987814	109480	27097294	1.32	-0.21
	c)	**Any Others (specify)**									
		Clearing Members	2014563	0	2014563	0.10	3437735	0	3437735	0.17	-0.07
		Non Resident Indians	3626556	1656833	5283389	0.26	3660518	1630633	5291151	0.26	0.00
		Societies	0	28960	28960	0	0	28960	28960	0	0
		Trusts	260253	36800	297053	0.01	328735	36800	365535	0.02	-0.00
		Sub-Total (B)(2)	135864874	16585236	152450110	7.41	150277120	16111786	166388906	8.08	-0.68
		Total Public Shareholding (B)= (B)(1)+(B)(2)	360309256	175392623	535701879	26.02	519544507	16157372	535701879	26.02	-
C.	**Shares held by Custodian for GDRs &ADRs**										
	Grand Total (A+B+C)		1883422458	175392623	2058815081	100	2042657709	16157372	2058815081	100	

ii) Shareholding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			
		No. of shares	% of total shares of the Bank	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the Bank	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	%change in shareholding during the year
1.	Government of India	1523113202	73.98%	0	1523113202	73.98%	0	0

iii) Change in Promoters' Shareholding

Sr. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
1.	**Government of India**				
	At the beginning of the year	1523113202	73.98%	1523113202	73.98%
	Date-wise increase/ decrease in Promoters shareholding during the year	0	0	1523113202	73.98%
	At the end of the year			1523113202	73.98%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sr. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
1.	Life Insurance Corporation of India	At the beginning of the year	253493167	12.31		
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year				
		Sale -17.03.17	-2500000	-0.12	250993167	12.19
		Sale - 24.03.17	-4128460	-0.20	246864707	11.99
		Sale - 31.03.17	-6400052	-0.31	240464655	11.68
		At the End of the Year			240464655	11.68
2.	LIC of India Market Plus Growth Fund	At the beginning of the year	17555855	0.85	17555855	0.85
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the End of the Year			17555855	0.85
3.	Small Industries Development Bank of India	At the beginning of the year	10500000	0.51	10500000	0.51
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the End of the Year			10500000	0.51

Sr. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
4.	United India Insurance Company Limited	At the beginning of the year	8057143	0.39	8057143	0.39
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the End of the Year			8057143	0.39
5.	LIC of India Market Plus 1 Growth Fund	At the beginning of the year	7902237	0.38	7902237	0.38
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the end of the year			7902237	0.38
6.	LIC of India Money Plus Growth Fund	At the beginning of the year	6869656	0.33	6869656	0.33
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the end of the year			6869656	0.33
7.	Emerging Markets Core Equity Portfolio (The Portfolio) of DFA Investment Dimensions Group Inc.	At the beginning of the year	6460834	0.31	6460834	0.31
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year				
		Sale- 16.09.16	-59604	0	6401230	0.31
		Sale-04.11.16	-89844	0	6311386	0.31
		Sale-25.11.16	-17923	0	6293463	0.31
		Sale-24.03.17	-177892	0	6115571	0.30
		Sale-31.03.17	-86762	0	6028809	0.29
		At the End of the Year			6028809	0.29
8	Ashish Rameshkumar Goenka	At the beginning of the year	5218753	0.25	5218753	0.25
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year				
		Purchase-06.05.16	310000	0.02	5528753	0.27
		Purchase-03.06.16	65000	0	5593753	0.27
		Sale-29.07.16	-375000	-0.02	5218753	0.25
		Sale-12.08.16	-1504000	-0.07	3714753	0.18
		Purchase-09.09.16	696000	0.03	4410753	0.21
		Purchase-16.09.16	2000000	0.10	6410753	0.31
		Purchase-04.11.16	375000	0.02	678753	0.33
		Sale-11.11.16	-376000	-0.02	6409753	0.31
		Purchase-06.01.17	52682	0	6462435	0.31
		Purchase-03.02.17	323318	0.02	678753	0.33
		At the End of the Year			678753	0.33

Sr. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
9	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, ASERIES of Vanguard International Equity Index Fund	At the beginning of the year	5117645	0.25	5117645	0.25
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year				
		Purchase-08.04.16	26712	0	5144357	0.25
		Purchase-22.04.16	19680	0	5164037	0.25
		Purchase-10.06.16	23092	0	5187129	0.25
		Purchase-24.06.16	83336	0.01	5270465	0.26
		Purchase-22.07.16	17046	0	5287511	0.26
		Purchase-29.07.16	53838	0	5341349	0.26
		Purchase-05.08.16	44591	0	5385940	0.26
		Purchase-12.08.16	48375	0	5434315	0.26
		Purchase-19.08.16	68800	0.01	5503115	0.27
		Purchase-09.09.16	28110	0	5531225	0.27
		Purchase-07.10.16	29984	0	5561209	0.27
		Purchase-14.10.16	20614	0	5581823	0.27
		Purchase-21.10.16	70275	0	5652098	0.27
		Purchase-28.10.16	28110	0.01	5680208	0.28
		Purchase-11.11.16	60905	0	5741113	0.28
		Purchase-25.11.16	74023	0	5815136	0.28
		Purchase-02.12.16	42165	0	5857301	0.28
		Purchase-06.01.17	25008	0.01	5882309	0.29
		Purchase-13.01.17	53142	0	5935451	0.29
		Purchase-20.01.17	25008	0	5960459	0.29
		Purchase-03.02.17	75024	0	6035483	0.29
		Purchase-17.02.17	20840	0	6056323	0.29
		Purchase-24.03.17	45450	0.01	6101773	0.30
		Purchase-31.03.17	44440	0	6146213	0.30
		At the End of the Year			6146213	0.30
10	The Emerging Markets Small Cap Series of the DFA Investment Trust Company	At the beginning of the year	3911420	0.19	3911420	0.19
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year				
		Purchase-29.07.16	72201	0	3983621	0.19
		Purchase-05.08.16	392832	0.02	4376453	0.21
		Purchase-12.08.16	30353	0	4406806	0.21
		Sale-16.12.16	-96018	0	4310788	0.21
		At the End of the Year			4310788	0.21

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
Directors						
1.	Shri Kishor Kharat, MD & CEO (DIN-07266945)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
2.	Shri K. P. Nair, DMD (DIN-02611496) [w.e.f.15.09.16]	At the beginning of the year	320	Negligible	320	Negligible
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	320	Negligible
		At the end of the year (or on the date of separation)	320	Negligible	320	Negligible
3.	Shri G. M. Yadwadkar, DMD (DIN-01432796) [w.e.f. 15.09.16]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
4.	Shri B. K. Batra, DMD (DIN- 00015732) [up to 31.07.16]	At the beginning of the year	1,001	Negligible	1,001	Negligible
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	1,001	Negligible
		At the end of the year (or on the date of separation)	1,001	Negligible	1,001	Negligible
5.	Shri Pankaj Jain (DIN-00675922) [w.e.f. 02.05.16]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
6.	Shri Praveen Garg (DIN-00208604) [w.e.f. 07.02.17]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
7.	Shri Ashok Pal Singh (DIN-07562972) [w.e.f.29.06.16] [up to 29.12.16]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
8.	Ms. Snehlata Shrivastava (DIN- 06478173) [up to 01.05.16]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
9.	Shri S. Ravi, Independent Director (DIN- 00009790)	At the beginning of the year	200	Negligible	200	Negligible
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	200	Negligible
		At the end of the year (or on the date of separation)	200	Negligible	200	Negligible
10.	Shri Ninad Karpe, Independent Director (DIN- 00030971)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
11.	Shri Pankaj Vats, Independent Director (DIN- 06712380) [up to 14.12.16]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
12.	Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director (DIN- 00603925)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
13.	Ms. Neeru Abrol, Independent Director (DIN-01279485) [w.e.f. 29.07.16]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
Key Managerial Personnel						
1.	Shri N. S. Venkatesh, CFO [up to 30.06.16]	At the beginning of the year	160	Negligible	160	Negligible
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	160	Negligible
		At the end of the year (or on the date of separation)	160	Negligible	160	Negligible
2.	Shri R.K.Bansal, CFO [w.e.f. 01.07.16] [up to 15.08.16]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
3.	Smt. Padma Betai, CFO [w.e.f. 16.08.16]	At the beginning of the year	270	Negligible	270	Negligible
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	270	Negligible
		At the end of the year (or on the date of separation)	270	Negligible	270	Negligible
4.	Shri Pawan Agrawal, Company Secretary	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Bank including interest outstanding/accrued but not due for payment

(₹ in '000s)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i. Principal Amount	175274646	530641780	2657198313	3363114739
ii. Interest due but not paid	0	0	0	0
iii. Interest accrued but not due	1282918	9868039	5312540	16463497
Total (i+ii+iii)	**176557564**	**540509819**	**2662510853**	**3379578236**
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition		22756210	27144362	
• Reduction	(165980931)			(116080358)
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i. Principal Amount	10526009	553113764	2685380958	3249020731
ii. Interest due but not paid	0	0	0	0
iii. Interest accrued but not due	50624	10152265	4274258	14477147
Total (i+ii+iii)	**10576633**	**563266029**	**2689655216**	**3263497878**

VI. Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/ WTD				Total Amount (₹)
		Shri Kishor Kharat, MD & CEO	Shri K. P. Nair, DMD	Shri G. M. Yadwadkar, DMD	Shri B. K. Batra, DMD (upto 31.07.16)	
1.	**Gross Salary**	**26,92,873**	**12,04,903**	**11,85,346**	**10,58,479**	**61,41,601**
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961					
	(b) Value of perquisites under Section 17(2) of the Income tax Act, 1961	**4,81,920**	**2,85,889**	**2,22,598**	**1,85,620**	**11,76,027**
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961	-	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-	-
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	-	-	-	-	-
5.	Others, please specify [OL Encashment]	**-**	**-**	**-**	**6,76,090**	**6,76,090**
6.	LFC					
	Total (A)	**31,74,793**	**14,90,792**	**14,07,944**	**19,20,189**	**79,93,718**
	Ceiling as per the Act	-	-	-	-	-

B. Remuneration to other directors

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors					Total Amount (₹)
	Independent Directors	**Shri S. Ravi**	**Shri Ninad Karpe**	**Shri Pankaj Vats (upto 15.12.16)**	**Shri Gyan Prakash Joshi**	**Ms. Neeru Abrol (w.e.f. 29.07.16)**	
	• Fee for attending Board/ Committee meetings	13,40,000	12,35,000	5,40,000	6,70,000	3,20,000	**41,05,000**
	• Commission	-	-	-	-	-	-
	• Others, please specify	-	-	-	-	-	-
	Total (1)	**13,40,000**	**12,35,000**	**5,40,000**	**6,70,000**	**3,20,000**	**41,05,000**
	Other Non-Executive Directors		**Shri Pankaj Jain (w.e.f. 02.05.16)**	**Shri Praveen Garg (w.e.f. 07.02.17)**	**Shri Ashok Pal Singh (w.e.f. 27.06.16) (upto 29.12.16)**	**Ms. Snehlata Shrivastava (up to 01.05.16)**	**Total Amount (₹)**
	• Fee for attending board Committee meetings						
	• Commission		-	-	-	-	-
	• Others, please specify		-	-	-	-	-
	Total (2)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total (B)= (1+2)						**41,05,000**
	Total Managerial Remuneration		**79,93,718**				
	Overall Ceiling as per the Act		Independent Directors are paid only sitting fees. All non-Executive/ Independent Directors are entitled for reimbursement of expenses for attending Board/Committee Meetings. The remuneration for FY 2016-17 is well within the limits prescribed under Companies Act, 2013.				

Remuneration of Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel				Total Amount (₹)
		Smt. Padma Betai, CFO (w.e.f. 16.08.16)	**Shri R. K. Bansal, CFO (w.e.f. 01.07.16) (up to 15.08.16)**	**Shri N. S. Venkatesh, CFO (up to 30.06.16)**	**Shri Pawan Agrawal, CS**	
1.	Gross Salary					
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	23,34,507	2,75,328	5,70,737	21,47,597	**53,28,169**
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961	3,56,364	1,238	1,38,680	6,83,450	**11,79,732**
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961	-	-	-	-	-

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel				Total Amount (₹)
		Smt. Padma Betai, CFO (w.e.f. 16.08.16)	Shri R. K. Bansal, CFO (w.e.f. 01.07.16) (up to 15.08.16)	Shri N. S. Venkatesh, CFO (up to 30.06.16)	Shri Pawan Agrawal, CS	
2.	Stock Option	-	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-	-
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	-	-	-	-	-
5.	Others, please specify - OL Encashment	96,440	-	16,45,789	83,043	**18,25,272**
	LFC	60,000	-	75,000	50,000	**1,85,000**
	Total	**28,47,311**	**2,76,566**	**24,30,206**	**29,64,090**	**85,18,173**

VII. Penalties/Punishment/Compounding of Offences

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment Compounding Fees imposed	Authority [RD/ NCLT / Court]	Appeal made, if any
A. Company – IDBI Bank Limited					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		
B. Directors					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		
C. Other Officers in Default					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		

Statement on Declaration given by Independent Directors

In terms of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe, Shri Gyan Prakash Joshi and Ms. Neeru Abrol, Independent Directors of IDBI Bank Ltd. submitted their declaration on April 1, 2017, stating that they meet the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and the same was noted by the Board of Directors on April 28, 2017.

Company's Policy on Directors' appointment and remuneration

The Bank's Policy on Directors' Appointment and remuneration is available on its website under the links https://www.idbi.com:8443/pdf/Directors-Appointment-and-Evaluation-Policy.PDF and https://www.idbi.com:8443/pdf/Remuneration-Policy-of-the-Bank.PDF respectively.

Board's comments on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the Auditors or Secretarial Auditors in their report

There are no qualifications, reservation or adverse remarks or disclaimers either in the Statutory Auditors' Report or in the Secretarial Auditors' Report which require Board's comments thereon in terms of Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013.

Particulars of Loans, Guarantees or Investments under Section 186 of the Companies Act, 2013

The provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013 relating to Loans, Guarantees or acquisition of securities are not applicable to IDBI Bank, being a Banking Company.

Particulars of contracts or arrangements with Related Parties in the prescribed form

In terms of Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars of contracts or arrangements, if any, with Related Parties are given in the prescribed form AOC -2 hereunder :

AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3)of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

i. Details of contracts or arrangements or transactions not on arm's length basis

Sr. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to Section 188
Nil								

ii. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

Sr. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Date(s) of approval by the Board, if any	Amount paid as advances, if any
Nil						

Sd/-
Mahesh Kumar Jain
(DIN-03513127)
Managing Director & CEO
April 19, 2017

Statement indicating development and implementation of Risk Management Policy

The Bank follows a detailed and comprehensive Risk Management System which is constantly updated based on the RBI's regulatory guidelines issued in this regard from time-to-time. A dedicated Risk Management Committee of the Board regularly reviews the Risk related aspects of the Bank including the implementation of Basel III norms in the Bank. The Board of Directors of the Bank also periodically reviews the Risk assessment and minimisation procedures followed in the Bank as well as the capital requirement of the Bank under Basel III norms.

Details of CSR Policy and its implementation during the year

The details on the format prescribed under Annexure to the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 are as follows:

Annual Report on CSR

1. **A brief outline of the Bank's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs**

   The objective of the Bank's CSR policy is driven by the intent to make a material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of society and a sustained positive contribution to the welfare of society at large. In the conduct of its CSR intervention, the Bank endeavours to be a conscientious corporate citizen and a socially responsible entity, identify the gaps and extend need-based contribution for the betterment of the society, contribute for the sustainable and holistic development of the underserved communities through various programmes having multi-dimensional impact and generate community goodwill by making proactive interventions.

   The Bank's CSR policy, inter alia, provides the platform for undertaking interventions in areas such as healthcare, education, gender equality and socio-economic empowerment, environmental sustainability, promotion of sports and rural development projects.

   The web-link to the CSR policy and projects or programs is http://www.idbi.com/CSR-Policy.asp

2. **The Composition of the CSR Committee:** The composition of the CSR Committee as on March 31, 2017 is presented in the table below:

Sr. no.	Directors	Position
1.	Shri Kishor Piraji Kharat	MD & CEO
2.	Shri K. P. Nair	DMD
3.	Shri G. M. Yadwadkar	DMD
4.	Shri Gyan Prakash Joshi	Independent Director

3. **Average net profit of the Bank for last three financial years:** The average net profit/ loss of the Bank for the last three financial years worked out to a loss of ₹ 698 crore.

4. **Prescribed CSR Expenditure (2% of the amount as in item 3 above):** In terms of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013, the prescribed CSR expenditure to be incurred for the financial year 2016-17 (i.e. 2% of average net profit which is net of tax but would not include profits arising from branches outside India, whether operated as a separate company or otherwise, and any dividend received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of Section 135 of the Act for last three financial years) is Nil.

5. **Details of CSR Expenditure during the financial year:**

   (a) **Total amount to be spent for the financial year:** The total amount to be spent during the financial year under CSR is Nil. However, as a pro-active initiative, the Bank had an annual CSR spends of ₹ 4.35 crore during the financial year.

   (b) **Amount unspent, if any:** Not applicable. CSR budget is not mandatory for FY16-17 as the average net profit for last three years is negative.

(c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programmes wise (in Rupees)*	Amount spent on the projects or programmes Sub-Heads (in Rupees)		Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency†
			(1) Local area or other	(2) Specify the State and district where projects or programme was undertaken		(1) Direct expenditure on projects or programmes	(2) Over heads#		
1	Financial assistance for purchase of 5000 weighing machines.	Promoting Education and Livelihood enhancement projects	Other	Bhubaneshwar, Odisha	44,10,000	44,10,000	0	44,10,000	Odisha State Mid day meal (MDM) office
2	Financial assistance for purchasing classroom furniture, solar system & other materials for the school	Promoting Education and Livelihood enhancement projects	Local	Sangli, Maharashtra	1,20,000	1,20,000	0	1,20,000	Apang Kalyan Shikshan Sanstha
3	Financial support for purchase of one x-ray machine and supporting digital system for their charitable dispensary.	Promoting Healthcare and Poverty Eradication	Other	Barasat, West Bengal	6,31,000	6,31,000	0	6,31,000	Ramakrishna Math
4	Financial assistance to Directorate of Youth Affairs and Sports, Government of Tripura for purchase of Gymnastics equipment for their state run sports academy.	Promotion of Sports activities	Other	Agartala, Tripura	9,95,360	9,95,360	0	9,95,360	Directorate of Youth Affairs and Sports, Government of Tripura
5	Financial support to TERI's 'Lighting a Billion Lives' program wherein 5000 households in select villages across four states are provided solar lighting systems.	i) Ensuring Environmental Stability ii) Financing Rural Development Projects	Other	Multiple districts across Uttar Pradesh, Odisha, Bihar and Jharkhand	2,52,72,500 (Excluding Cenvat)	25,27,250	6,75,176	2,59,47,676 (Including Cenvat)	The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi
6	Financial support to install solar power system on 'Centre of Excellence' in the institute's campus	i) Promoting Education & Livelihood Enhancement ii) Ensuring Environmental Stability	Other	Chennai, Tamil Nadu	25,00,000	6,25,000	0	25,00,000	Madras School of Economics
7	Financial support towards installation of roof-top solar power panel at Sweekar Academy Secunderabad campus.	Ensuring Environmental Stability	Other	Secunderabad, Telangana	12,00,000	12,00,000	0	12,00,000	Sweekaar Academy of Rehabilitation Sciences

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programmes wise (in Rupees)*	Amount spent on the projects or programmes Sub-Heads (in Rupees)		Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency†
			(1) Local area or other	(2) Specify the State and district where projects or programme was undertaken		(1) Direct expenditure on projects or programmes	(2) Over heads#		
8	Financial support for setting-up one showroom for marketing of designer candles and other local handicrafts and supporting its operation cost upto 3 years in Namchi, Sikkim.	Promoting Education and Livelihood enhancement	Other	Namchi, Sikkim	16,90,000	4,80,000	0	14,90,000	North Eastern Development Finance Corporation (NEDFi)
9	Construction of 5 Anganwadi Centres (AWCs) or Auxiliary Nurse Midwife (ANM) centres at disaster affected sites identified by the district administration of Pithoragarh.	i) Promoting Education & Livelihood Enhancement ii) Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Other	Pithoragarh, Uttarakhand	28,75,000 (Excluding Cenvat)	17,25,000	10,845	28,85,845 (Including Cenvat)	Govt. of Uttarakhand (through Gram Panchayat)
10	Financial support for executing 4th watershed development program in Sonurli & Walnagar villages of Ralegaon Block of Yavatmal District	Ensuring Environmental Stability	Local	Yavatmal, Maharashtra	10,00,000	5,00,000	0	5,00,000	Dilasa Sanstha
11	Financial assistance towards completion of the remaining portion of disabled friendly special school and setting up of vocational training centre for mentally and physically challenged children in Saiha District of Mizoram.	Promoting Education and Livelihood enhancement projects	Other	Saiha, Mizoram	30,00,000	12,00,000	0	12,00,000	Mara T.T. Chako & Abraham Charitable Trust
12	Financial support to provide water wheels to 600 rural women for facilitating ease in carrying water in Nanded and Osmanabad Districts of Maharashtra.	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Local	Nanded and Osmanabad, Maharashtra	23,50,000	11,75,000	0	11,75,000	Habitat for Humanity India Trust
13	Financial support to Free Student Home, Lucknow, having 46 students for a period of one year.	Promoting Education and Livelihood enhancement projects	Other	Lucknow, Uttar Pradesh	13,80,000	3,45,000	0	3,45,000	AIM for Seva
14	Development of Model Village in Morigaon district, Assam	Financing Rural Development Projects	Other	Morigaon, Assam	35,55,200	3,76,060	0	29,91,110	Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN), Assam

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programmes wise (in Rupees)*	Amount spent on the projects or programmes Sub-Heads (in Rupees)		Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency†
			(1) Local area or other	(2) Specify the State and district where projects or programme was undertaken		(1) Direct expenditure on projects or programmes	(2) Over heads#		
15	Adoption of two villages - Suzabad in Varanasi District and Bhabhaura village in Chandauli District for undertaking various CSR activities.	Financing Rural Development Projects	Other	Varanasi and Chandauli, Uttar Pradesh	3,00,00,000 (Excluding Cenvat)	59,29,000	11,20,000	2,70,49,000 (Including Cenvat)	Central Public Works Department, Varanasi, Uttar Pradesh
16	Financial assistance towards skill development programmes in four villages of Karnali Panchayat under the Saansad Adarsh Gram Yojana	Promoting Education & Livelihood Enhancement	Other	Vadodara, Gujarat	60,75,000	15,13,234	0	25,08,234	Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad, Gujarat
17	Financial support towards urban eye care initiatives in the slums of Ranchi by providing quality primary eye care services	Promoting Healthcare and Poverty Eradication	Other	Ranchi, Jharkhand	23,29,000	13,97,400	0	13,97,400	Royal Commonwealth Society for the Blind (Sightsavers), New Delhi
18	Financial support towards: Phase II expansion of Tata Medical Centre - 6-bed bay, Palliative medicine unit with admission facility for 25 patients, Treatment of 40 underprivileged/ economically weak patients.	Promoting Healthcare and Poverty Eradication	Other	Kolkata, West Bengal	1,25,00,000	1,00,00,000	0	1,00,00,000	Tata Medical Centre, Kolkata
19	Contribution to NSDF for promoting sports activities in India.	Promotion of Sports activities	Other	Pan India	50,00,000	50,00,000	0	50,00,000	National Sports Development Fund (NSDF), New Delhi
20	Financial asistance towards awarding 30 Braille shorthand machines to 30 stenography students on successfully completion of the course and 1 laser printer and 10 desktop computers for MS-CIT and English & Marathi stenography course.	Promoting Education & Livelihood Enhancement	Local	Mumbai, Maharashtra	7,68,800	7,68,800	0	7,68,800	NAB Workshop for the Blind, Maharashtra

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programmes wise (in Rupees)*	Amount spent on the projects or programmes Sub-Heads (in Rupees)		Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency†
			(1) Local area or other	(2) Specify the State and district where projects or programme was undertaken		(1) Direct expenditure on projects or programmes	(2) Over heads#		
21	Construction of Public Toilet for Tribal people at Municipal Taxi Stand in Ward No. 10 under Jhargram Municipality	Promoting Healthcare and Poverty Eradication	Other	West Medinipur, West Bengal	1,50,000	1,49,000	0	1,49,000	Office of Executive Officer, Jhargram Municipality
22	Installation of automated vending machine for sanitary napkins and incinerator machine in girl's hostel.	Promoting Healthcare and Poverty Eradication	Other	West Medinipur, West Bengal	72,500	72,500	0	72,500	Eklavya Model Residential School
23	Providing food to the poor people in Panchkula district.	Promoting Healthcare and Poverty Eradication	Other	Panchkula, Haryana	25,000	25,000	0	25,000	Red Cross
24	Installation of 223 water filters in schools in Saiha district, Mizoram.	Promoting Education & Livelihood Enhancement	Other	Saiha, Mizoram	4,46,000	4,46,000	0	4,46,000	DC Office Saiha, Mizoram.
25	Sponsor education costs for 10 children.	Promoting Education & Livelihood Enhancement	Local	Navi Mumbai, Maharashtra	85,000	85,000	0	85,000	Rotary Club of Navi Mumbai Sunrise Society, Mumbai.
					10,84,30,360	4,16,95,604	18,06,021	9,38,91,925	

* - Amount net of cancellations
† - Registered office address of implementing agency
# - Service Tax paid under Reverse Charge Mechanism (RCM) non-Cenvatable

6. In case the Bank has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board Report. [To be given in case of less spent]

In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, there is no requirement for IDBI Bank to incur any spends under CSR during FY 16-17. However, as a pro-active and socially responsible entity, the Bank has been able to spend ₹ 4.35 crore during FY 2016-17 towards various CSR projects

7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company

CSR Committee of IDBI Bank declares that CSR policy, implementation and monitoring thereof is, in letter and spirit, in compliance with CSR objectives of the company.

Sd/-
Mahesh Kumar Jain
(DIN -03513127)
Managing Director & CEO
May 18, 2017

Statement indicating the manner of formal annual evaluation of Board, its Committees and Individual Directors

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the details on the captioned matter are furnished herein below :

(i) Independent Directors' Committee (IDC), at its meeting held on April 12, 2017 evaluated the performance of all Non-Independent Directors including the Chairman of the Board Meetings as well as the performance of the Board as a whole.

(ii) The Board at its meeting held on April 28, 2017 evaluated the performance of all Directors on the Board (except MD & CEO, DMDs and Government Directors who are subject to Performance Review by Government of India), its own performance as well as the performance of committees of the Board. The Director concerned being evaluated by the Board did not participate in the meeting during the process of his/her own evaluation.

For the purpose of Annual evaluation by IDC and the Board, blank evaluation sheets in respect of individual Directors, Board committees and the Board were circulated in advance to individual Directors through e-mails as well as hard copies to enable the Directors to form their opinion in advance and help finalise the evaluation process at the respective meetings. Chairman of the respective meetings signed the evaluation sheets on behalf of IDC and the Board after finalisation of the evaluation.

Change in the nature of business, if any

During the period of review, the Bank continued to carry on the business of Banking and there was no change in the nature of its business.

Details of Directors or KMPs who were appointed or who resigned during FY 2016-17

Name of Directors	Appointed/ Resigned/Cessation	Date
Shri Pankaj Jain	Appointed as Government Nominee Director of the Bank vide Government of India's Notification F.No.6/3/ 2012-BO.I dated May 2, 2016	02.05.2016
Ms. Snehlata Shrivastava	Ceased to be Government Nominee Director of the Bank vide Government of India's Notification F.No.6/3/ 2012-BO.I dated May 2, 2016	02.05.2016
Shri Ashok Pal Singh	Appointed Government Nominee Director of the Bank vide Government of India's Notification F.No.6/3/ 2012-BO.I dated June 27, 2016	27.06.2016
Ms. Neeru Abrol	Appointed as Additional Director in Independent Category of the Bank by the Board at its meeting held on July 29, 2016	29.07.2016
Shri B. K. Batra	Ceased to be Deputy Managing Director on account of retirement on attaining superannuation.	31.07.2016
Shri K. P. Nair	Appointed as Deputy Managing Director of the Bank vide Government of India's Notification F.No.4/5/(7) 2016-BO.I dated September 15, 2016	15.09.2016
Shri G. M. Yadwadkar	Appointed as Deputy Managing Director of the Bank vide Government of India's Notification F.No.4/5/(7) 2016-BO.I dated September 15, 2016	15.09.2016
Shri Pankaj Vats	Ceased to be Director of IDBI Bank vide Government of India's Notification F.No.6/24/ 2013-BO.I dated December 15, 2016	15.12.2016
Shri Ashok Pal Singh	Ceased to be the Director of IDBI Bank on account of resignation dated December 29, 2016.	29.12.2016
Shri Praveen Garg	Appointed as Government Nominee Director of the Bank vide Government of India's Notification F.No.7/2/ 2012-BO.I dated February 7, 2017	07.02.2017

Name of KMPs	Appointed/ Resigned/Cessation	Date
Shri N. S. Venkatesh, CFO	Resigned	01.07.2016
Shri R. K. Bansal, CFO	Appointed	01.07.2016
Shri R .K. Bansal, CFO	Cessation	16.08.2016
Smt. Padma Betai, CFO	Appointed	16.08.2016

Names of Companies which became or ceased to be Bank's subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies during the FY 2016-17

Names of Subsidiaries	Became / Ceased to be so	Date
Nil		

Names of Associate Companies	Became / Ceased to be so	Date
Nil		

Names of Joint Ventures	Became / Ceased to be so	Date
Nil		

Details relating to Deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013 and details of deposits which are not in compliance of the requirements of Chapter V of the Act

In terms of proviso to Section 73(1) of the Companies Act, 2013, nothing in this sub-section shall apply to a Banking Company and hence the requirement of disclosure of captioned details is not applicable to IDBI Bank.

Details of significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

There were no orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impacted the going concern status and IDBI Bank's operations in future.

Familiarisation Programme for Independent Directors

Independent Directors were nominated / deputed to various training programmes during FY 2016-17. The detailed status in this regard is provided on your Bank's website (www.idbi.com) under the following link: https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

Establishment of Vigil Mechanism

The Bank has established a Board approved Vigil Mechanism in compliance of Statutory/Regulatory requirements. The report on Vigil Mechanism is being submitted to Board on a regular basis. During FY 2016-17, no personnel was denied access to the Audit Committee. The Policy on Vigil Mechanism giving details of establishment of Vigil Mechanism has been disclosed by the Bank on its website (www.idbi.com) under the following link: https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

Policy for Determining Material Subsidiaries

In terms of the requirement of Regulation 46 of LODR Regulations, the Policy for determining material subsidiaries is available on the Bank's website (www.idbi.com) under the following link: https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

Policy on dealing with Related Party Transactions

In terms of the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of LODR Regulations, the Bank has formulated a Policy on dealing with Related Party Transactions.

The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website (www.idbi.com) under the following link: https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

Disclosure on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interest of listed entity at large

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, during FY 2016-17, the Bank has not undertaken any materially significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the Bank.

Disclosure of commodity price risks or Foreign Exchange and commodity hedging activities

The Bank is in compliance with the relevant provisions in respect of commodity price risks or foreign exchange and commodity hedging activities as per the guidelines, if any, prescribed by Regulators.

Disclosure of Accounting Treatment

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, in preparation of financial statements, no treatment different from that prescribed in an Accounting Standard has been followed and hence no explanation from the Management is required to be given in this regard.

Remuneration of Directors

Remuneration and perquisites of the Managing Director & CEO and Deputy Managing Director, who are appointed by Government of India, are fixed by Government. The details of remuneration paid to MD & CEO and DMDs are given in Table 3. There have been no pecuniary relationships/transactions of Non-Executive Directors vis-à-vis your Bank during the period under review.

Table 3 : Elements of Remuneration of MD & CEO and Deputy Managing Directors

Salary & Allowances (As per Government Orders)	Shri Kishor Kharat, MD & CEO [w.e.f 14.08.15] - Pay ₹ 2,05,400/- p.m. and DA @ 2% ₹4,108/- Total ₹2,09,508/-. Shri K. P. Nair, DMD [w.e.f.15.09.16]- Pay ₹ 1,76,800/- p.m. and DA @ 2% ₹ 3,536/- Total ₹ 1,80,336/-. Shri G. M. Yadwadkar, DMD [w.e.f. 15.09.16] – Pay ₹ 1,76,800/- p.m. and DA @ 2% ₹ 3,536/- Total ₹ 1,80,336/-. Shri B. K. Batra, DMD [till 31.07.16] - Pay ₹ 71,030/- p.m. and DA @ 125% ₹ 88,787.5/ Total ₹ 1,59,817.5/-.
Entertainment	Actual entertainment subject to ceiling of ₹ 6,000 p.a. (membership of club adjustable within the above ceiling) in respect of both MD & CEO and DMDs.
Housing	Rent-free furnished accommodation in respect of both MD & CEO and DMDs.
Conveyance	Entitled to free use of the Bank's car for official purpose.
Leave Travel Concession	For self and family once in a block of two years for visiting any place in India as per entitled class as applicable for official tour in respect of both MD & CEO and DMDs.
Pension	Entitled to draw pension, if any, admissible in the career post (below board level) as per the rules and regulations of the Bank where the career post is held.
Gratuity	At the rate of half month's pay for every completed year of service or more than 6 months of service as MD & CEO/Deputy Managing Directors.

Tenure	Shri Kishor Kharat - Appointed as MD & CEO vide Govt of India's Notification F. No. 4/2/2015-BO.I dated August 14, 2015 for a period of three years from August 14, 2015 till the date of superannuation on September 30, 2018 or until further orders, whichever is earlier. Shri K. P. Nair- Appointed as DMD vide Government of India's Notification F.No.4/5/(7) 2016-BO.I dated September 15, 2016 w.e.f. the date of taking over the charge of the post till 31.05.2019 i.e. the date of superannuation or until further orders, whichever is earlier. Shri Nair took charge on September 15, 2016. Shri G. M. Yadwadkar- Appointed as DMD vide Government of India's Notification F.No.4/5/(7) 2016-BO.I dated September 15, 2016 for a period of three years w.e.f. the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever is earlier. Shri Yadwadkar took charge on September 15, 2016. Shri B. K. Batra – Appointed as DMD vide Government of India's Notification F. No. 9/14/2009-BO.I dated January 12, 2012 with effect from January 13, 2012 till the date of superannuation (31.07.2016) or until further orders, whichever is earlier. Shri Batra retired on 31.07.2016.

Other Independent Directors were paid only the sitting fees for each Board/ Committee Meeting attended by them @ ₹ 20,000/- per meeting of Board, EC and ACB and @ ₹ 10,000/- per meeting for other Board committee meetings. Apart from the remuneration to MD & CEO and DMDs and sitting fees to Independent Directors, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by your Bank.

Aggregate amount of Sitting fees paid to Independent Directors for FY 2016-17 is as detailed below:

Name of the Independent Director	Sitting fees paid for FY 2016-17 (₹)
Shri S. Ravi	13,40,000
Shri Ninad Karpe	12,35,000
Shri Pankaj Vats	5,40,000
Shri Gyan Prakash Joshi	6,70,000
Ms. Neeru Abrol [w.e.f. 29.07.16]	3,20,000

Disclosure under Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

The remuneration of Managing Director & CEO and Deputy Managing Directors who are appointed by Government of India is fixed by the Government as per its Pay Scales with applicable increase in remuneration as per its norms. Other Directors on the Board do not get any remuneration except the sitting fees as mentioned in the paragraph above. The other employees of the Bank including Key Managerial Personnel (KMPs), i.e., Chief Financial Officer and Company Secretary get remuneration as applicable to the similar grade officials of the Bank and as per public sector scales followed by the Bank with applicable increase in the remuneration as per public sector norms. Periodical revision in the pay scales of employees including KMPs does have the relationship with many factors including Bank's performance. The Bank has not made any FPO and hence no comparison in market quotation of Bank's shares is possible. However, market price of Bank's shares for 2016-17, financial ratios, etc. are disclosed in the Annual Report. No variable pay concept is applicable in respect of remuneration of employees including KMPs and that of MD & CEO/DMDs who are getting Government of India pay scales. The number of employees on the rolls of the Bank as on March 31, 2017 was 18,187 out of which 467 employees were on contract basis and all other employees were permanent. It is also affirmed that the remuneration is as per the remuneration policy of the Bank and the ratio of the remuneration of each Director to the median employee's remuneration and other details are as per the disclosures made above and are in compliance of Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

General Body Meetings

(i) Details of Annual General Meetings

The last Annual General Meeting (AGM) of your Bank was held on July 22, 2016. Details of IDBI Bank Ltd.'s AGMs are given in Table 4.

Table 4 : Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.

Location and time of the last three AGMs	1) June 30, 2014 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (10th AGM of your Bank).
	2) August 12, 2015 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (11th AGM of your Bank).
	3) July 22, 2016 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (12th AGM of your Bank).
Whether Special Resolutions were passed in previous 3 AGMs	**For 10th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital and empowering the Board to take specific decision in this regard, (ii) taking shareholders' approval u/s 180(1)(c) of the Companies Act, 2013 for empowering the Board to borrow money and (iii) alteration in Articles of Association of the Bank, were passed at the 10th AGM of the Bank held on June 30, 2014. **For 11th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital and empowering the Board to take specific decision in this regard, (ii) taking shareholders' approval u/s 42 of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to mobilise in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement/ Public Issue and (iii) alteration in Articles of Association of the Bank, were passed at the 11th AGM of the Bank held on August 12, 2015. **For 12th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 8,000/- crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard, (ii) taking shareholders' approval u/s 42 of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to mobilise in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement/ Public Issue (iii) re-appointment of Shri S. Ravi as Independent Director of the Bank for the last term of four years (iv) re-appointment of Shri Ninad Karpe as Independent Director of the Bank for the last term of four years and (v) increase in Authorised capital of the Bank and other alterations in Articles of Association of the Bank, were passed at the 12th AGM of the Bank held on July 22, 2016.
Whether any special resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern	No
Person who conducted the postal ballot exercise	NA
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	No

(ii) Details of Extra-Ordinary General Meetings

During FY 2016-17, No Extra-Ordinary General Meetings were held.

Disclosures

1 No company was assisted during April 1, 2016 – March 31, 2017, in which any of the Directors of the Bank was interested except as under:

(i) Export Import Bank of India (EXIM Bank) - Shri Kishor Kharat, MD & CEO, was on the Board of EXIM Bank. However, EXIM Bank has been sanctioned intra-day/overdraft facility to meet cash flow mismatches which is exempted under RBI Guidelines from connected lending provisions.

(ii) Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) - Shri Kishor Kharat, MD & CEO, was on the Board of EDII. However, an exemption for grant of Loans and Advances to EDII has been obtained from RBI-DBOD; vide their letter dated March 5, 2012. The RBI had also advised that, since grant of loans and advances is in the operational domain of Banks, IDBI Bank may take a decision with regard to grant of loan to EDII in accordance with the Board approved loan policy.

2 Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on your Bank by Stock Exchange or SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years are:

FY 2014-15	RBI levied a penalty of ₹ 15 lakh for deviation in compliance of the provisions of Banking Regulation Act, 1949 in respect of Deccan Chronicle Holdings Ltd vide its order dated July 25, 2014.
FY 2015-16	Nil
FY 2016-17	Nil

Code of Conduct and Ethics

The Bank's Board of Directors has adopted a Code of Conduct and Ethics for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Regulation 34 read with Schedule V of LODR Regulations, a declaration signed by the Managing Director and CEO about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of the Bank is given below:

DECLARATION BY MD & CEO

Pursuant to the provisions of Regulation 34 read with Schedule V of the Listing Regulations, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2016-17.

Sd/-
Mahesh Kumar Jain
(DIN -03513127)
Managing Director & CEO
April 15, 2017

Prevention of Insider Trading

In terms of Regulation 8 of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, the Bank has formulated a code of practices and procedures for fair disclosure of unpublished price sensitive information. The code is available on Bank's website (www.idbi.com) under the following link:

https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

In terms of Regulation 9 of the said Regulations, the Bank has also formulated a code of conduct to regulate, monitor and report trading by its employees and other connected persons.

CEO/ CFO Certification

In terms of Regulation 17(8) of the LODR Regulations, the certification by MD & CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

Subsidiary Companies

As on March 31, 2017, the Bank had five subsidiaries, viz., IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Markets and Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Company Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries is a material non-listed subsidiary company as defined under Regulation 16 of LODR Regulations. In compliance of the requirements of Regulation 24 of the LODR Regulations, the Bank's Audit Committee reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at your Bank's Board meetings.

Secretarial Audit

In terms of the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries are acting as Secretarial Auditors of the Bank. The Secretarial Audit Report dated May 5, 2017 is annexed to the Corporate Governance Report.

Means of Communication

Apart from providing detailed Annual Report on the Bank's working, consisting of the Board's Report as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 and Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders. These are published in one English language newspaper, viz., the Business Line having nationwide circulation and in one regional language newspaper viz., Lokmat. The aforesaid information is also displayed on the Bank's website (www.idbi.com), along with the official press release and presentation made to institutional investors and analysts.

The documents referred to, but not sent to the persons entitled to receive the notice of the Annual General Meeting will be made available for inspection of shareholders at the Bank's registered office during the working hours for 21 days before the date of the AGM.

General Shareholders' Information

General information relevant to shareholders and details of share price movement during April 1, 2016 – March 31, 2017 are provided in Table 5 and Table 6 respectively.

Table 5 : General Shareholders' Information

i.	Date, time and venue of AGM	July 18, 2017, Tuesday, 3.30 p.m., at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021.
ii.	Financial Year	April 1, 2016 to March 31, 2017
iii.	E-voting period in terms of Regulation 44 of LODR Regulations and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.	E-voting period will commence on and from Saturday, July 15, 2017, at 9 A.M. IST and end at 5 P.M. IST on Monday, July 17, 2017.
iv.	Book closure date	July 12, 2017 to July 18, 2017 (both days inclusive)
v.	Listing on Stock Exchanges and confirmation of payment of Annual listing fee	**1. BSE Ltd. (BSE)** Address: 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 01 2. **National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)** Address**:** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai-51 The payments of annual listing fee of BSE and NSE have been made on April 28, 2017 and April 24, 2017 respectively.

vi.	Stock code / Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI
vii.	Registrar and Share Transfer Agents	Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Karvy Computershare Private Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032
viii.	Share Transfer system	Share Transfers are approved on weekly basis by an internal committee comprising of Executive Director/ Chief General Manager.
ix.	Financial Calendar	April 1, 2016 to March 31, 2017 : 1) Results for the quarter ended June 30, 2016 were approved on August 11, 2016 2) Results for the quarter and half year ended September 30, 2016 were approved on October 25, 2016 3) Results for the third quarter and nine months period ended December 31, 2016 were approved on February 07, 2017 4) Audited Results for the quarter and year ended March 31, 2017 were approved on May 18, 2017.
x.	Last date for receipt of proxy forms	Sunday, July 16, 2017 upto 3.30 p.m.
xi.	Board Meeting for considering the quarterly results	Within 45 days from the closure of respective quarter and within 60 days of the end of the financial year for annual audited results.
xii.	No. of shares and convertible instruments held by Non-Executive Directors	Shri S. Ravi, Independent Non- Executive Director held 200 shares of IDBI Bank Ltd. as on March 31, 2017
xiii.	Details of Debenture Trustee	1. **Axis Trustee Services Ltd.,** 2nd Floor, Axis House,Wadia International Centre, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400025. Ph: 022-24255232. 2. **SBICAP Trustee Services Ltd.** Appejay house, 6th Floor, 3 Dinshaw Wachha road Churchgate, Mumbai-400020. Ph: 022-43025503. 3. **IL & FS Trust Company Ltd.,** The IL&FS Financial Centre, Plot C-22, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. Ph :022-26593927.

IDBI Bank's scrip is actively traded at NSE and BSE. The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

Table 6 : IDBI Bank Ltd.'s Share Price Movement on the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) & BSE Ltd. (BSE) : April 2016 – March 2017 (₹)

Month	NSE		BSE			NSE		BSE	
	High	Low	High	Low	Month	High	Low	High	Low
April 2016	72.65	67.20	72.55	67.15	Oct 2016	76.55	68.60	76.65	68.70
May 2016	69.30	63.80	69.25	63.75	Nov 2016	72.85	66.80	72.90	66.85
June 2016	71.50	64.15	71.45	64.15	Dec 2016	71.90	65.95	71.90	66.00
July 2016	76.80	69.85	76.75	69.85	Jan 2017	80.00	69.00	79.95	69.05
Aug 2016	75.25	66.80	73.50	66.75	Feb 2017	85.15	78.90	85.00	78.95
Sept 2016	79.50	67.00	79.55	67.05	Mar 2017	79.85	74.50	79.90	74.60

Shareholding Pattern as on March 31, 2017

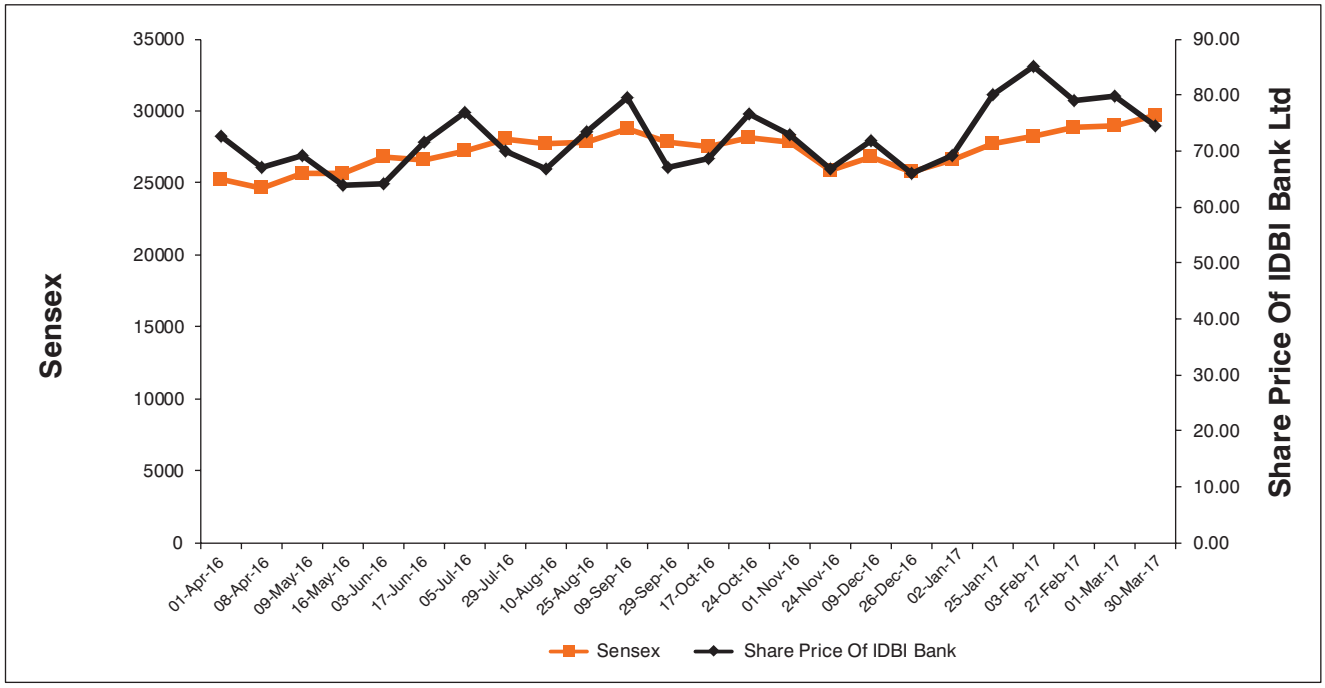
The details of shareholding in the Bank by major categories of shareholders and distribution schedule as at end-March 2017, is presented in Table 7 and Table 8 below.

Table 7 : Shareholding Pattern as at March 31, 2017

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Government of India	1523113202	73.98
Employees	897313	0.04
Public	126148825	6.13
Hindu Undivided Family	3563995	0.17
Bodies corporate	26653272	1.29
Institutions		
A) Banks	2630883	0.13
B) Foreign Institutional Investors	7051727	0.34
C) State Finance Corporation	35680	Negligible
D) Financial Institutions	12360000	0.60
E) Mutual Funds	1915211	0.09
Societies	28960	Negligible
Trusts	365535	0.02
Insurance Companies	300248544	14.58
NRIs	5291151	0.26
Directors, KMPs and Relatives		
(i) Shri K. P. Nair, DMD	320	Negligible
(ii) Shri S. Ravi, I.D.	200	Negligible
(iii) Smt. Padma Betai, CFO	270	Negligible
NSDL (transit)	3437735	0.17
Qualified Foreign Investors	45048565	2.19
NBFC	23963	Negligible
GRAND TOTAL	**2058815081**	**100**

Performance in comparison to broad-based indices such as BSE Sensex, CRISIL Index, etc.

The performance of IDBI Bank equity share relative to the BSE Sensitive Index (sensex) during the period April 1, 2016 to March 31, 2017 is given in the following chart:



Share Transfer System & Redressal of Investor Grievances

Table 8 : Distribution Schedule as on March 31, 2017

S.No	Category		No. of share-holders	% to total share-holders	Amount (₹)	% to total Amount
	From	To				
1	1	5000	365299	90.43	553383300	2.69
2	5001	10000	22760	5.63	177577200	0.86
3	10001	20000	9291	2.30	138841840	0.67
4	20001	30000	2430	0.60	62529540	0.30
5	30001	40000	1173	0.29	42375040	0.21
6	40001	50000	824	0.20	39090180	0.19
7	50001	100000	1244	0.31	92386860	0.45
8	100001 & above		960	0.24	19481966850	94.64
Total			**403981**	**100.00**	**20588150810**	**100.00**

To expedite the process of share transfers, an internal committee of Executive Director/ Chief General Manager has been set up to approve the Memorandum of Transfers (MoTs) on a weekly basis.

As on April 1, 2016, no investor grievance was pending for redressal and from April 1, 2016 to March 31, 2017, as many as 6081 investor grievances were received from shareholders / investors by your Bank's Registrar & Transfer Agents. During the year, 6078 grievances were redressed and 3 grievances were pending for redressal on March 31, 2017.

In respect of shares, 13 cases of transfers was pending on April 1, 2016. Between April 1, 2016 and March 31, 2017, as many as 1184 requests for transfer of shares were received by your Bank's Registrar & Transfer Agents. Of these, 1193 requests for transfer of shares were processed and 4 requests were pending, as on March 31, 2017.

Disclosure with respect to Stakeholders' Relationship Committee

(a)	Name of Non-Executive director heading the Committee	Ms. Neeru Abrol, Additional Director in Independent category.
(b)	Name and designation of the Compliance Officer	Shri Pawan Agrawal, Company Secretary, is the Compliance Officer. He supervises the operations to ensure compliance of the requirements of SEBI Regulations and LODR Regulations, pertaining to Secretarial Compliances.
(c)	Number of shareholders' complaints received in 2016-17	1193
(d)	Number not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
(e)	Number of pending complaints	Nil

Disclosures with respect to demat suspense account / unclaimed suspense account

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, the Bank reports the following details in respect of equity shares lying in the unclaimed suspense account:

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on April 01, 2016	4855	866974
(b)	Number of shareholders who approached Bank for transfer of shares from the Suspense Account during April 01, 2016 to March 31, 2017	23	4920
(c)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Account during April 01, 2016 to March 31, 2017	23	4920
(d)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the Suspense Account lying as on March 31, 2017	4832	862054
(e)	The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.		

Table 9: Details of de-materialisation and address for correspondence

Dematerialisation of shares and liquidity

Nature of Holding	No. of shareholders	Shares	Percentage
Physical	67735	16157372	0.78
NSDL (Dematerialised)	224497	481987782	23.41
CDSL (Dematerialised)	111749	1560669927	75.81
Total	**403981**	**2058815081**	**100.00**

Outstanding GDRs / ADRs/ Warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank Ltd. has not issued GDRs/ADRs/Warrants, etc.
Plant Locations	Not applicable. However, information about locations of the Bank's branches is available on its website (www.idbi.com)
Address for correspondence	**IDBI Bank Ltd.** CIN – L65190MH2004GOI148838 Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 Phone – (022) 66552779, 66553062, 66552620 Fax – (022) 2218 23 52 E-mail – idbiequity@idbi.co.in Website – www.idbi.com
	Registrar & Transfer Agents Karvy Computershare Private Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Tel. No. (040) 67162222 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No.(040) 23420814 E-mail : einward.ris@karvy.com
Registered Office Addresses of Subsidiary Companies	**IDBI Capital Markets & Securities Ltd.** 3rd Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021. **IDBI Intech Ltd.** IDBI Building, 1st Floor, Plot No. 39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614. **IDBI MF Trustee Company Ltd.** IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005. **IDBI Asset Management Ltd.** 5th Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021. **IDBI Trusteeship Services Ltd.** Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001.

Status of Compliance of Discretionary Requirements of Regulation 27

The Bank has complied with all the Mandatory requirements given under regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations and has submitted quarterly/ half yearly/ Annual compliance report on Corporate Governance on the prescribed formats to the Stock Exchanges within the prescribed time-lines. As regards discretionary requirements given under Part E of Schedule II of the LODR Regulations, the status is as follows:

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status
1.	A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the Company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	Presently, the position of Non-Executive (Non-Whole time) Chairman of the Bank is vacant.
2.	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six months may be sent to each household of shareholders	Quarterly as well as half-yearly financial results are published in the newspapers as well as disseminated to the Stock Exchanges immediately after Board approval for information of Shareholders and other Stakeholders.
3.	Company may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank is constantly working in this direction.
4.	The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and MD & CEO	The Bank, now, has separate positions of a Non-Executive (Non-Whole time) Chairman and a MD & CEO.
5.	The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal Auditor reports directly to ACB.

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st March 2017

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN:L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower,WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai -400005.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **IDBI Bank Ltd** (hereinafter called 'the Company'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2017,** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on **31st March 2017** according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act,1992 ('SEBI Act'):-

   a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

   c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 - **Not Applicable as the Company has not issued further capital during the financial year under review;**

   d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations,2014 - **Not Applicable as the Company has not issued any shares / options to Directors / Employees under the said Regulations during the period under review;**

   e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

   f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client - **Not Applicable as the Company is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the financial year under review;**

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 - **Not applicable as the Company has not delisted / proposed to delist its equity shares from any stock exchange during the financial year under review; and**

h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 - **Not applicable as the Company has not bought back / proposed to buy back any of its securities during the financial year under review;**

vi. The Company has identified and confirmed the following laws as applicable to the Company:

1. Bankers' Books Evidence Act, 1891
2. Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934
3. Banking Regulation Act, 1949 & Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time to time)
4. The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985
5. FEMA Rules, Regulations and notifications issued from time to time
6. The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act,1993
7. Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002 and The Prevention of Money- Laundering (Maintenance of Records, etc) Rules, 2005
8. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 and
9. The Payment And Settlement Systems Act, 2007

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards with regard to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;

(ii) Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges and The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines,Standards etc. mentioned above.

We further report that: -

- The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Directors and Woman DIrector. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.
- Adequate notice is given to all Directors pertaining to the schedule of the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven daysin advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- All decisions of the Board and Committee meetings were carried with requisite majority.

  We further report that based on the review of the Compliance mechanism established by the Company and on the basis of Compliance Certificate(s) issued by the various authorized officials and taken on record by the Board of Directors at their meeting(s), we are of the opinion that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.
- As informed, the Company has responded to notices for demands, claims, penalities,etc., levied by various statutory/ regulatory authorities and initiated actions for corrective measures, wherever found necessary.

We further report that during the audit period the Board has:

1. Issued and allotted 15,000,11.09% p.a. Omni Additional Tier I Bonds Series I of Rs. 10,00,000/- each on private placement basison 30th August 2016 aggregating Rs. 1,500 crore;
2. Issued and allotted 10,000,10.95% p.a. Additional Tier I Bonds Series II Rs.10,00,000/- each on private placement basis on 20th January 2017 aggregating Rs. 1,000 crore.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO.**
Company Secretaries

Sd/-
S.N. Ananthasubramanian
Partner
C.P No: 1774

Date: 5th May, 2017
Place: Thane

To,
The Members,
IDBI Bank Limited,
CIN: L65190MH2004GOI148838,
IDBI Tower,WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended **31st March, 2017,** of even date, is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the Company to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.
3. We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
4. Wherever required, we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer

5. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
6. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO.**
Company Secretaries

Sd/-
S.N. Ananthasubramanian
Partner
C.P No: 1774

Date: 5th May, 2017
Place: Thane

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (''बैंक'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें यथा 31 मार्च 2017 के लिए तुलन पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं (इसमें इसके पश्चात 'एकल वित्तीय विवरण' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं. इनमें उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए दुबई शाखा की विवरणियां भी शामिल हैं जिनकी लेखापरीक्षा दुबई में बैंक के शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई है.

2. यह लेखापरीक्षा इस प्रकार नियोजित व संचालित की गई कि विभिन्न प्रोसेसिंग केंद्रों/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ शाखाओं में उपलब्ध रिकॉर्डों तथा केंद्रीय कार्यालय स्तर पर केंद्रीकृत बैंकिंग एप्लीकेशनों के माध्यम से उत्पन्न हुई रिपोर्टों को शामिल किया जा सके. उक्त एकल वित्तीय विवरणों में बैंक की दुबई शाखा की विवरणियां शामिल की गई हैं जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जिन पर हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत के लिए भरोसा किया है.

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

3. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड

To

The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Standalone Financial Statements

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2017, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter called as 'the standalone financial statements') in which are incorporated the returns of Dubai branch for the year ended as on that date, audited by the branch auditor of the Bank at Dubai.

2. The audit was planned and conducted so as to cover records available at various processing centres / regional offices/branches and reports generated through centralized banking applications at central office level. Incorporated in the said standalone financial statements are the returns of the Dubai branch of the Bank, audited by another auditor, whose report has been furnished to us and which was relied upon by us for our opinion on the Standalone Financial Statements of the Bank.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

3. The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, and circulars and guidelines issued by the Reserve bank of India (RBI) from time to time, accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Bank

बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उसे कार्यान्वित करना तथा उसे बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली तथा धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

4. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों के बारे में राय प्रकट करना है. हमने इसमें अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में रखा है. हमने अधिनयम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक की लेखापरीक्षा की है. इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक अयथार्थ कथन नहीं है.

5. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल है. यह चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिमों का आकलन भी शामिल है. इन जोखिम आकलनों को करते समय लेखापरीक्षक बैंक द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं जो लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करते हैं और परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं. लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकंन नीतियों की उपयुक्तता और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है.

6. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं.

राय

7. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा बैंक द्वारा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त एकल वित्तीय विवरण और उन पर टिप्पणियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंकिंग कंपनियों के लिए अपेक्षित रूप में देते हैं और भारत में सामान्यतया स्वीकृत

and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder. We conducted our audit of the Bank in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Bank's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Directors of the Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

6. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Opinion

7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements together with the notes thereon give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 in the manner so required for

लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सही एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं:

क) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च 2017 को बैंक के कामकाज की स्थिति;

ख) लाभ-हानि लेखे के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि की स्थिति; और

ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह की स्थिति.

मामले पर बल

8. हम 30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही से प्रारंभ करते हुए 11 तिमाहियों की अवधि के दौरान भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के अभ्यर्पण, जिसके लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होना है, के संबंध में अपनी राय में आशोधन किए बिना वित्तीय विवरणों के नोट 18(सी)(2)(I) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

10. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा 3 की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है.

ख) हमारे ध्यान में आए बैंक के लेन-देन बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

ग) दुबई में बैंक की शाखा तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं.

11. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है.

ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं जैसा कि इन बहियों की हमारी अब तक की जांच से पता चलता है.

Banking Companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2017;

b) in the case of the Profit and Loss Account, of the loss for the year ended on that date; and

c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

8. We draw attention to Note 18(C)(2)(I) to the Financial statements, without modifying our opinion, regarding surrender of special securities of Government of India (GoI) over a period of 11 quarters commencing from quarter ended September 30, 2016 for which formal approval from Appropriate Authorities is awaited.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 129 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

10. As required by sub section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;

c) The returns received from the offices and branch of the Bank at Dubai have been found adequate for the purpose of our audit

11. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books.

ग) बैंक के महत्वपूर्ण परिचालन पूर्णतः स्वचालित हैं तथा महत्वपूर्ण एप्लिकेशन कोर बैंकिंग प्रणाली से संबद्ध हैं. लेखापरीक्षा केंद्रीकृत रूप से की जाती है, क्योंकि लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ सभी आवश्यक रिकॉर्ड तथा डेटा उसमें केंद्रीकृत रूप में ही उपलब्ध हैं. अतः भारत में स्थित शाखाओं द्वारा लेखा विवरणियाँ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के अंतर्गत शाखा लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित दुबई शाखा के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने रिपोर्ट तैयार करने में उस पर उचित रूप से विचार किया है.

घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

ङ) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

च) यथा 31 मार्च 2017 को निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा नोट किए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2017 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं किया गया है.

छ) बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में अनुबंध अ में अलग रिपोर्ट देखें.

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. बैंक ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थित पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का अवधार्य/अभिनिश्चेय सीमा तक प्रकटन किया है. - एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची 18(ए)(9)(सी) का संदर्भ लें.

ii. बैंक ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है - एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची 18(ए)(9)(बी) का संदर्भ लें.

c) The key operations of the Bank are completely automated and key applications are integrated with the core banking system, the audit is carried out centrally as all the necessary records and data required for the purpose of the audit are centrally available therein. Therefore accounting returns are not required to be submitted by the branches in India and the report on the accounts of Dubai branch audited by the branch auditor u/s 143(8) of the Companies Act 2013 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing the report.

d) The Balance Sheet, the Profit and Loss Account, and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.

e) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

f) On the basis of written representation received from the directors as on March 31, 2017 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors are disqualified as on March 31, 2017 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act 2013.

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure A.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements to the extent determinable/ascertainable. – Refer Schedule 18(A)(9)(c) to the standalone financial statements.

ii) The Bank has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts Refer Schedule 18(A)(9)(b) to the standalone financial statements.

iii. बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है.

iv. कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 30 मार्च 2017 की अधिसूचना जीएसआर 308 (ई) के अनुसार 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की धारिता और साथ ही उनमें किए गए सौदों के बारे में अपेक्षित प्रकटन बैंक पर लागू नहीं हैं. देखें एकल वित्तीय विवरणों पर नोट 18(सी)(2)(VII).

iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

iv) The disclosure required on holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from November 08, 2016 to December 30, 2016 as envisaged in notification GSR 308(E) dated March 30, 2017 issued by the Ministry of Corporate Affairs, is not applicable to the Bank. Refer note 18(C)(2)(VII) to the standalone financial statements.

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.: 106655W

एस.एस. दीक्षित
साझेदार
स. सं. 041516
स्थान : मुंबई
दिनांक : 18 मई 2017

कृते **चोकशी एंड चोकशी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.: 101872W/W100045

निकेश के. शाह
साझेदार
स. सं. 153520

For **Mukund M. Chitale & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 106655W

S. S. Dikshit
Partner
M. No 041516

Place: Mumbai
Date: May 18, 2017

For **Chokshi & Chokshi LLP**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 101872W/W100045

Nikesh K. Shah
Partner
M. No: 153520

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(हमारी सम दिनांकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 11(छ) के संदर्भ में)

1. हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (''बैंक'') के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

2. बैंक का निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

3. हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर में राय की अभिव्यक्ति है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट (''मार्गदर्शी नोट'') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, के अधीन की है. उन मानकों और मार्गदर्शन नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें ताकि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-Section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

(Referred to in paragraph 11(g) of our Audit Report of even date)

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of IDBI Bank Limited ("the Bank") as of March 31, 2017 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

2. The Bank's Board of Directors is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India" (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to audit of internal financial controls and both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate

में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

4. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसे जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (क) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं; (ख) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यवहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (ग) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

7. वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की

internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

4. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

6. A bank's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (a) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (b) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (c) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to

घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आनेवाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

राय

8. हमारी राय में बैंक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2017 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.: 106655W

एस.एस. दीक्षित
साझेदार
स. सं. 041516

कृते **चोकशी एंड चोकशी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.: 101872W/W100045

निकेश के. शाह
साझेदार
स. सं. 153520

स्थान : मुंबई
दिनांक : 18 मई 2017

error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

8. In our opinion, the Bank has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **Mukund M. Chitale & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 106655W

S. S. Dikshit
Partner
M. No 041516

For **Chokshi & Chokshi LLP**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 101872W/W100045

Nikesh K. Shah
Partner
M. No: 153520

Place: Mumbai
Date: May 18, 2017

तुलन पत्र 31 मार्च 2017 को
Balance Sheet as at March 31, 2017

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	2058 81 51	2058 81 51
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	20504 83 44	25662 97 40
जमाराशियां / Deposits	3	268538 09 59	265719 83 13
उधार राशियां / Borrowings	4	56363 97 73	70591 64 26
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	14302 17 88	11356 56 77
कुल / TOTAL		**361767 90 15**	**375389 83 07**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13346 91 71	13822 90 72
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय Balances with banks and money at call and short notice	7	19337 16 17	9777 63 35
निवेश / Investments	8	92934 41 37	92997 13 51
अग्रिम / Advances	9	190825 92 71	215893 44 89
अचल आस्तियां / Fixed assets	10	7348 78 28	7447 31 50
अन्य आस्तियां / Other assets	11	37974 69 91	35451 39 10
कुल / TOTAL		**361767 90 15**	**375389 83 07**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	185982 31 57	198306 56 80
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		15948 81 60	14550 35 09
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन) (Mahesh Kumar Jain)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(एस. रवि) (S. Ravi)	(पद्मा बेताई) (Padma Betai)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 03513127)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/DIN: 00009790)	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
एस.एस. दीक्षित
S.S. Dikshit
साझेदार/ (स. सं. 41516)/ Partner (M.No. 41516)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निकेश के. शाह
Nikesh K. Shah
साझेदार (स. सं. 153520)/ Partner (M.No. 153520)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 18 मई 2017 / Date: May 18, 2017

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2017

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	27791 36 73	28042 75 91
	अन्य आय / Other income	14	3967 59 87	3410 69 96
	कुल / TOTAL		**31758 96 60**	**31453 45 87**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	22039 70 56	21953 80 77
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	5140 80 95	4129 58 42
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies	18(आ)(XII) 18(B)(XII)	9736 59 05	9034 86 93
	कुल / TOTAL		**36917 10 56**	**35118 26 12**
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) Net Profit/ (Loss) for the year		(5158 13 96)	(3664 80 25)
	आगे ले जाया गया लाभ / Profit brought forward		(2827 28 47)	912 18 78
	कुल / TOTAL		**(7985 42 43)**	**(2752 61 47)**
IV	**विनियोग / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		-	-
	पूंजी रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		506 96 82	74 66 46
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		-	-
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व में अंतरण Transfer to Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		-	-
	ईसॉप पर लाभांश / Dividend on ESOPs		-	45
	लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax		-	9
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई राशि Balance carried over to balance sheet		(8492 39 25)	(2827 28 47)
	कुल / TOTAL		**(7985 42 43)**	**(2752 61 47)**

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2017

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(अ)(6) 18(A)(6)		
मूल / Basic		(25.05)	(21.77)
न्यूनीकृत / Diluted		(25.05)	(21.77)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ - हानि लेखा के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन) (Mahesh Kumar Jain)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(एस. रवि) (S. Ravi)	(पद्मा बेताई) (Padma Betai)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 03513127)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/DIN: 00009790)	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
एस.एस. दीक्षित
S.S. Dikshit
साझेदार/ (स. सं. 41516)/ Partner (M.No. 41516)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निकेश के. शाह
Nikesh K. Shah
साझेदार (स. सं. 153520)/ Partner (M.No. 153520)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 18 मई 2017 / Date: May 18, 2017

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 1 -पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
	प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
	₹ 10 प्रत्येक के 450 00 00 000 (300 00 00 000) इक्विटी शेयर 450 00 00 000 (300 00 00 000) Equity shares of ₹ 10 each	4500 00 00	3000 00 00
		4500 00 00	**3000 00 00**
	निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid up Capital**		
	₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 205 88 15 081 (205 88 15 081) इक्विटी शेयर 205 88 15 081 (205 88 15 081) Equity shares of ₹ 10 each fully paid up	2058 81 51	2058 81 51
	कुल / TOTAL	**2058 81 51**	**2058 81 51**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3019 34 70	3019 34 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3019 34 70	**3019 34 70**
II	**पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	822 28 19	747 61 73
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	506 96 82	74 66 46
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1329 25 01	**822 28 19**
III	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी अ. 1 देखें) Opening balance (Refer Schedule 18 Note A.1)	5607 82 67	1662 85 03
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	3992 24 26
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	190 07 73	47 26 62
		5417 74 94	**5607 82 67**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	12301 53 03	9678 95 18
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	2622 57 85
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		12301 53 03	**12301 53 03**
V	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve**		
	(क/a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	5166 92 24	5119 65 62
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरण Transferred from Revaluation Reserve	190 07 73	47 26 62
	लाभ - हानि लेखे से अंतरण Transferred from Profit and Loss Account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Deductions during the year	-	-
		5356 99 97	**5166 92 24**
	(ख/b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग/c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
VI	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि Balance in Profit and Loss Account**	(8492 39 25)	(2827 28 47)
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**20504 83 44**	**25662 97 40**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूचियां 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
अ/A			
I.	**मांग जमाराशियां / Demand Deposits**		
(i)	बैंकों से / From banks	9255 49 00	6572 94 64
(ii)	अन्य से / From others	24830 15 85	22581 07 44
		34085 64 85	**29154 02 08**
II.	**बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits**	**50383 74 67**	**39849 92 61**
III.	**सावधि जमाराशियां / Term Deposits**		
(i)	बैंकों से / From banks	23467 05 58	32641 44 49
(ii)	अन्य से / From others	160601 64 49	164074 43 95
		184068 70 07	**196715 88 44**
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**268538 09 59**	**265719 83 13**
आ/B			
(i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां Deposits of branches in India	267369 19 94	263855 36 54
(ii)	भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	1168 89 65	1864 46 59
	कुल / TOTAL	**268538 09 59**	**265719 83 13**

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I.	**भारत में उधार राशियां / Borrowings in India**		
(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	-	1017 70 28
(ii)	अन्य बैंक / Other banks	3673 45 00	230 30 00
(iii)	टीयर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	1708 80 00	1708 80 00
(iv)	अतिरिक्त टीयर 1 बांड / Additional Tier I Bond	5000 00 00	2500 00 00
(v)	अपर टीयर II बांड / Upper Tier II Bonds	4286 20 00	4286 20 00
(vii)	अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	7078 00 00	8570 00 00
(vii)	बासेल III ओम्नी टीयर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	1900 00 00	1900 00 00
(viii)	अन्य* / Others *	10461 17 47	26392 83 87
II.	**भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India**	22256 35 26	23985 80 11
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**56363 97 73**	**70591 64 26**

* ₹ 850 00 00 हजार (₹ 850 00 00 हजार) का बेमीयादी ऋण लिखत शामिल है जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं है.
Included Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 thousand (₹ 850 00 00 thousand) which does not qualify for CRAR.

* ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 1052 60 09 हजार (₹ 17527 46 46 हजार)
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 1052 60 09 thousand (₹ 17527 46 46 thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I.	देय बिल / Bills Payable	1429 94 55	989 61 93
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	77 08	98 82
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	1450 74 19	1652 11 05
IV.	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)**		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	3046 11 75	3400 28 31
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	594 83 47	717 49 79
	(ग) देय लाभांश तथा लाभांश कर (c) Dividend and dividend tax payable	-	-
	(घ) विविध लेनदार* (d) Sundry Creditors*	301 25 29	300 37 79
	(ङ) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर (e) Service Tax/ TDS/ Other taxes payable	44 14 54	27 54 78
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	38 09 42	29 73 21
	(छ) अन्य प्रावधान (g) Other provisions	2605 57 85	2527 05 41
	(ज) विविध (h) Miscellaneous	4790 69 74	1711 35 68
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**14302 17 88**	**11356 56 77**

* सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशियां - शून्य / Dues to Micro, Small and Medium Enterprises - Nil

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	2137 57 35	1585 62 81
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	11209 34 36	12237 27 91
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**13346 91 71**	**13822 90 72**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I	**भारत में / In India**		
	(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
	(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	298 17 78	332 77 21
	(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	298 12 00	365 07 00
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
	(क) बैंकों के पास (a) with banks	-	848 06 40
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	18400 00 00	7506 10 52
		18996 29 78	**9052 01 13**
II	**भारत से बाहर / Outside India**		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	19 18 24	417 31 44
	(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	214 00 50	198 76 50
	(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	107 67 65	109 54 28
		340 86 39	**725 62 22**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**19337 16 17**	**9777 63 35**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	83866 27 91	81122 57 86
(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
(iii)	शेयर / Shares	2482 37 23	2650 68 18
(iv)	डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	2207 05 22	3116 98 01
(v)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	702 03 82	702 03 82
(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी) Others (CPs, Units in MFs, SRs,PTCs)	3676 67 19	5404 85 64
		92934 41 37	**92997 13 51**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	-	-
(ii)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (shares)	-	-
		-	**-**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**92934 41 37**	**92997 13 51**
III	**भारत में निवेश / Investments in india**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	95716 48 53	94728 35 88
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	2782 07 16	1731 22 37
	निवल निवेश / Net investments	92934 41 37	92997 13 51
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments outside india**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	-	-
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	-	-
	निवल निवेश / Net investments	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
अ A			
(i)	खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	5617 69 05	5425 56 80
(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	53223 92 29	59886 59 18
(iii)	मीयादी ऋण* / Term loans*	131984 31 37	150581 28 91
	कुल / TOTAL	**190825 92 71**	**215893 44 89**
आ B			
(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत**/ Secured by tangible assets **	177115 60 93	202531 61 55
(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित*** Covered by Bank / Government guarantees***	7056 59 28	4696 06 55
(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	6653 72 50	8665 76 79
	कुल / TOTAL	**190825 92 71**	**215893 44 89**
इ C			
I	**भारत में अग्रिम / Advances in India**		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	60560 29 66	55174 51 85
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	8572 20 34	13823 42 05
(iii)	बैंक / Banks	486 48 43	241 87 04
(iv)	अन्य / Others	98696 48 85	122824 66 16
	कुल / TOTAL	**168315 47 28**	**192064 47 10**
II	**भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India**		
(i)	बैंकों से प्राप्य / Due from banks	181 10 11	-
(ii)	अन्य से प्राप्य : / Due from others:		
	(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	1787 43 00	132 65 79
	(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	3911 12 14	3943 26 78
	(ग) अन्य (c) Others	16630 80 18	19753 05 22
	कुल / TOTAL	**22510 45 43**	**23828 97 79**
	कुल (ग I और ग II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**190825 92 71**	**215893 44 89**

* ₹ (-)7707 48 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 8411 43 00 हजार) के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र (निवल) शामिल हैं.
Includes Inter Bank Participatory Certificates (Net) ₹ (-)7707 48 00 thousand (Previous year (₹ 8411 43 00) thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes advances against book debts

*** अन्य बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes advances against letter of credit issued by other banks.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी अ.1 देखें)** **Premises (Refer Schedule 18 Note A.1)**		
	प्रारम्भिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At cost)	6746 01 65	2785 37 89
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	16 83 09	24 75 65
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	-	3936 33 91
	वर्ष के दौरान कटौतियां * / Deductions during the year*	-	45 81
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	665 67 36	480 92 24
		6097 17 38	**6265 09 40**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित)** **Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारम्भिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At cost)	1872 38 35	1668 39 47
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	129 97 81	209 53 76
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	5 86 19	5 54 88
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1284 73 67	1114 34 86
		711 76 30	**758 03 49**
III	**पट्टे पर दी गयी आस्तियां/ Assets given on Lease**		
	प्रारम्भिक शेष / Opening Balance	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	539 84 60	424 18 61
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**7348 78 28**	**7447 31 50**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2586 02 44	2860 89 28
III	अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance / tax deducted at source (net)	3149 62 85	2689 93 66
IV	लेखन सामग्री और स्टाम्प / Stationery and stamps	20 78	24 28
V	दावों की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	791 98 93	793 53 93
VI	**अन्य / Others**		
	(क) (a) आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred Tax Asset (net)	7603 99 70	3940 19 17
	(ख) (b) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड Shares / Bonds Pending allotment	45 47 20	185 44 93
	(ग) (c) विविध जमाराशियां व अग्रिम Sundry deposit and advances	164 59 65	139 04 35
	(घ) (d) प्राप्य दावे Claims receivable	499 15 12	437 52 41
	(ङ) (e) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय / संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	85 86 32	9 87 26
	(च) (f) विविध * Miscellaneous *	23047 76 92	24394 69 83
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to IV)	**37974 69 91**	**35451 39 10**

* प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 22405 44 79 हजार (₹ 24130 93 67 हजार) का निवेश शामिल हैं. (अनुसूची 18.सी.2.VI)

* Includes Investment in Priority sector ₹ 22405 44 79 Thousand (₹ 24130 93 67 thousand) (Schedule 18.C.2.VI)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**		
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	131 84 91	143 82 59
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	59827 52 55	51833 70 39
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) -भारत में (a) -in India	52831 16 63	52628 76 62
	(ख) -भारत से बाहर (b) -outside India	2603 60 14	5593 19 29
IV	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	22875 64 31	26458 38 47
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	38704 97 17	52291 09 81
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative contracts	7235 15 39	7659 30 62
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	1724 86 59	1670 99 15
VIII	अन्य Others	47 53 88	27 29 86
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**185982 31 57**	**198306 56 80**

आकस्मिक देयताओं के विवरण के लिए अनुसूची 18 टिप्पणी अ. 9 देखें

Refer Schedule 18 Note A.9 for description of Contingent Liabilities

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा / Interest / discount on advances / bills	19310 33 08	20709 11 94
II	निवेशों से आय / Income on investments	6574 71 26	5945 23 91
III	रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	456 84 52	92 71 06
IV	अन्य / Others	1449 47 87	1295 69 00
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**27791 36 73**	**28042 75 91**

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
	अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2251 87 26	2116 64 97
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of investments (net)	1250 05 93	828 95 47
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on revaluation of investments (net)	(40 23 57)	(102 91 16)
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(52 76)	(4 03)
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	224 73 79	287 06 21
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	13 33 99	21 56 40
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	158 60 60	139 78 57
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	109 74 63	119 63 53
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**3967 59 87**	**3410 69 96**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
	अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	17138 27 51	16971 86 46
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / inter-bank borrowings	1331 69 03	1232 44 84
III	अन्य / Others	3569 74 02	3749 49 47
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**22039 70 56**	**21953 80 77**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	2203 58 87	1680 89 03
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	426 75 98	401 37 30
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	47 86 19	54 88 96
IV	विज्ञापन और प्रचार/ Advertisement and publicity	43 60 83	24 41 66
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास */ Depreciation on the Bank's property *	358 94 28	214 17 54
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's fees, allowances and expenses	81 12	59 04
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 10 61	2 24 78
VIII	विधि प्रभार / Law charges	12 84 47	14 94 70
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	100 90 29	98 36 18
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	307 73 34	300 66 97

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
XI	बीमा / Insurance	230 74 19	224 21 47
XII	अन्य / Others		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	52 30 21	55 47 91
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	342 37 82	321 96 77
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	12 98 73	8 08 88
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	3 90 79	3 62 14
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	414 37 76	310 89 87
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	113 44 21	75 14 38
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	21 64 23	22 47 61
	(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	39 42 53	34 30 74
	(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	9 58 79	6 07 07
	(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	8 57 73	36 47 63
	(ट) अन्य व्यय (k) Other expenditure	386 27 98	238 27 79
	कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**5140 80 95**	**4129 58 42**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार/ Basis of Preparation

वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों, अधिनियम के प्रावधानों (अधिसूचित सीमा तक) और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतया प्रचलित पद्धतियों के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय विधि, सिवाय कि जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, और परम्परागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है.

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 7 of the Companies (Account) Rules, 2014, the provisions of the Act (to the extent notified) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention

2. अनुमानों का उपयोग/ Use of Estimates

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान व धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान और धारणाएं तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं. तथापि वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3 राजस्व निर्धारण/ Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंक को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकेगा.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामले में जहां इसे रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है.

Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. साख पत्र (एलसी)/ बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/ बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होता है.
Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. अनर्जक अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.
In case of Non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the bank.

4. अग्रिम व प्रावधान / Advances and Provisions

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं और प्रबंधन द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान किये जाते है. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI and additional provisions as decided by the management. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.
Advances are classified as 'Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as 'Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ-हानि लेखे में अभिनिर्धारित किया जाता है.
Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Profit and Loss account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.
The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित/ पुनर्निधारित ऋणों और अग्रिमों पर प्रावधान बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण बफर बनाया है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमाओं और परिस्थितियों के भीतर उपयोग किया जा सकता है.
The Bank had made countercyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, amended from time to time, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

5 निवेश/ Investments

अ. वर्गीकरण
A. Classification

निवेश वर्गीकरण व मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:
In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as

i. परिपक्वता तक धारित,
Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा
Available For Sale and

iii. ट्रेडिंग के लिए धारित
Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है.
Investments under each category are further classified as

i. सरकारी प्रतिभूतियां
Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
Other Approved Securities

iii. शेयर
Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड
Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें और पास थ्रू प्रमाणपत्र).
Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार
B. Basis of Classification

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिवक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for sale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'ट्रेडिंग के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली और इनका मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in subsidiaries, joint venture are classified as 'Held To Maturity'.

इ. मूल्यांकन
C. Valuation

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में:
In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री आय में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.
Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint venture under this category is provided for each investment individually.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध निवेशों' के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.

Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, are ignored.

क) बट्टाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों तथा वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.

ख) ट्रेड/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड / भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर तथा अनुद्धृत / ट्रेड न की गई सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर किया जाता है.

c) The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA).

घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी आधार पर निकाला जाता है और म्युचुअल फंड के यूनिटों का मूल्य रिज़र्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है.

d) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at ₹ 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.

ङ) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर तथा वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों पर लागू किया जाता है.

e) The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तदनुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting period end.

छ) उद्भूत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है और अनुद्भूत/ ट्रेड न किए जाने वाले अधिमानी शेयरों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता पर उपयुक्त प्रतिलाभ आधार मूल्यांकित किया जाता है.

g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है, उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शायी जाती है.
Investments are shown net of provisions.

ई. रेपो व रिवर्स रेपो लेन-देन
D. Repo and reverse repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों को छोड़कर) में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः उधार लेने तथा ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देनों पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (excluding transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

रिज़र्व बैंक से एलएएफ एवं एमएसएफ के अंतर्गत किए रेपो लेन-देनों के संबंध में रिज़र्व बैंक से उधार ली गई राशि को निवेश खाते में जमा कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है. इस पर लगने वाली लागत को ब्याज व्यय माना जाता है. एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो लेन-देनों के संबंध में रिज़र्व बैंक को दी गई राशि निवेश खाते में नामे कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स कर दी जाती है. इस पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In respect of repo transactions under LAF and MSF with RBI, amount borrowed from RBI is credited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Costs thereon are accounted for as interest expense. In respect of reverse repo transactions under LAF, amount lent to RBI is debited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Revenues thereon are accounted as interest income.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

6 डेरिवेटिव लेन-देन/ Derivative Transactions

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में:
In Transactions designated as 'Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन-देनों पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.
b) On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.
c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:
In Transactions designated as 'Trading':

'ट्रेडिंग' के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंडों में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शंस और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर जाती है और नकदी निपटान टी + 1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों पर हुए लाभ/ हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित माहान्त निपटान की तारीख को लाभ-हानि लेखे में अंतरित किया जाता है.
Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7 अचल आस्तियां (संपत्ति, संयत्र उपकरण) एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) and depreciation

i) अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि के रूप में उल्लिखित किया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii) आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iii) पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

iv) अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है और उसे लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued and the same is charged to Profit and Loss account.

v) पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

vi) ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

vii) गोचर आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित रूप में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान विनिधानित किया जाता है. उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate useful lives of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimate of useful life / remaining useful life.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

viii) वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए लगाया जाता है.
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held.

ix) अचल आस्तियों के लिए उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:
The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति/ Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
स्वाधिकृत परिसर/ Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स/ Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन/ Motor vehicles	8
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन/ Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण/ VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with employees	
a) फर्नीचर एवं फिक्सचर Furniture and fixtures	10
a) पर्सनल कंप्यूटर Personal Computers	3

x) पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease.

xi) ₹ 2.5 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को 6 वर्ष की अवधि में पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है.
Computer Software (non-integral) individually costing more than Rs.2.50 Lacs is capitalised and depreciated in 6 years.

8 प्रतिभूतिकरण लेन-देन/ Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/ प्रीमियम के लिए एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयीं, जारी की गयीं या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.
Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

9 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री
Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है.
Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs) / Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

अनर्जक अग्रिमों की बिक्री के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बिक्री निवल बहीमूल्य (एनबीबी) (अर्थात् धारित प्रावधानों को घटाकर बहीमूल्य) से कम मूल्य पर है तो कमी को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है. इसके अलावा रिज़र्व बैंक के दिनांक 13.06.2016 के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कमी को उस तिमाही से 4 तिमाहियों की अवधि में परिशोधित किया जा सकता है जिसमें बिक्री की गई है.
In accordance with RBI guidelines on Sale of Non-performing Advances, in case the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e book value less provision held), the shortfall is charged to profit and loss account. Further, as per the extant RBI guidelines dated 13.06.2016, shortfall is amortised over a period of 4 quarters from the quarter in which the sale has taken place.

यदि बिक्री निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से उच्चतर मूल्य पर है तो आधिक्य प्रावधान को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में परिवर्तित किया जाता है जिसमें नकद राशि प्राप्त होती है तथापि आधिक्य प्रावधान का ऐसा प्रतिवर्तन प्राप्त नकदी के आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक होने की सीमा तक सीमित रहेगा.
In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

10 विदेशी मुद्रा लेन-देन/ Foreign Currency Transactions:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देनों को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित अंतिम बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.
Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.
Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का फेडाई की बंद दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.
Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.
Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेश स्थित शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को फेडाई द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. आय और व्यय मदें तिमाही औसत दरों पर रूपांतरित की जाती हैं. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Operations of foreign branch are classified as 'Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

11 कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान, जब अंशदान देय है, को वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जिसमें वे घटित होते हैं.
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

12 खंड रिपोर्टिंग/ Segment Reporting

बैंक तीन खंडों अर्थात् होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग तथा ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण लेखा मानक -17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक की प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury services. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित तथा अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारित राशि शामिल है. जो आस्तियां एवं देयताएं ज्ञात खंडों में विनिधानित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अविधानीत आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया गया है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

13 आय कर / Income Tax

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.
Tax expense comprises of current and deferred tax.
चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है, जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार परिकलित अवधि के लिए कर योग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूलीयोग्य) है.
Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के लिए बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है. समय अंतरालों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उनकी भविष्य में वसूली की उचित निश्चितता हो.
Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित मूल्यह्रास / हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी हिसाब में ली जाती हैं जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभ से वसूल की जा सकती है.
Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.
Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

14 प्रति शेयर उपार्जन / Earnings Per Share

i. बैंक लेखामानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.
The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding at the year end.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाता है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता हैं. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अन्त में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

15 आस्तियों की अनर्जकता/ Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-लागत वसूलीयोग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूलीक्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूलीयोग्य मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से कर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गयी हों तो अनर्जकता को उस आस्ति की रखाव लागत से उसके अनुमानित वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.
Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. लेखा मानक 29 के अनुरूप, प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के मामले में प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब बैंक यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.
In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.
Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.
Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.
Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 18 - लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO ACCOUNTS

अ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबधी आवश्यकताएं
A DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

1. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एएस-10)
FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENTS AS-10)

i. परिसर में ₹ 2177.16 करोड़ (₹2177.16 करोड़) की लीज पर ली गई भूमि (पुनर्मूल्यांकित) शामिल है जिसका 31 मार्च 2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर पुनर्मूल्यांकन किया गया था. पुनर्मूल्यांकन में ₹ 1129.05 करोड़ की हुई निवल वृद्धि को 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा कर दिया गया था.
Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 2177.16 Crore (₹ 2177.16 Crore) which was revalued at the end of business hours, on 31st March 2016. The net appreciation of ₹ 1129.05 Crore arising on revaluation, was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2016.

ii. बैंक ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय /कार्यालय भवन का 31 मार्च 2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया है. पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल मूल्य वृद्धि ₹ 2807.29 करोड़ हुई है जो ₹ 1202.71 करोड़ के निवल बही मूल्य और ₹ 4010 करोड़ की पुनर्मूल्यांकित राशि का अंतर है, जिसे 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा कर दिया गया है..
The Bank has revalued its Freehold Land & Residential/ Office building at the end of business hours, on 31st March 2016 based on valuations made by independent valuers. The net appreciation of ₹ 2807.29 Crore arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 1202.71 Crore and revalued amount of ₹ 4010 Crore was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2016.

iii. 31 मार्च 2017 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में शेष ₹ 5417.75 करोड़ (₹ 5607.83 करोड़) है.
The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2017 is ₹ 5417.75 Crore (₹ 5607.83 Crore).

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित):
EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED)

i. **निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं**
Defined Contribution Schemes

बैंक उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने पेंशन विकल्प चुना है, जिन्होंने 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में सेवा ग्रहण की है, उन्हें भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक ने एक निर्दिष्ट अंशदान तय किया है जो कि मूल वेतन के स्थाई प्रतिशत के रूप में पीएफएस में जाता है. भविष्य निधि योजना को ''आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की भविष्य निधि (निधि) प्रशासक समिति'' द्वारा संचालित किया जाता है. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 4.68 करोड़ (₹ 4.85 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया. आईडीबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) तथा आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदान मई 2011 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराये गये हैं और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लेखित निधि में किये गये हैं.
The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is administered by "The Committee of

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Administrators of IDBI Bank Employees' Provident Fund (Fund)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year, ₹ 4.68 Crore (₹ 4.85 Crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद कार्यग्रहण किया है उन्हें निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के तहत कवर किया गया है, जिसमें बैंक मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है. वर्ष के दौरान डीसीपीएस में ₹ 63.95 करोड़ (₹ 53.83करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 63.95 Crore (₹ 53.83 Crore) has been contributed to DCPS and charged to Profit and Loss Account.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं

Defined Benefit Schemes

बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान देता है.

The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

क. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के भी पात्र हैं, जिसका प्रशासन 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.

a. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ख. इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति से की जाती है.

b. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और यथा 31 मार्च 2017 को बैंक के वित्तीय विवरण में दर्शायी गईं राशियों की स्थिति को प्रस्तुत करती है जो एएस - 15 (संशोधित) के अनुसार है:

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2017 which is per AS-15(R).

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

	पेंशन यथा 31 मार्च 2017 Pension As at March 31, 2017	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2017 Gratuity As at March 31, 2017	पेंशन यथा 31 मार्च 2016 Pension As at March 31, 2016	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2016 Gratuity As at March 31, 2016
क) लाभ दायित्वों में परिवर्तन :				
a) Change in benefit obligations:				
वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	1848.01	565.16	1739.24	514.45

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

		पेंशन यथा 31 मार्च 2017 Pension As at March 31, 2017	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2017 Gratuity As at March 31, 2017	पेंशन यथा 31 मार्च 2016 Pension As at March 31, 2016	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2016 Gratuity As at March 31, 2016
	ब्याज लागत/ Interest cost	148.95	45.61	138.27	41.31
	चालू सेवा लागत/ Current Service cost	32.56	33.24	44.63	28.96
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतरित देयता आगम/ (निर्गम) Liability Transferred In/ (Out)	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(98.14)	(45.08)	(85.07)	(39.41)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि/ Actuarial (gain)/ loss	127.94	44.77	10.94	19.85
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ/ दायित्व Projected benefit/ obligation, end of the year	**2059.32**	**643.70**	**1848.01**	**565.16**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	1818.46	516.84	1622.76	423.55
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	147.30	41.86	141.18	36.85
	नियोक्ता का अंशदान/ Employer's contributions	291.84	48.53	132.58	90.9
	अन्य कंपनी से अंतरण/ Transfer from other company	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(98.14)	(45.08)	(85.07)	(39.41)
	बीमांकिक लाभ/ (हानि)/ Actuarial gain/ (loss)	98.10	3.13	7.01	4.95
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**2257.56**	**565.28**	**1818.46**	**516.84**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

		पेंशन यथा 31 मार्च 2017 Pension As at March 31, 2017	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2017 Gratuity As at March 31, 2017	पेंशन यथा 31 मार्च 2016 Pension As at March 31, 2016	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2016 Gratuity As at March 31, 2016
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	2059.32	643.70	1848.01	565.16
	भविष्य में अभिनिर्धारित/ प्रावधान की जानेवाली संक्रमण कालीन (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/ provided in future	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 मार्च 2017 को लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at March 31, 2017	2059.32	643.70	1848.01	565.16
	31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at March 31, 2017	2257.56	565.28	1818.46	516.84
	अधिशेष/(घाटा)/ Surplus/ (Deficit)	**198.24**	**(78.42)**	**(29.55)**	**(48.32)**
घ) d)	**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year ended March 31, 2017**				
	सेवा लागत/ Service cost	32.56	33.24	44.63	28.96
	ब्याज लागत/ Interest cost	148.95	45.61	138.27	41.31
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(147.30)	(41.86)	(141.18)	(36.85)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	29.84	41.64	3.93	14.90
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान स्वीकार की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

		पेंशन यथा 31 मार्च 2017 Pension As at March 31, 2017	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2017 Gratuity As at March 31, 2017	पेंशन यथा 31 मार्च 2016 Pension As at March 31, 2016	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2016 Gratuity As at March 31, 2016
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई संक्रमण कालीन देयता Transitional liability recognized during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	उपर्युक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	**64.05**	**78.63**	**45.65**	**48.32**
	पुनरांकित न की गई बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability not written back	198.24	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	0.00	0.23	0.00	0.00
	वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	**262.29**	**78.40**	**45.65**	**48.32**
ङ) e)	**यथा 31 मार्च 2017 को आस्तियों की श्रेणी Category of Assets as at March 31, 2017**				
	भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets	1042.30	0.00	880.73	0.00
	कॉरपोरेट बांड/ Corporate Bonds	528.98	0.00	472.07	0.00
	विशेष जमा योजना/ Special Deposits Scheme	0.00	0.00	15.00	0.00
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	0.00	565.28	0.00	516.84
	अन्य/ Others	686.28	0.00	450.66	0.00
	कुल/ Total	**2257.56**	**565.28**	**1818.46**	**516.84**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

		पेंशन यथा 31 मार्च 2017 Pension As at March 31, 2017	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2017 Gratuity As at March 31, 2017	पेंशन यथा 31 मार्च 2016 Pension As at March 31, 2016	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2016 Gratuity As at March 31, 2016
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर/ Discount rate	7.45%	7.34%	8.06%	8.07%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of return on plan assets	7.45%	7.34%	8.10%	8.10%
	वेतन बढ़ोतरी दर/ Salary escalation rate	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%
	ह्रास दर/ Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90 % तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 2.57 % 1.90 % for service less than 5 Years and 2.57 % for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90 % तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 2.57 % 1.90 % for service less than 5 Years and 2.57 % for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.13% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 1.94 % 2.13% for service less than 5 Years and 1.94% for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.13% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 1.94 % 2.13% for service less than 5 Years and 1.94% for service more than 4 Years
	मृत्यु दर/ Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु अंतिम रूप से (2006-2008) Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult..		भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु अंतिम रूप से (2006-2008) Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult..	

iii. **अन्य दीर्घावधि लाभ:**

Other long term benefits

बैंक के कर्मचारी अपनी अर्जित/ विशेषाधिकार छुट्टी का संचय करने के लिए पात्र हैं जिसमें अधिकारी अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ 300 दिन तक की छुट्टी का संचय कर सकते हैं. प्रति वर्ष अधिकतम 15 दिन की छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है.
Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

बैंक के कर्मचारी अशक्तता सहायता के पात्र हैं, जिसे अशक्तता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.
Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन अनुमानित यूनिट-क्रेडिट पद्धति से किया गया और वर्ष के दौरान ₹ 73.07करोड़ (₹ 20.29करोड़) की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है.
Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 73.07 Crore (₹ 20.29 Crore) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)/ SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्य रूप से निम्न तीन कारोबारी खंडों में परिचालन करता है:

The Bank primarily operates in three business segments as under :

ट्रेजरी/ Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाज़ार परिचालन, व्युत्पन्नों का सौदा, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers..
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केन्द्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल/करेंसी कार्ड, अन्य पक्ष वितरण और ट्रांजेक्शन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services.
कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलापों को कवर करने वाले कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ सिंडिकेशन, परियोजना मूल्यांकन और ट्रेजरी के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो भी शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. स. Sr. No.	विवरण/ Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017 Year Ended March 31, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016 Year Ended March 31, 2016
		लेखा परीक्षित Audited	लेखा परीक्षित Audited
क./a.	**खंड राजस्व/ Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	22169	24204
	खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking	28395	24659
	ट्रेजरी/ Treasury	793	556
	कुल/ TOTAL	**51357**	**49419**
	घटाएं : अंतर-खंड राजस्व/ Less :- Inter-segment revenue	19598	17966
	परिचालनों से निवल बिक्री/ आय Net sales/ income from operations	**31759**	**31453**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. स. Sr. No.	विवरण/ Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017 Year Ended March 31, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016 Year Ended March 31, 2016
ख./b.	**खंड परिणाम- कर पूर्व लाभ/ (हानि) Segment Results - Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/Wholesale Banking	(9195)	(5429)
	खुदरा बैंकिंग/Retail Banking	287	184
	ट्रेज़री/Treasury	290	274
	कुल/TOTAL	**(8618)**	**(4971)**
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ/ (हानि) Total profit/ (loss) before tax	**(8618)**	**(4971)**
	आय कर/Income taxes	(3460)	(1306)
	निवल लाभ/ हानि/Net profit/ (loss)	**(5158)**	**(3665)**
ग./c.	**खंड आस्तियां/Segment assets**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	183699	206001
	खुदरा बैंकिंग/Retail Banking	166889	150850
	ट्रेज़री/Treasury	426	10891
	अविनिधानित आस्तियां/ Unallocated assets	10754	6630
	कुल आस्तियां/ Total assets	**361768**	**374372**
घ./d.	**खंड देयताएं/Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	105665	162262
	खुदरा बैंकिंग/Retail Banking	235284	189766
	ट्रेज़री/ Treasury	3673	230
	अविनिधानित देयताएं/ Unallocated liabilities	-	-
	कुल देयताएं/ Total liabilities	**344622**	**352258**
ङ./e.	**नियोजित पूंजी (खंड आस्तियां - खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	78034	43739
	खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking	(68395)	(38916)
	ट्रेज़री/Treasury	(3247)	10661
	अविनिधानित/ Unallocated	10753	6630
	कुल देयताएं/ Total	**17145**	**22114**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरित एफटीपी सिस्टम के तहत गणना किए गए अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं.
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per FTP system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक ने यह माना है कि वह मुख्य रूप से देशी खंड में परिचालन करता है और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
  The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18)/ RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

अ. एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची
A. List of related party as per AS-18

I. सहायक संस्थाएं
Subsidiaries

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि.
IDBI Capital Market Services Ltd.

आईडीबीआई इंटेक लि.
IDBI Intech Ltd.

आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.
IDBI MF Trustee Company Ltd.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि.
IDBI Asset Management Company Ltd.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.
IDBI Trusteeship Services Limited

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था
Jointly controlled entity

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.

III. बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
Key management personnel of the Bank

श्री किशोर पी. खरात, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Shri Kishor P Kharat, Managing Director & CEO

श्री बाल कृष्ण बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (1 अप्रैल 2016 से 31 जुलाई 2016 तक)
Shri Balkrishan Batra, Deputy Managing Director (April 01, 2016 to July 31, 2016)

श्री कृष्ण प्रसाद नायर, उप प्रबंध निदेशक (15 सितंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक)
Shri Krishna Prasad Nair, Deputy Managing Director (From September 15, 2016 to March 31, 2017)

श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक (15 सितंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक)
Shri G.M.Yadwadkar, Deputy Managing Director (From September 15, 2016 to March 31, 2017)

श्री एन.एस वेंकटेश, कार्यपालक निदेशक व सीएफओ (1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 तक)
Shri N.S.Venkatesh, Executive Director & CFO (From April 01, 2016 to June 30, 2016)

श्री आर.के. बंसल, कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ (1 जुलाई 2016 से 15 अगस्त 2016 तक)
Shri R.K. Bansal, Executive Director & CFO (From July 01, 2016 to August 15, 2016)

श्रीमती पद्मा बेताई, सीएफओ (16 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2017 तक)
Smt. Padma Betai, CFO (From August 16, 2016 to March 31, 2017)

श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव
Shri Pawan Agrawal, Company Secretary

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आ. संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण
B. Details of transactions with Related Parties

i. पक्षकार जिनके साथ वर्ष के दौरान लेन-देन किए गए
Parties with whom transaction were entered into during the year

लेखांकन मानक (एएस) 18 के परिच्छेद 9 के अनुसार 'सरकारी नियंत्रण वाले उद्यमों' के संबंध में संबद्ध पक्षकार संबंधी किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है. बैंक की सभी सहायक संस्थाएं सरकारी नियंत्रण वाले उद्यम हैं, अतः सहायक संस्थाओं के साथ लेन-देनों का प्रकटन नहीं किया गया है. साथ ही एएस 18 के परिच्छेद 5 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेन-देनों का प्रकटन नहीं किया गया है.
No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. All the subsidiaries of the Bank are State-controlled Enterprises, hence no disclosure is made for transaction with subsidiary Companies. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of relatives of Key Management Personnel.

ii. संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेषराशियां:
Transactions/ balances with related parties:

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

विवरण Particulars	संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम Jointly controlled entity	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	कुल Total
प्राप्त जमाराशियां / Deposits Received	6.08 (6.14)	0.44 (0.21)	6.52 (6.35)
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	38.60 (37.59)	1.53 (1.28)	40.13 (38.87)
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	38.60 (37.59)	2.07 (3.21)	40.67 (40.80)
बकाया निवेश Investments outstanding	384.00 (384.00)	0.01 (-)	384.01 (384.00)
प्रदत्त अग्रिम / Advance Given	- (-)	1.20 **(2.41)	1.20 **(2.41)
बकाया अग्रिम / Advances outstanding	- (-)	2.14 (1.92)	2.14 (1.92)
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advance due during the year	- (-)	2.16 (2.98)	2.16 (2.98)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

विवरण Particulars	संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम Jointly controlled entity	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	कुल Total
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on advances	- (-)	0.05 (0.18)	0.05 (0.18)
अग्रिमों पर उपचित ब्याज Interest accrued on advances	- (-)	- (-)	- (-)
जमाराशियों पर ब्याज Interest on Deposits	5.11 (4.24)	0.04 (0.11)	5.15 (4.35)
पारिश्रमिक Remuneration	- (-)	1.25 (1.06)	1.25 (1.06)
अन्य आय Other Income	60.24 (48.04)	0.10 (0.16)	60.34 (48.20)
वर्ष के दौरान लाभ का हिस्सा Share of profit during the year	24.99 (7.34)	- (-)	24.99 (7.34)

कोष्ठक ( ) में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं.
The figures in ( ) are of Previous Year.

** आईडीबीआई द्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (तुलन-पत्र की तारीख को पद पर रहे) को उनके पुत्र के साथ संयुक्त रूप से आवास ऋण मंजूर किया गया. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस ऋण के संबंध में कोई संवितरण नहीं किया गया था.

** Housing loan sanctioned by IDBI to MD & CEO (holding office as at balance sheet date) jointly with his son. No fresh disbursement was made during FY 2016-17, in respect of this loan.

5. पट्टे (एएस-19)/ LEASES (AS-19)

परिचालनगत पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर, स्टाफ आवास और ऑटोमेटेड टेलर मशीनें (एटीएम), जिसे बैंक के विकल्प पर निरस्त किया जा सकता है या निरस्त नहीं होने वाले परिचालनगत पट्टे शामिल हैं.
Operating leases primarily comprise office premises, staff residences and Automated Teller Machines(ATM)s, which are either cancellable at the option of the Bank or non-cancellable operating lease.

वर्ष के दौरान निरसन योग्य/ निरस्त नहीं होने वाले परिचालनगत पट्टे पर प्रदत्त / देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ - हानि लेखे में ₹ 310.50 करोड़ (₹ 291.04 करोड़) की राशि प्रभारित की गई.
During the year ₹ 310.50 Crore (₹ 291.04 Crore) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/payable on cancellable/non-cancellable operating lease.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

तुलन पत्र की तारीख तक अनिरसनीय परिचालनगत पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:
The future minimum lease payments in respect of non-cancellable operating leases as at balance sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
एक वर्ष के बाद नहीं/ Not Later than one year	3.80	1.97
एक वर्ष के बाद किंतु 5 वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	3.55	-

6. प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (एएस-20)/ EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में) Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ in Crores)	(5158.14)	(3664.80)
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	20588 15 081	16830 99 282
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	-	-
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	20588 15 081	16830 99 282
ईपीएस (मूल) (₹) EPS (Basic) (₹)	(25.05)	(21.77)
ईपीएस (न्यूनीकृत) (₹) EPS (Diluted) (₹)	(25.05)	(21.77)
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22)/ ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय अंतराल के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित आस्तियों एवं आस्थगित देयता का घटक नीचे दिया गया है:
The Component of Deferred Assets and Deferred Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

विवरण/Particulars	यथा 31 मार्च 2017 को As at March 31, 2017	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2017	यथा 31 मार्च 2016 को As at March 31, 2016
आस्थगित कर देयता/Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास/ Depreciation on fixed assets	57.18	(3.00)	60.18
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	439.80	0.00	439.80
कुल (अ)/Total (A)	**496.98**	**(3.00)**	**499.98**
आस्थगित कर आस्ति/Deferred Tax Asset			
एनपीए तथा पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं हैं Disallowance related to provision for NPA and for Restructured Advances not allowed under Income tax Act, 1961	7911.95	3917.28	3994.67
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए)(आईए) आदि के अधीन अस्वीकृति Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income-tax Act, 1961	178.31	51.80	126.51
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी और 35डीडी के अंतर्गत कटौती से कवर किया गया व्यय Expenditure covered by deduction u/s 35D and 35DD of the Income Tax Act, 1961	1.06	(0.05)	1.11
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए शामिल नहीं किए गए मूल्यह्रास Unabsorbed depreciation for the year ended March 31,2017	9.66	(46.79)	56.45
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार में हानि Business Loss for the year ended March 31, 2017	0	(261.44)	261.44
कुल (आ)/Total (B)	**8100.98**	**3660.80**	**4440.18**
आस्थगित कर देयता/ (आस्ति)(निवल)(अ)-(आ) Deferred tax liability/ (asset) (net) (A) – (B)	**(7604.00)**	**(3663.80)**	**(3940.20)**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

कराधान के प्रावधान
Provision of Taxation

(₹ करोड़ में)/(₹ in crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2016
आय कर Income Tax	203.93	4.25

8. संयुक्त उद्यम (एएस 27)/ JOINT VENTURES (AS-27)

निवेशों में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम में बैंक के हित से संबंधित ₹ 384 करोड़ (₹ 384 करोड़) शामिल हैं.

Investments include ₹ 384 Crore (₹ 384 Crore) representing Bank's interest in the following joint venture.

कंपनी का नाम/Name of the Company	निवास का देश Country of Residence	धारिता Holding
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	भारत India	48%

एएस-27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित सभी आस्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की प्रत्येक की कुल राशियों का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है:

As required by AS-27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entity are disclosed as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2017 (लेखापरीक्षित) March 31, 2017 (Audited)	31 मार्च 2016 (लेखापरीक्षित) March 31, 2016 (Audited)
देयताएं/ Liabilities		
इक्विटी पूंजी एवं रिजर्व/ Equity Capital & Reserve	384.00	384.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान/ Other Liabilities & Provisions	143.62	102.43
कुल/ Total	**527.62**	**486.43**
आस्तियां/ Assets		
नकदी और बैंक शेषराशियां/ Cash and Bank Balances	77.68	51.59

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ in crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2017 (लेखापरीक्षित) March 31, 2017 (Audited)	31 मार्च 2016 (लेखापरीक्षित) March 31, 2016 (Audited)
निवेश/ Investments	148.17	151.51
अचल आस्तियां/ Fixed Assets	70.58	62.47
अन्य आस्तियां/ Other Assets	173.07	137.86
विविध व्यय/ संचित हानि/ Miscellaneous Expenditure/Accumulated Losses	58.13	83.00
कुल/ Total	**527.62**	**486.43**
पूंजी वचनबद्धताएं/ Capital Commitments	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं/ Other Contingent Liabilities	99.70	61.47
आय/ Income		
निवेशों से आय/ब्याज आय/ Income from Investments/Interest Income	20.33	16.41
अन्य आय/ Other income	7.68	(6.52)
कुल / Total	**28.00**	**9.89**
व्यय/ Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि/ Losses from Insurance Business	-	-
परिचालनगत व्यय/Operating expenses	3.01	2.55
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं/Provisions & Contingencies	0.00	0.0003
कुल /Total	**3.01**	**2.55**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)/ Profit/ (Loss) for the Year	24.99	7.34

9. आकस्मिक देयताओं का विवरण*/ DESCRIPTION OF CONTINGENT LIABILITIES*

क./ a.

क्र.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
III	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्य-निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its Banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्य-निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance Banking activities with a view to augment the customers credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
V	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कारपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income tax, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विभिन्न कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकरणों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favourable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
VIII	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following : क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकरणों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गई गारंटियां और a) the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ)- जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को 'रिज़र्व बैंक डीईएएफ निधि' में अंतरित करता है. b) the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)- In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued pertaining to customers whose accounts were not operated or amounts were not claimed for more than 10 years to 'RBI DEAF Fund'.

ख. दीर्घावधि संविदाएं
b. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसी दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि/ लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ग. लंबित मुकदमे
c. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकरणों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

* मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएं देखें.

*Refer Schedule-12- Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आ रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन
B DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

I. पूंजी / Capital

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	बासेल III के अनुसार As per Basel III	
		यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017	यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016
1	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात (%)+ सीसीबी * Common Equity Tier 1 capital ratio (%)+CCB *	5.64%	7.98%
2	सीआरएआर- टीयर I पूंजी (%) CRAR - Tier I Capital (%)	7.81%	8.89%
3	सीआरएआर - टीयर II पूंजी (%) CRAR - Tier II Capital (%)	2.89%	2.78%
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) Total Capital ratio (CRAR) (%)	10.70%	11.67%
5	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	73.98%	73.98%
6	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि Amount of equity capital raised	0.00	3077.42
7	भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि जिसे रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के पत्र संख्या डीबीआर.सीओ.सं. 11547/ 21.01.002/ 2016-17 के अनुसार आबंटन के विचाराधीन होने के कारण सीईआर1 पूंजी मानने की अनुमति दी गई है# Amount of share application money received from GoI, allowed by RBI to be treated as CER1 capital, pending allotment vide its letter no. DBR.CO.No..11547/ 21.01.002/ 2016-17 dated March 30,2017#	1900.00	0.00
8	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से - Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which		
	पीएनसीपीएस : PNCPS:	0.00	0.00
	पीडीआई : PDI:	2500.00	0.00
9	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि ; Amount of Tier 2 capital raised;		
	जिसमें से-/ of which		
	ऋण पूंजी लिखत:/ Debt capital instrument:	0	1900
	प्राथमिक शेयर पूंजी लिखत: [स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ मोचन-योग्य गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/ मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)] Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	0	0

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

* 31 मार्च 2017 को बैंक का पूंजी समरूपता बफर (सीसीबी) अनुपात 1.25% की विनियामक अपेक्षाओं के मुकाबले 0.14% रहा.
* Capital Conservation Buffer (CCB) ratio of the Bank as on 31st March 2017, is 0.14% as against 1.25% of Regulatory requirements.

भारत सरकार ने दिनांक 16 मार्च 2017 के अपने पत्र सं. एफ/ 38/2014-बीओए द्वारा इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के जरिए ₹1900 करोड़ निवेश किया है. इक्विटी शेयरों के आबंटन लंबित होने से राशि यथा 31 मार्च 2017 को 'इक्विटी शेयर आवेदन धनराशि' खाते में पड़ी है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2017 के अपने पत्र सं. डीबीआर.सीओ.बीपी.सं. 11547/21.01.002/2016-17 के जरिए बैंक को 'शेयर आवेदन धनराशि' को यथा 31 मार्च 2017 को सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी 1) पूंजी मानने की अनुमति दी है.
Government of India (GoI) vide its letter no F.No F/38/2014-BOA dated 16-03-2017 infused ₹ 1900 crore by way of preferential allotment of equity shares. The pending allotment of Equity Shares amount is lying in 'Equity Share Application Money' Account as on March 31, 2017. Reserve Bank of India vide letter No. DBR.CO.BP.No.11547/21.01.002/2016-17 dated March 30, 2017, has permitted Bank to treat 'Share Application Money' as a part of Common Equity Tier 1 (CET1) Capital as on March 31,2017.

II. निवेश/ Investments

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें/Items	यथा 31 मार्च 2017 को As at March 31, 2017	यथा 31 मार्च 2016 को As at March 31, 2016
(1)	निवेश का मूल्य/ Value of Investments		
(i)	निवेश का सकल मूल्य/ Gross Value of Investments		
	(क) भारत में (a) In India	95716.49	94728.36
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/ Provisions for Depreciation		
	(क) भारत में (a) In India	2782.07	1731.22
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-
(iii)	निवेश का निवल मूल्य/ Net Value of Investments		
	(क) भारत में (a) In India	92934.41	92997.14
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें/Items		यथा 31 मार्च 2017 को As at March 31, 2017	यथा 31 मार्च 2016 को As at March 31, 2016
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में घट - बढ़ Movement of provisions held towards depreciation on investments			
	(i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	1731.22	1456.66
	(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान Add: Provisions made during the year	1705.96	780.86
	(iii)	घटायें : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित किये गये आधिक्य प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	655.11	506.29
	(iv)	अंतिम शेष/Closing balance	2782.07	1731.22

III. रेपो लेन-देन / Repo Transactions

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under repo (Face Value)					
i.	सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	5.00	14608.91	531.37	0.00
ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under reverse repo (Face Value)					
i.	सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	125.00	12164.01	1431.65	0.00
ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो
Non- SLR Investment Portfolio

1. गैर एसएलआर निवेशों के मामले में निर्गमकर्ता संरचना
Issuer composition of Non-SLR investments

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of 'below investment grade' securities #	'बिना-रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unrated' securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	810.00	329.14	0.00	70.18	179.28
2	वित्तीय संस्थाएं FIs	277.93	175.68	12.50	110.62	110.62
3	बैंक Banks	120.39	0.00	0.00	35.30	1.49
4	निजी कॉरपोरेट Private Corporates	8307.76	4250.30	1620.55	4305.17	5202.61

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of 'below investment grade' securities #	'बिना-रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unrated' securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
5	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ JV	702.04	263.17	0.00	702.04	702.04
6	अन्य/ Others	5649.65	44.74	2.32	4312.69	5649.65
	सकल कुल/ Gross Total	**15867.78**	**5063.02**	**1635.37**	**9536.00**	**11845.70**
7	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान Prov held towards Dep..	2743.90				
	निवल कुल/ NET Total	**13123.88**	**5063.02**	**1635.37**	**9536.00**	**11845.70**

नोट: इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियां नहीं माना गया है.
Note – Investment in Equities are not treated as unrated securities

इक्विटी/ अधिमान शेयरों तथा राज्य स्तरीय बांडों में एनपीआई निवेश को निवेश ग्रेड से नीचे माना गया है.
NPI Investments in equity/preference shares and state level bonds have been considered as below investment grade.

2 अनर्जक गैर - एसएलआर निवेश
Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रारंभिक शेष/ Opening balance	**1134.17**	**1010.63**
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Additions during the year	694.33	457.53
वर्ष के दौरान कमी/ Reductions during the year	311.29	333.99
अंतिम शेष/ Closing balance	**1517.20**	**1134.17**
एनपीआई के तहत धारित कुल प्रावधान/ Total provisions held toward NPI	**1120.96**	**835.99**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

v. प्रतिभूतियों का परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/को विक्रय व अंतरण
Sales and transfers of securities to/from Held to Maturity (HTM) category

क. 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान परिपक्वता तक धारित एचटीएम श्रेणी से/को की गई बिक्री का मूल्य (लेखा वर्ष के प्रारम्भ में निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंकों को अनुमत एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों के एकबारीय अंतरण और पूर्व घोषित खुला बाज़ार परिचालन नीलामियों के तहत रिज़र्व बैंक को की गई बिक्री तथा एचटीएम से प्रतिभूतियों के अंतरण को छोड़कर) वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक है. उपर्युक्त एसएलआर अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के संबंध में है. दिशा-निर्देशों का विवरण नीचे दिया गया है.

a. During the year ended March 31, 2017, the value of sales and transfers of securities to/from HTM category (excluding onetime transfer to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year and sale to RBI under pre-announced Open Market Operation auctions) have exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year. The same is in regard to RBI extant guidelines for compliance with SLR requirements. The details of guidelines are given below.

रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 अक्तूबर 2014 के परिपत्र डीबीओडी. बीपी. बीसी. सं. 42/21.01/141/2014-15 के अनुसार बैंकों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों पर सीमा को क्रमिक रूप से घटाकर 19 सितंबर 2015 तक एनडीटीएल के 24% से 22% करने के लिए सूचित किया गया था. इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक के 10 दिसंबर 2015 के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बी.सी. 65/21.04.141/2015-16 के अनुसार बैंकों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों पर सीमा को क्रमिक रूप से 9 जनवरी 2016 तक एनडीटीएल के 22% से कम कर 21.5 % करने, 2 अप्रैल 2016 से 21.25%, 9 जुलाई 2016 से 21%, 1 अक्तूबर 2016 से 20.75% और 7 जनवरी 2017 तक 20.50% करने के लिए सूचित किया गया था.

In terms of RBI circular DBOD.BP.BC.No.42/21.01.141/2014-15 dated 7th October, 2014, the banks were advised to bring down the ceiling on SLR securities under the HTM category from 24 per cent of NDTL to 22 per cent by September 19, 2015 in a graduated manner. Further in terms of RBI Circular DBR.NO.BP.B.C.65/21.04.141/2015-16 dated December 10, 2015, the banks were advised to bring down the ceiling on SLR securities under the HTM category from 22 per cent of NDTL to 21.5 percent by January 9, 2016, 21.25% from April 2, 2016, 21% from July 9, 2016, 20.75% from October 1, 2016 and to 20.50 per cent by January 7, 2017 in a graduated manner.

तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 3339.96 करोड़ बही मूल्य की एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से एचएफटी / एएफएस श्रेणी में अंतरित किया है.

Accordingly, during the current financial year the Bank has transferred SLR securities with book value of ₹ 3339.96 crore from HTM category to HFT/AFS category as per the extant RBI guidelines to comply with the aforesaid requirements.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ख. वर्तमान वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों में उतार-चढ़ाव की स्थिति निम्नानुसार है:-

b. The movement of Investments held in HTM Category during the current year is as under:-

निवेश Investment	एचटीएम श्रेणी में यथा 31.03.2017 को शेष (बही मूल्य - करोड़ रुपये) Balance as on 31.03.2016 in HTM category (Book value - ₹ in crore)
सीजी प्रतिभूतियाँ / CG Securities	44,232.93
एसजी प्रतिभूतियाँ / SG Securities	14,949.87
बैंक बॉन्ड / Bank bond	0.00
एसएएसएफ शेष / SASF balance	4,486.00
शेयर इक्विटी / Shares Equity	702.04
उद्यम पूंजी / Venture Capital	59.79
कुल / Total	**64,430.63**

02.04.2016 को प्रतिभूतियों का एचटीएम श्रेणी से एचएफटी श्रेणी में अंतरण (रिज़र्व बैंक के 10 दिसंबर 2015 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बी.सी. 65/21.04.141/2015-16 के अनुसार) Shifting of securities from HTM category to HFT on 02.04.2016 (as per RBI circular DBR.NO.BP.B.C.65/21.04.141/2015-16 dated December 10, 2015)	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
सीजी प्रतिभूतियाँ / CG Securities	870.61
कुल / Total	**870.61**

30.04.2016 को प्रतिभूतियों का एचटीएम श्रेणी से एचएफटी श्रेणी में अंतरण Shifting of securities from HTM category to HFT on 30.04.2016	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
सीजी प्रतिभूतियाँ (अ) / CG Securities (A)	2027.94
30.04.2016 को प्रतिभूतियों का एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण **Shifting of securities from HTM category to AFS on 30.04.2016**	
सीजी प्रतिभूतिया (आ) / CG Securities (B)	1021.03
कुल (अ+आ) / Total (A+B)	**3048.97**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

जून 2016 में उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) का एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण **Shifting of Venture capital Fund (VCF) from HTM category to AFS in June 2016**	बही मूल्य (₹ करोड़ में) **Book value (₹ in crore)**
वीसीएफ / VCF	23.02
कुल / Total	**23.02**

08.07.2016 को प्रतिभूतियों का एचटीएम श्रेणी से एचएफटी श्रेणी में अंतरण (रिज़र्व बैंक के 10 दिसंबर 2105 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बी.सी. 65/21.04.141/2015-16 के अनुसार) **Shifting of securities from HTM to HFT category on 08.07.2016 (as per RBI circular DBR.NO.BP.B.C.65/21.04.141/2015-16 dated December 10, 2015)**	बही मूल्य (₹ करोड़ में) **Book value (₹ in crore)**
सीजी प्रतिभूतियाँ / CG Securities	652.31
कुल / Total	**652.31**

01.10.2016 को प्रतिभूतियों का एचटीएम श्रेणी से एचएफटी श्रेणी में अंतरण (रिज़र्व बैंक के 10 दिसंबर 2105 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बी.सी. 65/21.04.141/2015-16 के अनुसार) **Shifting of securities from HTM to HFT category on 01.10.2016 (as per RBI circular DBR.NO.BP.B.C.65/21.04.141/2015-16 dated December 10, 2015)**	बही मूल्य (₹ करोड़ में) **Book value (₹ in crore)**
सीजी प्रतिभूतियाँ / CG Securities	1226.11
कुल / Total	**1226.11**

07.01.2017 को प्रतिभूतियों का एचटीएम श्रेणी से एचएफटी श्रेणी में अंतरण (रिज़र्व बैंक के 10 दिसंबर 2105 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बी.सी. 65/21.04.141/2015-16 के अनुसार) **Shifting of securities from HTM to HFT category on 07.01.2017(as per RBI circular DBR.NO.BP.B.C.65/21.04.141/2015-16 dated December 10, 2015)**	बही मूल्य (₹ करोड़ में) **Book value (₹ in crore)**
सीजी प्रतिभूतियाँ (अ) / CG Securities (A)	295.01
07.01.2017 को प्रतिभूतियों का एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण **Shifting of securities from HTM to AFS category on 07.01.2017**	
सीजी प्रतिभूतियाँ (आ) / CG Securities (B)	**295.92**
कुल (अ+आ) **/ Total (A+B)**	**590.93**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

निम्नलिखित तारीखों को एटीएम श्रेणी से ओएमओ बिक्री OMO sale from HTM category on	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
07.04.2016	952.79
28.04.2016	672.50
10.05.2016	1.39
25.05.2016	207.30
20.06.2016	1453.42
24.10.2016	530.42
कुल / Total	3817.82

एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री Sale of security from HTM category	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
अप्रैल 2016 / April 2016	
सीजी प्रतिभूतियाँ / CG Security	383.29
एसजी प्रतिभूतियाँ / SG Security	-
मई 2016 / May 2016	
सीजी प्रतिभूतियाँ / CG Security	21.68
एसजी प्रतिभूतियाँ / SG Security	-
जून 2016 / June 2016	
सीजी प्रतिभूतियाँ / CG Security	306.74
एसजी प्रतिभूतियाँ / SG Security	-
जनवरी 2017 / January 2017	
सीजी प्रतिभूतियाँ / CG Security	3102.56
एसजी प्रतिभूतियाँ / SG Security	-
फरवरी 2017 / February 2017	
सीजी प्रतिभूतियाँ / CG Security	8402.07
एसजी प्रतिभूतियाँ / SG Security	-
मार्च 2017 / March, 2017	
सीजी प्रतिभूतियाँ / CG Security	1820.46
एसजी प्रतिभूतियाँ / SG Security	621.85
कुल / Total	**14658.65**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

यथा 31.03.2017 को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत स्टॉक निम्नानुसार है:
The stock under HTM category as on 31.03.2017 is as under :

	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book Value (₹ in crore)	बाजार मूल्य (₹ करोड़ में) Market value (₹ in crore)	मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास (₹ करोड़ में) Appreciation / Depreciation (₹ in crore)
सीजी प्रतिभूति / CGovsec	48,688.80	49,332.47	643.67
एसजी प्रतिभूति / SGovsec	14,040.69	14,407.41	366.72
एसएएसएफ / SASF	4,055.75	4,055.75	-
इक्विटी (सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम) Equity (Subsidiaries / Joint Ventures)	702.04	1006.64	304.60
उद्यम पूंजी / Venture Capital	41.46	41.46	0.00
कुल / Total	**67,528.74**	**68,843.73**	**1314.99**

VI. एसजीएल बाऊंसिंग की घटना पर प्रकटन
Disclosure on instance of SGL bouncing

समाप्त वर्ष/ Year ended	एसजीएल बाऊंसिंग की तारीख से Date of bouncing SGL form	एसजीएल बाऊंसिंग की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Bouncing of SGL (₹ in crore)	अभ्युक्ति Remarks
2016-17 (चालू वर्ष) 2016-17 (Current year)	-	-	शून्य Nil
2015-16 (पिछला वर्ष) 2015-16 (Previous year)	-	-	शून्य Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VII. डेरिवेटिव/ Derivatives

1 वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप/ Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. S. No.	विवरण/ Particulars	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017		यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन* The notional principal of swap agreements*	11,586.53	18,809.06	39.57	30,914.91
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टियां अपने दायित्व के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	3.51	84.90	4.94	205.54
(iii)	स्वैप निष्पादित करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the Bank upon entering into swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेद्रण (नीचे (क) देखें) Concentration of credit risk arising from the swaps (refer (a) below)	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	(71.83)	(2.73)	4.94	(9.91)

*वर्तमान वर्ष के आंकड़ों में समुद्रपारीय शाखा के आंकड़े शामिल हैं
*The current year figures include overseas branch also

क. 31 मार्च 2017 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक के लिए वर्तमान ऋण सहायता) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण सहायता का 100%(92.07%) है.

a. Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2017 is at 100% (92.07%) of the total current exposure from Corporate Clients to the Bank.

ख. यथा 31 मार्च 2017 को स्वैप का स्वरूप और शर्तें निम्नानुसार हैं.

b. The nature and terms of the Swap as on March 31, 2017 are set out below:

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

प्रकृति Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	182	5,684.62	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	192	5,569.07	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	21	700.00	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	24	650.00	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	7	3,048.58	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	8	3,048.58	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	49.46	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	58.75	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
हेज (डीआईएफसी) Hedge (DIFC)	12	11586.53	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

यथा 31 मार्च 2016 को स्वैप का स्वरूप और शर्तें निम्नानुसार हैं:
The nature and terms of the Swaps on March 31, 2016 are set out below :

प्रकृति Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	240	10,328.76	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	256	10543.65	मिबोर- ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

प्रकृति Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	23	775.00	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	28	880.00	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	14	4,218.80	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	10	4,041.57	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	57.43	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	69.70	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	4	32.29	आधार स्वैप Basis Swap	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
हेज (डीआईएफसी) Hedge (DIFC)	12	11925.90	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

2. एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव
Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No	विवरण Particulars	कुल TOTAL
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	1249.94
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	17.10

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No	विवरण Particulars	कुल TOTAL
(ii)	31 मार्च 2017 को एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31,2017 (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	0.00
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00
(iii)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	0.00
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00
(iv)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य (लिखत वार) Mark-to market value of exchange traded interest derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	0.00
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. **डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - गुणात्मक प्रकटन**
Disclosures on risk exposure in derivatives- Qualitative disclosures

(i) बैंक हेजिंग साथ ही, ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरेवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं.
The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc.

(ii) बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन ढांचा, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रमुख मुख्य महा प्रबंधक हैं जिन्हें मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में भी पदनामित किया गया है. जोखिम प्रबंध विभाग, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनायमक दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. आस्ति देयता प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत जोखिम का प्रबंध किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है.
The Bank has a well defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organization, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by a Chief General Manager designated also as Chief Risk Officer. The Risk Management Group is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of Asset Liability Management Committee with regular reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.

(iii) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरिवेटिव लेन-देनों में ऋण जोखिम का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरिवेटिव क्रय-विक्रय करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम, अनुमोदित सीमा के भीतर हो तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ हो. बाजार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, अंतराल, ग्रीक्स, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है.
Risk exposures in derivatives transactions are measured/ assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, gaps, greeks, stop loss etc. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(iv) डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ''बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां'' में दिये गए हैं.
The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

4. डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - मात्रात्मक प्रकटन
Disclosures on risk exposure in derivatives- Quantitative disclosures

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष (मार्च 2017) Current Year (MAR 2017)		पिछला वर्ष (मार्च 2016) Previous Year (MAR 2016)	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amt)				
	(क) हेजिंग के लिए a) For hedging	35.17	11586.53	39.57	11925.90
	(ख) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	15509.36	18809.06	16766.46	30914.91
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट पोजीशन (1) Marked to Market Positions (1)				
	(क) आस्तियां (+) a) Asset(+)	834.74	88.41	1479.89	376.91
	(ख) देयताएं (-) b) Liability (-)	(827.13)	(162.97)	(1,415.73)	(215.45)
(iii)	ऋण जोखिम (2) Credit Exposure (2)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	8.26	114.41	10.88	303.88
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	1935.16	330.28	2,815.61	556.31

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष (मार्च 2017) Current Year (MAR 2017)		पिछला वर्ष (मार्च 2016) Previous Year (MAR 2016)	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	1.14	240.82	1.28	416.74
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	0.17	0.85	0.14	7.28
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	क) हेजिंग पर a) on hedging				
	-अधिकतम - Maximum	1.31	408.84	36.85	450.45
	-न्यूनतम - Minimum	1.03	240.82	1.28	124.81
	ख) ट्रेडिंग पर b) on trading				
	-अधिकतम - Maximum	1.26	11.95	0.53	21.28
	-न्यूनतम - Minimum	0.02167	0.1076	0.00325	0.2128

*चूंकि संव्यवहार आस्ति-देयता पोर्टफोलियो में ब्याज दर और मुद्रा विनिमय दर से जुड़े जोखिमों से बचाव व्यवस्था के लिए किए जाते हैं, अतः बैंक अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 की गणना दैनिक आधार पर नहीं करता है.

*Since the transaction are undertaken to hedge the interest rate and currency risks in the asset-liability portfolio, the bank is not calculating the maximum and minimum of 100*PV01 on daily basis.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VIII आस्ति गुणवत्ता
Asset Quality

1. अनर्जक आस्ति (ऋण तथा अग्रिम, उन पर उपचित ब्याज)
Non-Performing Asset (Loans & Advances, interest accrued thereon)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें/ Items	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017	यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016
(i)	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) Net NPAs to Net Advances (%)	13.21	6.78
(ii)	एनपीए में उतार - चढ़ाव (सकल) Movement of NPAs (Gross)		
	(क) (a) प्रारंभिक शेष Opening Balance	24875.07	12684.97
	(ख) (b) वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	27595.02	19086.60
	(ग) (c) वर्ष के दौरान कमी Reduction during the year	7717.50	6896.50
	(घ) (d) अंतिम शेष Closing balance	44752.59	24875.07
(iii)	निवल एनपीए में उतार - चढ़ाव Movement of Net NPAs		
	(क) (a) प्रारंभिक शेष Opening Balance	14643.39	5992.52
	(ख) (b) वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	12160.93	9797.27

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें/ Items	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017	यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016
	(ग) वर्ष के दौरान कमी/पुनर्वर्गीकरण (c) Reduction / Reclassification during the year	1598.52	1146.40
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	25205.80	14643.39
(iv)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में घट-बढ़** **Movement of provisions for NPAs**		
	(मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) (excluding provisions on standard assets)		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	10141.36	6633.97
	(ख) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान (b) Provisions made during the year	15357.82	9204.38
	(ग) बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान (c) Write-off / write back of excess provision	6014.59	5696.99
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	19484.59	10141.36
(v)	**रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलिक प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात** **Provisioning Coverage Ratio computed in accordance with the RBI guidelines**	**54.96%**	**57.24%**

2. पुनर्संरचित खातों के प्रकटन/ Disclosure of Restructured Accounts

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	पुनर्संरचना का प्रकार / Type of Restructuring → / आस्ति का वर्गीकरण / Asset Classification → / विवरण/ Details ↓		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य/ Others					कुल/Total				
			मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	01 अप्रैल 2016 को पुनर्संरचित खाते (आरंभिक आंकड़े)* Restructured Accounts as on 1 April 2016 (opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	44	7	25	0	76	-	-	-	-	-	92	23	172	3	290	136	30	197	3	366
		बकाया राशि Amount outstanding	5721.22	208.04	2434.8	0.00	8364.03	-	-	-	-	-	8133.12	4484.38	3489.23	34.26	16140.99	13854.34	4692.42	5924.00	34.26	24505.02
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	97.26	7.1	45.84	0.00	150.20	-	-	-	-	-	65.05	10.69	26.7	0.00	102.44	162.31	17.79	72.54	0.00	252.64
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	7	3	1	0	11	8	3	1	0	12
		बकाया राशि Amount outstanding	42.01	0.00	0.00	0.00	42.01	-	-	-	-	-	2070.38	125.65	0.97	0.00	2197.00	2112.40	125.65	0.97	0.00	2239.02
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	-	-	-	-	-	1.73	0.78	0.00	0.00	2.51	5.64	0.78	0.00	0.00	6.42
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	(1)	(3)	-	-	4	(1)	(3)	-	-
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1878.45	(0.08)	(1878.37)	-	-	1878.45	(0.08)	(1878.37)	-	-
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	(0.00)	(0.26)	-	-	0.26	(0.00)	(0.26)	-	-
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिस पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्च प्रावधानीकरण और/ अथवा जोखिम भार लगना बंद हो गया, अतः इन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ मे पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाया जाना आवश्यक नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0				0	-				-	(1)				(1)	(1)				1
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00				0.00	-				-	(34.98)				(34.98)	(34.98)				34.98
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.00				0.00	-				-	0.00				0.00	0.00				0.00
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को डाउन ग्रेड करना[1] Downgradations of restructured accounts during the FY[1]	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	(17)	1	16	0	-	-	-	-	-	-	(24)	6	18	0	-	(41)	7	34	0	-
		बकाया राशि Amount outstanding	(1570.32)	0.15	1570.17	0.00	-	-	-	-	-	-	(2558.94)	488.9	2070.04	0.00	-	(4129.26)	489.05	3640.21	0.00	-
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	(44.02)	0	44.02	0.00	-	-	-	-	-	-	(0.80)	0.24	0.56	0.00	-	(44.82)	0.24	44.58	0.00	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्संरचित खाते Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	2	1	5	0	8	-	-	-	-	-	7	2	16	2	27	9	3	21	2	35
		बकाया राशि Amount outstanding	47.99	26.45	255.29	0.00	329.73	-	-	-	-	-	198.23	25.83	426.29	33.00	683.34	246.21	52.28	681.58	33.00	1013.07
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े*)[2] Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)[2]	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	27	1	33	0	61	-	-	-	-	-	74	9	171	1	255	101	10	204	1	316
		बकाया राशि Amount outstanding	3296.13	0.15	3287.22	0.00	6583.50	-	-	-	-	-	9047.40	614.56	7343.16	1.26	17006.38	12343.53	614.71	10630.38	1.26	23589.88
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	8.77	0.00	56.45	0.00	65.22	-	-	-	-	-	35.67	1.02	4.73	0.00	41.42	44.44	1.02	61.18	0.00	106.64

*मानक पुनर्संरचित अग्रिम जिन पर उच्चतम प्रावधानीकरण या जोखिम भार नहीं लगाता है, के आंकड़ों को छोड़कर (यदि लागू हो).

[1] ऊपर वर्णित डाउनग्रेड करने की गतिविधि मानक से अवमानक/ संदिग्ध श्रेणी में है. 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सीडीआर के अंतर्गत ₹ 1570.32 करोड़ बकाया के 17 मामले तथा सीडीआर को छोड़कर अन्य ₹ 2558.94 करोड़ के बकाया 24 मामले डाउनग्रेड हुये.

[2] 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 2801.84 करोड़ बकाया के 71 मामले वापस लिए गए/ चुकौति की गई/ प्रावधानित किए गए/ पुनर्संरचना असफल हो गई/एओडी हुए और पुनर्संरचित सामान्य मानक से पुनर्संरचित मानक श्रेणी में परिवर्तन के कारण 10 मामले जोड़े गए.

[3] उपर्युक्त वर्णित प्रावधान केवल उचित मूल्य में कमी के कारण किए गए प्रावधान दर्शाते हैं.

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

1. Downgradations mentioned above are from Standard to Sub Standard / Doubtful category. 17 cases with outstanding ₹ 1570.32 Crore under CDR and 24 cases with outstanding ₹ 2558.94 Crore other than CDR were downgraded during the FY 2016-17 year ended 31 March 2017.
2. 71 Cases with outstanding ₹ 2801.84 Crore were revoked / repaid / fully provided / restructuring failed / AOD and 10 cases added due to conversion of Restructured Normal Standard to Restructured Standard category during the year ended 31 March 2017.
3. Provision thereon represents only provision made for diminution for fair value.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. रिज़र्व बैंक के 10 नवंबर 2016 के परिपत्र रिज़र्व बैंक/2016-17/122 डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.34 / 21.04.132/2016-17 के अनुसार प्रकटन
Disclosures as per RBI circular RBI/2016-17/122 DBR.No.BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated November 10, 2016

i. मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन
Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

अवधि Period	लचीली संरचना के लिए गणना में लिए गए उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers taken up for flexibly structuring	लचीली संरचना के लिए गणना में लिए गए ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली संरचना के लिए गणना में लिए गए ऋणों की एक्सपोजर भारित औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली संरचना लागू करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली संरचना लागू करने के बाद After applying flexible structuring
पिछला वर्ष / PY	09	2467.01	1386.65	10.38 वर्ष / Yrs.	17.14 वर्ष / Yrs.
चालू वर्ष / CY	09	3394.18	-	10.91 वर्ष / Yrs.	15.75 वर्ष / Yrs.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में रुकी हुई अवधि के अंतर्गत हैं)

Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

ऐसे खातों की संख्या जिनमें एसडीआर की सहायता ली गई है. No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि (एफबी मूलधन : राशि) Amount outstanding as on the reporting date (FB principal balance)		ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि जिनमें ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण लंबित है (एफबी मूलधन राशि) Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending (FB principal balance)		ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि जिनमें ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण हो गया है (एफबी मूलधन राशि) Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place (FB principal balance)	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
16	3353.61	3897.63	324.52	2927.17	3029.09	970.46

iii. कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में रुकी हुई अवधि के अधीन हैं)

Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

परियोजना ऋण खातों की सं. जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	पुनर्संरचित मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
1	26.38	0.00	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iv. दबावग्रस्त आस्तियों की वहनीय संरचना हेतु योजना का प्रकटन
Disclosures on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

खातों की सं. No. of Accounts	कुल बकाया राशि (मंजूर व प्रक्रियाधीन) Aggregate Amount Outstanding (Sanctioned & Under Process)	कुल बकाया राशि (प्रक्रियाधीन) Aggregate Amount O/s (Under Process)	बकाया राशि (मंजूर व कार्यान्वित) Amount O/s (Sanctioned & Implemented)		धारित प्रावधान Provision held
			भाग अ में In Part A	भाग आ में In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत / Classified as standard					
08	1240.22	735.01	261.51	243.70	248.03
एनपीए के रूप में वर्गीकृत / Classified as NPA					
01	298.46	298.46	0.00	0.00	136.30

v. एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते जो वर्तमान में रुकी हुई अवधि के अधीन हैं)
Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) –

ऐसे कोई खाते नहीं हैं जहां बैंक ने एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का निर्णय लिया है और जो रुकी हुई अवधि के अधीन हैं.
There are no accounts where the Bank has decided to effect the change of ownership outside SDR Scheme and which are currently under stand still period.

4. वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गयी पीएसएलसी (श्रेणी-वार) का ब्योरा
Details of PSLCs (category-wise) purchased/sold during the year

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	खरीदी गयी राशि Purchased Amount	बेची गयी राशि Sold amount
पीएसएलसी छोटे व सीमांत किसान (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	3795.25	शून्य / Nil
पीएसएलसी - कृषि / PSLC-Agriculture	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पीएसएलसी - सामान्य / PSLC-General	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पीएसएलसी - सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total	**3795.25**	**Nil**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

5. प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों का प्रकटन -
Disclosure of Investment in SRs –

रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 सितंबर 2016 के परिपत्र आरबीआई/2016/17/56 डीबीआर. सं. बीपी.बीसी.9/21.04.048/2016-17 के अनुसार प्रतिभूति रसीदों में बैंक द्वारा किए गए निवेशों से संबंधित प्रकटन निम्नानुसार हैं.

The following disclosures pertaining to investments in security receipts by the Bank as per RBI Circular RBI/2016-17/56 DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 1, 2016 is shown below.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर SRs issued within past 5 years	5 वर्ष से ज्यादा समय पहले किन्तु पिछले 8 वर्षों के अंदर जारी किए गए एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्ष से ज्यादा समय पहले जारी किए गए एसआर SRs issued more than 8 years ago	कुल Total
(i) बैंक द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	683.31	0.00	618.32	1301.63
(i) के प्रति धारित प्रावधान Provision held against (i)	152.23	0.00	618.32	770.55
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) के प्रति धारित प्रावधान Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल / Total (i) + (ii)	**683.31**	**0.00**	**618.32**	**1301.63**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

6. आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा
Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 वर्ष के लिए For the year March 31, 2017	31 मार्च 2016 वर्ष के लिए For the year March 31, 2016
(i)	खातों की संख्या/ No. of Accounts	9	6
(ii)	एस सी/ आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर निवल Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	75.17	525.99
(iii)	सकल प्रतिफल / Aggregate Consideration	95.13	207.66
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	15.60	9.92
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ/(हानि) Aggregate gain/(loss) over net book value	19.96	(318.33)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	बैंक द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other Banks/ financial institutions/ non-Banking financial companies as underlying		कुल/ Total	
	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य Book value of investments in security receipts	1147.08	1301.63	-	-	1147.08	1301.63

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7. अन्य बैंक से खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा
Details of non-performing financial assets purchased from other Bank

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.		मदें/ Items	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
(i)	(क) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं. No. of accounts purchased during the year	-	-
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	-	-
(ii)	(क) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	-	-

8. अन्य बैंक को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा
Details of non-performing financial assets sold to other Bank

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	मदें/Items	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
(i)	बेचे गए खातों की संख्या / No. of accounts sold	1	-
(ii)	कुल बकाया राशि / Aggregate outstanding	36.95	-
(iii)	प्राप्त कुल प्रतिफल/Aggregate consideration received	8.50	-

9. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
Provision on Standard Asset

(₹ करोड़) (₹ in crore)

मदें/Items	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
वर्ष के लिए मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provisions towards Standard Assets for the year	(351.60)	1649.56

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

10. रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 जून 2016 के परिपत्र आरबीआई/ 2015-16/ 423 डीबीआर. सं. बीपी.बीसी. 102/ 21.04.048/ 2015-16 के अनुसार, बैंक ने एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा तथा वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित निधियों' में नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा से संबंधित लेखा टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटन किया है.

As per RBI Circular RBI/2015-16/423 DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2015-16 dated June 13, 2016 Bank has made the following disclosure in Notes to Accounts with regard to the quantum of provision made during the year to meet the shortfall in sale of NPAs to SCs/RCs and the quantum of unamortised provision debited to 'other reserves' as at the end of the year.

क) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा - शून्य

a) quantum of provision made during the year to meet the shortfall in sale of NPAs to SCs/RCs- Nil

ख) वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित निधियों' में नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा - शून्य

b) quantum of unamortised provision debited to 'other reserves' as at the end of the year.- Nil

11. आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन - (संदर्भ 18 अप्रैल 2017 की डीबीआर.बीपी.बीसी. सं. 63/21.04.018/2016-17 देखें)

Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs – (ref DBR.BP.BC. No.63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	राशि Amount
1	यथा 31 मार्च 2016 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	24875.07
2	यथा 31 मार्च 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	31691.67
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1) Divergence in Gross NPAs (2-1)	6816.60
4	यथा 31 मार्च 2016 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	14643.39
5	यथा 31 मार्च 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	19398.99
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4) Divergence in Net NPAs (5-4)	4755.60
7	यथा 31 मार्च 2016 को बैंक द्वारा एनपीए के लिए रिपोर्ट किए गए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	10231.68
8	यथा 31 मार्च 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	12292.68

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	राशि Amount
9	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7) Divergence in provisioning (8-7)	2061.00
10	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) Reported Net Profit /(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2016	(3664.80)
11	प्रावधानीकरण में विचलन को गणना में शामिल करने के बाद 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात समायोजित आनुमानिक निवल लाभ/(हानि) # Adjusted (notional) Net Profit/(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2016 after taking into account the divergence in provisioning #	(5012.53)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानीकरण में विचलन तथा उपर्युक्त वृद्धिशील प्रावधानीकरण पर कर प्रभाव पर विचार करने के बाद कर पश्चात निवल लाभ/(हानि).
Net Profit/(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2016 after considering Divergence in Provisioning and Tax Impact on above incremental provisioning

IX. कारोबार अनुपात / Business Ratios

क्र. सं. Sr. No.	मदें/ Items	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय$ Interest income as a percentage to working funds$	7.39%	8.33%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	1.06%	1.01%
3	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ$ Operating profit as a percentage to working funds$	1.22%	1.60%
4	आस्तियों पर प्रतिलाभ@/ Return on assets@	(1.37%)	(1.09%)
5	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशियां एवं अग्रिम)# [₹ करोड़ में] Business (Deposits plus advances) per employee# [₹ in crore]	23.45	25.18
6	प्रति कर्मचारी लाभ (हानि) [₹ करोड़ में] Profit/ (loss) per employee [₹ in crore]	(0.28)	(0.21)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

$ कार्यशील निधियों की गणना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान रिपोर्ट किए गए के औसत (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हों) तथा दुबई शाखा की कुल आस्तियों के औसत (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हों) की जाती है.

$ Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year and average of total assets (excluding accumulated losses, if any) of Dubai branch.

@ आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् कुल आस्तियां, इनमें संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के संदर्भ में है.

@ Return on Assets is with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).

प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां एवं अग्रिम) की गणना के प्रयोजन से अंतर बैंक जमाराशियां छोड़ दी जाती हैं.

For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances) inter Bank deposits are excluded.

X. एक्सपोजर/ Exposure

1. संपदा क्षेत्र को ऋण सहायता
   Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

श्रेणी/ Category		31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
1.	प्रत्यक्ष ऋण सहायता/ Direct exposure		
(क) (a)	आवासीय बंधक - Residential Mortgages –		
	आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	35784.09	33148.99
	उपर्युक्त में से ₹ 20 लाख तक के वैयक्तिक ऋण Of above individual having loans uptoRs. 20 Lakh	12399.84	13237.50
(ख) (b)	वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र - Commercial Real Estate –		
	वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lendings secured by mortgages on commercial real estates	4369.16	3537.28
	उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	0.00	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

श्रेणी/ Category		31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
(ग) (c)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण सहायता- Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
	क. आवासीय a. Residential,	0.00	0.00
	ख. वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
2.	अप्रत्यक्ष ऋण सहायता Indirect Exposure		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सहायता Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	7795.20	6210.15
	उपर्युक्त में से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को गैर-निधि आधारित ऋण सहायता Of the above Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	-	-
	कोई अन्य अप्रत्यक्ष ऋण सहायता Any other - Indirect Exposure	56.61	65.55
कुल/ Total		48005.06	42961.97

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. पूंजी बाजार में एक्सपोजर
Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr.No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1677.77	2116.97
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या अप्रतिभूत आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	411.67	423.35
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है. Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है. Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	101.12	68.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr.No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	338.00	356.00
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर अथवा अप्रतिभूत आधार पर कॉरपोरेट को मंजूर ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter₹s contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	-	-
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में सभी एक्सपोजर इक्विटी के समान समझे जाएंगे. अतः पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, दोनों) के अनुपालन के लिए इनको हिसाब में लिया जाएगा. All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance will the capital market exposure ceiling (both direct and indirect)	173.32	193.44
(xi)	स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में अभिरक्षक बैंकों द्वारा जारी अप्रतिसंहरणीय भुगतान वचनबद्धताएं Irrevocable Payment Commitments issued by custodian Banks in favour of stock exchanges.	-	-
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर **Total Exposure to Capital Market**	**2701.88**	**3157.76**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. **जोखिम श्रेणी-वार देश को ऋण सहायता**
Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़) (₹ in crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2017 को ऋण सहायता (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2017	31 मार्च 2017 को धारित प्रावधान Provision held as at March31, 2017	31 मार्च 2016 को ऋण सहायता(निवल) Exposure (net) as at March 31, 2016	31 मार्च 2016 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2016
नगण्य/Insignificant	6,822.13	-	7,681.61	-
निम्न / Low	7,792.56	-	7,129.96	-
मध्यम/ Moderate	937.94	-	121.78	-
उच्च/ High	-	-	-	-
अति उच्च/Very High	-	-	-	-
नियंत्रित/ Restricted	-	-	-	-
ऑफ-क्रेडिट Off-credit	-	-	-	-
कुल/ Total	**15,552.63**	**-**	**14,933.35**	**-**

XI. विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं
Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ताओं और समूह उधारकर्ताओं को बैंक का एक्सपोजर, केवल **शून्य** मामलों को छोड़कर जहां एकल उधारकर्ता सीमा निदेशक मंडल के अनुमोदन से 15% से अधिक थी, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के भीतर रहा. इस मामले में यथा 31 मार्च 2017 को मंजूर सीमाएं और बकाया राशि पूंजी निधियों (गैर-निधि एक्सपोजर सहित) के प्रतिशत के रूप में निम्नानुसार रहीं:

During the Year ended March 31, 2017, the Bank's exposure to single borrowers and group borrowers were within the prudential exposure limits prescribed by RBI, except in **NIL** case where single borrower limit of 15% was exceeded with the approval of the Board of Directors. In respect of this case, the sanctioned limits and outstanding as % of capital funds (including non-funded exposure) were as follows, as on March 31, 2017:

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

एकल/ समूह उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower/ group	पूंजी निधि के % के रूप में 31 मार्च 2017 को कुल प्रतिबद्ध ऋण सहायता Total Committed Exposure as at March 31, 2017, as % of Capital Fund	पूंजी निधि के % के रूप में 31 मार्च 2016 को बकाया राशि Total Outstanding as at March 31, 2016, as % of Capital Fund
(i) एकल उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower		
कोई नहीं/ NIL	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
(ii) समूह का नाम **Name of the group**		
कोई नहीं/ NIL	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL

XII. लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गये 'प्रावधान एवं आकस्मिकताएं' का विवरण
Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ करोड़) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on Investment	1466.75	385.95
गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान/ Provision towards NPA	9379.13	3507.11
मानक आस्ति के लिए प्रावधान/ Provision towards Standard Asset	(351.60)	1649.56
पुनर्संरचित आस्तियों (एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान Provision for Restructured Assets (including FITL)	(464.49)	(581.89)
करों के लिए किए गए प्रावधान/ Provision made towards Taxes	203.93	4.25
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/ Deferred Tax Assets (Net)	(3663.81)	(1310.20)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	3029.21	5298.42
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ Other Provision and Contingencies	137.47	81.67
कुल / Total	**9736.59**	**9034.87**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XIII. अप्रतिभूत अग्रिम/ Unsecured Advance

उन अग्रिमों की कुल राशियाँ जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियाँ ली गई हैं ₹ 486.30 करोड़ (₹ 596.30) है तथा दिनांक 31 मार्च 2017 तक अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य समरूप आधार पर ₹ शून्य (₹ शून्य) है.

Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken is ₹ 486.38 Crore (₹ 596.30 Crore) and the estimated value of intangible security as on March 31, 2017 is ₹ Nil on pari-passu basis (₹ Nil).

XIV. अस्थायी प्रावधान/ Floating Provisions

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
1	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष Opening balance in the floating provisions account	-	-
2	वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा The quantum of floating provisions made during the year	-	-
3	वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की राशि Amount of draw down during the year	-	-
4	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष Closing balance in the floating provisions account	-	-

नीति के रूप में बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों और निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.

As a policy, the Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

XV. शिकायतों/ अधिनिर्णयों का प्रकटन/ Disclosure of Complaints/Awards

1. ग्राहक शिकायतें (इसमें बांडों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं)
1. Customer Complaints (Includes complaints related to Bonds)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
i	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	1060	428
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	57328	49444
iii	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	57766	48812
iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	622	1060

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय
Awards passed by the Banking Ombudsman

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
i	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented awards at the beginning of the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
ii	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
iii	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards implemented during the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
iv	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented Awards at the end of the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil

3. एटीएम लेनदेनों के संबंध में ग्राहक शिकायतें
Customer Complaints on Account of ATM Transactions

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
i	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	253	351
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	43185	48566
iii	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	42744	48664
iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	694	253

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XVI. प्रतिभूतिकरण
Securitisation

क. दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने खुदरा ऋणों के किसी समूह को प्रतिभूतिकृत नहीं करवाया है.

a. During the year ended March 31, 2017, the Bank has not securitized any pools of retail loans.

बैंक की प्रतिभूतिकरण गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

The detail of securitisation activity of the Bank is given below :

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 को As at March 31, 2017	31 मार्च 2016 को As at March 31, 2016
प्रतिभूतिकृत की गई ऋण आस्तियों/ प्रतिभूतिकृत किए गए खुदरा ऋणों के समूहों की कुल संख्या Total number of loan assets securitized/Pools of retail loans securitized	-	-
प्रतिभूतिकृत ऋण आस्तियों का कुल बही मूल्य Total book value of loan assets securitized	-	-
प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल Sale consideration received for the securitized assets	-	-
प्रतिभूतिकरण के कारण निवल लाभ/ (हानि) Net gain / (loss) on account of securitization	-	-
निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त सेवाओं का विवरण : Details of services provided by way of :		
बकाया ऋण वृद्धि (द्वितीय हानि ऋण सुविधा) Outstanding credit enhancement (second loss credit facility)	82.67	194.01
बकाया चलनिधि सुविधा */ Outstanding liquidity facility *	11.16	11.20
बकाया शोधन देयता/ Outstanding servicing Liability	-	-

*प्रत्यक्ष समनुदेशन मामलों के लिए ₹ शून्य (₹ शून्य) शामिल हैं जिसमें से ₹ शून्य (₹ शून्य) गारंटी के रूप में है.

* Includes ₹ Nil (₹ Nil) for direct assignment cases of which ₹ Nil (₹ Nil) is in the form of a guarantee.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ख. प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए बैंक द्वारा किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को प्रायोजित नहीं किया गया है.
b. There are no SPVs sponsored by the Bank for securitisation transactions.

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	संख्या/ ₹ राशि करोड़ में No./ Amount in ₹ crore
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या * No of SPVs sponsored by the Bank for securitisation transactions	-
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank	-
3.	तुलन पत्र की तारीख तक एमआरआर का पालन करने हेतु बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the Bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	-
	तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर Off-balance sheet exposures	-
	पहली हानि/ First loss	-
	अन्य/ Others	-
	तुलन पत्र एक्सपोजर On-balance sheet exposures	-
	पहली हानि/ First loss	-
	अन्य/ Others	-
4	एमआरआर के अतिरिक्त प्रतिभूतिकृत लेनदेनों के लिए एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	93.83
	क तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर a . Off-balance sheet exposures	-
	i. स्वयं के प्रतिभूतिकरण हेतु एक्सपोजर Exposure to own securitizations	-
	पहली हानि/ First loss	-
	अन्य/ Loss	-
	ii. अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर Exposure to third party securitisations	-
	पहली हानि/ First loss	-
	अन्य (दूसरी हानि ऋण सुविधा) Others (second loss credit facility)	82.67

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars			संख्या/ ₹ राशि करोड़ में No./ Amount in ₹ crore
	ख. b .	तुलन पत्र एक्सपोजर On-balance sheet exposures		-
		i.	स्वयं प्रतिभूतिकरण हेतु एक्सपोजर/ Exposure to own securitisations	-
			पहली हानि / First loss	-
			अन्य (चलनिधि सुविधा)/Others (liquidity facility)	11.16
		ii.	अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर/ Exposure to third party securitisations	-
			पहली हानि/ First loss	-
			अन्य/ Others	-

नोट : प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए बैंक द्वारा किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को प्रायोजित नहीं किया गया है.
Note: There are no Special Purpose Vehicles (SPV) sponsored by the Bank for securitization transactions.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किसी मानक आस्ति का प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है.
During the years ended March 31, 2017, there were no standard assets securitized-out by the Bank.

XVII. बैंक ने वर्ष के दौरान कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है.
The Bank has not issued letter of comfort during the year.

XVIII. बैंक बीमा कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क तथा पारिश्रमिक
Fees and Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2016
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.	59.59	47.46
बजाज एलिआंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	7.16	7.04
कुल / Total	**66.75**	**54.50**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XIX. दंड का प्रकटन
Disclosure on Penalty

विनियामक प्राधिकरणों द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए.
During the year following penalties were imposed by regulatory authorities.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण/ Brief particulars	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2016
1	रिज़र्व बैंक RBI	चेक संग्रहण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन के लिए दंड. Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	0.045	0.070
2	रिज़र्व बैंक RBI	ग्राहक सेवा संबंधी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन, सिक्कों एवं कम वर्गमूल्य के नोटों तथा कटे-फटे नोटों को बदलने संबंधी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन के लिए दंड. Penalty for non compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	0.000	0.002
3	रिज़र्व बैंक RBI	कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में की गई जाँचों के संबंध में संदिग्ध लेन-देन करने के लिए किए गए प्रयास हेतु एसटीआर दायर न करने के लिए लगाया गया दंड (शाखाओं द्वारा प्रधान अधिकारी को घटनाओं की सूचना न देने के कारण) Penalty levied for not filing STRs for Attempted Suspicious Transaction in respect of the inquiries happened in connection with Cobra-post sting operation (due to non-reporting of the incident by the branches to the Principal Officer)	0.000	0.020
4	रिज़र्व बैंक RBI	करेंसी चेस्टो द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए विप्रेषणों के मामलों में करेंसी चेस्टो पर लगाए गए दंड. Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	0.007	0.008
5	सेबी SEBI	फ्लेक्सी बांडों के मोचन के मामलों में सेवा में कमी Deficiency of Service in dealing with the redemption of Flexibond	0.001	0.000
		कुल प्रदत्त दंड/ Total Penalties Paid	**0.053**	**0.100**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XX. आस्ति देयता प्रबंधन/ Asset Liability Management

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप (यथा 31 मार्च 2017)
Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities (as on March 31, 2017)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन से व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	कुल Total
जमाराशि 1 Deposits 1	1,966.41	7,577.05	6,874.97	6,746.65	9,831.01	7,265.93	30,142.80	51,761.73	111,031.28	15,750.82	19,589.44	268,538.10
अग्रिम 1 Advances 1	1,706.92	2,704.48	2,346.96	3,029.14	3,345.33	8,516.35	9,903.61	12,279.48	54,025.83	28,244.03	64,723.79	190,825.93
निवेश Investments	13,000.50	10,811.25	2.97	83.99	258.77	316.07	812.33	2,444.64	12,288.58	4,064.82	48,850.49	92,934.41
उधार 1 Borrowings 1	-	4,294.80	774.22	162.13	1,523.03	582.42	1,261.18	3,851.30	9,756.51	8,362.40	25,795.98	56,363.98
विदेशी मुद्रा आस्तियां 2 Foreign Currency assets 2	299.99	4,080.13	698.64	2,766.70	1,719.61	9,508.43	6,448.38	14,042.10	7,052.99	5,196.14	3,932.43	55,745.53
विदेशी मुद्रा देयताएं 3 Foreign Currency Liabilities 3	18.50	2,696.02	721.40	934.86	2,117.22	3,257.83	4,155.52	16,669.60	6,649.79	5,591.23	4,109.48	46,921.44

1. इसमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.
   Includes foreign currency balances.
2. इसमें विदेशी मुद्रा-₹ क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.
   Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.
3. इसमें विदेशी मुद्रा-₹ विक्रय-क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं.
   Includes foreign currency-Rupee sell –buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXI. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण
Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs

1 जमाराशियों का संकेंद्रण/Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	40304.51	38430.10
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	15.01%	14.46%

2 अग्रिमों का संकेंद्रण/ Concentration of Advances

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	24093.60	21184.99
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	11.44%	9.36%

3 एक्सपोजर का संकेंद्रण/Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	63967.81	62329.21
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	15.53%	14.55%

4 एनपीए का संकेन्द्रण/Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
चार शीर्ष एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर Total Exposure to top four NPA accounts	13,172.74	11576.97

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXII. क्षेत्रवार अग्रिम / Sector-wise advances

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector	चालू वर्ष Current Year			पिछला वर्ष Previous Year		
अ A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र नें कुल अग्रिम में से सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	19746	1711	8.67	19382	1450	7.48
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उधार के लिए पात्र औद्योगिक क्षेत्रों को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	10544	2015	19.11	10457	1429	13.67
3	सेवाएँ/Services	16662	995	5.97	13302	680	5.11
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	16635	219	1.32	16284	199	1.22
	कुल योग (अ) Sub-total (A)	**63588**	**4940**	**7.77**	**59425**	**3758**	**6.32**
आ) B	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	71	4	6.16	106	5	4.55

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector	चालू वर्ष Current Year			पिछला वर्ष Previous Year		
2	औद्योगिक क्षेत्रों में अग्रिम Advances to industries sector	82538	30191	36.58	89216	14240	15.96
3	सेवाएं/ Services	13771	2676	19.43	19118	1317	6.89
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	20454	247	1.21	20633	630	3.06
5	अन्य/ Others	4978	165	3.31	10442	87	0.84
	कुल योग (आ) Sub-total (B)	**121811**	**33283**	**27.32**	**139515**	**16279**	**11.67**
	कुल (अ+आ) TOTAL (A+B)	**185399**	**38223**	**20.62**	**198940**	**20037**	**10.07**

XXIII. **एनपीए में घट-बढ़/ Movement of NPAs**

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
उल्लिखित वर्ष के 1 अप्रैल को सकल एनपीए (आरंभिक शेष) Gross NPAs as on 1st April of particular year (Opening Balance)	24875.07	12684.98
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए) Additions (Fresh NPAs) during the year	27595.02	19086.60
उप-जोड़ (अ)/Sub-total (A)	**52470.09**	**31771.57**
घटाएं/ Less:-		
(i) उन्नयन/ Upgradations	3435.82	562.75
(ii) वसूलियां (उन्नत किये गये खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1413.48	874.33
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाली गयी राशि Technical/ Prudential Write-offs	2388.20	4531.56
(iv) उक्त (iii) को छोड़कर बट्टे डाले गए खाते/ Write-offs other than (iii) above	480.00	927.87
उप जोड़ (आ)/Sub-total (B)	**7717.50**	**6896.51**
उल्लिखित वर्ष के 31 मार्च को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (अ-आ) Gross NPAs as on 31st March of following year (closing balance) (A-B)	**44752.59**	**24875.07**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXIV. तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि का स्टॉक तथा उन पर की निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार की गई वसूलियाँ.
Stock of technical write-offs and the recoveries made thereon as per the format below.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते का आरंभिक शेष Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at 01st April	9281.30	5159.36
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते ADD: Technical/ Prudential write-offs during the year	2388.20	4531.56
उप-योग (अ)/ Sub-total (A)	11669.50	9690.92
घटाएँ : वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूलियां/ परिवर्तन (निवल) (आ) Less: Recoveries/ changes (net) in previously Technical/ Prudential written-off accounts during the year (B)	544.45	409.62
31 मार्च को अंतिम शेष (अ-आ)/Closing Balance as at 31st March (A-B)	11125.06	9281.30

XXV. समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए और राजस्व/ Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
कुल आस्तियां/ Total Assets	22,879.47	24574.86
कुल एनपीए//Total NPAs	6,529.96	4838.05
कुल राजस्व/Total Revenue	1,093.57	1218.79

उपरोक्त आंकड़े डीआईएफसी तथा जीआईएफटी सिटी शाखा के हैं
The above figures are of DIFC & GIFT City branch.

XXVI. प्रायोजित तुलन पत्र बाह्य एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है)
XXVI. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम/ Name of the SPV sponsored	
देशी/Domestic	विदेशी/Overseas
शून्य/ NIL	शून्य/ NIL

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXVII. ऋण चूक स्वैप/ Credit Default Swaps

बैंक एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व और उनकी सीडीएस पोजीशनों के मूल्यांकन हेतु दैनिक गणना पद्धति के अनुसार सीडीएस संविदाओं के बाज़ार मूल्य को बही में दर्ज करने के लिए मानक मॉडल का प्रयोग करता है. एफआईएमएमडीए इस प्रयोजन के लिए दैनिक आधार पर सीडीएस कर्व प्रकाशित करता है.

The Bank is using standard model for marking to market the CDS contracts as per FIMMDA published daily CDS curve and day count convention to value their CDS positions. FIMMDA is publishing the CDS curves for this purpose on daily basis.

XXVIII. अंतर-समूह एक्सपोजर/Intra-Group Exposures

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

(क) (a)	अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of intra-group exposures	1739.42
(ख) (b)	शीर्ष 20 अंतर - समूह एक्सपोजर की कुल राशि* Total amount of top-20 intra-group exposures*	1739.42
(ग) (c)	ऋणदाताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के प्रति अंतर समूह एक्सपोजर का प्रतिशत** Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers**	0.42%
(घ) (d)	अंतर समूह एक्सपोजर पर सीमा उल्लंघन का विवरण और इस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो. Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	नहीं / No

*आईडीबीआई बैंक की 10 समूह संस्थाएं हैं जिनमें आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर धारिता 20% से अधिक है.

*Total Group entities of IDBI Bank are 10 where IDBI Bank is holding more than 20% equity shareholding.

** बैंक का कुल एक्सपोजर ₹ 418780.87 करोड़ है.

**Total exposure of Bank is ₹ 418780.87crore.

XXIX. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएएफ)

Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous year
डीईएएफ में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	20.09	10.08
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	10.62	10.87
घटाएँ : दावों के लिए डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.79	0.86
डीईएएफ को अंतरित अंतिम शेष राशि Closing Balance of amounts transferred to DEAF	29.92	20.09

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXX. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर/Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक जैसा कि इसकी क्रेडिट नीति में वर्णित है अपने ऋणदाताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है तथा अपने ग्राहकों को विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से उनके विदेशी मुद्रा को रक्षित करने के लिए सूचित करता है.
The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation.

बैंक अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में आंतरिक विकसित प्रणाली पर आधारित सूचना आवधिक आधार पर प्राप्त करता है तथा विनिमय दर में उतार-चढाव से होने वाली संभावित हानि की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का अनुसरण करता है. इस एक्सपोजर के प्रति 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण ₹ 100.62 करोड़ (₹ 47.62 करोड़) रहा तथा इसके जोखिम के प्रति धारित पूंजी 31.03.2017 को ₹ 588.99करोड़ (₹ 415.76 करोड़ रुपये) रही.
The Bank obtains information on Un-hedged Foreign Currency Exposure from its customers on a periodic basis and maintains the same in an internally developed system and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The incremental provisioning for the year ending 31-03-2017 towards this exposure worked out to ₹ 100.62crore (₹ 47.62crore) and capital held towards the risk stood at ₹ 588.99crore (₹ 415.76crore) as on 31-03-2017.

XXXI. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) / Liquidity Coverage Ratio(LCR) :

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars		चालू वर्ष Current year		पिछले वर्ष Previous year	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां High Quality Liquid Assets					
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		55,079.29		28,804.07
नकदी बहिर्वाह/ Cash Outflow					
2	खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से प्राप्त जमा राशि, जिसमें से : Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	103,752.95	10,267.81	89,850.50	8,901.13
	(i) स्थिर जमाराशियां/ Stable deposits	2,149.68	107.48	1,678.35	83.92

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars		चालू वर्ष Current year		पिछले वर्ष Previous year	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
	(ii) कम स्थिर जमाराशियां/ Less stable deposits	101,603.27	10,160.33	88,172.15	8,817.22
3	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें से : Unsecured wholesale funding, of which:	43,091.18	31,724.64	42,113.37	31,493.23
	(i) परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	-	-	467.76	116.93
	(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	39,980.43	28,613.89	38,618.01	28,348.69
	(iii) अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	3,110.74	3,110.74	3,027.60	3,027.60
4	प्रतिभूत थोक निधीयन Secured wholesale funding		886.68		893.26
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से : Additional requirements, of which	5,084.21	5,070.02	7,783.02	7,650.40
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	5,068.45	5,068.45	7,635.67	7,635.67
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars		चालू वर्ष Current year		पिछले वर्ष Previous year	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
	(iii) क्रेडिट और चलनिधि Credit and liquidity	15.77	1.58	147.35	14.74
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व Other contractual funding obligations	3,445.33	3,445.33	2,244.09	2,244.09
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other contingent funding obligations	222,612.94	9,410.10	220,573.50	10,887.54
8	**कुल नकदी बहिर्वाह/Total Cash Outflows**		60,804.58		62,069.65
नकदी अंतर्वाह/Cash Inflows					
9	प्रतिभूत ऋण (उदा. रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	4,336.50	-	2,632.36	2,047.36
10	पूर्ण निष्पादित एक्सपोजर से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	5,682.14	2,841.07	35,819.20	17,909.60
11	अन्य नकदी अंतर्वाह/Other cash inflows	9,719.16	9,719.16	9,598.24	9,598.24
12	**कुल नकदी अंतर्वाह/Total Cash Inflows**	19,737.80	12,560.23	48,049.79	29,555.19
					कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	**कुल एचक्यूएलए/TOTAL HQLA**		55,079.29		28,804.07
14	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows**		48,244.35		32,513.46
15	**चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)**		114.17%		88.59%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन :
Qualitative disclosure around Liquidity Coverage Ratio (LCR) :

2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ सुधार के प्रस्ताव रखे हैं. इसके लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने जनवरी 2013 में 'बासेल III : चलनिधि व्याप्ति अनुपात और चलनिधि जोखिम निगरानी साधन' और जनवरी 2014 में 'चलनिधि व्याप्ति अनुपात प्रकटीकरण मानक' पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 09 जून 2014 के अपने परिपत्र के द्वारा चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) पर दिशनिर्देश जारी किए हैं.
In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient Banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools' in January 2013 and the 'Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards' in January 2014. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated June 09, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR).

चलनिधि व्याप्ति अनुपात संभावित चलनिधि विघटनों के प्रति बैंक की अल्पावधि आघात-सहनीयता को यह सुनिश्चित करके बढ़ावा देता है कि लगातार 30 दिनों तक बनी रहने वाली विकट दबावग्रत स्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं. चलनिधि व्याप्ति अनुपात मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भारमुक्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि अस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर चलनिधि दबाव वाली स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस की समयावधि हेतु अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सके.
The LCR promotes short-term resilience of Banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a Bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

चलनिधि व्याप्ति अनुपात की परिभाषा:
Definition of LCR :

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल निवल नकदी बहिर्वाह}} >= 100\%$$

उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) स्टॉक
Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल निवल नकदी बहिर्वाह
Total net cash outflows over the next 30 calendar days

चलनिधि व्याप्ति अनुपात अपेक्षाएं 1 जनवरी 2015 से बैंकों पर आबद्धकर हैं. तथापि, बैंकों को संक्रमण काल का समय प्रदान करने के विचार से कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए यह अपेक्षा न्यूनतम 60% की है जो 01 जनवरी 2015 से लागू है और 4 वर्ष की अवधि में इसे 10% के समान चरणों में बढ़ाना है ताकि 01 जनवरी 2019 तक 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर तक पहुंचा जा सके.
The LCR requirement are binding on Banks from January 1, 2015. However, with a view to provide a transition time for Banks, the requirement is minimum 60% for the calendar year 2015 i.e. with effect from January 1, 2015, and rise in equal steps of 10% over a period of 4 years to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां:
High Quality Liquid Assets

इस मानक के अंतर्गत बैंकों के लिए निर्धारित दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिन की अवधि के लिए कुल निवल नकदी बहिर्वाह को शामिल करने के लिए अभारग्रस्त एचक्यूएलए का स्टॉक रखना अनिवार्य है. एचक्यूएल में पात्र होने के उद्देश्य से दबाव काल के दौरान बाज़ार में नकदी सुलभ होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में केन्द्रीय बैंक के परिचालनों में उपयोग के लिए पात्र होना चाहिए. बैंक की एचक्यूएलए में मुख्यतः अनिवार्य अपेक्षाओं तक और उससे अधिक एसएलआर निवेश, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार (एनडीटीएल का 2%) के माध्यम से उपलब्ध चलनिधि, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एनडीटीएल का 8%) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों अथवा गैर-वित्तीय कॉरपोरेटों द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं.
Under the standard, Banks must hold a stock of unencumbered HQLA to cover the total net cash outflows over a 30-day period under the prescribed stress scenario. In order to qualify as HQLA, assets should be liquid in markets during times of stress and, in most cases, be eligible for use in central Bank operations. The HQLA of the Bank mainly comprise of SLR investments over and above mandatory requirement, liquidity available by way of borrowing under Marginal Standing Facility (2% of NDTL), Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (8% of NDTL) & other securities issued by PSEs or non-financial corporates.

कुल निवल नकदी बहिर्वाह:/ Total net cash outflows :

कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की बकाया शेष राशियों या देयता के प्रकार तथा तुलन पत्र बाह्य वचनबद्धताओं में उन दरों का गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके बढ़ने या घटने की आशा है. प्रवाह में कुल प्रत्याशित नकदी की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष में उन दरों को गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके प्रवाहित होने की आशा है.
Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in.

चलनिधि प्रबंधन:/ Liquidity Management:

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि मूल्यांकन एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलन पत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न आल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा आल्को दिशानिर्देशों तथा कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है.
The Bank has well organised liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा समय में बैंक केवल देशी मुद्रा में एलसीआर बनाए रखता है. वर्ष 2016-17 के लिए बैंक का औसत एलसीआर 114.17% (88.59%) था.
As per the regulatory guidelines, presently Bank maintains LCR in domestic currency only. The average LCR of the Bank for the year 2016-17 was at 114.17% (88.59%)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ग. अन्य प्रकटन
C OTHER DISCLOSURES

1. कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (ईसॉप)/ EMPLOYEES' STOCK OPTION SCHEME (ESOP)

i. शेयरधारकों के अनुमोदन के अनुसरण में यथा संशोधित ईसॉप के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 1,31,98,965 ऑप्शन (1,31,98,965 ऑप्शन) मंजूर किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:
In terms of the ESOP, as amended, pursuant to the approval of the shareholders, 1,31,98,965 options (1,31,98,965 options) granted to eligible employees as detailed herein below:

समाप्त वर्ष/Year Ended	मंजूर ऑप्शनों की संख्या/Number of Options Granted
31 मार्च 2001/March 31, 2001	16,76,951
31 मार्च 2002/March 31, 2002	25,54,352
31 मार्च 2003/March 31, 2003	32,77,542
31 मार्च 2004/March 31, 2004	21,47,669
31 मार्च 2005/March 31, 2005	19,58,451
31 मार्च 2006/March 31, 2006	8,85,000
31 मार्च 2008/March 31, 2008	6,99,000
कुल/Total	**1,31,98,965**

ii. ऑप्शन के ब्योरे:/ Detail of Options:

मंजूरी की तारीखें Grant dates	ऑप्शनों की संख्या Number of options	प्रयोग मूल्य (₹ में) Exercise Price (in ₹)	31 मार्च 2016 को बकाया ऑप्शन Options O/s. as at March 31, 2016	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए ऑप्शन Exercised During the Year ended March 31, 2017	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त ऑप्शन Lapsed During the year ended March 31, 2017	31 मार्च 2017 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as on March 31, 2017	31 मार्च 2017 तक ऑप्शन Options upto March 31, 2017	
							प्रयुक्त Exercised	समाप्त Lapsed
शृंखला I: 22 अगस्त 2000 Tranche I : August 22, 2000	83,317	26.64	-	-	-	-	83,317	-
शृंखला II: 1अक्तूबर 2000 Tranche II : October 1, 2000	14,26,035	28.49	-	-	-	-	9,63,171	4,62,864

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

मंजूरी की तारीखें Grant dates	ऑप्शनों की संख्या Number of options	प्रयोग मूल्य (₹ में) Exercise Price (in ₹)	31 मार्च 2016 को बकाया ऑप्शन Options O/s. as at March 31, 2016	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए ऑप्शन Exercised During the Year ended March 31, 2017	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त ऑप्शन Lapsed During the year ended March 31, 2017	31 मार्च 2017 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as on March 31, 2017	31 मार्च 2017 तक ऑप्शन Options upto March 31, 2017	
							प्रयुक्त Exercised	समाप्त Lapsed
श्रृंखला III : 1 जनवरी 2001 Tranche III : January 1, 2001	1,67,599	30.54	-	-	-	-	1,28,867	38,732
श्रृंखला IV : 1 अप्रैल 2001 Tranche IV : April 1, 2001	21,34,225	29.73	-	-	-	-	15,97,867	5,36,358
श्रृंखला V : 1 अक्तूबर 2001 Tranche V : October 1, 2001	4,20,127	26.2	-	-	-	-	2,97,219	1,22,908
श्रृंखला VI : 1 अप्रैल 2002 Tranche VI : April 1, 2002	32,23,415	23.88	-	-	-	-	25,04,118	7,19,297

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

मंजूरी की तारीखें Grant dates	ऑप्शनों की संख्या Number of options	प्रयोग मूल्य (₹ में) Exercise Price (in ₹)	31 मार्च 2016 को बकाया ऑप्शन Options O/s. as at March 31, 2016	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए ऑप्शन Exercised During the Year ended March 31, 2017	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त ऑप्शन Lapsed During the year ended March 31, 2017	31 मार्च 2017 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as on March 31, 2017	31 मार्च 2017 तक ऑप्शन Options upto March 31, 2017	
							प्रयुक्त Exercised	समाप्त Lapsed
श्रृंखला VII : 1 दिसंबर 2002 Tranche VII : December 1, 2002	54,127	28.5	-	-	-	-	47,881	6,246
श्रृंखला VIII : 1 अप्रैल 2003 Tranche VIII : April 1, 2003	21,47,669	30.3	-	-	-	-	15,03,876	6,43,793
श्रृंखला IX : 1 अप्रैल 2004 Tranche IX: April 1, 2004	16,41,549	50.95	-	-	-	-	9,83,721	6,57,828
श्रृंखला X : 1 जुलाई 2004 Tranche X: July 1, 2004	3,16,902	58.06	-	-	-	-	2,81,691	35,211
श्रृंखला XI : 1 अप्रैल 2006 Tranche XI : April1, 2006	8,85,000	98.11	-	-	-	-	2,27,877	6,57,123
श्रृंखला XII : 25 अगस्त 2007 Tranche XII: Aug 25, 2007	6,99,000	75.70	-	-	-	-	2,71,405	4,27,595

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iii. वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा ईसॉप का प्रयोग किए जाने पर शून्य (1095) इक्विटी शेयरों का आबंटन किया गया.
Nil (1095) equity shares allotted during the year against ESOPs exercised by the employees

2. अन्य/ Others

I. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग ने 5 सितंबर 2016 के अपने पत्र के जरिए बैंक को सूचित किया कि वह 2006 में किए गए भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) के आस्ति विनिमय के निवल प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार को ₹ 106427 लाख मूल्य की प्रतिभूतियाँ अभ्यर्पित करे. ये प्रतिभूतियाँ एसएएसएफ के विरुद्ध सितंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा बैंक को जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियों की ₹ 900000 लाख का भाग हैं. ये सितंबर 2024 में परिपक्व होने वाली 20 वर्षीय प्रतिभूतियाँ हैं. बैंक ने 30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही से प्रारम्भ करते हुए 11 तिमाहियों में इन प्रतिभूतियों को अभ्यर्पित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से छूट मांगी है और तदनुसार उसे हिसाब में लिया है. अनुमोदन के लंबित होते हुए बैंक ने अभी तक भारत सरकार को ₹ 29025 लाख की प्रतिभूतियाँ अभ्यर्पित की हैं और शेष ₹ 77402 लाख मूल्य की प्रतिभूतियाँ निवेश के रूप में आगे ले जाई गईं है. बैंक को विश्वास है कि उसे ₹ 77402 लाख की शेष प्रतिभूतियाँ शेष 8 तिमाहियों में अभ्यर्पित करने का अनुमोदन मिल जाएगा.

The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter dated 5th September 2016, advised the Bank to surrender securities of ₹ 106427 lakhs to the GoI representing net impact of the asset exchange of Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) done by the Bank in 2006. These securities form part of ₹ 900000 lakhs of such securities issued to the Bank by GoI in September 2004 against SASF. These are 20 years securities maturing in September 2024. The Bank has sought dispensation from the Appropriate Authorities to surrender these securities in 11 quarters commencing from quarter ended September 30, 2016 and accounted the same accordingly. Pending approval, the Bank has so far surrendered securities of ₹ 29025 lakhs to the GoI and the balance securities of ₹ 77402 lakhs are carried forward as Investments. The Bank is confident that it will get the approval to surrender the balance of securities of ₹ 77402 lakhs in the remaining eight quarters

II. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए नोट :
Notes to Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:

क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशि; ₹ शून्य
a. Gross amount required to be spent by the Bank during the year; ₹ NIL

ख. वर्ष के दौरान व्यय राशि :
b. Amount spent during the year:

विवरण/ Particulars	(₹ करोड़ में) (₹ in crore)
नकद में/ In cash	4.35
नकद भुगतान किया जाना है /Yet to be paid in cash	शून्य / Nil
कुल/Total	**4.35 (सभी करों सहित) / (incl of all taxes)**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

III. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ प्रकटीकरण करना आवश्यक है. बैंक अपने आपूर्तिकर्ताओं से उक्त अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में संबंधित सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन की राय में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज, यदि कोई है, का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने की उम्मीद है.

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to Micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

IV. पूंजीगत खाते पर निष्पादन के लिए शेष रही संविदाओं के संबंध में अनुमानित पूंजी राशि (अग्रिमों को घटाकर), जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया ₹ 205.94 करोड़ (₹ 288.84 करोड़).

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 205.94 Crores (₹ 288.84 Crores).

V. रिज़र्व बैंक के दिनांक 16 जुलाई 2015 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी. सं. 31/21.04.018/2015-16 के अनुसरण में बैंक ने 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गए उधारों में कमी के कारण नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी के पास रखी गई अपनी जमाराशियों को 'अन्य आस्तियां' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया है. अब तक इन्हें 'निवेश' के अंतर्गत शामिल किया जाता था. इन जमाराशियों पर अर्जित ब्याज आय को 'अर्जित ब्याज - अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया है. अब तक ऐसी ब्याज आय को 'अर्जित ब्याज-निवेशों पर आय' के अंतर्गत शामिल किया जाता था. पूर्ववर्ती अवधियों के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है. वर्गीकरण के उपर्युक्त परिवर्तन से 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अथवा प्रस्तुत पिछले वर्ष के लिए बैंक के लाभ/ हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

Pursuant to RBI Circular DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16, 2015, the Bank has, effective from quarter ended June 30, 2015, included its deposits placed with NABARD, SIDBI and NHB on account of shortfall in lending to priority sector under 'Other Assets'. Hitherto these were included under 'Investments'. Interest income on these deposits has been included under 'Interest Earned-Others'. Hitherto such interest income was included under 'Interest earned-Income on Investments'. Figures for the previous periods have been regrouped / reclassified to conform to current period's classification. The above change in classification has no impact on the profit/ loss of the Bank for the year ended March 31, 2017 or the previous year presented.

VI. रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 मई 2016 के परिपत्रसं. एफएमआरडी.डीआईआरडी.10/14.03.002/2015-16 के निबंधनों के अनुसार, एलएएफ/एमएसएफ के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के साथ रेपो तथा रिवर्स रेपो लेन-देनों को पहले निवेशों के अंतर्गत शामिल करने की पद्धति के बदले क्रमशः उन्हें उधार लेने तथा उधार देने के रूप में हिसाब में लिया जाता है. पिछली अवधियों के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप पुनःसमूहित और पुनःवर्गीकृत किया गया है. 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष या प्रस्तुत पिछले वर्ष के लिए बैंक के लाभ/ हानि पर वर्गीकरण में उपर्युक्त परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

In term of RBI circular no. FMRD.DIRD.10/14.03.002/2015-16 dated May 19, 2016, repo and reverse repo transactions with RBI under LAF/ MSF are accounted for as borrowing and lending respectively as against the earlier practice of including the same under Investments. Previous period figures have been regrouped and reclassified to conform to current period's classification. The aforesaid change has no impact on the loss of the Bank for the year ended March 31, 2017 or the previous year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VII. बैंक का यह मानना है कि 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को रखने और साथ ही साथ उनके लेन-देनों संबंधी एमसीए के दिनांक 30 मार्च 2017 की अधिसूचना जी.एस.आर 308 (ई) बैंकिंग कंपनियों पर लागू नहीं होती है. तदनुसार उक्त अधिसूचना के अंतर्गत बैंक को निर्धारित प्रकटन की आवश्यकता नहीं है.

The Bank believes that the MCA notification G.S.R. 308(E) dated March 30, 2017 regarding holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8th November, 2016 to 30th December, 2016 is not applicable to banking companies. Accordingly, the disclosures prescribed under the said notification are not required to be made by the Bank.

VIII. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिये गए हैं, और चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति से पुष्टि के लिए उन्हें पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है.
Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

लेखों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन)	(के.पी. नायर)	(जी.एम. यादवाडकर)	(एस. रवि)	(पद्मा बेताई)	(पवन अग्रवाल)
(Mahesh Kumar Jain)	(K.P. Nair)	(G.M. Yadwadkar)	(S. Ravi)	(Padma Betai)	(Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
Managing Director & Chief Executive Officer	Dy. Managing Director	Dy. Managing Director	Director	Chief Financial Officer	Company Secretary
(डीआईएन/DIN: 03513127)	(डीआईएन/DIN: 02611496)	(डीआईएन/DIN: 01432796)	(डीआईएन/DIN: 00009790)		

लेखों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
एस.एस. दीक्षित
S.S. Dikshit
साझेदार/ (स. सं. 41516)/ Partner (M.No. 41516)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निकेश के. शाह
Nikesh K. Shah
साझेदार (स. सं. 153520)/ Partner (M.No. 153520)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 18 मई 2017 / Date: May 18, 2017

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2016
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **A. Cash flow from Operating Activities**		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ / (हानि) **Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items**	(8618 01 52)	(4970 75 54)
(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन: **Adjustments for non cash items:**		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) / हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	52 76	4 03
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिजर्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	358 94 28	214 17 54
- प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना/ निवेश तथा अन्य प्रावधान Provisions/ Write off of Loans/ Investments and other provisions	13197 14 39	10351 35 52
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/ हानि (Profit)/ Loss on revaluation of Investments	40 23 58	102 91 16
- सामान्य रिजर्व में अंतरण/ Transfer to General reserve	190 07 73	47 26 62
	5168 91 22	**5744 99 33**
(3) परिचालन आस्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन: **Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
- निवेश / Investments	(1447 50 00)	(1787 41 54)
- अग्रिम / Advances	13123 66 70	(15740 22 13)
- अन्य आस्तियां / Other assets	1462 71 98	(1511 44 34)
- करों की वापसी / (भुगतान) /Refund / (payment) of taxes	(663 62 16)	(352 71 67)
(4) परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन: **Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
- उधार राशियां / Borrowings	(14227 66 53)	7741 48 20
- जमा राशियां / Deposits	2818 26 45	5883 85 75
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	1399 77 67	(319 69 66)
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी **Net cash used in/generated from Operating activities**	**7634 55 33**	**(341 16 06)**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of Fixed Assets	(451 01 54)	(656 05 81)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Investing activities**	**(451 01 54)**	**(656 05 81)**

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2016
इ. C. **वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
- इक्विटी शेयरों का निर्गम / Issue of Equity Shares	0	3077 43 59
- आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन धनराशि - Share application money pending allotment	1900 00 00	0
- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and Dividend Tax paid	0	(142 48 82)
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	**1900 00 00**	**2934 94 77**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	9083 53 79	1937 72 90
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	23600 54 08	14642 81 17
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**32684 07 87**	**16580 54 07**
नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलनपत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	13346 91 71	13822 90 72
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	19337 16 16	2757 63 35
कुल / TOTAL	**32684 07 87**	**16580 54 07**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 एवं 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन) (Mahesh Kumar Jain)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(एस. रवि) (S. Ravi)	(पद्मा बेताई) (Padma Betai)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 03513127)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/DIN: 00009790)	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
एस.एस. दीक्षित
S.S. Dikshit
साझेदार/ (स. सं. 41516)/ Partner (M.No. 41516)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निकेश के. शाह
Nikesh K. Shah
साझेदार (स. सं. 153520)/ Partner (M.No. 153520)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 18 मई 2017 / Date: May 18, 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति,

आईडीबीआई बैंक के सदस्यगण,

1. हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसके बाद 'बैंक' कहा गया है), इसकी पाँच देशी सहायक संस्थाओं, संयुक्त रूप से नियंत्रित एक संस्था के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों तथा चार सहयोगी कंपनियों (बैंक और इसकी सहायक कंपनियाँ सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट) के लाभ के शेयर की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2017 के समेकित तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखे, समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसमें इसके पश्चात् ''समेकित वित्तीय विवरण'' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

2. बैंक का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की अपेक्षाओं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्था सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

3. समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में शामिल कंपनियों के संबन्धित निदेशक मंडल समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेने और अनुमान लगाने, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, उसे कार्यान्वित करने एवं उसे बनाए रखने, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली तथा धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण होने वाली तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबन्धित लेखांकन रिकॉर्ड परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, जिन्हें उपयुक्त रूप से बैंक में निदेशक मंडल द्वारा बैंक के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है, के लिए जिम्मेदार हैं.

To

The Members of IDBI Bank Limited

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as "Bank") its five domestic subsidiaries, one jointly controlled entity and share of profit of four associate companies (the Bank and its subsidiaries together referred to as "the Group"), comprising of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2017, the consolidated Profit and Loss Account, the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. The Board of Directors of the Bank is responsible for the preparation of these consolidated financial statements in terms of the requirements of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "the Act") and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associate companies and jointly controlled entity in accordance with accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

3. The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associate companies and jointly controlled entity are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

4. हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में राय प्रकट करना है. लेखापरीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन, और लेखापरीक्षा मानकों और विषयों जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा में शामिल किया जाना अपेक्षित है, शामिल किया है.

5. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है. इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि समेकित वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक अयथार्थ कथन नहीं है.

6. लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रक्रिया का पालन करना शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन की जोखिम का आकलन भी शामिल है. इन जोखिम आकलनों को करते समय लेखापरीक्षक बैंक से सम्बद्ध वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार सही और उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार करने के प्रयोजन से दिशा देता है. लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की सटीकता और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तार्किकता तथा साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है.

7. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामलों से संबन्धित पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (ए) के संदर्भ में उनकी रिपोर्टों के संबंध में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त तथा उपयुक्त है.

राय

8. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और 31 मार्च 2017 को समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के कार्यों की समेकित स्थिति की और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके समेकित लाभ तथा समेकित नकदी प्रवाह की भारत में सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

मामले पर बल

9. हम 30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही से प्रारंभ करते हुए 11 तिमाहियों की अवधि के दौरान भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के अभ्यर्पण, जिसके लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होना है, के संबंध में अपनी राय में आशोधन किए बिना समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 18(12)(ii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं.

Auditor's Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. While conducting our audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

5. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

6. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Bank's preparation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

7. We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in sub-paragraph (a) of the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

Opinion

8. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group, its associates and jointly controlled entity as at 31st March, 2017, and their consolidated loss and their consolidated cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

9. We draw attention to Note 18(12)(ii) to the consolidated Financial statement, without modifying our opinion, regarding surrender of special securities of Government of India (GoI) over a period of 11 quarters commencing from quarter ended September 30, 2016 for which formal approval from Appropriate Authorities is awaited.

10. अन्य मामले

(क) समेकित वित्तीय विवरणों में पाँच सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2017 को ₹ 695.36 करोड़ की कुल आस्तियां, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 307.82 करोड़ का कुल राजस्व और ₹ 5.46 करोड़ का निवल नकदी बहिर्वाह दर्शाते हैं जिसकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है. समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त रूप से नियंत्रित एक संस्था भी शामिल है जिसके वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च 2017 को ₹ 469.47 करोड़ के आस्तियों के समूह शेयर तथा उसी समाप्त वर्ष के लिए ₹ 28.00 करोड़ के कुल राजस्व तथा ₹ 26.09 करोड़ के निवल नकदी अंतर्वाह दर्शाते हैं. ये वित्तीय विवरण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित हैं जिनकी रिपोर्टें प्रबंधन द्वारा हमारे पास प्रस्तुत की गई हैं और इन सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के बारे हमारी राय को समेकित वित्तीय विवरणों, जहां तक राशियों और प्रकटीकरणों का सवाल है, में शामिल किया गया है. साथ ही हमारी रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के निबंधनों के अनुसार, जहां तक उपर्युक्त सहायक संस्थाओं और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का संबंध है, पूरी तरह अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

(ख) समेकित वित्तीय विवरणों में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉज़िटरी लिमिटेड, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बायोटेक कंशोर्सियम इंडिया लिमिटेड, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जो सहयोगी कंपनियाँ हैं, के बारे में, समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अनुसार, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ ₹ 72.55 करोड़ के समूह का हिस्सा भी शामिल है जिसका वित्तीय विवरण हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं हैं. ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं तथा प्रबंधन द्वारा हमारे पास प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों, जहां तक यह इन सहयोगी कंपनियों के संबंध में सम्मिलित राशियों तथा प्रकटनों से संबंधित है, पर हमारी राय और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के निबंधनों के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपर्युक्त सहयोगी कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और विश्वास पर आधारित है.

समेकित विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट को किए गए कार्यों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी विश्वसनीयता के बारे में उपर्युक्त मामले के संदर्भ में संशोधित नहीं किया गया है.

11. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम यथा लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि :

10. Other Matters

(a) The consolidated financial statements include five domestic subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹ 695.36 crores as at 31st March, 2017, total revenues of ₹ 307.82 crores and net cash outflows amounting to ₹ 5.46 crores for the year ended on that date, which have not been audited by us. The consolidated financial statements also include one jointly controlled entity whose financial statements reflect group share of total assets of ₹ 469.47 crores as on March 31, 2017 and total revenue of ₹ 28.00 crores and net cash inflow amounting to ₹ 26.09 crores for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiary companies, jointly controlled entity, and our report in terms of sub-sections (3) and (11) of Section 143 of the Act, insofar as it relates to the aforesaid subsidiary companies and jointly controlled entity, is based solely on the reports of the other auditors.

(b) The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹ 72.55 crores for the year ended 31st March, 2017, as considered in the consolidated financial statements, in respect of National Securities Depository Limited, NSDL E-Governance Infrastructure Limited, Biotech Consortium India Limited, North Eastern Development Finance Corporation Ltd. are associates, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates, and our report in terms of sub-sections (3) and (11) of Section 143 of the Act in so far as it relates to the associates, is based solely on such unaudited financial statements and relied upon as provided by management.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the Management

11. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by Section143 (3) of the Act, we report, to the extent applicable, that:

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मँगवाए और प्राप्त किए जो उपर्युक्त उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे.

(ख) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण तैयार करने से संबन्धित कानून में अपेक्षित अनुसार उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं जहां यह उन बहियों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की हमारी जांच से पता चलता है.

(ग) इस रिपोर्ट में विचार किए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनुरक्षित संबन्धित लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण, कंपनी लेखा नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं.

(ङ) बैंक के निदेशक मंडल से यथा दिनांक 31 मार्च 2017 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदन, जिसे बैंक के निदेशक मंडल ने रिकॉर्ड किया है, तथा भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर भारत में निगमित किसी भी समूह कंपनी, सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार यथा 31 मार्च 2017 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य करार नहीं किया गया है.

(च) बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता की पर्याप्तता के संबंध में अनुबंध 'अ' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट को देखें जो भारत में निगमित धारिता कंपनी, सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है. हमारी रिपोर्ट भारत में निगमित धारिता कंपनियों, सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर असंशोधित राय व्यक्त करती है.

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक), नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अन्य मामले शामिल किए जाने के संबंध में, हमारे विचार में तथा हमारी सम्पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार :

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.

(b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors.

(c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss, and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.

(d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(e) On the basis of the written representations received from the directors of the Bank as on 31st March, 2017 taken on record by the Board of Directors of the Bank and the reports of the statutory auditors' of their subsidiary companies, and jointly controlled entity incorporated in India and the reports by the Management of associate companies, none of the directors of the Group companies, its associate companies and jointly controlled entity incorporated in India are disqualified as on 31st March, 2017 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

(f) With respect to adequacy of internal financial controls over financial reporting of the Group and operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure "A" which is based on the auditors reports of the holding company, subsidiary companies, associate companies and jointly controlled entity incorporated in India. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operative effectiveness of the holding company's, subsidiary Companies, associate companies and jointly controlled entity incorporated in India, internal financial controls over financial reporting.

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the report of the auditors' of their subsidiaries and jointly controlled entity:

i. समेकित वित्तीय विवरण समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की समेकित वित्तीय स्थिति पर विचाराधीन मुकदमों के प्रभाव को प्रकट करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(10)(बी) देखें.

ii. डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर, पूर्वाभासी आवश्यक हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानूनों या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है - ऐसे मदों के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(10)(क) देखें जो समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था से संबंध रखता है.

iii. बैंक, भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित निधि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है.

iv. दिनांक 08 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक धारिता और साथ ही विनिर्दिष्ट बैंक नोट में सौदों के बारे में वित्तीय विवरणियों में अपेक्षित प्रकटन को समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रकट किया गया है जिसमें बैंक और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, अर्थात बीमा कंपनी, जिनके बारे में ऐसा प्रकटन लागू नहीं है, शामिल नहीं हैं. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा प्रबंधन के अभिवेदन पर विश्वास करते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि ये प्रकटन संबन्धित कंपनियों के पास मौजूद लेखा बहियों और प्रबंधन द्वारा संबन्धित लेखा परीक्षकों के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किए गए अनुसार हैं. समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18(12)(vii) देखें.

i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group, its associate companies and jointly controlled entity– Refer Schedule 18(10)(b) to the consolidated financial statements.

ii. Provision has been made in the consolidated financial statements, as required under the applicable laws or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts – Refer Schedule 18(10)(a) to the consolidated financial statements in respect of such items as it relates to the Group, its associates and jointly controlled entity.

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank and its subsidiary companies, associate companies and jointly controlled entity incorporated in India.

iv. The requisite disclosure, in the financial statements as to holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from November 08, 2016 to December 30, 2016,has been disclosed in the consolidated financial statements, except in case of Bank and jointly controlled entity i.e. Insurance Company, where such disclosure is not applicable. Based on audit procedures and relying on management representation, we report that the disclosures are in accordance with books of account maintained by the respective companies and as produced to the respective auditors by the management. Refer Schedule 18(12)(vii) of the consolidated financial statements.

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 106655W

एस.एस. दीक्षित
साझेदार
स. सं. 041516

स्थान : मुंबई
दिनांक : 18 मई 2017

कृते **चोकशी एंड चोकशी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या: 101872W/W100045

निकेश के. शाह
साझेदार
स. सं. 153520

For **Mukund M. Chitale & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 106655W

S. S. Dikshit
Partner
M. No 041516

Place: Mumbai
Date: 18.05.2017

For **Chokshi & Chokshi LLP**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 101872W/W100045

Nikesh K. Shah
Partner
M. No: 153520

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(हमारी सम दिनांकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट का पैराग्राफ 11(एफ) देखें)

1. 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की और के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् ''बैंक'' के रूप में निर्दिष्ट) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है और इसकी सहायक कंपनियों, चार सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एक संस्था, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, की लेखापरीक्षा उक्त तारीख को संबंधित संस्था की लेखापरीक्षा करने के लिए पात्र सनदी लेखाकारों की फर्मों द्वारा की गई.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

2. बैंक, इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, का संबंधित निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट (''मार्गदर्शी नोट'') में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

3. हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर में राय की अभिव्यक्ति है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट तथा आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा संबंधी मानकों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

(Referred to in Paragraph 11(f) of our Audit Report of even date)

1. In conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the IDBI Bank Limited as of and for the year ended March 31, 2017, we have audited the internal financial controls over financial reporting of IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as "the Bank") and the audit of its subsidiary companies, four associate companies and one jointly controlled entity, which are companies incorporated in India, was carried out by the firms of chartered accountants who were entitled to carry out the audit of respective entity as of that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

2. The respective Board of Directors of the Bank and its subsidiary companies, associate companies and jointly controlled entity, which are companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal controls stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India" (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ('the Act').

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the standards on Audit issued by the ICAI and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to

तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, के अधीन की है. उन मानकों और मार्गदर्शन नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें ताकि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

4. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामलों के संदर्भ में उनकी रिपोर्टों के संबंध में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ कंपनी की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं; (2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में

be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

4. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial control system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

5. We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters under paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial control system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

6. The Bank's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Bank's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection

उचित आश्वासन देते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

7. वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिसमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आनेवाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

राय

8. हमारी राय में बैंक, इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, जो भारत में निगमित हैं, में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और ''भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट'' में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2017 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

अन्य मामले

9. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावकारिता के बारे में अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्टें, पाँच सहायक कंपनियों और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के बारे में हैं, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, लेखापरीक्षकों की भारत में निगमित ऐसी कंपनियों की तदनुरूपी रिपोर्टों पर आधारित हैं. सभी चार सहयोगी कंपनियों की लेखापरीक्षा रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थीं.

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 106655W

एस.एस. दीक्षित
साझेदार
स. सं. 041516
स्थान : मुंबई
दिनांक : 18 मई 2017

कृते **चोकशी एंड चोकशी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या: 101872W/W100045

निकेश के. शाह
साझेदार
स. सं. 153520

of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

8. In our opinion, the Bank, its subsidiary companies, its associate companies and jointly controlled entity, which are companies incorporated in India, have, in all material respects, an adequate internal financial control system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal controls stated in the "Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

Other Matters

9. Our aforesaid reports under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting insofar as they relate to five subsidiary companies, and one jointly controlled entity, which are companies incorporated in India, are based on the corresponding reports of the auditors of such companies incorporated in India. The audit reports of all the four associates were not available.

For **Mukund M. Chitale & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 106655W

S. S. Dikshit
Partner
M. No 041516

Place: Mumbai
Date: 18.05.2017

For **Chokshi & Chokshi LLP**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 101872W/W100045

Nikesh K. Shah
Partner
M. No: 153520

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च 2017 को
Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2017

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	2058 81 51	2058 81 51
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and Surplus	2	21203 49 59	25999 62 01
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest		70 56 77	61 45 62
जमाराशियां / Deposits	3	268215 67 89	265087 39 34
उधार राशियां / Borrowings	4	56363 97 73	70591 64 26
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	14468 85 16	11475 79 37
कुल / TOTAL		**362381 38 65**	**375274 72 11**
आस्तियां / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13349 62 68	13827 37 92
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	19382 68 35	9480 60 72
निवेश / Investments	8	93074 86 91	92810 16 27
अग्रिम / Advances	9	190825 92 71	215893 44 89
अचल आस्तियां / Fixed Assets	10	7433 22 61	7521 92 50
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	38315 05 39	35741 19 81
कुल / TOTAL		**362381 38 65**	**375274 72 11**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	186090 21 53	198376 36 30
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		15948 81 60	14550 35 09
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 and 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन) (Mahesh Kumar Jain)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(एस. रवि) (S. Ravi)	(पद्मा बेताई) (Padma Betai)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 03513127)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/DIN: 00009790)	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
एस.एस. दीक्षित
S.S. Dikshit
साझेदार/ (स. सं. 41516)/ Partner (M.No. 41516)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निकेश के. शाह
Nikesh K. Shah
साझेदार (स. सं. 153520)/ Partner (M.No. 153520)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 18 मई 2017 / Date: May 18, 2017

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2017

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	27805 38 48	28058 20 01
	अन्य आय / Other income	14	4167 18 91	3518 05 46
	कुल / TOTAL		**31972 57 39**	**31576 25 47**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	22019 43 88	21930 97 73
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	5243 14 96	4205 82 59
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies		9779 43 41	9063 22 83
	कुल / TOTAL		**37042 02 25**	**35200 03 15**
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) / Net Profit / (Loss) for the year		(5069 44 86)	(3623 77 68)
	जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा Add: Share of Profit in Associate		72 55 37	50 22 26
	घटाएं: अल्पसंख्यक हित / Less: Minority Interest		19 00 99	17 26 11
	समूह लाभ / Group Profit / (Loss)		**(5015 90 48)**	**(3590 81 53)**
	आगे लाया गया लाभ / (हानि) / Profit / (Loss) brought forward		(3029 84 42)	641 60 46
	कुल / TOTAL		**(8045 74 90)**	**(2949 21 04)**
IV	**विनियोजन / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		-	-
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		506 96 82	74 66 46
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		4 19 65	3 81 04
	अन्तरिम लाभांश / Interim Dividend		-	-
	ईसॉप पर लाभांश / Dividend on ESOPs		-	45
	लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax		2 95 08	3 88 05
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि Balance carried over to Balance Sheet		(8559 86 45)	(3031 57 07)
	कुल / TOTAL		**(8045 74 90)**	**(2949 21 07)**
	प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (face Value ₹ 10 per share)	18 (6)		
	मूल / Basic		(24.36)	(21.33)
	न्यूनीकृत / Diluted		(24.36)	(21.33)

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2017

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन) (Mahesh Kumar Jain)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(एस. रवि) (S. Ravi)	(पद्मा बेताई) (Padma Betai)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 03513127)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/DIN: 00009790)	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
एस.एस. दीक्षित
S.S. Dikshit
साझेदार/ (स. सं. 41516)/ Partner (M.No. 41516)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निकेश के. शाह
Nikesh K. Shah
साझेदार (स. सं. 153520)/ Partner (M.No. 153520)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 18 मई 2017 / Date: May 18, 2017

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
	प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
	₹ 10 प्रत्येक के 450 00 00 000 (300 00 00 000) इक्विटी शेयर 450 00 00 000 (300 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	4500 00 00	3000 00 00
		4500 00 00	**3000 00 00**
	निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid-up Capital**		
	₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 205 88 15 081 (205 88 15 081) इक्विटी शेयर 205 88 15 081 (205 88 15 081) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up	2058 81 51	2058 81 51
	कुल / TOTAL	**2058 81 51**	**2058 81 51**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3019 34 70	3019 34 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3019 34 70	**3019 34 70**
II	**पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1110 29 63	825 21 07
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	730 07 05	285 08 56
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1840 36 68	**1110 29 63**
III	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी 1 देखें) Opening Balance (Refer Schedule 18 Note 1)	5607 82 67	1662 85 03
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	3992 24 26
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	190 07 73	47 26 62
		5417 74 94	**5607 82 67**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	12301 53 04	9678 95 19
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	2622 57 85
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		12301 53 04	**12301 53 04**
V	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserves**		
	(क) सामान्य रिज़र्व		
	(a) General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	5419 84 00	5370 43 74
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	2 34 77	2 13 64
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरित Transferred from Revaluation Reserve	190 07 73	47 26 62
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	24 86	-
		5612 01 64	**5419 84 00**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	(b) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व		
	(c) Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1566 00 00	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
VI	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि Balance in Profit and Loss Account**	(8559 86 45)	(3031 57 07)
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**21203 49 59**	**25999 62 01**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS			
अ/A				
	I.	**मांग जमाराशियां / Demand Deposits**		
	(i)	बैंकों से / From banks	9255 49 00	6572 94 64
	(ii)	अन्य से / From others	24730 95 98	22220 61 19
			33986 44 98	**28793 55 83**
	II.	**बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits**	**50383 74 67**	**39849 92 61**
	III.	**मीयादी जमाराशियां / Term Deposits**		
	(i)	बैंकों से / From banks	23467 05 58	32641 44 49
	(ii)	अन्य से / From others	160378 42 66	163802 46 41
			183845 48 24	196443 90 90
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)		**268215 67 89**	**265087 39 34**
आ/B				
(i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India		267046 78 24	263222 92 75
(ii)	भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India		1168 89 65	1864 46 59
	कुल / **TOTAL**		**268215 67 89**	**265087 39 34**

(₹ 000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I.	**भारत में उधार राशियां / Borrowings in India**		
(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	-	1017 70 28
(ii)	अन्य बैंक / Other banks	3673 45 00	230 30 00
(iii)	टीयर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier 1 (Innovative Perpetual Debt Instrument)	1708 80 00	1708 80 00
(iv)	अतिरिक्त टीयर 1 बांड / Additional Tier 1 Bond	5000 00 00	2500 00 00
(v)	अपर टीयर 2 बांड / Upper Tier 2 Bonds	4286 20 00	4286 20 00
(vi)	अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर 2 पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier 2 Capital)	7078 00 00	8570 00 00
(vii)	बासेल III ओम्नी टीयर 2 बांड Basel III Omni Tier 2 Bond	1900 00 00	1900 00 00
(viii)	अन्य* / Others *	10461 17 47	26392 83 87
II.	**भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India**	22256 35 26	23985 80 11
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**56363 97 73**	**70591 64 26**

* ₹ 850 00 00 हजार (₹ 850 00 00 हजार) का बेमीयादी ऋण लिखत शामिल है, जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं हैं.
Included Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 thousand (₹ 850 00 00 thousand), which does not qualify for CRAR

ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 1052 60 09 हजार (₹ 17527 46 46 हजार)
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 1052 60 09 thousand (₹ 17527 46 46 thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I.	देय बिल / Bills Payable	1429 94 55	989 61 93
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	77 08	98 82
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	1438 47 53	1639 98 72
IV	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provisions)**		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	3046 11 75	3400 28 31
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	628 54 86	718 18 51
	(ग) देय लाभांश और लाभांश कर (c) Dividend and Dividend Tax payable	11 88 29	10 49 66
	(घ) विविध लेनदार* (d) Sundry Creditors*	328 60 91	322 01 60
	(ङ) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर (e) Service Tax/TDS/Other taxes payable	46 22 47	29 62 43
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	39 57 19	31 10 64
	(छ) अन्य प्रावधान (g) Other Provisions	2615 56 63	2532 59 65
	(ज) विविध (h) Miscellaneous	4883 13 90	1800 89 10
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**14468 85 16**	**11475 79 37**

* सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशियां - शून्य (शून्य)
* Dues to Micro, Small and Medium Enterprises-NIL (NIL)

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	2140 28 32	1590 10 01
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	11209 34 36	12237 27 91
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**13349 62 68**	**13827 37 92**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**		
I	**भारत में / In India**		
	(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
	(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	304 52 03	55 36 28
	(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	337 29 93	345 45 30
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice		
	(क) बैंकों के पास (a) with Banks	-	848 06 40
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	18400 00 00	7506 10 52
		19041 81 96	**8754 98 50**
II	**भारत से बाहर / Outside India**		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	19 18 24	417 31 44
	(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	214 00 50	198 76 50
	(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice	107 67 65	109 54 28
		340 86 39	**725 62 22**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**19382 68 35**	**9480 60 72**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS			
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	83993 15 13	81261 40 41
	(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii)	शेयर / Shares	3106 57 76	2932 53 63
	(iv)	डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	2250 32 03	3131 46 28
	(v)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	25 50 00	25 50 00
	(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs)	3699 31 99	5459 25 95
			93074 86 91	**92810 16 27**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	-	-
	(ii)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	-	-
	(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other Investments (shares)	-	-
			-	**-**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)		**93074 86 91**	**92810 16 27**
III	**भारत में निवेश / Investments in India**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		95856 94 07	94541 38 64
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास Less: Aggregate Provision/ Depreciation		2782 07 16	1731 22 37
	निवल निवेश / Net Investments		**93074 86 91**	**92810 16 27**
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments outside India**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		-	-
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास Less: Aggregate Provision/ Depreciation		-	-
	निवल निवेश / Net investments		-	-

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
अ A			
(i)	खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	5617 69 05	5425 56 80
(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	53223 92 29	59886 59 18
(iii)	मीयादी ऋण */ Term loans *	131984 31 37	150581 28 91
	कुल / TOTAL	**190825 92 71**	**215893 44 89**
आ B			
(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत ** / Secured by Tangible Assets **	177115 60 93	202531 61 55
(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित *** Covered by Bank/ Government Guarantees***	7056 59 28	4696 06 55
(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	6653 72 50	8665 76 79
	कुल / TOTAL	**190825 92 71**	**215893 44 89**
इ C			
I	**भारत में अग्रिम / Advances in India**		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	60560 29 66	55174 51 85
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	8572 20 34	13823 42 05
(iii)	बैंक / Banks	486 48 43	241 87 04
(iv)	अन्य / Others	98696 48 85	122824 66 16
	कुल / TOTAL	**168315 47 28**	**192064 47 10**
II	**भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India**		
(i)	बैंकों से प्राप्य / Due from Banks	181 10 11	-
(ii)	अन्य से प्राप्य / Due from others:		
	(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	1787 43 00	132 65 79
	(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated Loans	3911 12 14	3943 26 78
	(ग) अन्य (c) Others	16630 80 18	19753 05 22
	कुल / TOTAL	**22510 45 43**	**23828 97 79**
	कुल योग (इ I और इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**190825 92 71**	**215893 44 89**

* ₹ (-)7707 48 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 8411 43 00 हजार) के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र (निवल) शामिल हैं.
Includes Inter Bank Participatory Certificates (Net) ₹ (-)7707 48 00 thousand (Previous year ₹ 8411 43 00 thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes Advances against book debts

*** अन्य बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes Advances against Letter of Credit issued by other banks.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी 1(i) देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note 1(i)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	6753 27 61	2792 63 86
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	75 59 30	24 75 65
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	-	3936 33 91
	वर्ष के दौरान कटौतियां * / Deductions during the year *	-	45 81
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	668 21 45	482 87 83
		6160 65 46	**6270 39 78**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	1944 62 27	1738 37 50
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	143 99 80	218 49 65
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	8 82 89	6 43 86
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1347 81 23	1179 83 40
		731 97 95	**770 59 89**
III	**पट्टे पर दी गयी आस्तियां / Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	पट्टा समायोजन लेखा / Lease Adjustment account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	540 59 20	480 92 83
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**7433 22 61**	**7521 92 50**

* परिसर की बिक्री पर शून्य (₹ 319 हजार) का पुनर्मूल्यन रिज़र्व शामिल है.
* Includes Revaluation Reserve of Nil (₹ 319 thousand) on sale of premises

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2587 34 06	2854 75 77
III	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance/ Tax Deducted at source (net)	3186 90 38	2732 72 89
IV	लेखन सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and stamps	20 80	24 30
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	791 98 93	793 53 93
VI	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर आस्तियां (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	7624 21 12	3951 42 73
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares/ Bonds pending allotment	45 47 20	185 44 93
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry Deposit and Advances	174 88 71	154 71 82
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims Receivable	488 09 62	432 14 53
	(ङ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/संवितरण (e) Expenses/ Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)	85 86 32	9 87 26
	(च) विविध * (f) Miscellaneous*	23330 08 25	24626 31 65
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**38315 05 39**	**35741 19 81**

* प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 22405 44 79 हजार (₹ 24130 93 67 हजार) का निवेश शामिल है, अनुसूची 18 (12) (iii) देखें.

* Includes Investment in Priority Sector ₹ 22405 44 79 thousand (₹ 24130 93 67 thousand) Refer Schedule 18 (12) (iii)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**		
I	दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims not acknowledged as debts	137 18 90	149 52 35
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	59827 52 55	51833 70 39
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) -भारत में (a) -in India	52830 16 63	52627 71 95
	(ख) -भारत से बाहर (b) -outside India	2603 60 14	5593 19 29
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	22875 64 31	26458 38 47
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of Interest Rate and Currency Swaps and Credit Default Swaps	38704 97 17	52291 09 81
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative Contracts	7235 15 39	7659 30 62
VII	विवादित आय कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income Tax, Interest Tax, penalty and interest demands	1827 69 32	1735 90 04
VIII	अन्य Others	48 27 12	27 53 38
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**186090 21 53**	**198376 36 30**

आकस्मिक देयताओं के ब्योरे के लिए अनुसूची 18 टिप्पणी 10 देखें.
Refer Schedule 18 Note 10 for description of Contingent Liabilities.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest / discount on advances / bills	19310 33 08	20709 11 76
II	निवेशों से आय / Income on Investments	6574 89 84	6004 57 08
III	रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	458 29 87	37 16 78
IV	अन्य / Others	1461 85 69	1307 34 39
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**27805 38 48**	**28058 20 01**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
	अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2378 13 33	2177 75 16
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	1255 12 19	829 03 59
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	(38 46 25)	(100 75 92)
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(53 22)	(3 95)
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions/ Derivatives (net)	224 73 79	287 06 21
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend Income from Subsidiary Companies and / or Joint Ventures in India	-	-
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली Recovery from written-off cases	158 60 60	139 78 57
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	189 58 47	185 21 80
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**4167 18 91**	**3518 05 46**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
	अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on Deposits	17118 00 83	16949 03 42
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / Inter-bank borrowings	1331 69 03	1232 44 84
III	अन्य / Others	3569 74 02	3749 49 47
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**22019 43 88**	**21930 97 73**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	2305 53 10	1762 61 13
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	429 62 16	403 55 57
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	49 57 70	56 45 05
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	58 59 66	28 56 84
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on the Bank's property	362 22 92	217 81 60
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	1 46 95	94 62
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 36 35	2 46 43
VIII	विधि प्रभार / Law charges	13 10 41	15 10 94
IX	डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	104 00 76	100 66 71
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	310 02 72	302 64 94

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016
XI	बीमा / Insurance	231 05 07	224 50 03
XII	अन्य / Others		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	52 57 03	55 48 28
	(ख) कार्ड और एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	342 37 82	321 96 77
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	15 34 93	10 07 76
	(घ) बट्टे खाते डाले गए मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write-off cases	3 90 79	3 62 14
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	410 18 91	307 28 03
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	65 74 52	42 35 89
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	21 56 22	42 58 67
	(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	42 73 33	37 26 16
	(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	9 58 79	6 07 07
	(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	8 57 73	36 47 63
	(ट) अन्य व्यय (k) Other expenditure	402 97 09	227 30 33
	कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**5243 14 96**	**4205 82 59**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार :
Basis of Preparation:

समूह के वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी दृष्टि से भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित, बीमा अधिनियम, 1938, कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी तथा कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट, अधिनियम के प्रावधानों (जहाँ तक लागू हैं) के अनुसार और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः लागू प्रथाओं के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो को छोड़कर, तथा परंपरागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है. कंपनी द्वारा लेखांकन नीतियों का सतत् रूप से प्रयोग किया गया है और ये पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं.

The Group's financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) & Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) from time to time, the provisions of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Companies Act , 2013 and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 7 of the Companies (Account) Rules, 2014, the provisions of the Act (to the extent applicable) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention. The accounting policies have been consistently applied by the company and are consistent with those used in the previous year.

2. समेकन तैयार करना:
Preparation of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक एएस - 21 'समेकित वित्तीय विवरण', एएस - 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस-27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी-बैंक) और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के लेखे शामिल हैं. समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक अर्थात् 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – "the Bank") and all its subsidiaries/associates /Joint Venture/ as defined in Accounting Standard AS-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'. The financial statements of the subsidiaries/associates/joint venture used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2017.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है: (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) इसके संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर, (ग) एएस-23 की इक्विटी प्रक्रिया के अनुसार इसकी सहयोगी संस्थाओं को समेकित कर. अंतः समूह संव्यवहारों को समेकन पर समाप्त कर दिया गया है.

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income and expenses c) its Associates by consolidating as per Equity method as per AS-23. Intra Group transactions have been eliminated on consolidation.

सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरण-पत्रों में साख/पूंजी रिज़र्व के रूप में दर्शाया गया है.

The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries/Associates is recognized in the financial statements as goodwill/ capital reserve.

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

(क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी की राशि; तथा

(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

(ख) मूल संस्था-सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरों का घट-बढ़.

(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :

The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम / Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
अ)A)	**वित्तीय सहायक संस्थाएं: Financial Subsidiaries:**			
1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Limited.	भारत / India	100	100
2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IDBI Asset Management Company Limited.	भारत / India	100	100
आ) B)	**गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं : Non Financial Subsidiary:**			
1)	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited.	भारत / India	100	100
2)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited.	भारत / India	100	100
3)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	भारत / India	54.70	54.70

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम / Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at 31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
इ) C)	**जीवन बीमा संयुक्त उद्यम: Life Insurance Joint Venture:**			
1)	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited.	भारत / India	48	48
ई) D)	**सहयोगी संस्थाएं: Associates:**			
1)	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd.	भारत / India	30	30
2)	एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd	भारत / India	30	30
3)	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Ltd	भारत / India	27.93	27.93
4)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लि. North Eastern Development Finance Corporation Ltd	भारत / India	25	25

3. अनुमानों का उपयोग
Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

4. राजस्व निर्धारण
Revenue Recognition:

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि समूह को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक आस्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of RBI.

ii. साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC) / Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होता है.
Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. अनर्जक अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.
In case of Non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the bank.

vii. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में,
In case of IDBI Capital Market Services Ltd,

क. कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मुख्य प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर निवल ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

a. Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.

ख. तुलन पत्र तारीख को धारित नियत कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज, खंडित अवधि के लिए कूपन दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.

b. Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

ग. निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अर्जन लागत पर बिक्री / मोचन आय का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

c. Profit on Sale of Investments is recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with loss on sale of Investments.

घ. कंपनी द्वारा हामीदारी दिए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मूल्य के प्रति समायोजित नहीं किया जाता.

d. Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to profit and loss account and not netted against the value of investments.

ङ. सेकंडरी मार्केट परिचालनों पर अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित है. डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है. लाभांश का निर्धारण तब किया जाता है जब तुलन पत्र की तारीख को कंपनी के भुगतान प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित किया जाता है. राजस्व में सेवा कर, जहां भी वसूल किया गया है, शामिल नहीं है. निर्गम प्रबंधन, ऋण समूहन तथा वित्तीय सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त राजस्व की गणना ग्राहक के साथ किए गए करार की शर्तों के आधार पर की जाती है.

e. Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management and other fees are accounted for on accrual basis. Dividend is recognised when the company's right to receive payment is established by the balance sheet date. Revenue excludes Service Tax, wherever recovered. Revenue from issue management, loan syndication and financial advisory services is recognised as per terms of agreement with the client.

viii. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में,
In case of IDBI Asset Management Ltd,

क. निवेश प्रबंधन शुल्क: निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर सेवा कर को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 (विनियमन) विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो.

a. Investment Management fees: Investment Management fees are recognized net-off service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') as amended.

ख. अन्य आय : ब्याज आय को अवधि आनुपातिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.

b. Other income: Interest income is accounted for on period proportion basis. The profit/loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ix. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. के मामले में,
In case of IDBI MF Trustee Company Ltd,

क. ट्रस्टीशिप शुल्कः ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए.

a. Trusteeship fees: Trusteeship fees is recognized on accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes..

ख. अन्य आयः निवेशों से आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.

b. Other income: Income from Investments is accounted on accrual basis. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

x. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में समय तथा तात्विक आधार पर मूल्य निर्धारित संविदाओं से प्राप्त राजस्व को उस समय हिसाब में लिया जाता है जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबंधित लागत उपगत की जाती है. उत्पादों की बिक्री से राजस्व को कार्य की प्रगति के आधार पर तथा सहमत शर्तों के अनुसार माल के स्वामित्व के अंतरण पर हिसाब में लिया जाता है. वार्षिक तकनीकी सेवा राजस्व को प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया जाता है. राष्ट्रीय संपर्क केंद्र से प्राप्त राजस्व को बिक्री की पुष्टि प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है. अन्य आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है. ब्याज से राजस्व का निर्धारण बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर किया जाता है.
In case of IDBI Intech Ltd, Revenue from contracts priced on time and material basis are recognized when services are rendered & related costs are incurred. Revenue from sale of products is recognised on achievement of milestone basis and on transfer of property of goods as per agreed terms. Annual Technical Services revenue is recognised proportionately over the period in which the services are rendered. Revenue from National Contact Centre is recognised upon receipt of confirmation of sales. Other Income is accounted on Accrual basis. Revenue from Interest is recognised as a time proportion basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

xi. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में,
In case of IDBI Trusteeship Services Ltd.,

क. कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर के किराए और बैंक सावधि जमाराशियों और म्यूचुअल फंडों में निवेश से आय के रूप में प्राप्त करती है जिनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a. The company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from investments in Bank Fixed Deposit and Mutual Funds,which are accounted for on accrual basis.

यदि बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों की आय प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में ली जाती है. ऐसे

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनियमित समनुदेशनों के प्रति पिछले वर्ष/ वर्षों में बकाया किसी भी राशि को ऐसे निर्धारण वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है.
Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year/s amount outstanding against, such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination.

जब अंतिम समाधान अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य व बट्टे खाते डाला गया समझा जाता है.
Other Debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.

ख. निवेश पर ब्याज आय को बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को हिसाब में लेते हुए समयानुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है. इसे अन्य आय में शामिल किया जाता है.

b. Interest income on investment recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the applicable interest rate. It is included in other income.

xii. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd

(i) प्रीमियम आय:
Premium Income:

गैर-संबद्ध कारोबार के लिए, प्रीमियम (सेवा कर घटाकर) को देय होने पर आय के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. व्यपगत पॉलिसियों के प्रीमियम को इन पॉलिसियों के फिर से सक्रिय होने पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
For non-linked business, premium (net of service tax) is recognized as income when due. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated.

गैर-संबद्ध परिवर्ती बीमा कारोबार के लिए प्रीमियम को प्राप्ति तारीख पर आय माना जाता है.
For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt.

संराशीकृत प्रीमियम को संराशीकरण वर्ष में देय माना जाता है और उसे नवीकरण प्रीमियम माना जाता है.
Commuted premium is considered as due in the year of commutation and is considered as renewal premium.

टॉप अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है.
Top up premiums are considered as single premium.

संबद्ध कारोबार के लिए, संबद्ध यूनिटों के आबंटन पर प्रीमियम को आय माना जाता है.
For linked business, premium is recognized as income when the associated units are allotted.

(ii) संबद्ध निधि से आय:
Income from Linked fund:

संबद्ध निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, नीति प्रशासन प्रभार, बीमा की लागत आदि शामिल हैं, को बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूला जाता है और उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, cost of insurance, etc. are recovered from the linked fund in accordance with terms and conditions of policy and are accounted on accrual basis.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(iii) निवेशों पर अर्जित आय:
Income Earned on Investments:

निवेशों पर ब्याज आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है. बट्टे का उपचय और ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध प्रीमियम के परिशोधन का निर्धारण सीधी रेखा आधार पर धारिता / परिपक्वता अवधि के बाद किया जाता है.
Interest income on investments is recognized on accrual basis. Accretion of discount and amortization of premium relating to debt securities is recognized over the holding/maturity period on a straight-line basis.

बीमा पॉलिसियों पर ऋण से अर्जित ब्याज आय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है तथा इसे निवेशों पर ब्याज आय में शामिल किया जाता है.
Interest income earned on loan against insurance policies is recognized on accrual basis and is included in interest income on investments.

लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.
Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

संबद्ध कारोबार के अलावा ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल व परिशोधन लागत के बीच का अंतर होती है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.
Profit or loss on sale of debt securities for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

संबद्ध कारोबार के अलावा इक्विटी शेयरों व म्यूचुअल फंड यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है तथा इसमें पूर्व में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत निर्धारित उचित मूल्य के संचयी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है.
Profit or Loss on sale of equity shares and mutual funds units for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale and includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under “Fair Value Change Account”.

संबद्ध कारोबार के लिए धारित निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.
Profit or loss on sale of investment held for linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

(iv) शुल्क और प्रभार
Fees and Charges

आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार पॉलिसीधारकों की अदावी राशि से प्रशासन तथा निधि प्रबंधन व्ययों की वसूली का हिसाब उपचित आधार पर किया जाता है.
Recovery towards administration and fund management expenses from the Unclaimed Amount of Policyholders in accordance with IRDAI regulations is accounted on accrual basis.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(v) पुनर्बीमा प्रीमियम:
Reinsurance premium:

पुनर्बीमा की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुए समझौते या सिद्धांततः व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय का निर्धारण करते समय हिसाब में ली जाती है. किए गए पुनर्बीमा पर लाभ या कमीशन पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम में से घटाया जाता है.

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit or commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

5. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में:
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd:

i. अर्जन लागत
Acquisition Costs:

अर्जन लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो भिन्न-भिन्न होती हैं और प्राथमिक रूप से बीमा संविदा के अर्जन से जुड़ी होती हैं तथा ये उसी अवधि में व्यय की जाती हैं, जिस अवधि में उपगत होती हैं.

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

ii. प्रदत्त लाभ
Benefits Paid:

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ का दावा निपटान, यदि कोई हो, शामिल है.

मृत्यु, राइडर एवं अभ्यर्पण दावे सूचना मिलने के बाद हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे व परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं.

संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत किए गए आहरण एवं अभ्यर्पण सहबद्ध यूनिटों के निरस्त होने पर संबंधित योजनाओं में हिसाब में लिए जाते हैं.

दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों की अवधि में ही हिसाब में ली जाती हैं.

Benefits paid comprise of policy benefits and claim settlement costs, if any.

Death, rider, withdrawals and surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted when due.

Withdrawals & Surrenders under linked policies are accounted in the respective schemes when the associated units are cancelled.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

iii. बीमांकिक देयता मूल्यांकन:
Actuarial liability valuation:

जीवन बीमा के मामले में प्रवर्तनशील बीमा पॉलिसियों के संबंध में तथा ऐसी पॉलिसियों के संबंध में जहाँ प्रीमियम तो जारी नहीं है, लेकिन देयता विद्यमान है, उनके संबंध में बीमांकिक देयता का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा स्वीकार्य बीमांकक प्रथाओं, बीमा अधिनियम,

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

1938, बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित, इरडा विनियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों व भारतीय बीमांकक संस्थान के बीमांकक प्रथा मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सकल प्रीमियम पद्धति से किया जाता है. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत देयताएं यूनिटों के मूल्य व मृत्यु एवं रुग्णता जोखिमों के संबंध में भावी गैर यूनिट रिज़र्व का योग करने के बाद पॉलिसी प्रभार घटाकर निकाली जाती हैं

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, IRDA regulations and circulars issued from time to time and the Actuarial Practice Standards of the Institute of Actuaries of India. Liabilities under unit linked policies are the sum of the value of units and the prospective non unit reserve in respect of mortality and morbidity risks and future policy expenses, less policy charges.

6. अग्रिम और प्रावधान :
Advances and Provisions:

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं और प्रबंधन के निर्णय के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI and additional provisions as decided by the management. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.

Advances are classified as 'Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as 'Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the profit and loss account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.

The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित/ पुनःनिर्धारण ऋणों और अग्रिमों को बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक, बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय बफर बनाता है और इसका उपयोग सीमाओं और रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत परिस्थितियों के भीतर करता है..

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Bank had made countercyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, amended from time to time, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

7. निवेश:
Investments:

I. आईडीबीआई बैंक के मामले में
In case of IDBI Bank Ltd

अ. वर्गीकरण:
A. Classification:

निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:
In terms of extant guidelines of the RBI on Investment classification and Valuation, the entire investment portfolio is categorized as:

i. परिपक्वता तक धारित
Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा
Available For Sale and

iii. ट्रेडिंग के लिए धारित
Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुन:वर्गीकृत किया जाता है.
Investments under each category are further classified as:

i. सरकारी प्रतिभूतियां
Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
Other Approved Securities

iii. शेयर
Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड
Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ. वर्गीकरण का आधार:
B. Basis of Classification:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'ट्रेडिंग के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है.

d) An investment is classified as 'Held to Maturity', 'Available for Sale' or 'Held for Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in subsidiaries, joint venture are classified as 'Held to Maturity'.

इ. मूल्यांकन :
C. Valuation:

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में:
In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the acquisition cost/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint venture under this category is provided for each investment individually.

iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.

Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, are ignored.

क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन बट्टाकृत लिखत होने के कारण रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.

ख) ट्रेड/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड्स/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों को मूल्य बाजार कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / ट्रेड न की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ एफआईएमएमडीए के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित कीमत पर किया जाता है.

c) The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA).

घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी के आधार पर निकाला जाता है और म्यूचुअल फंड के यूनिटों का मूल्य रिज़र्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है.

d) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at ₹ 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.

ङ) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर व वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

e) The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting period end.

छ) उद्भूत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्भूत / ट्रेड न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को परिपक्वता पर उचित प्रतिफल द्वारा मूल्यांकित किया जाता है जो रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा.

g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है, उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है.

Investments are shown net of provisions.

ई. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन :
D. Repo and reverse repo transactions:

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों को छोड़कर) रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (excluding transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

रिज़र्व बैंक से एलएएफ एवं एमएसएफ के अंतर्गत किए गए रेपो लेन-देन के संबंध में रिज़र्व बैंक से उधार ली गई राशि को निवेश खाते में जमा कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है. इस पर लगने वाली लागत को ब्याज व्यय माना जाता है. एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो लेन-देनों के संबंध में रिज़र्व बैंक को दी गई राशि निवेश खाते में नामे कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स कर दी जाती है. इस पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

In respect of repo transactions under LAF and MSF with RBI, amount borrowed from RBI is credited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Costs thereon are accounted for as interest expense. In respect of reverse repo transactions under LAF, amount lent to RBI is debited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Revenues thereon are accounted as interest income.

II. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में,
In case of IDBI Assets Management Ltd,

ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हैं और ऐसे निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किए जाने हैं, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है.तथापि, निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, के संबंध में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है. ऐसे घटाव का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग किया जाता है.

Investments which are readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date, on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as long term investments. Current investments are carried at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investments are carried at cost. However, provision for diminution is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually.

III. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में
In case of IDBI Trusteeship Services Ltd,

ऐसे सभी निवेश जो लंबे समय से धारित हैं, उन्हें गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते हैं. दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप से भिन्न कमी को दर्शाया जाता है.

All investments which are held, since a long period, same are classified as Non Current Investments. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognized, if considered other than temporary.

IV. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में
In case of IDBI Capital Market Services Ltd

क. निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के जरिए आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अर्जित तथा धारित प्रतिभूतियों, अन्य वित्तीय आस्तियों का गैर चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अर्जन लागत पर किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश कम लागत या बाजार मूल्य पर किया जाता है. मार्केट मेकर के रूप में बाजार निर्माण प्रक्रिया में अर्जित प्रतिभूतियों को धारिता-अवधि पर ध्यान दिये बिना चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

a. Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as Current Investments irrespective of the period of holding.

ख. अल्पावधि धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है.

विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को कम लागत या बाजार/ उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सिर्फ एकमुश्त लेन-देनों पर विचार करते हुए भारित औसत प्रणाली का अनुसरण कर लागत निकाली जाती है. बाजार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाजार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर आय-प्राप्ति के संदर्भ में और इक्विटी के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है.

b. Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.

Securities held as stock-in-trade category wise are valued at lower of cost or market/fair value. Cost is derived by following the weighted average method considering only outright transactions. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available balance sheet. Each security is valued individually. The depreciation, if any, for each security is provided and the appreciation, if any, is ignored.

ग. निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.

c. Premium paid on government securities held as investment is amortized over the tenor of the instrument.

V. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd

i. बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2016 और आईआरडीए द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं.

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938 as amended by, Insurance Law (Amendment) Act, 2015, the IRDAI (Investment) Regulations, 2016, and various other circulars / notifications and amendments issued by the IRDA in this context from time to time.

ii. निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें दलाली तथा कर, यदि कोई हों, शामिल किए जाते हैं और उपचित ब्याज शामिल नहीं किए जाते हैं

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and taxes, if any, and excludes accrued interest.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अ) वर्गीकरण:
A) Classification:

i. तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीनों में निपटाने के विशेष अभिप्राय से किए गए निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Investments maturing within twelve months from the balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the balance sheet date are classified as short term investments.

ii. अल्पकालिक निवेशों के अलावा अन्य निवेशों को दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Investments other than short-term investments are classified as long-term investments.

आ) मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेश
B) Valuation – shareholders' investments and non-linked policyholders' investments

i. सभी ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और वे तदनुसार परंपरागत लागत पर दर्शायी जाती हैं जो सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिपक्वता/ धारिता अवधि के दौरान प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट पर वृद्धि के अधीन हैं.
All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

ii. तुलन पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')'- प्राथमिक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित किया जाता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे उसके उचित मूल्य पर 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' - द्वितीयक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों को तुलन-पत्र की तारीख को पिछले दिन के शुद्ध आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.
Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units as at the balance sheet date are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision for diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iii. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण न लिए गए लाभ/ हानि को "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" में लिया जाता है और तुलन-पत्र में आगे ले जाया जाता है.
Unrealized gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units are taken to "Fair Value Change Account" and carried forward in the balance sheet.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iv. किसी भी ह्रास हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे में उतना व्यय समझा जाता है, जितना कि प्रतिभूति या निवेश के पुनर्मूल्यांकित उचित मूल्य व राजस्व या लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी भी पूर्व ह्रासित हानि द्वारा कम की गई इसकी अर्जन लागत के बीच का अंतर होता है. पूर्व में अभिनिर्धारित किसी भी ह्रासित हानि के प्रतिवर्तन को राजस्व या लाभ-हानि लेखों में दर्शाया जाता है.

Any impairment loss is recognized as an expense in Revenue or Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security or investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognized as expense in Revenue or Profit and Loss Account. Any reversal of previously recognized impairment loss is recognized in Revenue or Profit and Loss Account.

इ) मूल्यांकन - संबद्ध कारोबार

C) Valuation - linked business

i. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों के आधार पर किया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रेटिंग एजेंसी द्वारा दैनिक आधार पर जारी किए जाने वाले प्रतिफल मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए उचित मूल्य आधार पर किया जाता है.

Government Securities are valued at prices obtained from Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Debt Securities other than Government Securities are valued at Fair Value using Yield Matrix for Bonds released by Rating Agency, on a daily basis.

ii. मनी मार्केट लिखतों अर्थात् जमा प्रमाणपत्र, संपार्श्विक उधार तथा उधार लेन-देन संबंधी दायित्व का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जो धारिता/ परिपक्वता अवधि पर सीधी रेखा आधार पर बट्टे की अभिवृद्धि या प्रीमियम के परिशोधन के अधीन होता है. अन्य मुद्रा बाजार लिखतों जैसे वाणिज्यिक कागजातों, ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रतिफल वक्र / एफ़आईएमएमडीए से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है.

Money Market Instruments i.e. Certificate of Deposit, Collateral Borrowing and Lending Obligation are valued at cost, subject to accretion of discount or amortization of premium over the holding/maturity period on a straight line basis. Other Money Market instruments like Commercial Papers, Treasury Bills are valued based on yield curve / at prices obtained from FIMMDA in line with IRDAI guidelines.

iii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर अंकित किया जाता है जो प्राथमिक एक्सचेंज - 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' पर उद्धृत अंतिम भाव होता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे सेकेन्डरी एक्सचेंज - 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' पर उद्धृत बंद भाव को उचित मूल्य माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision of diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iv. निवेश पर न लिए गए लाभ/ हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है.
Unrealized gains/losses on investments are recognized in the respective fund's Revenue Account.

ई) निवेशों का अंतरण
D) Transfer of investments

निवेशों का शेयरधारकों की निधि से पॉलिसीधारकों की निधि में अंतरण रखाव राशि या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है. तथापि ऋण प्रतिभूति के मामले में सभी अंतरण निवल परिशोधनकृत लागत पर किए जाते हैं. यूनिट संबद्ध निधियों के निवेशों में अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाता है.
Transfer of investments from Shareholders' Fund to the Policyholders' Fund is at carrying amount or market price, whichever is lower. However in case of debt securities all transfers are carried out at the net amortized cost. Transfer of investments between unit linked funds is done at market price.

8 डेरिवेटिव लेन-देन:
Derivative Transactions:

अ. 'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में :
A. In Transactions designated as 'Hedge':

i. डेरिवेटिव लेन-देन पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ii. हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.
On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognized over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

iii. अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.
Re designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

iv. हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ. 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:
B. In Transactions designated as 'Trading':

i. 'ट्रेडिंग के लिए' नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप,परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

ii. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ़) खंड में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit & Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

इ. फ़्यूचर्स एवं ऑप्शन में लेन-देन
C. Transactions in Futures and Options

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में
In case of IDBI Capital Market Services Ltd,

i. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में फ़्यूचर्स कांट्रैक्ट/ ऑप्शन बिक्री के समय देय प्रारंभिक मार्जिन राशि एक्सचेंजों में सावधि जमा, नकदी जमा व प्रतिभूतियों के रूप में जमाराशियों से समायोजित की जाती है.
Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

ii. फ़्यूचर्स कांट्रैक्ट में लेन-देनों को संविदा के कल्पित ट्रेड मूल्य पर खरीद एवं बिक्री के रूप में शामिल किया जाता है. तुलन-पत्र की तारीख को फ़्यूचर्स की खुली संविदा को उसके कल्पित मूल्य द्वारा समायोजित कर दिया जाता है.
Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.

iii. निपटान मूल्य अथवा विगत दिवस के एक्सचेंज के बंद भाव व अगले दिन के एक्सचेंज के बंद भाव के अंतर के कारण एक्सचेंज को अदा की गई या प्राप्त की गई राशि को मार्क-टू-मार्केट मार्जिन के रूप में चिह्नित किया जाता है. मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते की शेष राशि तुलनपत्र की तारीख तक फ़्यूचर्स कांट्रैक्ट के खुली संविदा के मूल्य में घट-बढ़ के फलस्वरूप अदा की गई या प्राप्त की गई निवल राशि होती है. मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते की निवल नामे शेष राशि राजस्व को प्रभारित की जाती है, जबकि निवल जमा शेष राशि को चालू देयताओं में दर्शाया जाता है.
The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.

iv. ऑप्शनों के क्रय-विक्रय पर अदा की गई या प्राप्त की गई प्रीमियम तथा ऑप्शन के प्रयोग के चलते अदा या प्राप्त की गई अंतर राशि को खरीद या बिक्री के हिसाब में लिया जाता है. तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार बेचे गए ऑप्शनों के खुली संविदा के मामले में ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से तुलन-पत्र की तारीख को लागू प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है. तुलन पत्र में लागू प्रीमियम के मुकाबले प्राप्त प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उसे निर्धारित नहीं किया जाता है. इसी प्रकार ऑप्शन खरीदी के मामले में ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से तुलन-पत्र की तारीख को लागू प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है किंतु तुलन-पत्र में लागू प्रीमियम के मुकाबले प्राप्त प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उसे अनदेखा किया जाता है. बहुविध खुली स्थितियों के मामले में क्रय व विक्रय, दोनों ही स्थितियों में प्रावधान किया जाता है या शेष राशियों का समंजन करके अतिरिक्त प्रीमियम को अनदेखा किया जाता है.
Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognized. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

ई. ब्याज दर स्वैप
D. Interest Rate Swaps

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में प्राथमिक डीलरशिप परिचालनों के संबंध में बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की कल्पित प्राथमिक राशि में से संबंधित आस्तियों और देयताओं को घटाया जाता है. ब्याज दर स्वैप में लाभ या हानि को संविदा की शर्तों के अनुसार देय तारीख को हिसाब में लिया जाता है.
In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

9. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण) एवं मूल्यह्रास:
Fixed Assets (Property, Plant & Equipments) and depreciation:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि के रूप में दर्शाया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iii. पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

iv. अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है और उसे लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued and the same is charged to Profit and Loss account.

v. पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

vi. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

vii. मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी में उपबंधित अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाता है. मूल्यह्रास और परिशोधन पद्धति, उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of useful lives of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimate of useful life / remaining useful life.

viii. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अविध के लिए लगाया जाता है
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held

ix. अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:
The useful lives of Fixed assets are as follows:

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आस्ति / Asset	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) / Estimated Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी /Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन /Motor vehicles	8
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) / Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वीसैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	5
क) फर्नीचर और जुड़नार a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

x. लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease.

xi. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 6 वर्ष होती है.
Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 Lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में-
B. In case of IDBI Assets Management Ltd.

i. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास और ह्रास को घटाकर अर्जन लागत पर दर्शाया जाता है. लागत मूल्य में आस्तियों के अर्जन एवं संस्थापन से संबंधित मालभाड़ा, शुल्क, कर और प्रासंगिक व्यय शामिल होते हैं. प्रयोग में लाई जा रही आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इन आस्तियों से भविष्य में लाभ/ कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि की संभावना हो. मौजूदा अचल आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव और कलपुर्जों के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है.
Fixed assets are carried at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment. Cost includes freight, duties, taxes, and incidental expenses related to the acquisition and installation of the assets. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. All expenses on existing fixed assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged as revenue in the period in which they are incurred.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया जाता है. आस्तियों के मूल्यह्रास की दरें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को विचार में लेने के बाद तय की गई हैं. प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल कम है तो मूल्यह्रास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर ऊँची दर पर किया जाता है. इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया:

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per schedule II of the Companies Act 2013. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

अचल आस्तियों की श्रेणी / Class of Fixed Assets	मूल्यह्रास की दर (% में) - एसएलएम आधार पर (1 अप्रैल 2015 से लागू) Rate of Depreciation (In%)- SLM basis (applicable from April 01, 2015)
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & Fixtures	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	19.00
आईटी हार्डवेयर /IT Hardware	33.33
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with Employees	33.33

iii. एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से अधिक की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को 5 वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है, एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से कम की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय / अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

Computer software individually costing more than ₹ 2.50 lakhs is capitalized and depreciated over a period of 5 years, Computer software individually costing less than ₹ 2.50 lakhs is fully depreciated in the year of purchase/acquisition.

iv. कंपनी आस्ति के उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्ति के लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है.

The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale.

v. एकल रूप से ₹ 5000 या उससे कम की लागत वाली अचल आस्तियों को क्रय/ अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

Fixed assets, other than software, individually costing ₹ 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase / acquisition.

इ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, अचल आस्तियों को उनकी अर्जन लागत और उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने की लागत पर संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है. बेचे गए सॉफ्टवेयरों, जिन पर स्वामित्व अधिकार

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

कंपनी के पास है, को लागत पर पूंजीकृत किया गया है. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर इस प्रकार से किया जाता है कि आस्तियों का उनके उपयोगी जीवनकाल के दौरान मूल्यह्रास हो जाता है. अचल आस्तियों के परिवर्धन / से घटाव पर मूल्यह्रास ऐसे परिवर्धन/घटाव, जो भी मामला हो, की तारीख से/तक आनुपातिक आधार पर किया जाता है. मोबाइल हैंडसेटों को 3 वर्षों के उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है. एएस 26 के अनुसरण में अमूर्त आस्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को 5 वर्ष की अवधि के दौरान समान रूप से परिशोधित किया जाता है.

C. In case of IDBI Intech Ltd, Fixed assets are stated at cost of acquisition, including any cost attributable for bringing the asset to its working condition for its intended use, less accumulated depreciation. The Software sold, on which propriety rights continue with the company, are capitalized at cost. Depreciation on fixed assets is provided on the basis of Straight Line Method, as per Schedule II to the Companies Act, 2013, such that the assets are depreciated over their useful life. Depreciation on additions to/ deletions from fixed assets is provided on pro rata basis from / up to the date of such addition/deletion as the case may be. Mobile handsets are depreciated over usefull life of 3 years. Intangible Assets (Computer Software) are amortised equally over a period of five years in compliance with AS 26.

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में,

D. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd,

i. अचल आस्तियों को अर्जन की मूल लागत तथा उनके अर्जन के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यह्रास निर्धारित दर पर अवलिखित आधार पर प्रभारित किया जाता है. आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान के लिए ऐसे निपटानों की तारीख तक किया जाता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II की अपेक्षा के अनुसार कम लागत वाली अलग-अलग आस्तियों (₹ 5000 से कम राशि में अर्जित) को उनके अर्जन के वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है.

Fixed assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written down Value basis as prescribed under of schedule II of the Companies Act 2013. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired for less than Rs. 5,000/-) are depreciated in the year of acquisition as per the requirement of schedule II of the Companies Act 2013

ii. लेखांकन मानक एएस 26 के अनुसरण में आस्तियों को संचित परिशोधन घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है. अमूर्त आस्तियों का परिशोधन आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है.

In accordance with Accounting Standard AS-26,Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization. Amortization of intangible assets is provided on Written Down Value method on the basis of estimated useful life of the asset.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लि. के मामले में

E. In case of IDBI Capital Market Services Ltd,

मूर्त आस्तियों के मामले में संपत्ति की मदें , संयंत्र और उपकरण की पहचान आरंभ में लागत पर की जाती है और तत्पश्चात संचित मूल्यह्रास तथा हानि को घटाकर मूल लागत पर की जाती है. संपत्ति की मदों , संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास की गणना कंपनी

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके आकलित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्य ह्रासित राशि पर सीधी रेखा पद्धति के द्वारा निम्नानुसार की जाती है.

In case of Tangible Assets, Items of property, plant and equipment are initially recognised at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation on items of property, plant and equipment is calculated using the straight-line method to allocate their depreciable amounts over their estimated useful lives as specified in Schedule II to the Companies Act as follows:

भवन - 60 वर्ष
Buildings – 60 years

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - 3 वर्ष
Computers – 3 years.

फर्नीचर एवं फिक्सचर - 10 वर्ष
Furniture& Fixtures – 10 years

कार्यालय उपकरण - 5 वर्ष
Office Equipments – 5 years

सभी मूर्त आस्तियों को अर्जन के वर्ष में 5000 रु. से कम मूल्य की एकल आस्तियों तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.

All Tangible Assets having individual value of less than Rs.5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

अमूर्त आस्तियों के मामले में अर्जित कम्प्यूटर सॉफ्टवेर लाइसेंसों को आरंभ में लागत पर पूंजीकृत किया जाता है जिसमें खरीदी मूल्य (किसी भी छूट अथवा रिबेट) और आस्ति को उसके नियत प्रयोग के लिए तैयार करने हेतु लगे अन्य प्रत्यक्ष रोप्य लागत को शामिल किया जाता है. सॉफ्टवेर की मूल लागत में प्रत्यक्ष व्यय जो कम्प्यूटर सॉफ्टवेर के कार्यनिष्पादन को बढ़ाता और विस्तारित करता हो और जिसे उसके ब्योरे से आगे और विश्वसनीय रूप से आँका जा सकता है को शामिल किया जाता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रखरखाव से संबंधित खर्च वहन किए जाने पर उसे व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है.

In case of Intangible Assets, Acquired computer software licences are initially capitalised at cost, which includes the purchase price (net of any discounts and rebates) and other directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Direct expenditure which enhances or extends the performance of computer software beyond its specifications and which can be reliably measured, is added to the original cost of the software. Costs associated with maintaining the computer software are recognised as an expense when incurred.

पूंजीकरण हेतु पात्र सॉफ्टवेर विकास पर व्यय को विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों के रूप में लिया जाता है जहां पर कि ऐसी आस्तियां उनके नियत उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं .

Expenditure on software development eligible for capitalisation are carried as Intangible assets under development where such assets are not yet ready for their intended use.

अमूर्त आस्तियों को सीधी पद्धति आधार पर उनके आंकलित उपयोगी मूल्य पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधन हेतु प्रयोग अमूर्त आस्तियों का आकलित उपयोगी मूल्य है:

Intangible assets are amortized on a straight line basis over their estimated useful lives. The estimated useful lives of intangible assets used for amortization are:

कम्प्यूटर सॉफ्टवेर -3 वर्ष
Computer Software -3 years

वेब ट्रेडिंग पोर्टल - 3 वर्ष
Web Trading Portal – 3 years

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज कार्ड - 21 वर्ष
Bombay Stock Exchange Card – 21 years

प्रबंधन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राइट के आर्थिक मूल्य का अनुमान उसके उपयोग मूल्य के आधार पर लगाता है.
Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use.

सभी अमूर्त आस्तियों को अर्जन के वर्ष में 5000 रु से कम मूल्य की एकल आस्तियों तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.
All Intangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का आकलित उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा और समायोजन यथा उपयुक्त रूप से प्रत्येक तुलन-पत्र में की जाती है. किसी भी प्रकार के संशोधन के प्रभावों को परिवर्तनों के उत्पन्न होने पर लाभ व हानि विवरणो में दर्शाया जाता है.
The residual values and estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted as appropriate, at each balance sheet date. The effects of any revision are recognised in profit or loss when the changes arise.

ऊ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फ़ेडरल लाइफ इंश्योरेस कंपनी लि. के मामले में,
F. In case of Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd,

i. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और उस आस्ति को उसके उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपगत कोई भी लागत शामिल हैं. मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट किए गए पद्धति से आस्ति के प्रत्येक श्रेणी के लिए अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अर्जन की तारीख से / बिक्री की तारीख तक आनुपातिक रूप में सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है :
Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost includes the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. The Depreciation is provided using Straight Line Method ('SLM') prorated from the date of acquisition/up to the date of sale, based on estimated useful life for each class of asset in the manner specified in Schedule II of the Companies Act, 2013, as stated below:

आस्ति / Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) / Useful Life (in Years)
भवन / Building	60
पट्टाधृत उन्नयन / Leasehold improvements	3
संचार नेटवर्क और सर्वर Communication networks and servers	6
कंप्यूटर तथा पेरिफेरल उपकरण Computers and peripheral equipments	3
कार्यालय उपकरण / Office equipment	5
फर्नीचर एवं फिक्सचर / Furniture & fixtures	10
मोटर वाहन / Motor Vehicles	8
बिजली व उपकरण Electrical Installations and Equipments	10

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. सॉफ्टवेयर युक्त अमूर्त आस्तियों को परिशोधन घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. इन्हें इनके उपयोग की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है. सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण उन्नयनों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित होता है कि इस प्रकार का उन्नयन आस्ति को उसके मूल रूप से निर्धारित मानकों से अधिक भावी आर्थिक लाभ उत्पन्न करने में समर्थ बनाएगी और इस प्रकार का व्यय विश्वसनीय ढंग से आंका और आस्ति पर जोड़ा जा सकता है. अनुवर्ती व्ययों का परिशोधन सॉफ्टवेयर के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान किया जाता है. सॉफ्टवेयर के सपोर्ट तथा रख-रखाव के व्ययों को उस अवधि के राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें वे उपगत होते हैं.

Intangible assets comprising software are stated at cost less amortization. These are amortized using Straight Line Method over a period of 3 years from the date of being put to use. Significant improvements to software are capitalized when it is probable that such improvement will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably. Subsequent expenditures are amortized over the remaining useful life of the software. The expenses for support and maintenance of software are charged to Revenue Account in the period in which they are incurred.

10. प्रतिभूतिकरण लेन-देन:
Securitization Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं ('एसपीवी') को बिक्री की जाती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control of the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

11. प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री
Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies:

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के कमतर शोधन मूल्य तथा वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य के आधार पर की जाती है.

Sale of financial assets to Securitization Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

अनर्जक आस्तियों की बिक्री के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य से धारित प्रावधान घटाकर) से कम मूल्य पर हो तो कमी को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता हैं साथ ही रिज़र्व बैंक के दिनांक 13.06.2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार, कमी को बिक्री की तिमाही से 4 तिमाहियों के भीतर परिशोधित किया जाता है.

In accordance with RBI guidelines on Sale of Non-performing Advances, in case the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e book value less provision held), the shortfall is charged to profit and loss account. Further, as per the extant RBI guidelines dated 13.06.2016, shortfall is amortised over a period of 4 quarters from the quarter in which the sale has taken place.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ-हानि खाते में राशि के प्राप्त होने वाले वर्ष में ही लौटाया जाता है. इसके अलावा अतिरिक्त प्रावधान की प्रतिवर्ती आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक प्राप्त नकदी तक सीमित होगी.
In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

12. विदेशी मुद्रा लेन-देन
Foreign Currency Transactions:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.
Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the profit and loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं की गई हैं, के शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.
Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are revalued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are included in the profit and loss account

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.
Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित औसत तिमाही बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as 'Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average closing rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के दौरान निपटान किए गए विदेशी मुद्रा लेन-देन के कारण होने वाले विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

B. In case of IDBI Assets Management Ltd, Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. Exchange difference, if any, arising out of the foreign exchange transactions settled during the year are recognized in the statement of Profit and Loss.

इ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम-आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया किया जाता है. विदेशी मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं, यदि कोई हों, का रूपांतरण वर्ष के अंत में समाप्त दर पर किया जाता है. निपटान/रूपांतरण पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे, जैसा लागू हो, में दर्शाया जाता है.

C. Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में, विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जाती है. उन पर उत्पन्न होने वाले तथा विदेशी मुद्रा वसूली/भुगतान पर होने वाले विनिमय अंतर को सम्बद्ध वर्ष के दौरान आय या व्यय के हिसाब में लिया जाता है.

D. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

उ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. विदेशी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित दर पर रूपांतरित किया जाता है. रूपांतरण के फलस्वरूप होनेवाले विनिमय दर अंतर को वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

E. In case of IDBI Intech Ltd, Transactions denominated in foreign currency are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transactions. Foreign monetary assets and liabilities are translated at the rate prevailing as on the date of balance sheet. The resulting exchange rate difference in translation are recognised in the Profit and Loss account for the year.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में विदेशी मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर बहियों में दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में मूल्यवर्गित सभी मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुनः दर्शाया जाता है. निपटान या लेन-देन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

F. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, Transactions in foreign currencies are recorded in the books by applying the exchange rates prevailing on the date of the transaction. All monetary items denominated in foreign currency assets and liabilities are restated at the exchange rate prevailing at the year end. Any income or expense on account of the exchange difference either on settlement or on transaction is recognized in the profit & loss account.

13. कर्मचारी लाभ
Employee Benefits:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. अंशदान के देय होने पर निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में किए गए भुगतान को वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.
Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्वलक्षित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है.
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

आ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, भविष्य निधि और ईएसआईसी में अंशदान का हिसाब उपचय के आधार पर रखा जाता है. कंपनी ने उपदान और छुट्टी नकादीकरण के भावी भुगतान के लिए एक न्यास का निर्माण किया है जिसका निधीकरण भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ किया जाता है. वार्षिक उपदान अंशदान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान के प्रयोजन के लिए निर्धारण अनुसार किया जाता है. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपदान संबंधी देयताओं का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. इस प्रकार की बीमांकिक रूप से निर्धारित देयता और निधि में किए गए अंशदान के बीच के अंतर को देयता/ आस्ति, जो भी मामला हो, के रूप में दर्शाया जाता है.

B. In case of IDBI Intech Ltd, Contribution to Provident Fund & ESIC is accounted on accrual Basis. The Company has created a trust for future payment of Gratuities & Leave Encashment, which is funded with Life Insurance Corporation of India (LIC). Annual Gratuity contributions are made as determined by LIC for purposes of payment. The liability for gratuity at the end of each financial year is determined based on actuarial valuation. The difference between such actuarially determined liability and contributions made to the fund is recognized as a liability / asset, as the case may be.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में,

C. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd,

नियोजन की शर्तों के अनुसार देय वर्तमान एवं भूतपूर्व सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभ, अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों, के लिए देयता ''भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)'' द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार दर्ज की जाती है.

Liability for employee benefits, both short and long term, for present and past services which are due as per the terms of employment are recorded in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the "Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)" .

निर्धारित अंशदान योजनाएं
Defined Contribution Schemes

क) भविष्य निधि
a) Provident Fund

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के अधीन पंजीकृत है. तदनुसार, कंपनी सरकारी प्राधिकरणों के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निधियों/ योजनाओं में कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे न्यूनतम अंशदान के बराबर अंशदान कर रही है. पात्र कर्मचारियों को सरकारी प्राधिकरणों से लाभ मिलता है. वर्ष के लिए देय अंशदान को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

The Company is registered under the provisions of Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and schemes framed there under. Accordingly, the Company is contributing, in equal share of minimum contribution as those of employees, to the funds/ schemes established under the Act to Government Authorities. The eligible employees receive benefits from Government Authorities. The contribution due for the year is charged to profit and loss account.

ख) उपदान
b) Gratuity

कंपनी रिपोर्टिंग की तारीख यथा 31 मार्च 2017 तक बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित ''द ट्रस्टीज़ आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. एम्प्लॉईज ग्रुप ग्रैच्युटी स्कीम'' नाम से उपदान प्रदान करती है. कंपनी को वार्षिक प्रीमियम अंशदान का भुगतान करना होता है. वर्ष के लिए इस प्रकार प्रदत्त/ भुगतान-योग्य प्रीमियम को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

The Company provides for gratuity, known as "The Trustees IDBI Trusteeship Services Ltd Employee's Group Gratuity Scheme" based on actuarial valuation as on reporting date 31st March, 2017. The Company is required to pay annual premium contributions. The premium so paid / payable for the year is recognised in profit and loss account.

ग) छुट्टी नकदीकरण
c) Leave Encashment

वार्षिक छुट्टी नकदीकरण की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है.

Annual Leave encashment is accounted on Actuarial valuation as per Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the ICAI.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में,
D. In case of IDBI Asset Management Ltd,

क) उपदान:
a) **Gratuity:**

उपदान देयता एक निर्धारित लाभ दायित्व है और इसका निधियन उपदान निधि के माध्यम से किया जाता है जिसका प्रशासन एवं प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है. कंपनी, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित भावी उपदान लाभ हेतु देयता की गणना पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति के प्रयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में करती है.
Gratuity liability is a defined benefit obligation and is funded through a Gratuity Fund administered and managed by the Life Insurance Corporation of India. The Company accounts for liability for future gratuity benefits based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method carried out as at the end of each financial year.

ख) भविष्य निधि:
b) **Provident fund:**

कंपनी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अंशदान करती है. अंशदान की गणना उपचय आधार पर की जाती है और इसे लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
The Company contributes to a recognized provident fund. The contributions are accounted for on an accrual basis and are recognized as an expense in the statement of profit and loss.

ग) अल्पावधि कर्मचारी लाभ:
c) **Short term employee benefits:**

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष के लाभ-हानि खाते के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
Short term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit & loss account of the year in which the services are rendered.

घ) प्रतिपूरित अनुपस्थिति:
d) **Compensated absences:**

कंपनी कुछ नियमों के अधीन विशेष छुट्टी नकदीकरण की व्यवस्था प्रदान करती है. कर्मचारियों को भावी नकदीकरण और छुट्टी लेने के लिए एक निर्धारित सीमा तक छुट्टी संचय करने का अधिकार है. इस देयता के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए जाने वाले स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तारीख में अप्रयुक्त छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर प्रदान की जाता है.
The company provides for Privilege Leave Encashment subject to certain rules. The employees are entitled to accumulate leave subject to certain limits for future encashment as well as availment. The liability is provided based on the number of days of unutilized leave at each balance sheet date on the basis of an independent actuarial valuation carried out as at the end of each financial year.

उ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
E. Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd,

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

i. उपदान के प्रति देयता को निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है और इसे तुलन पत्र तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति'' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है.
Liability towards Gratuity is considered as the defined benefit plan and is recognized on the basis of independent actuarial valuation on "Projected Unit Credit Method" at Balance Sheet date.

ii. नकदीकरण योग्य अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ के रूप में माना जाता है और इसे तुलन पत्र तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति'' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.
Earned Leave which is encashable is considered as long term benefit and is provided on the basis of independent actuarial valuation on "Project Unit Credit Method" at Balance Sheet date.

iii. सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, समूह मीयादी बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के रूप में लाभ को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और इसे कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने की अवधि के लिए प्रदत्त अथवा भुगतान-योग्य राशि के आधार पर दर्शाया जाता है.
The benefit in the form of contribution to the Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance and Employee Labour Welfare Fund are considered as the defined contribution plans and are recognized on the basis of the amount paid or payable for the period during which services are rendered by the employees.

ऊ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में,
F. In case of IDBI Capital Market Services Ltd,

i. कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ के कारण भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के रूप में किए गए अंशदान को राजस्व में प्रभारित किया जाता है. कंपनी की उपदान और छुट्टी नकदीकरण संबंधी देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम को वार्षिक अंशदान का भुगतान किया जाता है.
The Company's contribution on account of retirement benefits in the form of Provident Fund and Superannuation Fund is charged to revenue. The gratuity and leave encashment liability of the company are covered under the scheme with Life Insurance Corporation of India and the yearly contribution is paid to LIC.

ii. भविष्य निधि एक निर्धारित अंशदान योजना है और संबंधित निधि में अंशदान के देय होने पर अंशदान को वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
Provident Fund is a defined contribution scheme and the contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due.

iii. कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम की अनुमोदित समूह उपदान पॉलिसी में अंशदान करती है. उपदान संबंधी देयता निर्धारित लाभ दायित्व है और इसके लिए पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एएस 15 (संशोधित) के अनुसार किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.
The Company contributes to an approved Group Gratuity Policy with the LIC of India. Gratuity liability are defined benefit obligations and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year based on the projected unit credit method.

iv. कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह छुट्टी नकदीकरण पॉलिसी में अंशदान करती है. अल्पावधि क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के लिए अनुमानों के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Company contributes to the Group Leave Encashment Policy with the LIC of India. Short term compensated absences are provided for based on estimates.

v. बीमांकिक लाभों/ हानियों को तुरंत लाभ-हानि लेखे में डाल दिया जाता है और इन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है.
Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

14. खंड रिपोर्टिंग
Segment Reporting:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Ltd,

बैंक तीन खंडों यथा- होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाएं में कार्य करता है. इन खंडों का निर्धारण एएस-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं के स्वरूप व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury services. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों व देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जिन आस्तियों व देयताओं को अभिनिर्धारणीय खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया गया है

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

आ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.,

B. Life Insurance Joint Venture – IDBI Federal Life Insurance Company Ltd,

i. आईसीएआई द्वारा जारी ''खंडवार रिपोर्टिंग'' पर एएस-17 के साथ पठित आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 ('विनियम') के अधीन अभिनिर्धारित प्राथमिक खंडों के आधार पर कंपनी ने खंडवार सूचना को शेयरधारक एवं पॉलिसीधारक - सहभागिता (जीवन), गैर सहभागिता (जीवन, पेंशन, स्वास्थ्य एवं समूह), परिवर्तनीय गैर-संबद्ध (पेंशन एवं समूह) और संबद्ध (जीवन एवं पेंशन) कारोबार के रूप में वर्गीकृत और प्रकटन किया है.

Based on the primary segments identified under IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations 2002 ('the Regulations') read with AS-17 on "Segmental Reporting" issued by ICAI, the Company has classified and disclosed segmental information into Shareholder & Policyholder – Participating (Life), Non Participating (Life, Pension, Health & Group), Variable Non-Linked (Pension & Group) and Linked (Life & Pension) businesses.

ii. चूंकि कंपनी का कारोबार परिचालन भारत में प्रभावी है और सभी पॉलिसियां भारत में ही लिखित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.

There are no reportable geographical segments, since the business operations of the Company are given effect to in India and all the policies are written in India only.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. आबंटन कार्यप्रणाली
Allocation methodology

राजस्व और व्यय, आस्तियां और देयताएं जो प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य और संबंधित खंडों के लिए निर्धारणीय योग्य हैं उन्हें उन संबंधित खंडों के लिए सीधे आबंटित किया गया है.
Revenues and expenses, assets and liabilities which are directly attributable and identifiable to the respective segments, are directly allocated for in that respective segment.

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्ययों को निम्नलिखित पद्धति से विशिष्ट कारोबार खंडों को आबंटित किया गया है जो नियमित आधार पर लागू है.
Operating expenses relating to insurance business are allocated to specific business segments in the following manner, which is applied on a consistent basis.

क. खंड में प्रत्यक्ष अभिनिर्धारण योग्य व्ययों का आबंटन वास्तविक आधार पर किया जाता है.
a. Expenses that are directly identifiable to the segment are allocated on actual basis.

ख. अन्य व्यय (मूल्य ह्रास और परिशोधन सहित), जो कारोबार खंड में प्रत्यक्ष अभिनिर्धारण योग्य नहीं हैं, का आबंटन निम्न में से किसी एक आधार पर किया जाता है.
b. Other expenses (including depreciation and amortization), that are not directly identifiable to a business segment, are allocated on either of the following bases:

- जारी बीमा पॉलिसियों / प्रमाणपत्रों की संख्या
  Number of policies/certificate of insurance issued
- वार्षिक समतुल्य प्रीमियम
  Annual Premium Equivalent
- नया कारोबार कमीशन
  New Business Commission
- मृत्यु बीमाकृत राशि
  Death Sum Assured
- गणितीय रिजर्व
  Mathematical Reserves
- प्रवर्तमान पॉलिसियों की संख्या
  Number of policies in force
- नवीकरण प्रीमियम आय
  Renewal Premium income

आबंटन एवं प्रभाजन की पद्धति का निर्धारण व्यय की प्रकृति और विभिन्न कारोबारी खंडों से इसके तार्किक सह-संबंधों के आधार पर किया गया है. विभिन्न कारोबारी खंडों में व्ययों का आबंटन और प्रभाजन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार है.
The method of allocation and apportionment has been decided based on the nature of the expense and its logical co-relation with various business segments. The allocation and apportionment of expenses amongst various business segments is in accordance with Board approved policy.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

15. कराधान
Taxation:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.
Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है. इसकी गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार की जाती है.
Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है.
Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.
Deferred tax assets in case of unabsorbed losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.
Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

आ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में वर्ष के दौरान वर्तमान आयकर प्रावधान और आस्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल हैं. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं की गणना प्रचलित अधिनियमित कर दरों के आधार पर, लेखांकन अवधि की समाप्ति पर, संचित समय अंतराल पर की जाती है. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की गणना और उसके प्रावधान कर क़ानूनों के अनुसार किए जाते हैं जो भावी आयकर देयताओं के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक लाभ प्रदान करता है. युक्तियुक्त साक्ष्य होने पर कि कंपनी भविष्य में सामान्य कर अदा करेगी की स्थिति में इसे आस्ति के रूप में माना जाता है. तदनुसार इसकी संभावना होने पर कि इससे सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी के पास जाएगा और आस्ति का आकलन विश्वासपूर्वक किया जा सकता है, न्यूनतम वैकल्पिक कर को तुलन पत्र में आस्ति के रूप में दर्शाया जाता है.

B. In case of IDBI Intech Ltd, Income tax comprises the current tax provision and the change in the deferred tax asset or liability in the year. The deferred tax assets and liabilities are calculated on the accumulated timing difference at the end of an accounting period based on prevailing enacted tax rates. Minimum Alternative Tax (MAT) is worked out and provided in accordance to the tax laws, which gives future economic benefit in the form of adjustment

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

of future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the company will pay normal income tax in future. Accordingly, MAT is recognized as an asset in the balance sheet when it is probable that the future economic benefit associated with it will flow to the company and the asset can be measured reliably.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में वर्तमान कर का आकलन आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान की जानेवाली/ आयकर प्राधिकारियों से वसूल की जानेवाली अनुमानित राशि के आधार पर किया जाता है. समय अंतराल का कर प्रभाव, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय का अंतर है, एक या अधिक परवर्ती अवधियों में प्रतिवर्तन के लिए उपयुक्त होता है तथा इसे आस्थगित कर आस्ति या आस्थगित देयता के रूप में दर्ज किया जाता है. आस्थगित कर आस्ति और देयता समय अंतरालों के प्रति उत्तरदायी भावी कर परिणामों के लिए निर्धारित किए जाते हैं. इनका आकलन तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मौलिक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर विनियमों का प्रयोग करते हुए किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियां निर्धारित की जाती है और उचित निश्चयता की स्थिति में उस सीमा तक आगे ले जायी जाती हैं कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके एवज में आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी. तथापि, जहां अनवशोषित मूल्यह्रास और आगे ले जायी गई हानि हैं, आस्थगित कर आस्ति का सृजन केवल तभी किया जाता है जब आस्तियों के समाशोधन की वास्तविक निश्चयता हो. यह यथोचित रूप से और निश्चित न हो पाने पर कि पर्याप्त रूप से भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो पाएगी जिसके एवज में आस्थगित कर की वसूली की जा सकेगी, आस्थगित कर आस्तियों की रखाव राशि प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इस सीमा तक कम कर दी जाती है. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के संबंध में कर जमा का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त साक्ष्य के आधार पर इस शर्त के साथ किया जाता है कि कंपनी सांविधिक समय-सीमा के भीतर सामान्य आयकर का भुगतान करेगी तथा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इसकी समीक्षा की जाती है.

C. In case of IDBI Capital Market Services Ltd., Current tax is measured at the amount expected to be paid/ recovered from the tax authorities, in accordance with the Income Tax Act. The tax effect of the timing differences that result between taxable income and accounting income and are capable of reversal in one or more subsequent periods are recorded as a deferred tax asset or deferred tax liability. Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences attributable to timing differences. They are measured using the enacted or substantively enacted tax rates and tax regulations as at the balance sheet date. Deferred tax assets are recognised and carried forward only to the extent there is reasonable certainty that sufficient taxable income will be available in future, against which the deferred tax assets can be realized; however where there is unabsorbed depreciation and carried forward losses, deferred tax assets is created only if there is virtual certainty of realization of assets. The carrying amount of deferred tax assets at each balance sheet date is reduced to the extent that it is no longer reasonably certain that sufficient future taxable income will be available against which the deferred tax asset can be realized. Tax credit is recognized in respect of Minimum Alternate Tax (MAT) as per the provisions of Section 115JAA of the Income tax Act, 1961 based on convincing evidence that the Company will pay normal income tax within the statutory time frame and is reviewed at each balance sheet date.

ई. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम-आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ को ध्यान में रखते हुए संबंधित अवधि के लिए आयकर का प्रावधान किया जाता है. जीवन बीमा सेवा पर सेवा कर देयता का समंजन इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त कर से उपलब्ध सेवा कर जमाओं से किया जाता है. अप्रयुक्त जमाओं, यदि कोई हो, को समंजन के लिए आगे ले जाया जाता है.

D. Life Insurance Joint Venture - IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Provision for income tax for the period is made after taking into consideration the benefits admissible under the provisions of Income Tax Act, 1961. Service Tax liability on life insurance service is set-off against the service tax credits available from tax paid on input services. Unutilized credits, if any, are carried forward for set-off.

उ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट के मामले में आयकर व्यय में चालू कर (अर्थात् आयकर क़ानूनों के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर राशि), आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (संबन्धित अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतरालों के कर प्रभाव को दर्शाने वाले) शामिल हैं. चालू आयकर के लिए चालू कर प्रावधान भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

निर्धारित किया जाता है तथा कर भत्तों और रियायतों के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियां और देयताएँ समय अंतरालों के प्रति उत्तरदायी भावी कर परिणामों के लिए निर्धारित की जाती हैं जो आयकरों के लिए प्रस्तावित लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच के परिणाम होते हैं. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं के आकलन तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मौलिक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का प्रयोग करके किए जाते हैं. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में परिवर्तन के प्रभाव उस अवधि में मान्य होते हैं जिसमें अधिनियमन की तारीख शामिल होती है. युक्तियुक्त निश्चयता की स्थिति में आस्थगित कर आस्तियां उस सीमा तक निर्धारित की जाती हैं कि आस्तियों की वसूली भविष्य में की जा सके. तथापि, जहां कराधान क़ानूनों के अंतर्गत अनवशोषित अनर्जकता और आगे ले जायी गई हानि है, आस्थगित कर आस्तियां तभी निर्धारित की जाती हैं जब ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चयता हो. आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को उनके संबंधित रखाव मूल्य के औचित्य के आकलन के लिए किया जाता है.

E. In case of IDBI Asset Management Ltd, Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period). Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions. Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date. Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ के मामले में, वर्तमान वर्ष के लिए कर का निर्धारण वर्तमान कर कानूनों के आधार पर किया जाता है तथा वर्तमान वर्ष के लिए कर योग्य आय के बारे में देय कर लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. कर योग्य आय और लेखांकन आय में अंतर की वजह से समय अंतराल के कारण आस्थगित कर को दर्शाया जाता है जो कि एक अवधि में आरंभ होकर परवर्ती एक या अधिक अवधियों में प्रतिवर्तित हो सकते हैं. आस्थगित कर आस्ति निर्धारित की जाती है और वास्तविक निश्चयता के साथ केवल उस सीमा तक आगे ले जायी जाती है कि भविष्य में आस्ति की वसूली हो जाएगी. उन मामले में जहां युक्तियुक्त साक्ष्य द्वारा समर्थित कोई वास्तविक निश्चितता नहीं है, आस्थगित कर आस्ति लेखांकन बहियों में उपचित नहीं होती है.

F. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, Current year's tax is determined based on current tax laws and the amount of tax payable in respect of taxable income of the current year is provided in profit & loss account. Deferred tax is recognised on account of timing difference; being the difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the asset will be realized in future. In cases where there is no virtual uncertainty supported by convincing evidence, the Deferred tax asset is not accrued in books of accounts.

ए. आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कंपनी लि. के मामले में, आयकर व्यय में चालू कर (अर्थात् आयकर कानूनों के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर राशि), आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (संबंधित अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतरालों के कर प्रभाव को दर्शाने वाले) शामिल हैं. चालू आयकर के लिए चालू कर प्रावधान भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

के अनुसार निर्धारित किया जाता है तथा कर भत्तों और रियायतों के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है. आस्थगित कर, आस्थगित कर आस्तियां और देयताएँ समय अंतरालों के प्रति उत्तरदायी भावी कर परिणामों के लिए निर्धारित की जाती हैं जो आयकरों के लिए प्रस्तावित लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच के परिणाम होते हैं. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं के आकलन तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मौलिक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर क़ानूनों का प्रयोग करके किए जाते हैं. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में परिवर्तन के प्रभाव उस अवधि में मान्य होते हैं जिसमें अधिनियमन की तारीख शामिल होती है. युक्तियुक्त निश्चयता की स्थिति में आस्थगित कर आस्तियां उस सीमा तक निर्धारित की जाती हैं कि आस्तियों की वसूली भविष्य में की जा सके. तथापि, जहां कराधान क़ानूनों के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास या आगे ले जाई गई हानि है, आस्थगित कर आस्तियां तभी निर्धारित की जाती है जब ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चयता हो. आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को उनके संबंधित रखाव मूल्य के औचित्य आकलन के लिए किया जाता है.

G. In case of IDBI MF Trustee Company Ltd, Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period). Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions. Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date. Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

16. प्रारंभिक खर्च
Preliminary Expenses:

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., प्रारंभिक खर्चों का परिशोधन दस वर्षों की अवधि तक किया जाता है. इस प्रकार से प्रारंभिक खर्चों (जो वर्तमान में बट्टे खाते नहीं डाले गए या समायोजित नहीं हैं) को आईआरडीए के प्रावधानों के अंतर्गत यथा उल्लिखित शेयर पूंजी की अनुसूची में समायोजित किया जाता है.

Life Insurance Joint Venture- IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Preliminary expenses are amortized over a period of ten years. Such preliminary expenses (to the extent not written off or adjusted) are adjusted in the schedule of Share Capital as prescribed under the IRDA regulations.

17. प्रति शेयर उपार्जन
Earnings Per Share:

i. समूह एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Group reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

18. आस्तियों की अनर्जकता
Impairment of Assets:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में, जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन ऐसे संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-राशि वसूलीयोग्य नहीं है तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से करके किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गई हों तो निर्धारित होने वाली अनर्जकता को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूली योग्य मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.

A. In case of IDBI Bank Ltd, Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the estimated current realizable value of the asset or value in use.

आ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ के मामले में, आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर अनर्जकता का कोई संकेत होने पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्ति की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है. आस्ति की रखाव राशि इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाने पर आस्ति को अनर्जक माना जाता है. अनर्जक हानि, यदि कोई है, को आस्ति के अनर्जक निर्धारण होने वाले वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. जब ऐसा संकेत मिलता है कि अनर्जक हानियां अब समाप्त या न्यून हो गईं हैं तो पूर्व वर्षों में दर्शाई गई अनर्जक हानि का प्रतिवर्तन दर्ज किया जाता है.

B. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, the carrying amounts of the assets are reviewed at each Balance Sheet date for impairment based on internal / external factors. An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceed its recoverable value. An impairment loss, if any, is charged to Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. Reversal of impairment loss recognised in prior years is recorded when there is an indication that the impairment losses recognised for the assets no longer exists or has decreased.

इ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम-आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.- प्रबंधन बाह्य और आंतरिक स्रोतों का प्रयोग करते हुए किसी आस्ति के अनर्जक होने के संकेत के बारे में आवधिक मूल्यांकन करता है. अनर्जकता उन मामलों में होती है जहां रखाव मूल्य भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य, जिसके आस्ति के निरंतर प्रयोग और इसके आकस्मिक निपटान से बढ़ाने की संभावना होती है, से बढ़ जाता है. व्यय की जाने वाली अनर्जक हानि का निर्धारण उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार आस्ति के उच्चतर निवल बिक्री मूल्य या वर्तमान मूल्य पर रखाव राशि के आधिक्य के रूप में किया जाता है.

C. Life Insurance Joint Venture - IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Management periodically assesses, using external and internal sources, whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment occurs

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

where the carrying value exceeds the present value of future cash flows expected to arise from the continuing use of the asset and its eventual disposal. The impairment loss to be expensed is determined as the excess of the carrying amount over the higher of the asset's net sales price or present value as determined above.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट के मामले में, कंपनी किसी आस्ति के अनर्जक होने के संकेत के बारे में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आवधिक मूल्यांकन करती है. यदि ऐसे किसी संकेत का पता चलता है तो कंपनी आस्ति की वसूली योग्य राशि का आकलन करती है. यदि आस्ति की वसूली योग्य राशि इसके रखाव राशि से कम है तो रखाव राशि इसकी वसूलीयोग्य राशि से कम कर दी जाती है. कमी को अनर्जक हानि के रूप में माना जाता है तथा लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. यदि तुलन पत्र की तारीख को ऐसे कोई संकेत हैं कि पूर्ववर्ती आकलित अनर्जक हानि अधिक समय तक नहीं रहेगी तो वसूली योग्य राशियों का पुनर्मूल्यन किया जाता है और आस्ति को अधिकतम मूल्य ह्रासित पुरानी लागत के अधीन वसूली योग्य राशि में दर्शाया जाता है. अनर्जकता के बाद, आस्ति के संशोधित रखाव राशि पर, इसकी शेष उपयोगी अवधि के लिए, मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है

D. In case of IDBI Asset Management Ltd, The Company assesses at each Balance Sheet Date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the profit and loss account. If at the balance sheet date there is an indication that a previously assessed impairment loss no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of depreciable historical cost. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over its remaining useful life.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में, आस्ति की रखाव राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है ताकि अनर्जकता के किसी संकेत का पता लगाया जा सके. यदि ऐसे किसी संकेत का पता चलता है तो आस्ति के वसूली योग्य राशि के बारे में आकलन किया जाता है. जब कभी किसी आस्ति की रखाव राशि या इसकी नकदी जनरेट करने वाली इकाई वसूली योग्य राशि से अधिक होती है, अनर्जक हानि का निर्धारण किया जाता है. वसूली योग्य राशि, आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से अधिक होती है जिसका निर्धारण अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों के आधार पर किया जाता है जो अपने वर्तमान मूल्य पर भुनाए जाते हैं. सभी अनर्जक हानियों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. वसूली योग्य राशि के निर्धारण के लिए प्रयुक्त अनुमानों में परिवर्तन की स्थिति में किसी अनर्जक हानि का प्रतिवर्तन किया जाता है तथा इसे लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

E. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, The carrying amount of assets, is reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, recoverable amount of the assets is estimated. An Impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash generating unit exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in the use, which is determined, based on the estimated future cash flows discounted to their present values. All impairment losses are recognized in the profit and loss account. An impairment loss is reversed if there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount and is recognized in the profit and loss account.

ऊ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर अनर्जकता का कोई संकेत होने पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्ति की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है. आस्तियों की रखाव राशि इसके वसूलीयोग्य मूल्य से अधिक हो जाने पर आस्ति को अनर्जक माना जाता है. अनर्जक हानि, यदि कोई है, को आस्ति के अनर्जक निर्धारण होने वाले वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. जब ऐसा संकेत मिलता है कि अनर्जक हानियां अब समाप्त या न्यून हो गई हैं तो पूर्व वर्षों में दर्शाई गई अनर्जक हानि का प्रतिवर्तन दर्ज किया जाता है.

F. In case of IDBI Intech Ltd, the carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An asset is treated as impaired when the carrying

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss, if any, is charged to Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. Reversal of impairment losses recognised in prior years is recorded when there is an indication that the impairment losses no longer exist or have decreased.

18. पूर्व अवधि समायोजन
Prior period adjustments:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में, पूर्व वर्षों की मदों, वर्ष के दौरान समायोजन/उद्भूत/निपटाए गए/नोट किए गए दावे, यदि मूर्त प्रकृति के हों तो पूर्व अवधि के व्ययों/आय से अथवा यदि मूर्त प्रकृति के न हों तो संबंधित लेखा शीर्षों से नामे/जमा किए जाते हैं.

In case of Idbi Trusteeship Services Ltd., Earlier year items, adjustment / claims, arisen/ settled/ noted during the year, if material in nature, are debited/ credited to prior period expenses/ income or respective heads of account, if not material in nature.

19. नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statements:

अ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में, नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरण पर लेखा मानक में (एएस-3) में वर्णित ''अप्रत्यक्ष पद्धति'' के अनुसार तैयार किए जाते हैं. कंपनी के नियमित राजस्व निर्माण, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से होने वाले नकदी प्रवाह को अलग अलग किया जाता है.

A. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., Cash Flow Statements are prepared in accordance with "Indirect Method" as explained in the Accounting Standard on Cash Flow Statements (AS-3). The Cash flows from regular revenue generating, financing and investing activity of the company are segregated.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किए जाते हैं जिसके द्वारा कर पूर्व निवल लाभ को गैर नकदी प्रकृति के लेन-देनों के लिए लागू करने, किसी आस्थगित राशियों अथवा पूर्व या भविष्य में परिचालन वाले नकदी प्राप्तियों या भुगतानों से संबंधित संचयी जमा राशियों अथवा आय मदों या नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से संबद्ध व्ययों के लिए समायोजित किया जाता है. कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों से होने वाले नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.

B. In case of IDBI Asset Management Ltd, Cash Flows are reported using indirect method whereby net profits before tax is adjusted for the effects of transactions of a non cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरणों के लेखा मानक 3 में निर्धारित किए गए अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति से तैयार किया जाता है तथा यह कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों पर नकदी प्रवाह को दर्शाता है. नकदी प्रवाह विवरण में प्रदर्शित नकदी और नकदी समतुल्य में, हाथ में नकदी और बैंकों में जमा मांग राशियां शामिल हैं.

C. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, The Cash Flow Statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard 3 on Cash Flow Statements and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the Company. Cash and Cash equivalents presented in the Cash Flow Statement consist of cash on hand and demand deposits with banks.

20. पट्टे
Leases:

अ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में पट्टे की व्यवस्थाएं, जहां किसी आस्ति के स्वामित्व के बारे में सभी जोखिम और लाभ वास्तव में पट्टाकर्ता में निहित हैं, का निर्धारण परिचालनगत पट्टे के रूप में किया जाता है. परिचालनगत पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान 'किराया दरें और कर' के अंतर्गत लाभ-हानि लेखे में सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

A. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Profit and Loss account under 'Rent Rates and Taxes' on a Straight Line Basis over the lease term.

आ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में, परिचालनगत पट्टे के अंतर्गत पट्टा किराया भुगतान, पट्टा करार की शर्तों के अनुसार लाभ-हानि लेखे में व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है.

B. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, Lease Payment under an operating lease is recognised as expenses in the statement of profit and loss account as per terms of lease agreement.

इ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., वे पट्टे जहां पट्टाकर्ता प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में पर्याप्त रूप से स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ अपने पास रखता है, उन्हें परिचालनगत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. पट्टा अवधि के दौरान, परिचालनगत पट्टा किरायों को, व्यय जैसा लागू हो, के रूप में निर्धारित किया जाता है.

C. Life Insurance Joint Venture - IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the leased term are classified as operating leases. Operating lease rentals are recognized as an expense, as applicable, over the lease period.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, वे पट्टे जहां पट्टाकर्ता प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में पर्याप्त रूप से स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ अपने पास रखता है, उन्हें परिचालनगत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालनगत पट्टा किरायों को, पट्टा अवधि के दौरान व्यय के रूप में लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया जाता है.

D. In case of IDBI Asset Management Ltd, Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the lease term, are classified as operating leases. Operating lease rentals are recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

उ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, पट्टे की व्यवस्थाओं, जहां किसी आस्ति के स्वामित्व के बारे में जोखिम और प्रासंगिक प्रतिफल वास्तव में पट्टाकर्ता में निहित हैं, का निर्धारण परिचालनगत पट्टे के रूप में किया जाता है. परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत पट्टे के किराए को सीधी रेखा आधार पर लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया जाता है.

E. In case of IDBI Intech Ltd, Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor are recognised as operating leases. Lease rentals under operating leases are recognised in the statement of profit & loss on straight - line basis.

21. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में, समूह द्वारा कोई प्रावधान तभी हिसाब में लिया जाता है जब समूह यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए दायित्व संबंधी विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Group recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नही किया जाता है ओर निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है..
Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.
Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण किया जाता है और न ही इनका प्रकटन किया जाता है.
iv. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

आ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में, कंपनी, दावों (बीमा दावों के अलावा), वाद, निर्धारण, अर्थदंडों, दंडों आदि के लिए प्रावधान सृजित करती है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. ऐसी आकस्मिक देयताओं के लिए प्रकटन किया जाता है जहाँ पिछले अवसर के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता के लिए राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु संभवतः नहीं होगी या जहाँ दायित्वों का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता है.

B. Life Insurance Joint Venture - IDBI Federal Life Insurance Company Ltd,
The Company creates a provision for claims (other than insurance claims), litigation, assessment, fines, penalties, etc. when there is present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a present obligation arising as a result of past event that probably will not required an outflow of resources or where a reliable estimate of the obligation cannot be made.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, कंपनी पूर्व घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होने पर उसके लिए प्रावधान करती है जिसमें संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना होती है तथा देयता राशि के लिए विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है. किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन उस स्थिति में किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो, जिसमें संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है, लेकिन संभवतः नहीं होगा. जब किसी ऐसे संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व की संभावना हो जिसके बारे में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान करने या प्रकटन की आवश्यकता नहीं होती है. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम आकलन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है. यदि इस बात की संभावना न हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी, प्रावधान को प्रतिवर्तित किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया जाता है. तथापि, यदि वास्तव में निश्चित हो कि कोई आर्थिक लाभ होने वाला है तो आकस्मिक आस्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, आस्ति तथा संबंधित आय को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें बदलाव होता है.

C. In case of IDBI Asset Management Ltd, The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed. Contingent assets are not recognized in the financial

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurred.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में, पिछले घटनाक्रमों के कारण वर्तमान दायित्व होने पर प्रावधान का निर्धारण किया जाता है. यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत हो जिसके संबंध में उचित प्रावधान किया जा सकता है. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलन दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है. किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन उस स्थिति में किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो, जिसमें संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है, लेकिन संभवतः नहीं होगा. जब किसी ऐसे संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व की संभावना हो जिसके बारे में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान करने या प्रकटन की आवश्यकता नहीं है. आकस्मिक आस्तियां दर्शाई नहीं जाती हैं. अशोध्य और संदिग्ध आस्तियों का निर्धारण सभी बकाया ऋणों के मामले की समीक्षा के बाद किया जाता है. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान उनकी उगाही के बारे में प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन के बाद किया जाता है. ऐसे किसी भी संदिग्ध ऋण के मामले में वसूली के आसार न होने पर उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा.

D. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, a provision is recognized when there is a present obligation as a result of past event. It is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent Assets are not recognized. Bad and doubtful assets are identified after carrying out a case by case review of all outstanding debts. Provisions are made on doubtful debts on management's evaluation of their realisability. In case the chances of recovery do not exist in any of the doubtful debts, the same shall be written off.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में, गणना में पर्याप्त मात्रा में अनुमान सहित प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि देयताओं के निपटान के लिए राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी. आकस्मिक देयताओं का निर्धारण नहीं किया जाता है बल्कि उनका नोट में प्रकटन किया जाता है. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण किया जाता है और न ही प्रकटन किया जाता है.

E. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the notes. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

ऊ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, प्रावधान का निर्धारण तब किया जाता है जब पिछले घटनाक्रम के फलस्वरूप वर्तमान दायित्व हो तथा इसकी संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता पड़ेगी तथा इसके संबंध में उचित प्राक्कलन किया जा सकता है. आकस्मिक देयताओं को नोटों के माध्यम से प्रकट किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों को दर्शाया नहीं जाता है.

F. In case of IDBI Intech Ltd, A provision is recognised when there is a present obligation as a result of past event and it is possible that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Contingent Liabilities are disclosed by way of notes. Contingent Assets are not recognised.

ए. आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टीशिप कंपनी लि. के मामले में, कंपनी पिछले घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होने पर उसके लिए प्रावधान करती है जिसमें संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना होती है तथा देयता राशि के लिए एक उचित प्राक्कलन किया जा सकता है. किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन उस स्थिति में किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो, जिसमें संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है, लेकिन संभवतः नहीं होगा. जब किसी ऐसे संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व की संभावना हो जिसके बारे में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान करने या प्रकटन की आवश्यकता नहीं है. प्रत्येक तुलन

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

पत्र की तारीख को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम आकलन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है. यदि इस बात की संभावना न हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी, प्रावधान प्रतिवर्तित किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया जाता है. तथापि, आकस्मिक आस्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और यदि वास्तव में यह निश्चित हो कि कोई आर्थिक लाभ होने वाला है तो आस्ति तथा संबंधित आय को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें बदलाव होता है.

G. In case of IDBI MF Trustee Company Ltd, The Company created a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed. Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurs.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 18: समेकित लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18: NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण एएस-10)
FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT AS-10)

i. परिसर में ₹ 2177.16 करोड़ (₹ 2177.16 करोड़) की पट्टाधृत भूमि (पुनर्मूल्यित) शामिल है जिसका 31 मार्च 2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर पुनर्मूल्यन किया गया था. पुनर्मूल्यन से उत्पन्न हुई ₹1129.05 करोड़ की निवल मूल्य वृद्धि को 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में जमा किया गया.
Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 2177.16Crore (₹ 2177.16 Crore) which was revalued at the end of business hours, on 31st March 2016. The net appreciation of ₹ 1129.05 Crore arising on revaluation, was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2016.

ii. बैंक ने यथा 31 मार्च 2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय/ कार्यालय भवन का पुनर्मूल्यन किया है. पुनर्मूल्यन से उत्पन्न ₹ 2807.29 करोड़ की निवल मूल्य वृद्धि, जो ₹1202.71 करोड़ के निवल बही मूल्य और ₹ 4010 करोड़ की पुनर्मूल्यित राशि के बीच अंतर राशि है, को 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा किया गया..
The Bank has revalued its Freehold Land & Residential/ Office building at the end of business hours, on 31st March 2016 based on valuations made by independent valuers. The net appreciation of ₹ 2807.29 Crore arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 1202.71 Crore and revalued amount of ₹ 4010 Crore was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2016.

iii. 31 मार्च 2017 को पुनर्मूल्यन रिजर्व में शेष ₹ 5417.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5607.83 करोड़) रहा..
The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2017 is ₹5417.75 Crore (Previous year ₹ 5607.83 Crore).

आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड में जहां मोबाइल हैंडसेटों, को पहले 5 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता था, अब उन्हें 3 वर्ष अवधि में मूल्यह्रासित किया जा रहा है क्योंकि वे तीव्र प्रौद्योगिकी बदलाव के कारण अप्रचलित हो गए हैं. इस नीतिगत परिवर्तन का पूर्वव्यापी प्रभाव ₹ 52,338/- है जिसे मूल्यह्रास लागत में शामिल किया गया है.
In IDBI Intech Ltd, Mobile handsets which were earlier depreciated over a period of 5 years are now being depreciated over 3 years as they turn obsolete due to rapid technology enhancements. The retrospective effect of this policy change amounts to ₹ 52,338/-which is included in depreciation cost.

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित)
EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (Revised)

i) **निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं**
Defined Contribution Schemes

पेंशन का विकल्प चुनने वाले तथा 31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में सेवाग्रहण करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर बैंक के अन्य कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना को 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की भविष्य निधि (निधि) के प्रशासकों की समिति' द्वारा संचालित किया जाता है. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 4.68 करोड़ (₹ 4.85 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में डाला गया है.
The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is administered by "The Committee of Administrators of IDBI Bank Employees' Provident Fund (Fund)". During the year, ₹ 4.68 Crore (₹ 4.85 Crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप मे अंशदान करता है. वर्ष के दौरान डीसीपीएस में ₹ 63.95 करोड़ (₹ 53.83 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में डाला गया है.
The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 63.95 Crore (Previous Year ₹ 53.83 Crore) has been contributed to DCPS and charged to Profit and Loss Account.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में, कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे के नोट 18 ''भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान'' में भविष्य निधि में अंशदान के लिए ₹ 0.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.43 करोड़) डाले गए हैं.
In case of IDBI Capital Market Services Ltd, the company recognised and included for Contribution to Provident Fund in Note18 "Contribution to Provident and other funds" of Profit and Loss Account is ₹ 0.55 Crore (Previous year ₹ 0.43 Crore)

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में भविष्य निधि अंशदान के लिए 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.67 करोड़) डाले गए हैं.
In case of IDBI Asset Management Ltd. the company has recognized ₹ 0.65 Crore (Previous Year ₹ 0.67 Crore) for the year ended 31st March 2017 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में, कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में भविष्य निधि अंशदान के लिए 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.10 करोड़) डाले गए हैं.
In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, the company has recognized ₹ 0.12 Crore for the year ended 31st March 2017 (Previous year ₹ 0.10 Crore) for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में, कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रुप टर्म बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के लिए 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 4.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.61 करोड़) डाले गए हैं.
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, the company has recognized ₹ 4.47Crore (Previous year ₹ 4.61Crore) for the year ended 31st March 2017 for the contribution towards statutory provident fund, Employee State Insurance, Group Term insurance & Employee Labour Welfare Fund in the Profit and Loss Account.

ii) निर्दिष्ट लाभ योजनाएं
Defined Benefit Schemes

बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है.
The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

क. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित है.
a. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में, कंपनी की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक सेवा पूरी कर ली है, उसे जाते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो कि अधिकतम ₹ 10,00,000 है.

b. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, the Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹ 1000000.

ग. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार भुगतान के लिए कंपनी ने ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है जो सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति लाभ योजना है. इसमें संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर उसे सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने पर एकमुश्त राशि दी जाती है.

c. In case of IDBI Asset Management Ltd, In accordance with Payment of Gratuity Act, 1972, the Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company.

ग्रेच्युटी लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियंत्रित तथा प्रबंधित ग्रेच्युटी निधि के जरिए प्रदान किया जाता है. ग्रेच्युटी निधि में वार्षिक अंशदान तथा प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.
The gratuity benefit is provided through a Gratuity Fund administrated and managed by the Life Insurance Corporation of India. The annual contributions to the gratuity fund and provision is made on the basis of actuarial valuation.

घ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, कंपनी ने ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के भावी भुगतान के लिए एक ट्रस्ट बनाया है, जिसका निधीयन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है. एलआईसी द्वारा निर्धारित किए अनुसार भुगतान के प्रयोजन के लिए वार्षिक ग्रेच्युटी अंशदान किए जाते हैं. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी के दायित्व का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. ऐसी निर्धारित बीमांकिक देयता और निधि में अंशदान के अंतर को देयता/ आस्ति, जैसा भी मामला हो, माना जाता है.

d. In case of IDBI Intech Ltd, the company has created a trust for future payment of Gratuities & Leave Encashment, which is funded with Life Insurance Corporation of India (LIC). Annual Gratuity contributions are made as determined by LIC for purposes of payment. The liability for gratuity at the end of each financial year is determined based on actuarial valuation. The difference between such actuarially determined liability and contributions made to the fund is recognized as a liability/asset, as the case may be.

ङ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में, कंपनी ने ग्रेच्युटी दायित्वों के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है. ग्रेच्युटी ट्रस्ट के अनुमोदन के लिए आयकर विभाग के पास किया गया आवेदन लंबित है. ट्रस्ट ने एलआईसी से ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और बीमांकिक आधार पर एलआईसी द्वारा निर्धारित किए गए वार्षिक अंशदानों का भुगतान कर उन्हें लाभ-हानि खाते में डाला जाता है. वर्ष के अंत में एलआईसी के पास हुआ संचय कंपनी की योजना आस्तियों और ग्रेच्युटी देयताओं के निधिक भाग को दर्शाते हैं

e. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, The company has created a separate Trust for Gratuity obligations. The Application filed for approval of the Gratuity Trust with the Income Tax Dept is pending. The Trust has taken Group Gratuity Policy from LIC and the annual contributions determined by LIC on actuarial basis

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

are paid and charged to Statement of Profit & Loss. The accumulations with LIC at year end represent Plan Assets and Funded Part of Gratuity Obligations of the company.

चूंकि एलआईसी द्वारा बीमांकिक गणनाओं में अपेक्षाकृत कम दरों पर वेतन में बढ़ोत्तरी (4%) और आहरण (1% से 3%) का अनुमान लगाया जाता है, कंपनी ने सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बीमा मूल्यांकक से अधिक वास्तविक धारणाओं पर पिछली और वर्तमान सेवा के भविष्य के दायित्वों के वर्तमान मूल्य के मूल्यांकन हेतु एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. एलआईसी योजना में निधि संचयन और स्वतंत्र मूल्यांकक (ग्रेच्युटी दायित्व के गैर निधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हुए) द्वारा वर्ष के अंत में देयता के रूप में निर्धारित राशि में अंतर को लाभ-हानि विवरण में उपयुक्त रूप से डालकर लेखे में देयता के रूप में दर्शाया जाता है.
On account of LIC assuming lower rates of salary escalations (4%) and withdrawal (1 to 3%) in actuarial computations, the company has obtained, from Independent Government Approved Actuary Valuer, a certificate for valuation of present value of future obligation of past and current service on more realistic assumptions. The difference between fund accumulation in LIC Scheme and amount determined as year end obligations by Independent Valuer (representing Non-Funded Part of Gratuity Obligation) is recognised and presented as liability in accounts by appropriate charge to Statement of Profit & Loss.

च. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में, कंपनी ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट निगमित किया है. कंपनी आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड के ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित ग्रेच्युटी निधि में अंशदान करती है. ग्रेच्युटी योजना में पात्र कर्मचारियों को संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में रोजगार के वर्ष के आधार पर सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है.

f. In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, The Company has incorporated a gratuity trust. The Company makes contribution to a Gratuity Fund administered by trustee of IDBI Federal Life Insurance Company Limited Gratuity Fund. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirements or termination of employment based on the respective employee's salary and the year of employment with the Company.

6 महीने या उससे अधिक की नियमित सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार सेवा छोड़ने पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन के मूल वेतन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.
The Gratuity is payable on separation as per the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 @ 15 days basic pay for each completed years of service to eligible employees who have rendered continuous service of 6 months or more.

छ. इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है.

g. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2017 को समूह के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार है.

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Group's financial statements as at March 31, 2017 which is as per AS-15(R).

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017		यथा 31 मार्च 2016 March 31, 2016	
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन/** Change in benefit obligations				
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	**1848.01**	**574.12**	**1739.24**	**522.13**
	ब्याज लागत /Interest cost	148.95	46.26	138.27	41.88
	वर्तमान सेवा लागत / Current Service cost	32.56	34.95	44.63	30.34
	वर्ष के दौरान सीमा में वृद्धि के कारण उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतरित देयता आगम / (निर्गम) Liability Transferred In/(Out)	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(98.14)	(46.46)	(85.07)	(40.85)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि/Actuarial (gain) / loss	127.94	45.47	10.94	20.61
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/obligation, end of the year	**2059.32**	**652.00**	**1848.01**	**574.11**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	1818.46	524.64	1622.76	430.39
	योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	147.30	42.46	141.18	37.42
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	291.84	49.68	132.58	92.65

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017		यथा 31 मार्च 2016 March 31, 2016	
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other company	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ/Benefits paid	(98.14)	(46.46)	(85.07)	(40.85)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain / (loss)	98.10	3.16	7.01	5.02
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**2257.56**	**573.58**	**1818.46**	**524.63**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at end of the year	2059.32	654.34	1848.01	574.12
	भविष्य में अभिनिर्धारित/ उपबंधित की जानेवाली संक्रमणकालीन (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/ provided in future	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at end of the year	2059.32	654.34	1848.01	574.12
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at end of the year	2257.56	573.49	1818.46	524.63
	अधिशेष/(कमी) / Surplus/(Deficit)	**198.24**	**(80.85)**	**(29.55)**	**(49.50)**
घ) d)	**वर्ष के लिए निवल लागत/ Net cost for the year**				
	सेवा लागत / Service cost	32.56	34.95	44.63	30.34
	ब्याज लागत / Interest cost	148.95	45.99	138.27	41.87

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017		यथा 31 मार्च 2016 March 31, 2016	
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(147.30)	(42.20)	(141.18)	(36.97)
	निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि Net Actuarial (gain)/loss	29.84	42.31	3.93	15.58
	सीमा में वृद्धि के कारण अवधि के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई संक्रमणकालीन देयता Transitional liability recognized during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	उपर्युक्त अनुसार निवल लागत Net cost as per above	**64.05**	**81.05**	**45.65**	**50.83**
	पुनरांकित न की गई बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता Excess of fund value over actuarial liability not written back	198.24	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	0.00	0.23	0.00	0.00
	वर्ष की निवल लागत / Net cost of the year	**262.29**	**81.28**	**45.65**	**50.83**
ङ/ e)	**आस्तियों की श्रेणी / Category of Assets**				
	भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets	1042.30	0.23	880.73	0.44
	कॉरपोरेट बांड / सावधि जमा Corporate Bonds / FD	528.98	0.65	472.07	0.23
	विशेष जमा योजना/Special Deposits Scheme	0.00	0.00	15.00	0.00
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	0.00	571.67	0.00	522.43
	अन्य / Others	686.28	0.94	450.66	1.52
	कुल / Total	**2257.56**	**573.49**	**1818.46**	**524.63**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017		यथा 31 मार्च 2016 March 31, 2016	
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं : Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर / Discount rate	7.45%	6.56% से 7.71% तक From 6.56% to 7.71%	8.06%	7.35% से 8.07% तक From 7.35% to 8.07%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर Rate of return on plan assets	7.45%	7.21% से 7.71% तक From 7.21% to 7.71%	8.10%	7.8% से 8.10% तक From 7.8% to 8.10%
	वेतन बढ़ोतरी दर Salary escalation rate	5.75%	5% से 10% तक From 5 % to 10%	5.75%	5% से 10% तक From 5% to 10%
	पलायन दर / Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 2.57% 1.90 % for service less than 5 Years and 2.57 % for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 2.57% 1.90 % for service less than 5 Years and 2.57 % for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.13% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 1.94% 2.13% for service less than 5 Years and 1.94% for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.13% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 1.94% 2.13% for service less than 5 Years and 1.94% for service more than 4 Years
	मृत्यु दर / Mortality Rate	भारतीय जीवन आश्वस्ति मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से/ Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.		भारतीय जीवन आश्वस्ति मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से / Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. **अन्य दीर्घावधि लाभ**
Other long term benefits

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में छुट्टी नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य
Present value of Leave Encashment obligation at the End of the period - FY 2016-17

संस्था/Entity	राशि ₹ करोड़ में Amt in ₹ crore
आईडीबीआई बैंक लि. / IDBI Bank Ltd.	351.3
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	3.1
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड / IDBI Asset Management Limited	0.6
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. / IDBI Capital Market Services Limited	2.05
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. / IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.15

बैंक के अधिकारी अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ अधिकतम 300 दिन तक अपनी अर्जित/ साधारण छुट्टी संचित करने के लिए पात्र हैं. प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराया जा सकता है.
Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

बैंक के कर्मचारी अपंगता सहायता के लिए पात्र हैं जिसे अपंगता की घटना घटित होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना सहायता के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति का प्रयोग करते हुए किया गया है तथा वर्ष के दौरान ₹ 73.07 करोड़ (₹ 20.29 करोड़) की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है.
Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹73.07Crore (₹20.29 Crore) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में, कंपनी के कर्मचारी अधिकतम 30 दिन की अर्जित/ साधारण छुट्टी संचित कर सकते हैं जो नीति के अनुसार उनके द्वारा सेवा छोड़ते समय भुगतान योग्य/ नकदीकरण योग्य हैं. वर्ष के दौरान ₹ 1.4 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.6 करोड़) की राशि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान के रूप में उक्त लाभ के लिए राजस्व या लाभ-हानि लेखे में डाली गई है.
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, The Employees of the Company are entitled to accumulate their earned / privilege leave up to a maximum of 30 days which is payable/encashable as per the policy on their separation. During the year amount of ₹1.4Crore (Previous Year: ₹ 1.6 Crore) has been charged to Revenue or Profit and Loss Account towards provision for the said benefits based on actuarial valuation.

वर्ष के दौरान बैंक ने कर्मचारियों द्वारा ईसॉप का प्रयोग करने पर शून्य (1095) इक्विटी शेयर आबंटित किए.
The Bank has allotted NIL (1095) equity shares allotted during the year against ESOPs exercised by the employees.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)
SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्यतः निम्नलिखित तीन कारोबारी खंडों में परिचालन करता है :
The Bank primarily operates in three business segments as under :

ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाज़ार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केन्द्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल/ करेंसी कार्ड, थर्ड पार्टी वितरण और लेन-देन बैंकिंग सेवाएँ भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services.
कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अतिरिक्त जमा एवं ऋण कार्यकलाप सहित कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ समूहन सेवाएँ, परियोजना मूल्यांकन और ट्रेजरी के अंतर्गत शामिल न किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.

समेकित खंड सूचना
Consolidated Segment Information

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	विवरण/Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017 Year ended Mar 31, 2017 (लेखापरीक्षित) (Audited)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016 Year ended Mar 31, 2016 (लेखापरीक्षित) (Audited)
क. a.	**खंड राजस्व Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	22131	24146
	खुदरा बैंकिंग/Retail banking	28395	24659

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	विवरण/Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017 Year ended Mar 31, 2017 (लेखापरीक्षित) (Audited)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016 Year ended Mar 31, 2016 (लेखापरीक्षित) (Audited)
	ट्रेजरी / Treasury	793	556
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	252	181
	कुल / TOTAL	**51571**	**49542**
	घटाएं :- अंतर-खंड राजस्व Less :- Inter-segment revenue	19598	17966
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय **Net sales / income from operations**	**31973**	**31576**
ख. **b.**	**खंड परिणाम - कर-पूर्व लाभ / (हानि)** **Segment Results -Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	(9080)	(5370)
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	287	184
	ट्रेजरी / Treasury	290	274
	अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations	58	33
	कुल / TOTAL	**(8445)**	**(4879)**
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाकर अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	0	0
	कर-पूर्व कुल लाभ **Total profit before tax**	**(8445)**	**(4879)**
	आय कर /Income taxes	(3429)	(1288)
	निवल लाभ / Net profit	**(5016)**	**(3591)**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	विवरण/Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017 Year ended Mar 31, 2017 (लेखापरीक्षित) (Audited)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016 Year ended Mar 31, 2016 (लेखापरीक्षित) (Audited)
ग. c.	**खंड आस्तियां Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	183556	206612
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	166889	150850
	ट्रेजरी / Treasury	426	10891
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	699	238
	अविनिधानीत कॉरपोरेट आस्तियां / Unallocated corporate assets	10811	6684
	कुल आस्तियां / Total assets	**362381**	**375275**
घ. d.	**खंड देयताएं Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	105385	162684
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	235284	189766
	ट्रेजरी / Treasury	3673	230
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	195	144
	अविनिधानीत कॉरपोरेट देयताएं / Unallocated corporate liabilities	0	0
	कुल देयताएं / Total liabilities	**344537**	**352824**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली एफटीपी प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल है.
- The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per FTP system followed by the Bank.
- समूह प्राथमिक रूप से भारत में कारोबार करता है, अतः समूह ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
- The group primarily operates in India, hence the group has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

4. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTIES DISCLOSURE (AS-18)

i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का ब्योरा
Details of Key Management Personnel

संस्था /Entity	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक /Key Management Personnel
आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd.	श्री किशोर पी. खरात, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Kishor P Kharat, Managing Director & CEO श्री बाल कृष्ण बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (01 अप्रैल 2016 से 31 जुलाई 2016) Shri Balkrishan Batra, Deputy Managing Director (April 01, 2016 to July 31, 2016) श्री कृष्ण प्रसाद नायर, उप प्रबंध निदेशक (15 सितंबर 2016 से 31 मार्च 2017) Shri Krishna Prasad Nair, Deputy Managing Director (From September 15, 2016 to March 31, 2017) श्री जी.एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक (15 सितंबर 2016 से 31 मार्च 2017) Shri G. M. Yadwadkar, Deputy Managing Director (From September 15, 2016 to March 31, 2017) श्री एन.एस. वेंकटेश, कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ (01 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016) Shri N. S. Venkatesh, Executive Director & CFO (From April 01, 2016 to June 30, 2016) श्री आर.के. बंसल, कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ (01 जुलाई 2016 से 15 अगस्त 2016) Shri R. K. Bansal, Executive Director & CFO (From July 01, 2016 to August 15, 2016) श्रीमती पद्मा बेताई, सीएफओ (16 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2017) Smt. Padma Betai, CFO (From August 16, 2016 to March 31, 2017) श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव Shri Pawan Agrawal, Company Secretary

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

संस्था /Entity	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक /Key Management Personnel
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	श्री डी.सी. जैन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ - 31 अगस्त 2015 तक Shri D. C. Jain, Managing Director & CEO till August 31, 2015 श्री नागराज गारला, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ - 23 अक्तूबर 2015 से Shri Nagaraj Garla, Managing Director & CEO from October 23, 2015 श्री वी. गोपीनाथ, मुख्य वित्तीय अधिकारी Shri V. Gopinath, Chief Financial Officer श्रीमती क्रिस्टीना डिसूज़ा, कंपनी सचिव Smt. Christina D'souza, Company Secretary
आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.	श्री इंद्रपाल एस. कालरा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (01.04.16 से 15.08.2016) Shri Inderpal S. Kalra, Managing Director & CEO (From 01.04.16 to 15.08.2016) श्री एम.ए. खान, (16.08.16 से 31.03.2017) Shri M. A. Khan, (From 16.08.16 to 31.03.2017)
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	श्री विघ्नेश शहाणे, सीईओ एवं पूर्णकालिक निदेशक Shri Vighnesh Shahane, CEO & Whole Time Director
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	श्री दिलीप कुमार मंडल, प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. Shri Dilip Kumar Mandal, Managing Director & C.E.O
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd.	श्री दिलीप कुमार मंडल, प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. Shri Dilip Kumar Mandal, Managing Director & C.E.O श्री अमित भावसार, सीएफओ Shri Amit Bhavsar, CFO श्री मनेश जिंदानी, कंपनी सचिव Shri Manesh Jiandani, Company Secretary
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड IDBI Trusteeship Services Limited	श्री बी. बालचन्द्र, प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. - 4 फरवरी 2016 से Shri B. Balachandra, Managing Director & CEO from February 4, 2016 श्री एच.जी. रोकड़े, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ - 29 जनवरी 2016 तक Shri H, G. Rokade, Managing Director & CEO till January 29, 2016

ii) वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों से लेन-देन किया गया
Parties with whom transactions were entered into during the year

लेखा मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में लेन-देनों में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के संबंधियों का प्रकटन नहीं किया गया है.

In Terms of Paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of Banker-customer Relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन/ के पास शेषराशियां
Transactions/balances with related parties:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	
	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
प्राप्त जमाराशियां / Deposit Received	0.44	0.21
बकाया अन्य देयताएं/ जमाराशियां / Other Liabilities/ Deposits Outstanding	1.53	1.28
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	2.07	3.21
निवेश / Investment	0.01	-
दिए गए अग्रिम / Advances given	1.20	**2.41
बकाया अग्रिम / Advances outstanding	2.14	1.92
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advance due during the year	2.16	2.98
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on advances	0.05	0.18
अग्रिमों पर उपचित ब्याज / Interest accrued on advances	-	-
जमाराशियों पर ब्याज/ Interest on Deposits	0.04	0.11
पारिश्रमिक/ प्रतिपूर्तियां / Remuneration/Reimbursements	5.66	3.19
अन्य आय / Other income	0.10	0.16
वर्ष के दौरान लाभ /-हानि का अंश/ Share of profit/-loss during the year	-	-

** आईडीबीआई बैंक द्वारा एमडी एवं सीईओ (तुलनपत्र की तारीख को पदासीन) को उनके पुत्र के साथ संयुक्त रूप से मंजूर आवास ऋण के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कोई नया संवितरण नहीं किया गया.
** Housing loan sanctioned by IDBI to MD & CEO (holding office as at balance sheet date) jointly with his son. No fresh disbursement was made during FY 2016-17, in respect of this loan.

5. पट्टे (एएस-19)/ LEASES(AS-19)

परिचालनात्मक पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर, स्टाफ के आवास और स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) शामिल हैं जो बैंक के विकल्प पर या तो निरसनीय या गैर-निरसनीय पट्टे हैं.
Operating leases primarily comprise office premises, staff residences and Automated Teller Machines(ATM)s, which are either cancellable at the option of the Bank or non-cancellable operating lease.

वर्ष के दौरान निरसनीय / गैर निरसनीय परिचालनात्मक पट्टे पर प्रदत्त/ देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ-हानि लेखे में ₹ 428.91 करोड़ (₹221.40 करोड़) प्रभारित किए गए.
During the year ₹428.91 Crore (₹221.40Crore) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/ payable on cancellable/ non-cancellable operating lease.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

तुलन पत्र की तारीख को गैर-निरसनीय परिचालनगत पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:
The future minimum lease payments in respect of non-cancellable operating leases as at balance sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	4.76	2.26
एक वर्ष के बाद लेकिन पाँच वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	7.02	0.40

6. प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (एएस-20) /EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2016 March 31, 2016
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (हानि) (₹ करोड़ में) Net profit (Loss) considered for EPS calculation (₹ in crore)	(5016)	(3591)
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for basic EPS	20588 15 081	16833 16 108
जोड़ें: मंजूर की गई कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना का न्यूनीकृत प्रभाव Add : Dilutive impact of ESOP granted	-	-
न्यूनीकृत ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	20588 15 081	16833 16 108
प्रति शेयर उपार्जन (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	(24.36)	(21.33)
प्रति शेयर उपार्जन (न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	(24.36)	(21.33)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

7. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22)/ ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित आस्तियों और आस्थगित देयताओं के घटक निम्नानुसार हैं:
The component of Deferred Assets & Deferred Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	वर्ष 2016-17 के लिए For the year 2016-17	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017	यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016
आस्थगित कर देयताएं: / Deferred Tax Liability:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	(2.00)	59.03	61.03
विपणन एवं वितरण व्यय का परिशोधन Amortisation of marketing & distribution expenses	(0.03)	0.00	0.03
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिज़र्व निधि Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-Tax Act, 1961	(0.01)	439.80	439.81
कुल (अ) / Total (A)	**(2.04)**	**498.83**	**500.87**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	वर्ष 2016-17 के लिए For the year 2016-17	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017	यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016
आस्थगित कर आस्ति: Deferred Tax Asset:			
अनर्जक आस्तियों तथा पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं है Disallowance related to provision for NPA and for Restructured Advances not allowed under Income tax Act, 1961	3919.42	7914.09	3994.67
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए) (i ए) आदि के अंतर्गत अस्वीकृति Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income-Tax Act, 1961	51.80	178.36	126.57
आरंभिक व्ययों का परिशोधन Amortisation of Preliminary expenses	(0.08)	0.14	0.22
ग्रेच्युटी / पेंशन / Gratuity/Pension	0.12	0.29	0.17
छुट्टी का नकदीकरण / Leave Encashment	(0.03)	0.17	0.20
आगे ले जाई गई हानि / Carried forward Loss	(255.47)	14.68	270.14
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी और 35डीडी के अंतर्गत कटौती द्वारा कवर व्यय Expenditure covered by deduction u/s 35D and 35DD of the Income Tax Act, 1961	(0.05)	1.06	1.11
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अनवशोषित मूल्यह्रास Unabsorbed depreciation for the year ended March 31,2017	(46.20)	10.24	56.44
अन्य व्यापार प्राप्तियां Other Trade Receivables	(0.63)	2.14	2.77
कुल (आ) / Total (B)	**3668.87**	**8121.17**	**4452.30**
आस्थगित कर देयता / (आस्ति) (निवल) (अ)-(आ) Deferred tax liability/ (asset)(net) (A) – (B)	**(3670.91)**	**(7622.34)**	**(3951.43)**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

8. यथा 31 मार्च 2017 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

Summarized financial information of the subsidiaries & JV as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2017 are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

संस्था का नाम Name of the entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share in profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
1	2	3	4	5
मूल संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. Parent : IDBI Bank Ltd	95.94%	22563.65	103.50%	(5158.14)
सहायक संस्थाएं: / Subsidiaries:				
भारतीय: Indian:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	1.39%	326.79	(0.28%)	13.74
2. आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.	0.20%	46.07	(0.28%)	13.95
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd.	0.44%	104.42	(0.15%)	7.26
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	0.01%	1.20	0.00%	0.13
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.64%	151.58	(0.84%)	41.96

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

संस्था का नाम Name of the entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share in profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
1	2	3	4	5
विदेश: / Foreign:	लागू नहीं / NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित **Minority Interests in all subsidiaries**	0.30%	70.57	(0.38%)	19.01
सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) **Associates (Investment as per the equity method)**				
भारतीय / Indian				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	(0.01%)	0.45
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd.	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	(0.52%)	26.16
3. एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd.	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	(0.72%)	36.05
4. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	-	9.89

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

संस्था का नाम Name of the entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share in profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
1	2	3	4	5
विदेश / Foreign:	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA
संयुक्त उद्यम / Joint Ventures				
(आनुपातिक समेकन के अनुसार/ इक्विटी विधि के अनुसार निवेश) (as per proportionate consolidation/ investment as per the equity method)				
भारतीय / Indian				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited	1.39%	325.87	(0.50%)	24.99
विदेश / Foreign	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA
कुल / TOTAL	100%	23519.59	100%	(4983.56)
विलोपन / Elimination	(1.09%)	(257.28)	0.65%	(32.35)
निवल कुल / Net Total	98.91%	23262.31	100.65%	(5015.91)

नोटः उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है.

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

9. दंड का प्रकटन / DISCLOSURE ON PENALTY :

वर्ष के दौरान विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए.
During the year following penalties were imposed by regulatory authorities.

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

संस्था का नाम / Name of the Entity	विनियामक निकाय Regulatory Body	दंड की राशि (₹) Penalty Amount (₹)
आईडीबीआई बैंक लि. / IDBI Bank Ltd.	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	0.045
आईडीबीआई बैंक लि. / IDBI Bank Ltd.	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	0.007
आईडीबीआई बैंक लि. /IDBI Bank Ltd.	सेबी / SEBI	0.001
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Limited	-	शून्य /Nil
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / IDBI MF Trustee Company Limited	-	शून्य /Nil
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	-	शून्य /Nil
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / IDBI Asset Management Ltd.	-	शून्य /Nil
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. / IDBI Capital Market Services Ltd.	-	शून्य /Nil
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. / IDBI Trusteeship Services Ltd.	-	शून्य /Nil

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के संबंध में कतिपय प्रकटन किए जाने आवश्यक हैं. बैंक उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने आपूर्तिकर्ताओं से उनके कवरेज़ के बारे में संबंधित जानकारी संकलित करने की प्रक्रिया में हैं. प्रबंधन की राय में, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय होने वाले ब्याज, यदि कोई है, का कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है.

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to Micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

10. आकस्मिक देयता* / CONTINGENT LIABILITY*:

क. दीर्घावधि संविदाएं

a. Long term contracts

बैंक में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए आवधिक रूप से अनुमानित मूर्त हानियों के लिए डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का आकलन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने समीक्षा की है और सुनिश्चित किया है कि लेखा-बहियों में डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसी दीर्घावधि संविदाओं पर अनुमानित मूर्त हानियों के लिए किसी भी कानून/ लेखा मानकों के अंतर्गत अपेक्षित पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ख. लंबित मुकदमों के लिए
b. For Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के विरुद्ध किए गए दावे और आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और अपने वित्तीय विवरणों में, जहां कहीं आवश्यक है, पर्याप्त प्रावधान किए हैं और जहां लागू है, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.
The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में
In case of IDBI Asset Management Ltd,

i) कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 27-02-2015 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील फाइल की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
For the AY 2012-13 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 27-02-2015 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regards.

ii) कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 15-03-2016 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
For the AY 2013-14 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 15-03-2016 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regards.

iii) वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए एमवीएटी कर-निर्धारण में वैट विभाग ने आईडीबीआई एमएफ गोल्ड ईटीएफ योजना में स्वर्ण की खरीद पर अदा किए गए खरीद वैट के लिए दावा किए गए समंजन को अनुमति नहीं दी थी और कंपनी से ₹ 0.43 करोड़ की मांग की थी. कंपनी ने इस कर-निर्धारण के विरुद्ध भी अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. वर्ष के दौरान अभ्यापत्ति के अंतर्गत ₹ 0.15 करोड़ का तदर्थ भुगतान किया गया है.
In the MVAT assessment for the financial year 2011-12 the VAT department has disallowed the set-off claimed of purchase VAT paid on the purchase of Gold in the IDBI MF Gold ETF scheme and raised a demand of ₹0.43Crore on the Company. The Company has also filed an appeal against this assessment. No provision has been made in this regards. An adhoc payment under protest of ₹ 0.15 Crore has been made during the year.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iv) एक कर्मचारी ने अपनी सेवा के समापन को चुनौती देते हुए कंपनी के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है. देयता की मात्रा वर्तमान में ज्ञात नहीं है.
One employee has filed a writ petition in High Court against the company challenging the termination of his services. The quantum of liability is not known at present.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में
In case of IDBI Capital Market Services Ltd,

i) कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे - ₹ 0.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.79 करोड़) जिसमें 18% की दर से ₹ 0.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0. 28 करोड़) का ब्याज शामिल है.
Claims against the company not acknowledged as debt – ₹ 0.13Crore (Previous Year ₹0.79Crore) including interest @ 18% amounting to ₹0.06 Crore (Previous Year ₹0.28 Crore).

ii) कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 6.12 करोड़ के आयकर के भुगतान की मांग करते हुए दिनांक 27.01.2015 का मांग नोटिस प्राप्त हुआ. कंपनी ने उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष नोटिस को चुनौती दी है. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता ने सूचित किया है कि कंपनी के विरुद्ध कर मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तदनुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
A demand notice dated 27.01.2015 was received raising a demand for payment of income tax of ₹ 6.12Crore for the Asst. Year 2012-13. The demand has been contested by the company before the appropriate authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

iii) कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 0.20 करोड़ के आयकर के भुगतान की मांग करते हुए दिनांक 21.03.2016 का मांग नोटिस प्राप्त हुआ. कंपनी ने उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष नोटिस को चुनौती दी है. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता ने सूचित किया है कि कंपनी के विरुद्ध कर मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तदनुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
A demand notice dated 21.03.2016 was received raising a demand for payment of income tax of ₹0.20 Crore for the Asst. Year 2013-14. The notice has been contested by the company before the appropriate authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

iv) सेवा कर विभाग ने सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3) और नियम 6(3बी) के प्रावधानों के अननुपालन का हवाला देते हुए 07.05.2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कंपनी को ब्याज के साथ ₹ 1.60 करोड़ की राशि विप्रेषित करने के लिए कहा है. हालांकि आईडीबीआई कैपिटल सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3बी) यथा उल्लिखित गैर-बैंकिंग कंपनी सहित बैंकिंग कंपनी तथा वित्तीय संस्था के अर्थ के भीतर नहीं आता है. मामला प्रधान सेवा कर आयुक्त के समक्ष लंबित है. कंपनी को उसके सलाहकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कंपनी के विरुद्ध सेवा कर की मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तदनुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
A show cause notice has been issued by the Service Tax Dept on 07.05.2015 citing non-compliance of provisions of Rule 6(3) and Rule 6(3B) of Cenvat Credit Rules 2004 and asked the company to remit ₹ 1.60 Crore along with interest though IDBI Capital do not fall within the meaning of a banking company and financial institution including a non-banking company as mentioned in Rule 6(3B) of Cenvat Credit Rules 2004. The matter is pending before Principal Commissioner of Service Tax. The Company has also been advised by its counsel that the service tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

v) पूंजी खाते पर निष्पादन किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है : ₹ 0.49 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य).
Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for: ₹ 0.49 Crore (Previous Year Nil).

vi) कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलाप के अंतर्गत प्रतिबद्ध परियोजना के संबंध में ₹ 0.23 करोड़ की राशि दर्शायी नहीं गई है क्योंकि परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ही पूरा हो पाएगा.
An amount of ₹ 0.23 Crore has not been recognized in respect of a project committed under Corporate Social Responsibility (CSR) activity by the company during the financial year 2016-17 as the execution of the project will be completed only during the financial year 2017-18.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में,
In case of IDBI Trusteeship Services Ltd,

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण / Particulars		2016-17	2015-16
कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे Claims against the company not acknowledged as debt :			
i)	कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए आयकर मांग (विटको) (कंपनी ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील की है) Income Tax demand for the AY 2007 – 08 (WITECO) (Company is in appeal before the CIT (Appeal))	0.06	0.06
ii)	भूतल परिसर के लिए लाइसेंसदाता द्वारा नगरपालिका कर की मांग Municipal Taxes demand by Licensor for basement premises	0.29	0.29
iii)	प्रतिभूतिकरण लेन-देनों पर विथहोल्डिंग करों के भुगतान में विलंब होने पर विभिन्न प्रतिभूतिकरण न्यासों, जहां आईटीएसएल इसके लिए प्रतिभूतिकरण न्यासी के रूप में कार्यरत है, पर ₹ 1.61 करोड़ (लगभग) तक की राशि का ब्याज उत्पन्न हो सकता है There may arise interest on delayed payment of withholding taxes on Securitization transactions amounting to ₹ 1.61 crore (approximately) on various Securitization trusts, where ITSL is acting as Securitization Trustee for the same		

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में आकस्मिक देयताएं निम्नानुसार हैं :
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Contingent Liabilities are as follows:

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017
अंशतः प्रदत्त निवेश / Partly paid-up investments	शून्य/Nil
बकाया हामीदारी वचनबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में) Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	शून्य/Nil
कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे, पॉलिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts by the company	
- विवादों के लिए कर्मचारियों द्वारा किये गए दावे Claims made by employees for disputes	0.03
कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given by or on behalf of the company	शून्य/Nil
विवादित सांविधिक मांग/ देयताएं, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for	
- आयकर / Income Tax	115.19
- सेवा कर (कंपनी द्वारा लिए गए कतिपय रुखों पर सेवा कर आयुक्त III का कार्यालय, मुंबई द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाबत) Service Tax (on account of objections raised by the Office of the Commissioner of Service Tax III, Mumbai on certain positions taken by the Company)	81.64
उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसका लेखों में प्रावधान नहीं किया गया Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	शून्य/Nil
मुकदमे के अंतर्गत पॉलिसी संबंधी दावे / Policy related claims under litigation	10.85

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में,
In case of IDBI Intech Ltd,

(क) गारंटियां: कंपनी ने अपनी आईटी परियोजनाओं के लिए ग्राहकों को ₹ 1 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की है. यथा 31 मार्च 2017 को इन गारंटियों के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं ₹ 1 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.05 करोड़) रहीं.

(a) Guarantees:The Company has issued Bank guarantee of ₹ 1Crore to customers for its IT Projects. As at 31st March 2017, the contingent liabilities under these guarantees amounted to ₹1 Crore (Previous Year: ₹ 1.05Crore).

(ख) पूर्व कर्मचारियों को देय वेतन: कंपनी को जयपुर उच्च न्यायालय तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, दिल्ली के आदेश के अनुसार पूर्ववर्ती ओबीएसटी वर्टिकल के पूर्व कर्मचारियों को ₹ 0.03 करोड़ की प्रतिकर राशि अदा करनी होगी. कंपनी द्वारा उसका प्रतिवाद किया जा रहा है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(b) Salary Payable to Ex employees: The Company may have to pay compensation amounting to ₹0.03Crore to Ex employees of the erstwhile OBST Vertical as per the Jaipur High Court Order and the Regional Labour Commissioner Delhi. The same is being contested by the company.

*अनुसूची 12 मात्रात्मक प्रकटन के लिए आकस्मिक देयताएं देखें.

*Refer Schedule 12 Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

11. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर /Unhedged Foreign Currency Exposure:

बैंक अपनी ऋण नीति में वर्णित रूप में अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों की निगरानी करता है और अपने ग्राहकों को उनकी विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रति सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि विदेशी मुद्रा दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाले घाटे को कम से कम किया जा सके.

The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation.

बैंक आवधिक आधार पर अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर जानकारी प्राप्त करता है और उसे आंतरिक रूप से विकसित प्रणाली में रखता है और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के परिणाम स्वरूप होने वाले संभावित घाटे की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का पालन करता है. इस एक्सपोजर के प्रति 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण की राशि ₹ 100.62 करोड़ (₹ 47.62 करोड़) तथा 31.03.2017 को जोखिम के लिए धारित पूंजी ₹ 588.99 करोड़ (₹ 415.76 करोड़) है.

The Bank obtains information on Un-hedged Foreign Currency Exposure from its customers on a periodic basis and maintains the same in an internally developed system and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The incremental provisioning for the year ending 31-03-2017 towards this exposure worked out to ₹100.62Crore (₹ 47.62Crore) and capital held towards the risk stood at ₹ 588.99Crore (₹ 415.76Crore) as on 31-03-2017.

12. अन्य /Others:

i. भारत सरकार ने दिनांक 16 मार्च 2017 के अपने पत्र सं. एफ/ 38/2014-बीओए के जरिए इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के जरिए ₹1900 करोड़ निवेश किया है. इक्विटी शेयरों के आबंटन लंबित होते हुए यह राशि यथा 31 मार्च 2017 को 'इक्विटी शेयर आवेदन धनराशि' खाते में जमा पड़ी है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2017 के अपने पत्र सं. डीबीआर.सीओ.बीपी.सं. 11547/21.01.002/2016-17 के जरिए बैंक को 'शेयर आवेदन धनराशि' को यथा 31 मार्च 2017 को सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी 1) पूंजी का भाग मानने की अनुमति दी है.

Government of India (GoI) vide its letter no F.No F/38/2014-BOA dated 16-03-2017 infused ₹ 1900 crore by way of preferential allotment of equity shares. The pending allotment of Equity Shares amount is lying in 'Equity Share Application Money' Account as on March 31,2017. Reserve Bank of India vide letter No. DBR.CO.BP. No.11547/21.01.002/2016-17 dated March 30,2017, has permitted Bank to treat 'Share Application Money' as a part of Common Equity Tier 1 (CET1) Capital as on March 31,2017.

ii. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग ने 5 सितंबर 2016 के अपने पत्र के जरिए बैंक को सूचित किया कि वह 2006 में किए गए भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) के आस्ति विनिमय के निवल प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार को ₹106427 लाख मूल्य की प्रतिभूतियाँ अभ्यर्पित करे. ये प्रतिभूतियाँ एसएएसएफ़ के विरूद्ध सितंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा बैंक को जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियों की ₹ 900000 लाख का भाग रूप हैं. ये सितंबर 2024 में परिपक्व होने वाली 20 वर्षीय प्रतिभूतियाँ हैं. बैंक ने 30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही से प्रारम्भ करते हुए 11 तिमाहियों में इन प्रतिभूतियों को अभ्यर्पित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से छूट मांगी है और तदनुसार उसे हिसाब में लिया है. अनुमोदन के लंबित होते हुए बैंक ने अभी तक भारत सरकार को ₹ 29025 लाख की प्रतिभूतियाँ अभ्यर्पित की हैं और शेष ₹ 77402 लाख मूल्य की प्रतिभूतियाँ निवेश के रूप में आगे ले जाई गईं है. बैंक को विश्वास है कि उसे ₹ 77402 लाख की शेष प्रतिभूतियाँ शेष 8 तिमाहियों में अभ्यर्पित करने का अनुमोदन मिल जाएगा.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter dated 5th September 2016, advised the Bank to surrender securities of ₹ 106427 lakhs to the GoI representing net impact of the asset exchange of Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) done by the Bank in 2006. These securities form part of ₹ 900000 lakhs of such securities issued to the Bank by GoI in September 2004 against SASF. These are 20 years securities maturing in September 2024. The Bank has sought dispensation from the Appropriate Authorities to surrender these securities in 11 quarters commencing from quarter ended September 30, 2016 and accounted the same accordingly. Pending approval, the Bank has so far surrendered securities of ₹ 29025 lakhs to the GoI and the balance securities of ₹ 77402 lakhs are carried forward as Investments. The Bank is confident that it will get the approval to surrender the balance of securities of ₹ 77402 lakhs in the remaining eight quarters.

iii. रिज़र्व बैंक के दिनांक 16 जुलाई 2015 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.31/21.04.018/2015-16 के अनुसरण में बैंक ने 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार में कमी के कारण नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी के पास रखी अपनी जमा राशियों को 'अन्य आस्तियों' के अंतर्गत शामिल किया है. अब तक इन्हें 'निवेश' के अंतर्गत शामिल किया जाता था. इन जमा राशियों पर ब्याज आय को 'अर्जित ब्याज-अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया है. अब तक ऐसी ब्याज आय को 'अर्जित ब्याज-निवेशों पर आय' के अंतर्गत शामिल किया जाता था. पिछली अवधियों के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप पुनःसमूहित / पुनःवर्गीकृत किया गया है. 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष या प्रस्तुत पिछले वर्ष के लिए बैंक के लाभ/ हानि पर वर्गीकरण में उपर्युक्त परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

Pursuant to RBI Circular DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16, 2015, the Bank has, effective from quarter ended June 30, 2015, included its deposits placed with NABARD, SIDBI and NHB on account of shortfall in lending to priority sector under 'Other Assets'. Hitherto these were included under 'Investments'. Interest income on these deposits has been included under 'Interest Earned-Others'. Hitherto such interest income was included under 'Interest earned-Income on Investments'. Figures for the previous periods have been regrouped / reclassified to conform to current period's classification. The above change in classification has no impact on the profit/ loss of the Bank for the year ended March 31, 2016 or the previous year presented.

iv. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए चार सहयोगी कंपनियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण समेकन के लिए विचार में लिए गए हैं.
During the Current Financial year, the Unaudited Financial statements of four associate companies, provided by the Management, are considered for consolidation.

v. पूंजी खाते (अग्रिमों को घटाकर) में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, ₹ 207.01 करोड़ (₹ 288.84 करोड़) है.
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹207.01Crore (₹288.84Crore).

vi. अग्रिमों की कुल राशि, जिनके लिए अधिकार पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियाँ ली गई हैं, ₹ 486.38 करोड़ (₹ 596.30 करोड़) है और यथा 31 मार्च 2017 को अमूर्त प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य समरूप आधार पर ₹ शून्य करोड़ (₹ शून्य) है.
Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken is ₹ 486.38 Crore (₹ 596.30Crore) and the estimated value of intangible security as on March 31, 2017 is ₹ Nil crore on Pari-passu basis (₹ Nil).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

vii. **विनिर्दिष्ट बैंक नोट [एसबीएन] प्रकटन.**
Specified Bank Notes [SBN] Disclosure:

क. बैंक के मामले में, ऐसा विश्वास है कि 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की धारिता और उनमें संव्यवहार के बारे में एमसीए द्वारा जारी 30 मार्च 2017 की अधिसूचना जी.एस.आर. 308(ई) बैंकिंग कंपनियों के लिए लागू नहीं हैं. तदनुसार उक्त अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित प्रकटन बैंक द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं है.

a. In case of the Bank, it is believed that the MCA notification G.S.R. 308(E) dated March 30, 2017 regarding holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8th November, 2016 to 30th December, 2016 is not applicable to banking companies. Accordingly, the disclosures prescribed under the said notification are not required to be made by the Bank.

ख. आईडीबीआई फेडरल लि. के मामले में, कंपनी ने 08.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान धारित तथा लेनदेन किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के ब्योरे नहीं दिए हैं क्योंकि एमसीए द्वारा जारी दिनांक 30.03.2017 की अधिसूचना जी.एस.आर. 308(ई) में परिकल्पित प्रकटन अपेक्षा सिर्फ ऐसी कंपनियों पर लागू है जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

b. In case of IDBI Fedral Ltd., the Company has not disclosed the details of Specified Bank Notes held and transacted during the period 08.11.2016 to 30.12.2016 as the disclosure requirement envisaged in Notification G.S.R.308(E) dated March 30, 2017 issued by MCA is applicable only for companies which are required to present the financial statements as per Schedule II of the Companies Act,2013.

ग. सहायक कंपनियों के लिए एसबीएन का समेकित सारांश:

c. The consolidated summary of SBN for subsidiaries :

(राशि ₹ में / Amt. in ₹)

विवरण / Particulars	एसबीएन (₹) SBNs (₹)	अन्य मूल्यवर्ग नोट Other denomination notes	कुल / Total
यथा 08.11.2016 को हाथ में नकदी शेष Closing cash in hand as on 08.11.2016	29500	37387	66887
जोड़ें: अनुमत प्राप्तियाँ Add: Permitted Receipts	0	227193	227193
घटाएं: अनुमत भुगतान Less: Permitted Payments	0	224576	224576
घटाएं: बैंकों में जमा की गई राशि Less: Amount deposited in Bank	29500	0	29500
घटाएं: यथा 30.12.2016 को हाथ में नकदी शेष Less: Closing Cash in hand as on 30.12.2016	0	40004	40004

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

13. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मूल, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई ऐसी अतिरिक्त सांविधिक जानकारी जिसका समेकित वित्तीय विवरणों को सही और उचित रूप से दर्शाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उन मदों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण नहीं है, का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरण में नहीं किया गया है.
Additional statutory information disclosed in separate financial statements of parent, subsidiaries and joint ventures having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statement in the view of general clarification issued by ICAI.

14. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिए गए हैं और उन्हें पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सके.
Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped /rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

लेखों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन)	(के.पी. नायर)	(जी.एम. यादवाडकर)	(एस. रवि)	(पद्मा बेताई)	(पवन अग्रवाल)
(Mahesh Kumar Jain)	(K.P. Nair)	(G.M. Yadwadkar)	(S. Ravi)	(Padma Betai)	(Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
Managing Director & Chief Executive Officer	Dy. Managing Director	Dy. Managing Director	Director	Chief Financial Officer	Company Secretary
(डीआईएन/DIN: 03513127)	(डीआईएन/DIN: 02611496)	(डीआईएन/DIN: 01432796)	(डीआईएन/DIN: 00009790)		

लेखों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
एस.एस. दीक्षित
S.S. Dikshit
साझेदार/ (स. सं. 41516)/ Partner (M.No. 41516)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निकेश के. शाह
Nikesh K. Shah
साझेदार (स. सं. 153520)/ Partner (M.No. 153520)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 18 मई 2017 / Date: May 18, 2017

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2016
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)		
Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items	(8498 23 59)	(4911 49 22)
(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन:		
Adjustments for non cash items:		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/ हानि (निवल)		
(Profit)/ Loss on sale of Fixed Assets (Net)	53 22	3 95
- साधारण रिज़र्व में अंतरण		
Transfer to General Reserve	189 67 51	47 31 84
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिज़र्व घटाकर)		
Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	362 22 92	217 81 60
- प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना/ निवेश तथा अन्य प्रावधान		
Provisions/ write off of Loans/ Investments and other provisions	13208 89 90	10361 47 66
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/हानि		
- (Profit)/ Loss on revaluation of Investments	38 46 25	100 75 92
	5301 56 22	**5815 91 75**
(3) परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन:		
Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:		
- निवेश / Investments	(1477 49 84)	(1691 59 65)
- अग्रिम / Advances	13122 18 69	(15756 42 17)
- अन्य आस्तियां / Other assets	1405 35 88	(1542 40 37)
- करों की वापसी / (भुगतान) /Refund / (payment) of taxes	(698 17 16)	(388 76 32)
(4) परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन:		
Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:		
- उधार राशियां / Borrowings	(14227 66 53)	7741 48 20
- जमा राशियां / Deposits	3128 28 54	5564 44 06
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	1445 83 72	(309 42 80)
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी		
Net cash used in/generated from operating activities	**7999 89 52**	**(566 77 30)**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
- अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर)		
Purchase (net of sale) of Fixed Assets	(464 13 96)	(714 85 33)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी		
Net cash used in / raised from investing activities	**(464 13 96)**	**(714 85 33)**

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2016
इ. C. **वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
- इक्विटी शेयरों का निर्गम / Issue of Equity Shares	-	3077 43 59
- आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन धनराशि - Share application money pending allotment	1900 00 00	-
- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and Dividend Tax paid	(11 43 20)	(150 49 64)
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	**1888 56 80**	**2926 93 95**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	9424 32 36	1645 31 32
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	23307 98 67	14642 67 32
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**32732 31 03**	**16287 98 64**
नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलनपत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	13349 62 68	13827 37 92
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	19382 68 35	2460 60 72
कुल / TOTAL	**32732 31 03**	**16287 98 64**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 एवं 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन) (Mahesh Kumar Jain)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(एस. रवि) (S. Ravi)	(पद्मा बेताई) (Padma Betai)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 03513127)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/DIN: 00009790)	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
एस.एस. दीक्षित
S.S. Dikshit
साझेदार/ (स. सं. 41516)/ Partner (M.No. 41516)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निकेश के. शाह
Nikesh K. Shah
साझेदार (स. सं. 153520)/ Partner (M.No. 153520)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 18 मई 2017 / Date: May 18, 2017

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहायक संस्थाओं/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं के साथ विवरण
STATEMENT CONTAINING SALIENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

भाग ''अ'' : सहायक कंपनियां
Part "A": Subsidiaries

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण/ Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है तो संबंधित सहायक संस्था के लिए रिपोर्टिंग अवधि Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	लागू नहीं / Not Applicable				
विदेशी सहायक संस्था के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को मुद्रा तथा विनिमय दर की रिपोर्टिंग Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries	लागू नहीं / Not Applicable				
शेयर पूंजी / Share capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	13 12 82
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष Reserves & Surplus	187 26 99	145 54 92	(95 57 60)	1 00 13	32 94 16
कुल आस्तियां / Total Assets	343 06 12	176 39 48	116 09 93	1 24 72	49 61 57
कुल देयताएं (पूंजी तथा रिज़र्व को छोड़कर) Total Liabilities (excluding capital and reserves)	27 69 13	24 81 28	11 67 54	4 59	3 54 59
निवेश/Investments	85 06 92	45 54 05	76 93 40	1 08 52	-
टर्नओवर/ Turnover	84 74 74	76 09 65	65 06 32	66 32	81 21 89
कराधान पूर्व लाभ Profit before taxation	2 72 16	64 25 72	1 56 02	18 08	21 39 79
कराधान के लिए प्रावधान Provision for taxation	39 90	(22 29 26)	5 69 79	5 56	(7 44 67)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण/ Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
कराधान पश्चात् लाभ Profit after taxation	2 32 26	41 96 45	7 25 81	12 52	13 95 12
प्रस्तावित लाभांश (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित) Proposed Dividend (including corporate dividend tax)	शून्य / Nil	21 78 27	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
शेयरधारिता का % % of shareholding	100%	54.70%	*66.67%	100.00%	100.00%

* शेष 33.33% धारिता आईडीबीआई कैपिटल सर्विसेज लि. के पास है
* Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Market Services Ltd

नोट/ Notes:

1. टर्नओवर प्रत्येक संस्था द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई कुल आय है.
   Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
2. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू होना है: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
3. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया है या जिन्हें बेचा गया है: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

भाग ''आ'': सहयोगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
Part "B": Associates and Joint Ventures

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/ Joint Ventures	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd	एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	आईडीबीआई फेडरल लि. IDBI Federal Ltd.
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख Latest audited Balance Sheet Date	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2017 March 31, 2017
2.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के शेयर/ Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end**					
	इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	150 00 04	1200 00 00	1200 00 00	2500 00 00	38400 00 00
	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश राशि Amount of Investment in Associates/ Joint Venture	1500 00 40	12000 00 00	12000 00 00	25000 00 00	384 00 00
	धारिता % की मात्रा Extend of Holding %	27.93%	30.00%	30.00%	25.00%	48.00%

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/ Joint Ventures	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd	एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	आईडीबीआई फेडरल लि. IDBI Federal Ltd.
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	बायोटेक कन्सोर्शियम इंडिया लि. में 27.93% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in Biotech Consortium India Ltd being 27.93%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल में 30% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL being 30%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. में 30% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL e-Governance Infrastructure Ltd being 30%, considered as an Associate as per AS-23	पूर्वोत्तर विकास वित्त कॉरपोरेशन लि. में 25% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in North Eastern Development Finance Corporation Ltd being 25%, considered as an Associate as per AS-23	आईडीबीआई फेडरल में 48% की धारिता को लेखांकन मानक-27 के अनुसार संयुक्त उद्यम माना जाता है Holding in IDBI Federal Ltd. being 48%, considered as a Joint Venture as per AS-27
4.	सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यमों के समेकित नहीं होने का कारण Reason why the associate/ joint venture is not Consolidated	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता जन्य निवल मालियत Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	6 51 68	130 86 04	112 89 60	174 67 10	325 87 50

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/ Joint Ventures	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd	एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	आईडीबीआई फेडरल लि. IDBI Federal Ltd.
6.	**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/ हानि Profit / Loss for the year ended March 31, 2017**					
	i. समेकन में शामिल i. Considered in Consolidation	45 05	26 16 25	36 05 40	9 88 67	24 99 01
	i. समेकन में शामिल नही i. Not Considered in Consolidation	0	0	0	0	0

1. उन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है : कोई नहीं.
Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations: None

2. उन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया हो अथवा जिनको बेच दिया गया हो : कोई नहीं.
Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year: None

3. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि., एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. एवं पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड को वर्ष 2016-17 के लिए अलेखापरिक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर एएस-23 के अनुसार समेकित किया गया है.
Biotech Consortium India Limited, National Securities Depository Ltd ,NSDL e-Governance Infrastructure Ltd & North Eastern Development Finance Corporation Limited have been consolidated in accordance with AS-23 based on unaudited financials statements for the year 2016-17.

(महेश कुमार जैन) (Mahesh Kumar Jain)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(एस. रवि) (S. Ravi)	(पद्मा बेताई) (Padma Betai)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 03513127)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/DIN: 00009790)	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 18 मई 2017 / Date: May 18, 2017

पिलर III प्रकटन
Pillar III Disclosures

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

भारतीय रिज़र्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2017 को पिलर III प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2016-17 (Basel III)>> March 2017 लिंक पर अलग से प्रदर्शित किए गए हैं.

Pillar III disclosures at March 31, 2017 as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on the Bank's website under 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2016-17 (Basel III)>> March 2017

नोट / NOTE

नोट / NOTE

IDBI installs PoS machines at airport

Mumbai: Stepping in to help crash-starved travellers, IDBI Bank has deployed its point of sale (PoS) machines at the Mumbai airport. The PoS machines deployed at both domestic and international airports will allow Visa and RuPay debit card holders of IDBI Bank as well as a few select banks to withdraw cash for urgent needs. A customer can get Rs 2,000 per card. **ENS**

आईडीबीआई बैंक में सतर्कता सप्ताह

मुंबई। आईडीबीआई बैंक ने पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रमोटिंग इंटीग्रिटी ऐंड इरादिकेटिंग करप्शन थीम के साथ 31 अक्टूबर से पांच नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। बैंक के कर्मचारियों को मुंबई स्थित कार्पोरेट आफिस पर सतर्कता संबंधित वचन दिलाई गई। सप्ताह की थीम पर जमा हुए

IDBI Bank celebrated Farmers Day on 23rd December 2016 across the Country



Mumbai, January 06, 2017: IDBI Bank has celebrated Farmer's Day by conducting 'Kisan Sangosthis' at rural & semi-urban locations across the country. Farmers' Day is observed by Government of India on 23rd December every year to acknowledge the important role played by farmers in socio economic development of the country.

The event was flagged off by Shri K. P. Nair, Deputy Managing Director on 22.12.2016 at Bhiwadi, Rajasthan, where Shri Suresh Khatanhar ED-PSG and Shri Rajeev Kumar, Field CGM, Delhi Zone were also present.

IDBI provides financial assistance to Directorate of Youth Affairs and Sports,Govt.of Tripura



IDBI Bank provided financial assistance to the Directorate of Youth Affairs&Sports, Government of Tripura for funding of critical

IDBI Bank observes Swachhta Pakhwada to achieve sanitation and cleanliness



IDBI Bank is observing the 'Swachhta Pakhwada' during Nov. 15-29, 2016 as part of the Swachh Bharat Mission to achieve total sanitation and cleanliness by October 2019. IDBI Bank team led by Shri K P Nair, Deputy Managing Director carried out the cleaning activities at Church Gate Railway Station on

IDBI Bank launches Stand Up India plan

On the occasion of 125th Birth Anniversary of Dr. B.R Ambedkar, IDBI Bank Regional Office Bhubaneswar launched the "Stand Up India scheme", through which the bank will sanction composite loan facility between ₹10 lakh and ₹1 crore to at least one SC/ST and at least one woman borrower per bank branch for setting of green field project. IDBI Bank GM R Venkatasubramanian, Regional Head and DGM, R N Mishra were among others who attended the event



IDBI BANK CELEBRATES 25 YEARS OF JAWAHARLAL NEHRU INSTITUTE OF BANKING AND FINANCE (JNIBF)

Strengthens focused efforts towards human resource development and Inaugurates Zonal Office in Hyderabad



IDBI Bank's premier training institute, JNIBF celebrated its Silver Jubilee in the presence of Shri H.R. Khan, former Deputy Governor, RBI (4th from left) and Shri Kishor Kharat, MD & CEO, IDBI Bank (3rd from left). Also seen in the picture (from L-R), Shri S.K. Bisoyi, Director, JNIBF; Shri G.M. Yashwadkar, DMD, IDBI Bank; Shri K.P. Nair, DMD, IDBI Bank and Shri G.A. Tadas, ED, IDBI Bank.

आईडीबीआई बैंक ने मुंबई आतंकी हमले की 8वीं सालगिरह पर दी श्रद्धांजलि



IDBI ORGANISES CURRENCY EXCHANGE CAMP

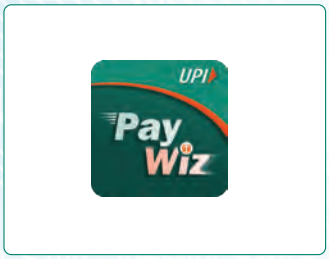
Ambala: As a goodwill gesture, Ambala Cantt branch of IDBI Bank organised a currency exchange camp at Raina Auditorium, Military Headquarter, Ambala Cantt, Haryana on November 18. Specified bank notes of ₹500 and ₹1,000 of Army personnel were exchanged at the camp. The event was attended by Brigadier Arvind Kumar and other Army officers Kumar Neel Lohit, CGM & Zonal Head, Chandigarh Zone, IDBI Bank and other IDBI Bank officers were also present at the venue. The top brass of Army at Ambala Cantt appreciated IDBI Bank efforts for organising the camp. To facilitate exchange of currency by the troops and their families, similar camps would be organised by the bank at different locations as well.

नकदी रहित परिवेश के लिए पेश हैं आधुनिकतम भुगतान समाधान

Presenting Next Gen payment solutions for a cashless environment.



इंटरनेट बैंकिंग
Internet Banking



यूपीआई ऐप
UPI App



मोबाइल वॉलेट
Mobile Wallet



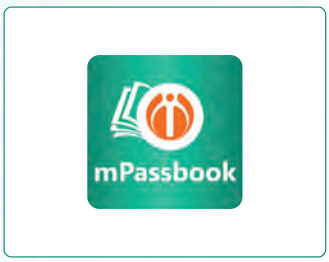
कार्ड भुगतान
Card Payments



बेसिक मोबाइल हैंडसेट के जरिए बैंकिंग
Banking through basic mobile handset



पीओएस मशीन एवं इंटरनेट पेमेंट गेटवे
POS Machines & Internet Payment Gateway



मोबाईल पासबुक
Mobile Passbook



मोबाइल बैंकिंग ऐप
Mobile Banking App



कार्ड कंट्रोल ऐप
Card Control App

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्युटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005
टोल फ्री नं.: 1800-22-1070 / 1800-200-1947.
गैर-टोल फ्री नं.: 022-66937000.

IDBI Bank Limited
Regd. Office:
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005
Toll Free Nos.: 1800-22-1070 / 1800-200-1947.
Non-Toll Free No.: 022-66937000.

www.idbi.com @idbi_bank /IDBIBank /idbibank /idbibank CIN - L65190MH2004GOI148838

www.sapprints.com

IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

Declaration of Auditors' unmodified opinion on the Financial Results for FY 2016-17

It is hereby declared that the Statutory Auditors have submitted the Audit Report with unmodified opinion on Consolidated Audited Financial Results and Standalone Audited Financial Results of IDBI Bank for the year ended on March 31, 2017.

(M.K. Jain)
Managing Director & CEO